



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का  
राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन  
31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA  
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest



उत्तर प्रदेश सरकार  
प्रतिवेदन संख्या 4-वर्ष 2024



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का  
राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन  
31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

उत्तर प्रदेश सरकार  
प्रतिवेदन संख्या 4-वर्ष 2024



**विषय सूची**

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
कार्यकारी सार		vii
<b>अध्याय I विहंगावलोकन</b>		
राज्य की रूपरेखा	1.1	1
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण	1.2	4
शासकीय लेखों की संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन	1.3	4
वित्त का आशुचित्र	1.4	8
राजकोषीय अवशेष : घाटे और सकल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि	1.5	11
लेखापरीक्षा जॉचोपरांत घाटा और सकल ऋण	1.6	15
लेखापरीक्षा उपरान्त—सकल लोक ऋण	1.7	17
<b>अध्याय II राज्य के वित्त</b>		
राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तन	2.1	19
निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग	2.2	19
राज्य के संसाधन	2.3	21
राज्य की राजस्व प्राप्तियां	2.3.2	22
पूँजीगत प्राप्तियां	2.3.3	33
संसाधनों का अनुप्रयोग	2.4	34
राजस्व व्यय	2.4.1	37
पूँजीगत व्यय	2.4.2	46
लोक लेखा	2.5	53
लोक देयता प्रबन्धन	2.6	62
ऋण संवहनीयता विश्लेषण	2.7	68
नकद अवशेष का प्रबन्धन	2.7.3	73
निष्कर्ष	2.8	76
संस्तुतियाँ	2.9	77

<b>अध्याय III</b>		
<b>बजटीय प्रबन्धन</b>		
बजट प्रक्रिया	3.1	79
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणियाँ	3.2	84
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ	3.3	87
चयनित अनुदानों की समीक्षा	3.4	97
निष्कर्ष	3.5	104
संस्तुतियाँ	3.6	104
<b>अध्याय IV</b>		
<b>लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग परम्परायें</b>		
राज्य के स्वामित्व वाले पीएसई/प्राधिकरणों के माध्यम से प्राप्त गैर-बजट ऋण को संचित निधि में जमा नहीं किया जाना	4.1	107
परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में अनुमोचित देनदारियाँ	4.2	108
उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि	4.3	109
विशिष्ट पृथक शीर्ष का सृजन न किया जाना	4.4	111
राज्य में कार्यदायी संस्थाओं को केन्द्रीय योजनाओं की निधियों का अन्तरण	4.5	113
उपभोग प्रमाणपत्रों के प्रेषण में विलम्ब	4.6	113
संक्षिप्त आकस्मिक बिल	4.7	115
वैयक्तिक जमा खाता	4.8	116
लघु शीर्ष 800 का अविवेकपूर्ण प्रयोग	4.9	117
बहुप्रयोजनीय मानक मद: '42-अन्य व्यय' के अन्तर्गत व्यय	4.10	120
प्रमुख उचन्त एवं प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत बकाया अवशेष	4.11	121
लेखा मानकों का अनुपालन	4.12	122
ऋण और अग्रिम के प्रतिकूल अवशेष	4.13	123
विभागीय आँकड़ों का मिलान न किया जाना	4.14	123
स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के लेखाओं/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुत किया जाना	4.15	124
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के प्रोफार्मा लेखे	4.16	125
दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, आदि के लम्बित मामले	4.17	125
निष्कर्ष	4.18	127
संस्तुतियाँ	4.19	128

अध्याय V राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम		
सरकारी कम्पनियों की परिभाषा	5.1	131
लेखापरीक्षा के अधिदेश	5.2	131
एसपीएसई और राज्य के जीएसडीपी में उनका योगदान	5.3	131
एसपीएसई में निवेश एवं बजटीय सहायता	5.4	133
एसपीएसई से आय	5.5	134
ऋण भुगतान	5.6	135
एसपीएसई का वित्तीय प्रदर्शन	5.7	136
एसपीएसई की लेखापरीक्षा	5.8	140
सीएजी द्वारा एसपीएसई के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति	5.9	141
एसपीएसई द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण	5.10	141
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निगरानी-लेखों की लेखापरीक्षा एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा	5.11	143
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका का परिणाम	5.12	144
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही	5.13	144
निष्कर्ष	5.14	144
संस्तुतियाँ	5.15	145

परिशिष्टियाँ		
विवरण	परिशिष्ट	पृष्ठ
उत्तर प्रदेश राज्य के सामान्य आँकड़े	1.1	147
राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आँकड़े	2.1	148
2018-23 की अवधि के दौरान स्वयं का कर/करेतर राजस्व का संग्रह	2.2	150
वर्ष 2022-23 के दौरान आरक्षित निधियों का विवरण	2.3	151
वर्ष 2022-23 के दौरान एकमुश्त बजटीय प्रावधान	3.1	152
वर्ष 2022-23 बजट अभिलेख में केन्द्रीय योजनाओं/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के वित्त पोषण पद्धति विवरण में (केन्द्रांश/राज्यांश/वित्तीय संस्थाओं) का उल्लेख नहीं किया जाना	3.2	156
उन प्रकरणों का विवरण जहाँ केन्द्रीय योजनाओं/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में वित्त पोषण प्रतिरूप में कुल केन्द्रांश और राज्यांश 100 प्रतिशत से अधिक/कम या अन्य वित्तीय	3.3	157

परिशिष्टियाँ		
विवरण	परिशिष्ट	पृष्ठ
संस्थान/अनुदानग्राही के वित्त पोषण अंश का उल्लेख नहीं है		
वर्ष 2022-23 के दौरान प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक बचत वाली अनुदानें	3.4	158
अनुदान जिनमें विगत पाँच वर्षों (2018-23) के दौरान लगातार बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी	3.5	162
जिन योजनाओं में अनुपूरक प्रावधान का उपयोग नहीं किया जा सका	3.6	164
अनावश्यक पुनर्विनियोजन	3.7	168
मुख्य शीर्षों को दर्शाने वाले विवरण जहाँ मार्च 2023 में 50 प्रतिशत या अधिक व्यय किया गया था	3.8	171
योजनायें जिनके लिए मूल प्रावधानों का उपयोग नहीं किया जा सका	3.9	172
योजनाओं का विवरण जिनके मूल प्रावधानों को अन्य योजनाओं में पुनर्विनियोजित किया गया	3.10	174
अनुदानवार बचत दर्शाने वाला विवरण	3.11	177
विभिन्न स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों के लेखे के अन्तिमीकरण के लम्बित होने का विवरण	4.1	180
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखाओं के अन्तिमीकरण की स्थिति	4.2	182
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची को दर्शाती हुई विवरणी	5.1	183
30 सितम्बर 2023 तक उनके नवीनतम अन्तिम रूप दिये गये लेखों के अनुसार सरकारी कम्पनियों और वैधानिक निगमों की सारांशित वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम	5.2	187
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बकाया लेखों को दर्शाने वाला विवरण	5.3	194
पदों की व्याख्या	-	197
प्रथमाक्षरी	-	199



यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाने हेतु तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन का अध्याय I प्रतिवेदन के आधार एवं दृष्टिकोण तथा अन्तर्निहित आँकड़ों का वर्णन करता है एवं शासकीय लेखे की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख सूचकांकों के सूक्ष्म राजकोषीय विश्लेषण एवं घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।
3. इस प्रतिवेदन का अध्याय II राज्य के वित्त का व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है तथा विगत वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों, 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्तियों, राज्य के ऋण की वस्तुस्थिति एवं राज्य के वित्त लेखे पर आधारित लोक लेखे के प्रमुख संव्यवहारों का विश्लेषण करता है।
4. इस प्रतिवेदन का अध्याय III राज्य के विनियोग लेखे पर आधारित है एवं राज्य सरकार के विनियोग एवं आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है तथा बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर विवरण प्रस्तुत करता है।
5. इस प्रतिवेदन का अध्याय IV राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत लेखाओं की गुणवत्ता एवं निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन किए जाने की स्थिति पर व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।
6. इस प्रतिवेदन का अध्याय V राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई) में निवेश, एसपीएसई के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण एवं एसपीएसई के निवल मूल्य के क्षरण पर चर्चा करता है।
7. विभिन्न विभागों के निष्पादन लेखापरीक्षा एवं संव्यवहारों की लेखापरीक्षा के निष्कर्षों एवं सांविधिक निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न आपत्तियों पर प्रतिवेदन तथा राजस्व प्राप्तियों के लेखापरीक्षा आपत्तियों से युक्त प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किये जाते हैं।

लेखापरीक्षा कार्य भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप सम्पादित किया गया है।



कार्यकारी सार



---

## कार्यकारी सार

---

### प्रतिवेदन के सम्बन्ध में

भारत के सी0ए0जी0 का यह प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 हेतु राज्य के वित्त पर है। यह वित्त, बजट प्रबन्धन और लेखाओं की गुणवत्ता, वित्तीय रिपोर्टिंग परम्पराएं तथा राज्य के वित्त से सम्बन्धित अन्य प्रकरणों का एक विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

यह कार्यकारी सार इस प्रतिवेदन की विषयवस्तु पर प्रकाश डालता है और महत्वपूर्ण आँकड़ों और पहलुओं के आशुचित्रों के माध्यम से, राजकोषीय संवहनीयता, बजट के आशय के सापेक्ष प्रदर्शन, राजस्व और व्यय अनुमान, भिन्नता के कारणों और इसके प्रभाव में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

---

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (वर्तमान मूल्यों पर) वर्ष 2018-19 में ₹ 15,82,180 करोड़ से 9.69 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 22,57,575 करोड़ हो गया। राज्य का बजट परिव्यय वर्ष 2018-19 में ₹ 4,99,136 करोड़ से 9.96 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 6,85,556 करोड़ हो गया।

जीएसडीपी में वर्ष 2021-22 के सापेक्ष 14.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियों में 12.46 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई तथा जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2021-22 में 18.79 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2022-23 में 18.48 प्रतिशत थीं। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व में विगत वर्ष से 18.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उत्तर प्रदेश राज्य का सकल व्यय (राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय, ऋण तथा अग्रिम एवं आकस्मिकता निधि में विनियोग) वर्ष 2021-22 में ₹ 4,11,237 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 4,83,215 करोड़ हो गया, जिसमें 17.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसमें से राजस्व व्यय में 2021-22 के सापेक्ष 12.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2021-22 के सापेक्ष राजस्व अधिशेष 11.47 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 33,430 करोड़ से बढ़कर ₹ 37,263 करोड़ हो गया, तथापि राजकोषीय घाटा 64.53 प्रतिशत वृद्धि के साथ वर्ष 2021-22 में ₹ 39,286 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 64,636 करोड़ हो गया।

### प्राप्ति-व्यय भिन्नता

प्राप्ति एवं व्यय में निरन्तर भिन्नता बढ़ते हुए राजकोषीय दबाव को इंगित करता है। राज्य की प्राप्ति के विभिन्न स्रोत हैं यथा राज्य का स्वयं का कर राजस्व, करेतर राजस्व, केन्द्रीय करों में राज्य का हस्तांतरण, सहायता अनुदान तथा केन्द्र सरकार से अंतरण एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्ति। राज्य सरकार के व्यय में राजस्व लेखे पर व्यय के साथ-साथ पूँजीगत लेखे (सम्पत्ति निर्माण, निवेश आदि) सम्मिलित हैं।

वर्ष 2018-19 से 2022-23 में राजस्व प्राप्ति 9.60 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ ₹ 3,29,978 करोड़ से बढ़कर ₹ 4,17,241 करोड़ हो गयी। पूँजीगत प्राप्ति भी इस अवधि में ₹ 56,908 करोड़ से बढ़कर ₹ 68,184 करोड़ हो गयी। राजस्व प्राप्ति में

सहायता अनुदान वर्ष 2018-19 में 13.03 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 14.36 प्रतिशत हो गया, जो भारत सरकार से सहायता पर बढ़ती निर्भरता को इंगित करता है। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार को सहायता अनुदान के रूप में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिये ₹ 35,575 करोड़ प्राप्त हुए। वर्ष 2022-23 में राज्य के स्वयं के कर राजस्व में जीएसडीपी के सापेक्ष उछाल 1.26 प्रतिशत था।

राजस्व व्यय वर्तमान स्तर की सेवाओं को बनाये रखने तथा विगत दायित्वों का भुगतान करने के लिये किया जाता है। वर्ष 2018-19 से 2022-23 के मध्य राजस्व व्यय ₹ 3,01,728 करोड़ (जीएसडीपी का 19.07 प्रतिशत) से बढ़कर ₹ 3,79,978 करोड़ (जीएसडीपी का 16.83 प्रतिशत) हो गया। इस अवधि में यह 7.58 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर की वृद्धि के साथ सकल व्यय का एक महत्वपूर्ण अंश (79 प्रतिशत से 85 प्रतिशत) बना रहा।

#### *साधन से परे व्यय का परिणाम*

राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय में अन्तर का परिणाम राजस्व घाटा है। राज्य ने अवधि 2018-23 में राजस्व अधिशेष प्राप्त किया सिवाय वर्ष 2020-21 के, जिसमें राजस्व घाटा ₹ 2,367 करोड़ का था। राज्य का राजस्व अधिशेष वर्ष 2018-19 में ₹ 28,250 करोड़ (जीएसडीपी का 1.79 प्रतिशत) से बढ़कर वर्तमान वर्ष में ₹ 37,263 करोड़ (जीएसडीपी का 1.65 प्रतिशत) हो गया।

सकल व्यय का सकल गैर ऋण प्राप्तियों के मध्य अन्तर राजकोषीय घाटा होता है। राज्य का राजकोषीय घाटा 2018-19 में ₹ 35,203 करोड़ (जीएसडीपी का 2.22 प्रतिशत) से बढ़कर 2022-23 में ₹ 64,636 करोड़ (जीएसडीपी का 2.86 प्रतिशत) हो गया। राज्य सरकार ने 2022-23 में ₹ 93,028 करोड़ पूँजीगत व्यय के रूप में व्यय किया, जो वर्ष 2022-23 के सकल व्यय का 19.25 प्रतिशत था।

राजस्व व्यय के अन्तर्गत, प्रतिबद्ध व्यय की मात्रा सबसे बड़ा अंश बनाती है। प्रतिबद्ध व्यय का संसाधनों पर प्रथम भार होता है और इसमें ब्याज भुगतान, वेतन, मजदूरी एवं पेंशन पर व्यय सम्मिलित हैं। वर्ष 2018-19 (56 प्रतिशत) तथा वर्ष 2022-23 (59 प्रतिशत) के दौरान ब्याज भुगतान, वेतन, मजदूरी एवं पेंशन पर प्रतिबद्ध व्यय राजस्व व्यय का 56 से 62 प्रतिशत रहा। प्रतिबद्ध व्यय में 7.95 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से वृद्धि हुई, अर्थात् वर्ष 2018-19 में ₹ 1,67,479 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 2,22,893 करोड़ हो गया। [वर्ष 2021-22 (2,02,126 करोड़) के सापेक्ष 10.27 प्रतिशत की वृद्धि]। यद्यपि, 2020-21 से 2022-23 के दौरान राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय के अंश में कमी आयी।

प्रतिबद्ध व्यय के अतिरिक्त अनम्य व्यय, राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में 20.43 प्रतिशत (2018-19) से घटकर 14.94 प्रतिशत (2022-23) हो गया। अनम्य व्यय 2021-22 में ₹ 48,526 करोड़ से 16.99 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2022-23 में ₹ 56,770 करोड़ हो गया। अनम्य व्यय ₹ 61,633 करोड़ (2018-19) से घटकर ₹ 56,770 करोड़ (2022-23) हो गया।

कुल मिलाकर, वर्ष 2022-23 में प्रतिबद्ध एवं अनम्य व्यय ₹ 2,79,663 करोड़, राजस्व व्यय का 74 प्रतिशत था। प्रतिबद्ध एवं अनम्य व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति सरकार को अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों तथा पूँजी सृजन के लिये लचीलेपन में कमी प्रदान करती है।

#### *सब्सिडी पर व्यय*

गैर प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत सब्सिडी में वृद्धि की प्रवृत्ति थी, जो वर्ष 2018-19 में ₹ 14,053 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 21,267 करोड़ हो गयी अर्थात् वर्ष 2018-19 में कुल राजस्व व्यय का 4.66 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 5.60 प्रतिशत हो गयी। उर्जा क्षेत्र में सब्सिडी एक महत्वपूर्ण अंश था, जो इस अवधि में कुल सब्सिडी का 52 से 68 प्रतिशत था।

#### *गैर बजट ऋण*

राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान ₹ 3,488 करोड़ के गैर बजट ऋण को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के माध्यम से ₹ 24,314.36 करोड़ गैर बजट ऋण जुटाये थे; जो राज्य के संचित निधि में नहीं आ रहे थे, जबकि इसका पुनर्भुगतान एवं सर्विस बजट के माध्यम से किया जाना है।

#### *प्रत्याभूति के आधार पर आकस्मिक देयताएं*

वर्ष 2022-23 के अन्त में कुल बकाया प्रत्याभूति ₹ 1,70,780.52 करोड़ थी। वर्ष 2022-23 के अन्त में कुल बकाया प्रत्याभूति जीएसडीपी का 7.56 प्रतिशत थी। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम से प्राप्य प्रत्याभूति कमीशन ₹ 4.41 करोड़ में से कोई प्रत्याभूति कमीशन प्राप्त नहीं हुआ।

#### *राजकोषीय संवहनीयता*

राजकोषीय संवहनीयता को समग्र राजकोषीय मापदण्ड के सन्दर्भ में जाँचा जाता है जैसे कि घाटा, ऋण और दायित्वों का स्तर, गैर बजट ऋण की प्रतिबद्धता, प्रतिभूतियाँ, सब्सिडी इत्यादि। जहाँ तक राजस्व तथा व्यय में भिन्नता का सम्बन्ध है, प्रतिबद्ध एवं अनम्य व्यय महत्वपूर्ण बाधा में से एक है जिसमें वेतन एवं मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज आदि तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं, आरक्षित निधि को अन्तरण तथा स्थानीय निकाय को अन्तरण के लिये प्रतिबद्धता से उत्पन्न हो रहे अन्य अनम्य व्यय भी हैं।

#### *एफआरबीएम अपेक्षाएं तथा राजकोषीय मापदण्डों का अनुपालन*

एफआरबीएम अधिनियम/नियम राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत में ऋण के लिये कुछ सीमाओं का निर्धारण करते हैं। 2022-23 में राज्य ने एफआरबीएम अधिनियम में राजस्व घाटे के लिये निर्धारित लक्ष्य शून्य के सापेक्ष ₹ 37,263.44 करोड़ राजस्व अधिशेष दर्ज किया। अग्रेतर, राजकोषीय घाटा वर्ष 2022-23 में ₹ 64,636.26 करोड़ था, जो एफआरबीएम में 3.50 प्रतिशत के लक्ष्य के सापेक्ष 2.86 प्रतिशत था। वर्ष 2022-23 में सकल अवशेष देयताओं का जीएसडीपी से अनुपात 28.71 प्रतिशत था, जो मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति 2022 में निर्धारित लक्ष्य (32.50 प्रतिशत) के अन्दर था।

राज्य सरकार ने राज्य के ऋण मापदण्डों पर प्रभाव डालने वाले व्ययों की पूर्ति हेतु राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/प्राधिकरणों के माध्यम से गैर बजट ऋण का

सहारा लिया। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार 31 मार्च 2023 को अवशेष गैर बजट ऋण ₹ 24,314.36 करोड़ था, जिसमें वर्ष 2022-23 में ₹ 3,488.00 करोड़ का लिया गया ऋण सम्मिलित है। अग्रेतर, यदि गैर बजट ऋण परिमाण को ऋण के अंश के रूप में सम्मिलित किया जाये तो राज्य का सकल दायित्व (लोक ऋण तथा लोक लेखा देयताओं को सम्मिलित करते हुए) जीएसडीपी का 29.79 प्रतिशत था।

ऋण स्थिरीकरण विश्लेषण के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार का लोक ऋण 2018-19 से 2022-23 के मध्य 10.65 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर के आधार पर बढ़ा। उत्तर प्रदेश का लोक ऋण-जीएसडीपी अनुपात 2018-19 में 23.08 से बढ़कर 2022-23 में 24.53 प्रतिशत हो गया। तथापि, डोमर माडल विश्लेषण के अनुसार 2019-20, 2020-21 एवं 2022-23 में ब्याज की वृद्धि दर जीएसडीपी वृद्धि दर (जी-आर>0) से कम थी। तथापि, डोमर गैप (जी-आर) के विश्लेषण के अनुसार ब्याज की वास्तविक वृद्धि दर 2018-19 एवं 2020-21 में वास्तविक आर्थिक वृद्धि को पार कर गयी थी। धनात्मक डोमर गैप प्राथमिक आधिक्य के साथ 2021-22 में ऋण/जीएसडीपी अनुपात में कमी लाता है। अग्रेतर, 2022-23 में प्राथमिक घाटे के बावजूद, 2022-23 में धनात्मक डोमर गैप प्राथमिक घाटे की पूर्ति करने हेतु पर्याप्त था और प्राथमिक रूप से ऋण जीएसडीपी अनुपात की प्रवृत्ति को घटाने में योगदान करता है। उक्त चर्चा से यह परिणाम निकाला जा सकता है कि विगत पाँच वर्षों में ऋण जीएसडीपी अनुपात में उतार चढ़ाव रहा और इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगा कि ऋण स्थिरीकरण के मार्ग पर है।

### **बजट प्रदर्शन**

#### **कुल व्यय परिणाम**

बजटीय उद्देश्य और बजट कार्यान्वयन के सन्दर्भ में बजट प्रदर्शन की जाँच यह आंकलन करने के लिये की जाती है कि मूल रूप से अनुमोदित राशि के सन्दर्भ में कुल व्यय परिणाम के बचत और आधिक्य दोनों की सीमा को दर्शाता है। राजस्व खण्ड में, बजट अनुमान (बीई) के सापेक्ष परिणाम में विचलन (-) 18.81 प्रतिशत था। यह 45 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के मध्य, 40 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के मध्य एवं छः अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के मध्य और 100 प्रतिशत से अधिक व समतुल्य एक अनुदान में विचलन के कारण था। पूँजी खण्ड में, (बीई) के सापेक्ष परिणाम में विचलन (-) 23.99 प्रतिशत था। यह 45 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के मध्य, 21 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के मध्य, 19 अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के मध्य और 100 प्रतिशत के समतुल्य या अधिक सात अनुदानों में विचलन के कारण था।

#### **व्यय संरचना परिणाम**

बजट प्रदर्शन यह भी दर्शाता है कि निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणी के मध्य पुनः आवंटन ने व्यय संरचना में परिवर्तनशीलता में किस सीमा तक योगदान दिया है। यह उपाय अन्तिम बजट और वास्तविक व्यय में भिन्नता की सीमा को इंगित करता है। वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व खण्ड के परिणाम में संशोधित अनुमान (आरई) से विचलन (-) 12.63 प्रतिशत था। यह 64 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के मध्य, 23 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के मध्य, पाँच अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत



के मध्य विचलन के कारण था। पूँजी खण्ड में, (आरई) के सापेक्ष परिणाम में विचलन (-) 24.31 प्रतिशत था। यह 53 अनुदानों में 0 से  $\pm 25$  प्रतिशत के मध्य, 14 अनुदानों में  $\pm 25$  प्रतिशत से  $\pm 50$  प्रतिशत के मध्य, 20 अनुदानों में  $\pm 50$  प्रतिशत से  $\pm 100$  प्रतिशत के मध्य और 100 प्रतिशत के समतुल्य या अधिक पाँच अनुदानों में विचलन के कारण था।

वर्ष 2022-23 के दौरान 42 प्रकरणों में (जहाँ प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या ₹ एक करोड़ से अधिक) ₹ 5,256.75 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान राजस्व मतदेय खण्ड के अन्तर्गत 28 प्रकरण एवं पूँजी मतदेय खण्ड के अन्तर्गत 14 प्रकरणों को सम्मिलित करते हुये अनावश्यक सिद्ध हुए, क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं था।

समग्र बजट विश्वसनीयता मूल्यांकन इंगित करता है कि वास्तविक व्यय और कुल बजट के साथ-साथ वास्तविक व्यय और संशोधित अनुमान के बीच विचलन क्रमशः 24 प्रतिशत और 16 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि कई प्रकरणों में, ऐसे अनुपूरक अनुदान थे जहाँ व्यय मूल अनुदान तक भी नहीं था। ऐसे विचलनों को रोकने के लिए एक विश्वसनीय बजट तैयार करने की आवश्यकता है।

### **लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग परम्पराएं**

लेखाओं और वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता उन मदों, लेनदेन और घटनाओं को सम्मिलित करती हैं जो अनुपालन में अन्तराल, नियमितता की कमियाँ और उन लेखा-अभिलेखों या समायोजन अभिलेख की प्राप्ति में विलम्ब के प्रकरणों से सम्बन्धित हैं जो वास्तविक व्यय का प्रमाण देते हैं। यह लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग से सम्बन्धित प्रकरणों जैसे सरकारी लेखे से बाहर रखी गयी निधियाँ, देनदारियों के ना या कम निर्वहन एवं लेनदेन के गलत वर्गीकरण पर भी प्रकाश डालती हैं।

### **अनुदानों/विनियोजनों से अधिक का नियमितीकरण**

संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 (1) (बी) के अनुसार अनुदान/विनियोजन पर आधिक्य को राज्य विधानमण्डल द्वारा नियमित कराना था। यह पाया गया कि 2005-06 से 2020-21 से सम्बन्धित ₹ 32,533.46 करोड़ के अतिरिक्त संवितरण को अभी तक नियमित नहीं किया गया था।

### **मिलान**

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 124 के अनुसार मुख्य नियन्त्रण अधिकारियों (सीसीओ)/ नियन्त्रण अधिकारियों (सीओ) द्वारा उनकी प्राप्तियों एवं व्ययों का महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखों में दर्ज किये गये आँकड़ों से मिलान अपेक्षित है। राज्य सरकार द्वारा 2022-23 में कुल व्यय का 97.41 प्रतिशत एवं कुल प्राप्तियों का 99.27 प्रतिशत मिलान किया गया।

### **आईजीएस का अनुपालन**

भारतीय सरकारी लेखा मानकों (आईजीएस) की आवश्यकताओं के सापेक्ष राज्य सरकार ने आईजीएस-I : सरकार द्वारा दी गयी गारण्टियों के प्रकटीकरण की आवश्यकताओं, आईजीएस-II : सहायता अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण, आईजीएस-III : सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम का आंशिक अनुपालन किया गया।

### वैयक्तिक जमा खाते का संचालन

उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश (मार्च 1999) प्रावधानित करता है कि वैयक्तिक जमा लेखे के प्रशासकों को कोषागार के आँकड़ों के साथ अपनी शेष राशि का मिलान और सत्यापन करना आवश्यक था एवं महालेखाकार को वार्षिक सत्यापन प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। तथापि, वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य के पीडी लेखाओं के 12 प्रशासकों में से केवल नौ प्रशासकों ने कोषागार के आँकड़ों से अपनी शेष राशि का मिलान एवं सत्यापन किया था।

### एकल नोडल एजेंसी को निधियाँ

भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के कार्यान्वयन एवं निधियों के प्रवाह हेतु एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) प्रणाली लागू की है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अंश को राज्य सरकार के लेखे के बाहर सम्बन्धित एसएनए के बैंक खातों में हस्तांतरित कर दिया जाता है।

सीजीए के पीएफएमएस पोर्टल के अनुसार, राज्य सरकार को अपने कोषागार खातों में वर्ष 2022-23 के दौरान केन्द्रीय अंश के रूप में ₹ 32,239.40 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। 31 मार्च 2023 तक, सरकार ने कोषागार खातों में प्राप्त ₹ 40,531.31 करोड़ का केन्द्रीय अंश और ₹ 38,533.68 करोड़ का राज्यांश एसएनए को हस्तांतरित कर दिया। सीजीए के पीएफएमएस पोर्टल के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक एसएनए के बैंक खातों में ₹ 28,980.96 करोड़ बिना व्यय के पड़े हैं।

### सशर्त अनुदान के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र

एक निर्धारित समयावधि के अन्दर सशर्त अनुदान के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता के बावजूद 31 मार्च 2023 तक वर्ष 2001-02 से वर्ष 2021-22 (सितम्बर 2021 तक) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त ₹ 19,981.24 करोड़ के सहायता अनुदान के 30,906 उपयोगिता प्रमाण पत्र लम्बित थे।

### सार आकस्मिक (ए.सी.) बिलों के सापेक्ष विस्तृत प्रति हस्ताक्षरित आकस्मिक (डीसी) बिल

सार आकस्मिक (ए.सी.) बिलों के माध्यम से लिये गये अग्रिम धन के सापेक्ष विस्तृत प्रति हस्ताक्षरित आकस्मिक बिल जमा करने की आवश्यकता के बावजूद 31 मार्च 2023 तक ₹ 8.52 करोड़ के 842 ए.सी. बिल के सापेक्ष डीसी बिल प्रस्तुत किये जाने हेतु लम्बित थे जिसमें से ₹ 5.09 करोड़ के 788 ए.सी. बिल वर्ष 2021-22 की अवधि से सम्बन्धित थे।

### सरकारी लेखाओं के बाहर निधियाँ

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 103 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य सरकार राज्य के लिए एक निधि का गठन करेगी जिसे राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि के रूप में जाना जायेगा एवं जिसमें राज्य सरकार द्वारा राज्य आयोग को दिये गये कोई भी अनुदान एवं ऋण, अधिनियम के अन्तर्गत राज्य आयोग को प्राप्त सभी फीस एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य स्रोतों से आयोग को प्राप्त अन्य सभी निधियाँ जमा होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लोक लेखे के अन्तर्गत राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि का गठन नहीं किया था। परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा प्राप्त फीस आयोग द्वारा संचालित बैंक खाते में जमा की गयी थी। इस प्रकार,

31 मार्च 2023 तक ₹ 111.14 करोड़ की धनराशि संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के विपरीत राज्य के लोक लेखे से बाहर रखी गयी थी।

राज्य सरकार ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम (बीओसीडब्ल्यू) कल्याण बोर्ड अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत संग्रहीत उपकर को बोर्ड के राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाते में जमा करने का आदेश (अगस्त 2013 एवं सितम्बर 2016) निर्गत किया। उपकर को शासकीय लेखे में लिये बिना बोर्ड के बैंक खाते में सीधे हस्तान्तरित करने का आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(2) का उल्लंघन करता है। बीओसीडब्ल्यू द्वारा प्रदान की गयी सूचना के अनुसार 31 मार्च 2023 को बोर्ड के पास ₹ 4,479.59 करोड़ उपलब्ध थे।

*प्रचलित नियमों तथा वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन लेखांकन एवं वित्तीय प्रतिवेदन में नियन्त्रण तथा दायित्व को प्रतिस्थापित करने के लिये होते हैं। अनुपालन न किया जाना तथा विचलन लेखे की गुणवत्ता तथा वित्तीय प्रतिवेदन पर विपरीत प्रभाव डालता है। सशर्त अनुदान के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र का समय पर प्रस्तुत न किया जाना, एसी देयकों के सापेक्ष डीसी देयकों को प्रस्तुत न किया जाना, आईजीएएस का पूर्ण अनुपालन न किया जाना, सरकारी लेखाओं के बाहर निधियों का रहना लेखे की गुणवत्ता को विपरीत रूप से प्रभावित करता है।*

### **राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई) के कार्य**

31 मार्च 2023 को, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में 113 एसपीएसई, जिनमें छः वैधानिक निगमों, 86 सरकारी कम्पनियाँ (41 निष्क्रिय सरकारी कम्पनियों सहित) तथा 21 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ (जीसीओसी) थीं। लेखापरीक्षा ने देखा कि 101 एसपीएसई द्वारा वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किया गया, जिनके 1,047 लेखें बकाया थे। 39 एसपीएसई के नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार उनके द्वारा अर्जित ₹ 2,169.50 करोड़ के कुल लाभ में से 89.14 प्रतिशत का योगदान केवल छः एसपीएसई द्वारा किया गया था। 27 एसपीएसई के नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरण के अनुसार उनके द्वारा ₹ 32,429.90 करोड़ के कुल अर्जित हानि में से, ₹ 31,632.46 करोड़ (97.54 प्रतिशत) की हानि का योगदान पाँच ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई द्वारा किया गया था। 15 एसपीएसई के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार उनके संचित घाटे के कारण उनकी निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गई थी।

*राज्य सरकार एसपीएसई के प्रबन्धन पर अपने वित्तीय विवरणों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए दबाव डाल सकती है। अन्तिम लेखों के अभाव में, ऐसे एसपीएसई में सरकारी निवेश राज्य विधानमण्डल की निगरानी से बाहर रहता है। राज्य सरकार घाटे में चल रहे एसपीएसई में घाटे के कारणों का भी विश्लेषण कर सकती है और उनके संचालन को कुशल और लाभदायक बनाने के लिए कदम उठा सकती है।*



अध्याय - I

विहंगावलोकन



## अध्याय-I

### विहंगावलोकन

#### 1.1 राज्य की रूपरेखा

उत्तर प्रदेश, भारत की लगभग 17 प्रतिशत जनसंख्या के साथ सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है तथा भौगोलिक क्षेत्रफल (2,40,928 वर्ग कि०मी०) की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। प्रशासनिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश 75 जिलों में विभाजित है। राज्य का जनसंख्या घनत्व<sup>1</sup> अखिल भारतीय औसत 422 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० के सापेक्ष 978 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० है। वर्ष 2022-23 की अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश, देश की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। राज्य से सम्बन्धित सामान्य आँकड़े परिशिष्ट 1.1 में दिए गए हैं।

#### 1.1.1 राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) एक निश्चित समयावधि में राज्य की सीमाओं के अन्दर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। जीएसडीपी की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था की प्रगति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह उस समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन को दर्शाता है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और राज्य के जीएसडीपी की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति को तालिका 1.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1: वर्तमान मूल्यों पर भारत की जीडीपी एवं राज्य की जीएसडीपी (2011-12 सीरीज)<sup>2</sup>  
(₹ करोड़ में)

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
भारत					
जीडीपी (2011-12 श्रेणी)	18899668	20103593	19829927	23471012	27240712
जीवीए	17175128	18381117	18188780	21438883	24742871
विगत वर्ष के सापेक्ष जीडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.59	6.37	(-)1.36	18.36	16.06
विगत वर्ष के सापेक्ष जीवीए की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.77	7.02	(-)1.05	17.87	15.41
प्रति व्यक्ति जीडीपी (₹ में)	142424	149915	146301	171498	196983
उत्तर प्रदेश राज्य					
जीएसडीपी	1582180	1700062	1645317	1974532	2257575
जीएसवीए	1442854	1555213	1513794	1807296	2066139
विगत वर्ष के सापेक्ष जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.88	7.45	(-)3.22	20.01	14.33

<sup>1</sup> राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्गत भारत एवं राज्यों के लिये जनसंख्या अनुमान 2011-2036।

<sup>2</sup> वर्ष 2019-20 से 2021-22 के लिये वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी तथा जीएसडीपी के आँकड़ों को केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संशोधित किया गया है, इसलिये वर्ष 2019-20 से 2021-22 के प्रतिशत अनुपात/ जीडीपी/जीएसडीपी के विभिन्न मानदण्डों के सापेक्ष उछाल जो राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा के विगत प्रतिवेदनों में वर्णित था, को भी संशोधित किया गया है।

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
विगत वर्ष के सापेक्ष जीएसवीए की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.00	7.79	(-2.66)	19.39	14.32
प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (₹ में)	70565	74679	71184	84139	96193


स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

जैसा कि तालिका 1.1 में वर्णित है, वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी विगत वर्ष 2021-22 की तुलना में 14.33 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ ₹ 22,57,575 करोड़ थी। जीएसडीपी में कोविड-19 महामारी से प्रभावित वर्ष 2020-21 में तुलनात्मक रूप से 3.22 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर देखी गयी। यद्यपि, राज्य की जीएसडीपी विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2021-22 में 20.01 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, वर्ष 2022-23 की अवधि में जीएसडीपी वृद्धि दर (14.33 प्रतिशत) जीडीपी वृद्धि दर (16.06 प्रतिशत) से कम थी। अग्रेतर, राज्य की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (₹ 96,193) प्रति व्यक्ति जीडीपी (₹ 1,96,983) से कम थी।

सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) का उपयोग भारत सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आर्थिक विश्लेषण के लिए किया जा रहा है। जीवीए को जीडीपी की तुलना में आर्थिक विकास का बेहतर संकेतक माना जाता है, क्योंकि यह करों और सब्सिडी के प्रभाव को छोड़ देता है। जबकि जीडीपी की गणना निजी उपभोग व्यय, शासकीय उपभोग व्यय और सकल स्थिर पूँजी निर्माण या निवेश व्यय सहित अर्थव्यवस्था में किए गए विभिन्न व्यय के योग के रूप में की जा सकती है तथा की जाती है, जो अनिवार्य रूप से अर्थव्यवस्था में माँग की स्थिति को दर्शाती है। दोनों उपायों में शुद्ध करों के उपचार में अन्तर है जिसके परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में करों का समावेश वास्तविक उत्पादन स्थिति से भिन्न हो सकता है। नीति निर्माता के दृष्टिकोण से बेहतर विश्लेषण और नीतिगत हस्तक्षेप के लिए जीवीए और जीएसवीए आँकड़ों की तुलना करना महत्वपूर्ण है।

वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि में जीएसडीपी और जीएसवीए की प्रवृत्ति को नीचे दिए गए चार्ट 1.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.1: जीएसडीपी के सापेक्ष जीएसवीए की वृद्धि दर (2018-19 से 2022-23)




स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार



जीएसडीपी में क्षेत्रीय योगदान में होने वाला परिवर्तन, अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधियों को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो क्रमशः कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों से सम्बन्ध रखते हैं। वर्ष 2018-19 के सापेक्ष वर्ष 2022-23 में जीएसडीपी में क्षेत्रीय योगदान की तुलनात्मक स्थिति और इस अवधि के दौरान क्षेत्रीय विकास दर को क्रमशः चार्ट 1.2 और चार्ट 1.3 में दर्शाया गया है।


चार्ट 1.2: वर्ष 2018-19 के सापेक्ष वर्ष 2022-23 में जीएसडीपी में क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन



स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

नोट: कृषि (प्राथमिक) क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन और जलीय कृषि सम्मिलित हैं। उद्योग (द्वितीयक) क्षेत्र में खनन और उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएं और निर्माण तथा सेवा (तृतीयक) क्षेत्र में व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्तरां, परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसारण से सम्बन्धित सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, सम्पत्ति, लोक प्रशासन और अन्य सेवाएँ सम्मिलित हैं।

चार्ट 1.3: 2018-23 की अवधि के दौरान जीएसडीपी की क्षेत्रीय विकास दर



स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

चार्ट 1.2 से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2022-23 की अवधि में राज्य के जीएसवीए में सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान था, जिसके बाद उद्योग क्षेत्र और कृषि क्षेत्र का स्थान था। चार्ट 1.3 दर्शाता है कि वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में तीनों क्षेत्रों कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र के क्षेत्रीय योगदान वृद्धि में कमी आयी।

## 1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के किसी राज्य के लेखे से सम्बन्धित प्रतिवेदन उस राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है, जो उसे राज्य के विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत कराते हैं। राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएफएआर) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत तैयार और प्रस्तुत किया जाता है।

लेखों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागारों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाउचर, चालान और प्रारम्भिक और सहायक लेखों तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों के आधार पर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रति वर्ष राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करते हैं। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा इन लेखों की स्वतन्त्र रूप से लेखापरीक्षा की जाती है तथा उन्हें सीएजी द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

इस प्रतिवेदन के लिये मुख्य आँकड़े राज्य के वित्त लेखे, विनियोग लेखे के साथ-साथ राज्य के बजट अभिलेख से प्राप्त होते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय द्वारा की गयी लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय प्राधिकारियों और कोषागारों के अन्य आँकड़े (लेखांकन एवं एमआईएस), तथा
- जीएसडीपी आँकड़े और राज्य से सम्बन्धित अन्य सांख्यिकी।

वित्त आयोगों की संस्तुतियों, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (यूपीएफआरबीएम) अधिनियम-2004, बजट अनुमानों के साथ-साथ मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति (एमटीएफआरपी), भारत सरकार की उत्कृष्ट प्रथाओं और दिशानिर्देशों के सन्दर्भ से भी विश्लेषण किया गया। एसएफएआर का मसौदा प्रतिवेदन राज्य सरकार को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था (नवम्बर 2023 एवं जनवरी 2024)। राज्य सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है।

## 1.3 शासकीय लेखों की संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन

राज्य सरकार के लेखे को तीन भागों में रखा जाता है:

### i. राज्य की संचित निधि {भारत के संविधान का अनुच्छेद 266 (1)}

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बाण्ड, केन्द्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को निर्गत विशेष प्रतिभूतियां, आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम और ऋण के पुनर्भुगतान में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन सम्मिलित हैं। इस निधि से धन को विधि और भारत के संविधान द्वारा प्रावधानित उद्देश्यों के लिये भारत के संविधान में दी गयी प्रक्रिया के अतिरिक्त विनियोजित नहीं किया जा सकता

है। व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण का पुनर्भुगतान आदि) राज्य की संचित निधि (भारित व्यय) पर एक प्रभार होती हैं तथा विधायिका द्वारा मत के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी व्यय (मतदेय व्यय) पर विधायिका द्वारा मतदान किया जाता है।

**ii. राज्य की आकस्मिक निधि [भारत के संविधान का अनुच्छेद 267 (2)]**

यह निधि एक अग्रदाय प्रकृति की है जिसे राज्य विधानमण्डल द्वारा विधि द्वारा स्थापित किया गया है, तथा राज्य विधानमण्डल द्वारा व्यय का प्राधिकार लम्बित रहने की दशा में अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान किये जाने हेतु राज्यपाल के निवर्तन पर रखी जाती है। निधि की प्रतिपूर्ति राज्य की संचित निधि के सम्बन्धित कार्यात्मक मुख्य लेखा शीर्ष के नामे व्यय को लेखांकित करके की जाती है।

**iii. राज्य का लोक लेखा [भारत के संविधान का अनुच्छेद 266 (2)]**

उपरोक्त के अतिरिक्त, जहाँ सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन को लोक लेखे में जमा किया जाता है। लोक लेखे में प्रतिदेय जैसे लघु बचत और भविष्य निधि, निक्षेप (ब्याज सहित और ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधियाँ (ब्याज सहित और ब्याज रहित), प्रेषण और उचंत शीर्ष (दोनों जो कि अस्थायी शीर्ष हैं जिनका अन्तिम लेखांकन लम्बित है) सम्मिलित हैं। संवितरण उपरान्त शेष निधि सरकार के पास उपयोग हेतु उपलब्ध है। सरकार के पास उपलब्ध शुद्ध नकद शेष भी लोक लेखा के अन्तर्गत सम्मिलित होता है। लोक लेखा विधायिका के मत के अधीन नहीं है।

**बजट अभिलेख**

यह एक संवैधानिक आवश्यकता है (अनुच्छेद 202) कि राज्य के विधानमण्डल के सदन अथवा सदनों के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण प्रस्तुत किया जाए। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' मुख्य बजट अभिलेख बनता है। अग्रेतर, बजट में राजस्व लेखों पर व्यय को अन्य व्ययों से पृथक प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

**राजस्व प्राप्तियों** में कर—राजस्व (स्वयं का कर—राजस्व, केन्द्रीय करों/शुल्कों का अंश), करेतर राजस्व और भारत सरकार से अनुदान सम्मिलित हैं।

**राजस्व व्यय** में सरकार के वे सभी व्यय, जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय सम्पत्तियों का निर्माण नहीं होता है, सम्मिलित होते हैं। यह सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य कार्यकलापों, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और विभिन्न संस्थानों को दिए गए सहायता अनुदान (यद्यपि कुछ अनुदान सम्पत्तियों के सृजन के लिए हों) हेतु किए गए व्ययों से सम्बन्धित है।

**पूँजीगत प्राप्तियों** में निम्न सम्मिलित हैं:

- **ऋण प्राप्तियां:** बाजार ऋण, बाण्ड, वित्तीय संस्थानों से ऋण, अर्थोपाय अग्रिम, केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम, आदि;
- **गैर-ऋण प्राप्तियां:** विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों और अग्रिमों की वसूली, आदि।


**पूँजीगत व्यय** को मुख्य तौर पर एक भौतिक और स्थायी प्रकृति की ठोस सम्पत्तियों में वृद्धि के उद्देश्य से किए गए व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण, पीएसई में निवेश पर व्यय सम्मिलित है।

वर्तमान में, सरकार में एक लेखा वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यात्मक और आर्थिक दोनों है।

	संव्यवहार की विशेषता	वर्गीकरण
महालेखा नियन्त्रक (सीजीए) द्वारा जारी संघ और राज्यों के खातों के प्रमुख और लघु शीर्षों (एलएमएमएच) की सूची में मानकीकृत	कार्य- शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि/ विभाग	अनुदानों के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष (4-अंकीय)
	उप-कार्य	उप मुख्य शीर्ष (2-अंकीय)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3-अंकीय)
राज्यों हेतु छोड़ी गयी नम्यता	योजना	उप शीर्ष (2-अंकीय)
	उप योजना	विस्तृत शीर्ष (2-अंकीय)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	मानक मद-वेतन, लघु कार्य, आदि (2-अंकीय)

कार्यात्मक वर्गीकरण से विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम और व्यय के मद की पहचान में सहायता मिलती है। आर्थिक वर्गीकरण, इन भुगतानों को राजस्व, पूँजीगत, ऋण आदि के रूप में व्यवस्थित करने में सहायता करता है। आर्थिक वर्गीकरण, 4-अंकीय मुख्य शीर्षों के प्रथम अंक में सन्निहित आंकिक आधार द्वारा प्राप्त होता है। मानक मद बजट अभिलेखों में विनियोग की प्राथमिक इकाई है।

चार्ट 1.4 : शासकीय लेखे की संरचना



**लोक ऋण एवं लोक दायित्व:** इस प्रतिवेदन में 'लोक ऋण' को बाजार उधार, संस्थागत ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) को जारी विशेष प्रतिभूतियों, केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये ऋण आदि को सम्मिलित करने के लिये लिया गया है। इस उद्देश्य हेतु मुख्य शीर्ष 6003 एवं 6004—लोक ऋण को ध्यान में रखा गया है।

अग्रेतर, लोक लेखे के अन्तर्गत 'लघु बचत', 'भविष्य निधि' आदि, 'आरक्षित निधि' और 'जमा और अग्रिम' से सम्बन्धित लेन देन ऐसे होते हैं जिसमें सरकार प्राप्त धन के पुनर्भुगतान के लिये उत्तरदायी होती है तथा भुगतान धनराशि को वसूल करने का दावा रखती है। लोक लेखे के अन्तर्गत 'प्रेषण' और 'उचन्त' से सम्बन्धित लेन देन में कोषागारों और मुद्रा चेस्ट के मध्य नकदी के प्रेषण और विभिन्न लेखांकन सर्किलों के मध्य हस्तांतरण व समायोजन जैसे लेनदेन प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में, 'लोक दायित्व' के अन्तर्गत 'लघु बचत, भविष्य निधि आदि', 'आरक्षित निधि' और 'जमा एवं अग्रिम' से सम्बन्धित लेनदेन के साथ-साथ मुख्य शीर्ष 6003 और 6004 के अन्तर्गत लेनदेन को भी सम्मिलित किया गया है।

### वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

राज्य सरकार के लेन देन को वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे में पुस्तांकित किया जाता है, जिसको कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार किया जाता है।

**राज्य के वित्त लेखे** वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और निर्गमों के लेखों के साथ साथ, राजस्व और पूँजीगत लेखों द्वारा प्रदर्शित वित्तीय परिणाम और लेखों में अंकित शेष राशि से निकाली गयी राज्य सरकार के सार्वजनिक ऋण, देयता तथा परिसम्पत्तियों को प्रस्तुत करते हैं। वित्त लेखे, सामान्यतः (कुछ अपवादों सहित) लघु शीर्ष तक के लेन-देन को दर्शाते हैं। वित्त लेखे में आँकड़े निवल स्तर तक, अर्थात् वसूलियों को व्यय से घटा कर लेखांकन के पश्चात् दर्शाए जाते हैं।

**विनियोग लेखे** भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियम से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए मतदेय अनुदानों और भारत विनियोगों की राशियों के सापेक्ष में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे होते हैं। विनियोग लेखे सकल आधार पर होते हैं। ये लेखे निधियों के उपयोग को समझने में सहायता करते हैं तथा वित्त प्रबन्धन एवं बजटीय प्रावधानों की निगरानी करते हैं, अतः वित्त लेखों के पूरक हैं।

### बजटीय प्रक्रियाएं

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, राज्य के राज्यपाल को राज्य विधानमण्डल के समक्ष वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का एक विवरण रखना होता है, जिसे **वार्षिक वित्तीय विवरण** कहा जाता है। अनुच्छेद 203 के अनुसार राज्य विधानमण्डल के समक्ष अनुदानों/विनियोजनों की माँगों के रूप में विवरण प्रस्तुत किया जाता है और इनके अनुमोदन के पश्चात्, अनुच्छेद 204 के अन्तर्गत विनियोग विधेयक विधानमण्डल द्वारा पारित किया जाता है ताकि आवश्यक धनराशि का संचित निधि से विनियोग किया जा सके।

उत्तर प्रदेश का बजट मैनुअल बजट निर्माण प्रक्रिया का विवरण देता है और राज्य सरकार को अपने बजटीय अनुमान तैयार करने और अपनी व्यय गतिविधियों की निगरानी करने में मार्गदर्शन प्रदान करता है। बजट की लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणाम और राज्य सरकार की अन्य बजटीय प्रयासों के कार्यान्वयन का विवरण इस प्रतिवेदन के **अध्याय III** में दिया गया है।

## 1.4 वित्त का आशुचित्र

**तालिका 1.2** में वर्ष 2021-22 के वास्तविक वित्तीय परिणामों की तुलना में वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमान तथा वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण दिया गया है।

तालिका 1.2: 2021-22 के वास्तविक आँकड़ों के सापेक्ष 2022-23 के बजट अनुमान तथा वास्तविक आँकड़ें

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	घटक	2021-22 (वास्तविक)	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (वास्तविक)	2022-23 वास्तविक का बजट अनुमान से प्रतिशत	2022-23 वास्तविक का जीएसडीपी से प्रतिशत
1.	कर राजस्व, जिसमें	307725.79	367153.76	343832.45	93.65	15.23
(i)	स्वकर राजस्व	147367.74	220655.00	174087.15	78.90	7.71
(ii)	केन्द्रीय करों/शुल्कों का अंश	160358.05	146498.76	169745.30	115.87	7.52
2.	करेतर राजस्व	11435.97	23406.48	13489.46	57.63	0.60
3.	भारत सरकार से सहायता अनुदान	51849.68	108652.47	59919.59	55.15	2.65
4.	<b>राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)</b>	<b>371011.44</b>	<b>499212.71</b>	<b>417241.50</b>	<b>83.58</b>	<b>18.48</b>
5.	ऋण और अग्रिम की वसूली (गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्ति)	939.43	2565.00	1337.32	52.14	0.06
6.	विविध ऋण प्राप्तियाँ	0	0	0	-	0
7.	उधार एवं अन्य दायित्व*	39286.42	81177.98	64636.26	79.62	2.86
8.	<b>पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)</b>	<b>40575.69</b>	<b>83742.98</b>	<b>65973.58</b>	<b>78.78</b>	<b>2.92</b>
9.	<b>कुल प्राप्तियाँ (4+8)</b>	<b>411587.13</b>	<b>582955.69</b>	<b>483215.08</b>	<b>82.89</b>	<b>21.40</b>
10.	राजस्व व्यय, जिसमें	337581.38	456089.06	379978.06	83.31	16.83
11.	ब्याज भुगतान	42875.56	45987.46	43007.98	93.52	1.91
12.	पूँजीगत व्यय	71442.55	123919.85	93028.39	75.07	4.12
13.	ऋण और अग्रिम का संवितरण	1613.36	2946.78	10208.63	346.43	0.45
14.	आकस्मिकता निधि में विनियोग	600	0	0	-	0.00
15.	<b>कुल व्यय (10+12+13+14)</b>	<b>411237.29</b>	<b>582955.69</b>	<b>483215.08</b>	<b>82.89</b>	<b>21.40</b>
16.	<b>राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+) (4-10)</b>	<b>33430.06</b>	<b>43123.65</b>	<b>37263.44</b>	<b>86.41</b>	<b>1.65</b>
17.	<b>राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+) (4+5+6-15)</b>	<b>(-)39286.42</b>	<b>(-)81177.98</b>	<b>(-)64636.26</b>	<b>79.62</b>	<b>2.86</b>
18.	<b>प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+) {(4+5+6)-(15-11)}</b>	<b>3589.14</b>	<b>(-)35190.52</b>	<b>(-)21628.28</b>	<b>61.46</b>	<b>0.96</b>

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे एवं राज्य सरकार के बजट अभिलेख

\* उधार एवं अन्य दायित्व : निवल लोक ऋण (प्राप्ति-संवितरण), निवल आकस्मिकता निधि, निवल लोक लेखा (प्राप्ति-संवितरण), प्रारम्भिक एवं अन्तिम नकद कोष की निवल राशि

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य का कर राजस्व बजट अनुमानों में किए गए अनुमानों से 6.35 प्रतिशत कम था। राज्य ने वर्ष 2022-23 की अवधि में ₹ 37,263.44 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष दर्ज किया था, जो कि बजट 2022-23 में किए गए अनुमानों की तुलना में 13.59 प्रतिशत कम था। अग्रेतर, वर्ष 2022-23 के दौरान राजकोषीय घाटा

₹ 64,636.26 करोड़ था जो राज्य सरकार के बजट अनुमान से 20.38 प्रतिशत कम था और यह जीएसडीपी का 2.86 प्रतिशत था।

#### 1.4.1 सरकार की सम्पत्तियों और देयताओं का आशुचित्र

शासकीय लेखे, सरकार की वित्तीय देनदारियों और किए गए व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को दर्ज करते हैं। देनदारियों में मुख्य रूप से आन्तरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण और अग्रिम, लोक लेखे से प्राप्तियां तथा आरक्षित निधियाँ सम्मिलित हैं और सम्पत्तियों में मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम और नकद शेष सम्मिलित हैं।

31 मार्च 2022 की तुलना में 31 मार्च 2023 को देनदारियों और परिसम्पत्तियों का सार जैसा कि राज्य के 2022-23 के वित्त लेखे के विवरण-1 में दर्शाया गया है, तालिका 1.3 में दिया गया है।

तालिका 1.3: परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

दायित्व				परिसम्पत्तियां			
विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2023 तक	वृद्धि/कमी का प्रतिशत	विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2023 तक	वृद्धि/कमी का प्रतिशत
<b>संचित निधि</b>							
अ आन्तरिक ऋण	496422.89	533476.54	7.46	अ सकल पूँजीगत परिव्यय	705544.77	798573.16	13.19
ब भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	27261.33*	34364.15*	26.05	ब ऋण और अग्रिम	27880.79	36752.10	31.82
<b>आकस्मिकता निधि</b>							
आकस्मिकता निधि (कार्पस)	1200.00	1200.00	0.0	आकस्मिकता निधि (गैर-प्रतिपूर्ति)	600.00**	0.06	-99.99
<b>लोक लेखा</b>							
अ लघु बचत, भविष्य निधि आदि	59314.53	59727.44	0.70	अ अग्रिम	58.58	58.58	0.00
ब निक्षेप	24037.36	27636.11	14.97	ब प्रेषण	103.99	0	-100
स आरक्षित निधि	8920.20	12611.99	41.39	स उचन्त एवं विविध कोष	1750.95	1716.13	-1.99
द प्रेषण	0.00	952.62	952.62	नकद कोष (निर्धारित निधि द्वारा निवेश सहित)	44533.16	32848.19	-26.24
य व्यय से अधिक प्राप्तियों का संचयी आधिक्य	163315.93	199979.37	22.45	प्राप्तियों से अधिक व्यय का संचयी आधिक्य	0.00	0.00	0.00
<b>योग</b>	<b>780472.24</b>	<b>869948.22</b>	<b>11.46</b>	<b>योग</b>	<b>780472.24</b>	<b>869948.22</b>	<b>11.46</b>

स्रोत: वित्त लेखे 2022-23



\* इसमें जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति की कमी के सापेक्ष अवधि 2020-21 में (₹ 6,007 करोड़) तथा 2021-22 में (₹ 8,139.40 करोड़) के बैक-टू-बैक ऋण की प्राप्ति सम्मिलित है, जिस पर राज्य की कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं है।

\*\* यह वर्ष 2021-22 के दौरान निधि के कार्पस को बढ़ाने के लिए आकस्मिकता निधि में स्थानान्तरित किया गया है।

यूपीएफआरबीएम अधिनियम, 2004 के अनुसार, कुल देयताओं का अर्थ राज्य की संचित निधि और राज्य के लोक लेखा के अन्तर्गत देयताएं हैं। वित्त लेखे का विवरण-6 राज्य की कुल दायित्वों को दर्शाता है। 31 मार्च 2023 तक राज्य की कुल देयताएं ₹ 6,62,316.24 करोड़ हो गईं, जिसमें राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण (₹ 5,33,476.54 करोड़), भारत सरकार से ऋण और अग्रिम (₹ 34,364.15 करोड़) और अन्य लोक लेखा दायित्व (₹ 94,475.55 करोड़) सम्मिलित हैं। 31 मार्च 2022 तक कुल दायित्व ₹ 6,12,956.33 करोड़ से (₹ 49,359.91 करोड़) की वृद्धि में विगत वर्ष से आन्तरिक ऋण में 7.46 प्रतिशत (₹ 37,053.65 करोड़) और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम 26.05 प्रतिशत (₹ 7,102.82 करोड़) की निवल वृद्धि मुख्य कारण थी। राज्य सरकार के ऋण प्रबन्धन का विवरण इस रिपोर्ट के अध्याय II में दिया गया है।

### 1.5 राजकोषीय अवशेष : घाटे और सकल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि

उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (यूपीएफआरबीएम ) अधिनियम, 2004 को राजस्व घाटे को समाप्त करने, राजकोषीय घाटे को कम करने, बेहतर ऋण प्रबन्धन की स्थापना, राज्य सरकार के वित्तीय संचालन में पारदर्शिता में सुधार लाने हेतु तथा एक मध्यम अवधि के राजकोषीय ढाँचे का प्रयोग करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया। इस सन्दर्भ में यह अधिनियम, घाटे के उपायों और ऋण स्तर के सम्बन्ध में राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले मात्रात्मक लक्ष्यों को निर्धारित करता है।

समय-समय पर संशोधित यूपीएफआरबीएम अधिनियम में प्रावधानित प्रमुख वित्तीय संकेतकों के सापेक्ष 2018-23 की अवधि के दौरान राज्य का प्रदर्शन तालिका 1.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.4 : यूपीएफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

मापदण्ड	अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धि				
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष तक शून्य राजस्व घाटा	28250	67560	(-) 2367	33430	37263
		✓	✓	X	✓	✓
राजकोषीय घाटा (-) / अधिशेष (+) (जीएसडीपी के	2018-19 तथा 2019-20 में अनुमानित जीएसडीपी के तीन प्रतिशत, 2020-21 के	(-) 35203	11083	(-) 54622	(-) 39286	(-) 64636
		(-) 2.22	0.65	(-) 3.32	(-) 1.99	(-) 2.86
		✓	✓	✓	✓	✓

मापदण्ड	अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धि				
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
प्रतिशत के रूप में)	लिए पाँच प्रतिशत और 2021-22 के लिए चार प्रतिशत और 2022-23 के लिए 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं					
कुल बकाया ऋण* का जीएसडीपी से अनुपात (प्रतिशत में)	2018-19 के दौरान 30.50 प्रतिशत और 2019-20 के दौरान 30.00 प्रतिशत से अधिक नहीं।	32.75	29.55	33.97	30.33	28.71
		X	✓	वर्ष 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के लिए एफआरबीएम अधिनियम के अन्तर्गत जीएसडीपी के सापेक्ष ऋण स्टाक का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया।		

स्रोत: राज्य सरकार के बजट अभिलेख, समय-समय पर संशोधित यूपीएफआरबीएम अधिनियम, 2004 एवं सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

\* जीएसडीपी के सापेक्ष सकल लम्बित देयताओं के प्रतिशत की गणना, जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के सापेक्ष 2020-21 में (₹ 6,007 करोड़) तथा 2021-22 (₹ 8,139.94 करोड़) के बैक-टू-बैक ऋण, जिस पर राज्य की कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं है, को छोड़कर की गयी है।

जैसा कि उपरोक्त तालिका 1.4 में दर्शाया गया है, 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान राजकोषीय घाटे और जीएसडीपी का अनुपात यूपीएफआरबीएम (संशोधन) अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों के अन्दर था। इसके अलावा, राज्य सरकार ने सूचित किया (अगस्त 2023) कि राज्यों के वित्तीय रोडमैप के सम्बन्ध में पन्द्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार के निर्देश प्राप्त होने के बाद जीएसडीपी के सापेक्ष ऋण स्टाक के लक्ष्य तय करने की कार्यवाही की जाएगी। यद्यपि, जीएसडीपी के लिए कुल बकाया ऋण का अनुपात (28.71 प्रतिशत) वर्ष 2022-23 के लिए सांकेतिक ऋण सूचक के रूप में 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित सीमा (जीएसडीपी का 40.50 प्रतिशत) के अन्दर था।

### 1.5.1 मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति (एमटीएफआरपी)

यूपीएफआरबीएम अधिनियम, 2004 प्रावधानित करता है कि राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक बजट के साथ एक मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति (एमटीएफआरपी) रखेगी। एमटीएफआरपी, निहित पूर्व धारणाओं के विनिर्देश के साथ निर्धारित वित्तीय संकेतकों के लिए पंचवर्षीय प्रवाहित लक्ष्य निर्धारित करेगी।

**1.5.2 राजकोषीय मानकों की तुलनात्मक स्थिति: एमटीएफआरपी में अनुमानित लक्ष्यों के सापेक्ष वास्तविक**

वर्ष 2022-23 के वास्तविक आँकड़ों के साथ राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत एमटीएफआरपी 2022 में अनुमानित राजकोषीय मापदण्डों के लक्ष्यों की तुलना तालिका 1.5 में दर्शायी गई है।

तालिका 1.5: एमटीएफआरपी में अनुमान के सापेक्ष 2022-23 के वास्तविक अनुमान

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	राजकोषीय घटक	एमटीएफआरपी के अनुसार अनुमान	वास्तविक (2022-23)	भिन्नता (प्रतिशत में)
1	स्वकर राजस्व	220655	174087	-21.10
2	करेतर राजस्व	23406	13489	-42.37
3	संघीय करों/ शुल्कों का अंश	146499	169745	15.87
4	भारत सरकार से सहायता अनुदान	108652	59920	-44.85
<b>5</b>	<b>राजस्व प्राप्तियां (1+2+3+4)</b>	<b>499213</b>	<b>417241</b>	<b>-16.42</b>
6	राजस्व व्यय	456089	379978	-16.69
7	राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+)	43124	37263	-13.59
8	राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+)	(-)81178	(-)64636	-20.38
9	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+)	(-)35191	(-)21628	-38.54
10	ऋण स्टाक-जीएसडीपी अनुपात (प्रतिशत)	32.5	28.71*	-11.66
11	वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी वृद्धि दर (प्रतिशत) <sup>3</sup>	17.08	14.33	-16.10

स्रोत: वित्त लेख 2022-23 एवं राज्य सरकार के बजट अभिलेख

\*जीएसडीपी के सापेक्ष सकल लम्बित देयताओं के प्रतिशत की गणना, जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के सापेक्ष 2020-21 में (₹ 6,007 करोड़) तथा 2021-22 (₹ 8,139.94 करोड़) के बैंक-टू-बैंक ऋण, जिस पर राज्य की कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं है, को छोड़कर की गयी है।

जैसा कि तालिका 1.5 में वर्णित है, 2022-23 के लिए एमटीएफआरपी में ₹ 43,124 करोड़ के राजस्व अधिशेष के अनुमान के सापेक्ष राज्य ने वर्ष के दौरान ₹ 37,263 करोड़ का राजस्व अधिशेष दर्ज किया, जो मुख्य रूप से एमटीएफआरपी अनुमानों के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में ₹ 81,972 करोड़ (16.42 प्रतिशत) की कमी के कारण था, जो एमटीएफआरपी अनुमानों की तुलना में स्वकर राजस्व (₹ 46,568 करोड़), करेतर राजस्व (₹ 9,917 करोड़) तथा भारत सरकार से सहायता अनुदानों (₹ 48,732 करोड़) की कम प्राप्तियों के कारण था। यद्यपि, एमटीएफआरपी अनुमानों की तुलना में केन्द्रीय करों/ शुल्कों में ₹ 23,246 करोड़ की वृद्धि हुई थी। आगे के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि बजट अनुमानों की तुलना में स्वकर राजस्व में कमी मुख्य रूप से राज्य वस्तु एवं सेवा कर (₹ 24,123 करोड़) के मद में थी, इसके बाद राज्य आबकारी शुल्क (₹ 7,900 करोड़), स्टाम्प और निबन्धन शुल्क (₹ 4,848 करोड़), बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 4,234 करोड़) तथा वाहनों पर कर (₹ 1,828 करोड़) कमी के कारण थे।


<sup>3</sup> एमटीएफआरपी 2022 में, राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 के लिए क्रमशः ₹ 17,49,469 करोड़ तथा ₹ 20,48,234 करोड़ रुपये के जीएसडीपी का अनुमान लगाया था।

राजस्व व्यय में एमटीएफआरपी अनुमानों के सापेक्ष (₹ 76,111 करोड़) कमी, सामान्य सेवाओं (₹ 32,982 करोड़), सामाजिक सेवाओं (₹ 30,190 करोड़), आर्थिक सेवाओं (₹ 12,938 करोड़) क्षेत्रों के अन्तर्गत कम व्यय के कारण थी। प्रतिवेदन के अध्याय II में राज्य सरकार की प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया गया है।

### 1.5.3 प्रमुख राजकोषीय संकेतकों की प्रवृत्ति का विश्लेषण

2018-23 की अवधि के लिए प्रमुख राजकोषीय संकेतकों का रुझान विश्लेषण यथा-घाटे के मानक (राजकोषीय घाटा/अधिशेष, राजस्व घाटा/अधिशेष और प्राथमिक घाटा/अधिशेष), जीएसडीपी के सापेक्ष अधिशेष/घाटे का अनुपात तथा जीएसडीपी के सापेक्ष राजकोषीय देनदारियों को निम्नांकित चार्ट 1.5, 1.6 एवं 1.7 में दर्शाया गया है।


चार्ट 1.5: अधिशेष/घाटे के मानकों की प्रवृत्ति



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे


नोट: वर्ष 2019-20 के दौरान राजस्व अधिशेष, प्राथमिक अधिशेष और राजकोषीय अधिशेष मुख्य रूप से मार्च 2020 में निक्षेप निधि के ₹ 71,180 करोड़ के पुस्तकीय अवशेष के करेतर राजस्व में, बिना किसी वास्तविक रोकड़ प्राप्ति के, अन्तरण के कारण था।

चार्ट 1.6: जीएसडीपी के सापेक्ष अधिशेष/घाटे की प्रवृत्ति



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे एवं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

चार्ट 1.7: जीएसडीपी तथा राजकोषीय देनदारियों की प्रवृत्ति



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे एवं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

\* जीएसडीपी के सापेक्ष सकल लम्बित देयताओं के प्रतिशत की गणना, जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के सापेक्ष 2020-21 में (₹ 6,007 करोड़) तथा 2021-22 (₹ 8,139.94 करोड़) के बैंक-टू-बैंक ऋण, जिस पर राज्य की कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं है, को छोड़कर की गयी है।

राज्य की सकल लम्बित देयताएं 2018-19 से 2022-23 की अवधि में लगातार बढ़ी हैं, 2019-20 को छोड़कर जब निक्षेप निधि से ₹ 71,180 करोड़ को करेतर राजस्व में अन्तरण के कारण लोक लेखे की देयता कम हो गई थी। आन्तरिक ऋण वर्ष 2018-19 में ₹ 3,53,190 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 5,33,477 करोड़ हो गया। यद्यपि, 2022-23 की अवधि में राज्य की लम्बित राजकोषीय देनदारियाँ विगत वर्ष की तुलना में ₹ 49,360 करोड़ (8.05 प्रतिशत) बढ़ गईं। जीएसडीपी के सापेक्ष सकल ऋण के प्रतिशत में 2020-21 (33.97 प्रतिशत) से 2022-23 (28.71 प्रतिशत) की अवधि के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई।

### 1.6 लेखापरीक्षा में जाँचोपरान्त घाटा और सकल ऋण

राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य का आंकलन करने में घाटा तथा ऋण की स्थिति के दो महत्वपूर्ण राजकोषीय संकेतक हैं। इन संकेतकों को अन्य हितधारकों यथा केंद्र सरकार, वित्तीय संस्थानों, बैंकों आदि द्वारा अनुदान/ऋण आदि के माध्यम से अग्रेतर किसी भी वित्तीय सहायता की पेशकश करते समय भी गम्भीर रूप से देखा जाता है। राज्य के वित्त की सही स्थिति को दर्शाने के लिए, राजस्व व्यय का पूँजीगत व्यय में वर्गीकरण एवं अतिरिक्त बजट राजकोषीय परिचालन करना जैसा कि लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया, का विवरण निम्नलिखित प्रस्तर में उल्लिखित है।

**1.6.1 लेखापरीक्षा के उपरान्त-घाटा/अधिशेष**

एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को राजकोषीय संकेतकों के लिए निर्धारित लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य है। राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा राज्य के लिए गणना के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों के कारण प्रभावित होता है, जैसे कि राजस्व व्यय का पूँजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण और इसके विपरीत, ब्याज को ब्याज युक्त आरक्षित निधि में जमा नहीं किया जाना आदि, जिन पर प्रतिवेदन के अनुवर्ती अध्यायों में चर्चा की गई है। वास्तविक घाटे/अधिशेष के आँकड़ों पर पहुँचने के लिए राजस्व व्यय/पूँजीगत परिव्यय के गलत वर्गीकरण और/या ऐसे किसी भी गलत वर्गीकरण के प्रभाव को सम्मिलित करने की आवश्यकता है और उपरोक्त प्रकरणों के प्रभाव का समाधान करने और उचित रूप से सम्मिलित करने की आवश्यकता है।

उपरोक्त प्रकरणों के प्रभाव के परिणामस्वरूप वर्ष 2022-23 की अवधि में राज्य के राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटे को क्रमशः ₹ 3,356.11 करोड़ अधिक और ₹ 3,326.58 करोड़ कम प्रदर्शित किया गया है, जिसे तालिका 1.6 में आगणित किया गया है और लेखापरीक्षा प्रभाव के परिणाम को तालिका 1.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.6: लेखापरीक्षा जाँच के बाद राजस्व और राजकोषीय घाटा

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
	अतिरेक	न्यूनोक्ति	अतिरेक	न्यूनोक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
समेकित निक्षेप निधि में कम अंशदान (प्रस्तर 2.5.2.1 में सन्दर्भित)	428.48	-	-	428.48
राज्य आपदा अनुक्रिया निधि में देय ब्याज का न जमा करना (प्रस्तर 2.5.2.3 में सन्दर्भित)	266.56	-	-	266.56
राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि में ब्याज जमा नहीं किया जाना (प्रस्तर 2.5.2.6 में सन्दर्भित)	37.02			37.02
राजस्व से पूँजीगत और इसके विपरीत व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण (प्रस्तर 3.2.2 एवं 3.4.2.4 में सन्दर्भित)	29.53	-	-	-
परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना की शेष राशि पर ब्याज जमा नहीं किया जाना (प्रस्तर 4.2 में सन्दर्भित)	30.75	-	-	30.75
प्रत्याभूति विमोचन निधि में कम अंशदान किया जाना (प्रस्तर 2.5.2.5 में सन्दर्भित)	1742.18			1742.18
केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में कम अंशदान किया जाना (प्रस्तर 2.5.2.7 में सन्दर्भित)	658.75			658.75
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर का कम अन्तरण (प्रस्तर 2.5.3.1 में सन्दर्भित)	7.23			7.23

विवरण	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
	अतिरेक	न्यूनोक्ति	अतिरेक	न्यूनोक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि में निधि का अन्तरण न किया जाना (प्रस्तर 4.3 में सन्दर्भित)	155.61			155.61
निवल प्रभाव	₹ 3356.11 करोड़ (राजस्व अधिशेष का अतिरेक)		₹ 3326.58 करोड़ (राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति)	

स्रोत: वित्त लेखा 2022-23 और लेखा परीक्षा विश्लेषण

तालिका 1.7: लेखापरीक्षा प्रभाव का परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	लेखे के अनुसार	न्यूनोक्ति/ अतिरेक	वास्तविक/लेखा परीक्षा जाँच के उपरान्त
1	2	3	4	5 = 3-4
1	राजस्व अधिशेष	37263.44	3356.11	33907.33
2	राजकोषीय घाटा	64636.26	(-)3326.58	67962.84

स्रोत: लेखापरीक्षा विश्लेषण

### 1.7 लेखापरीक्षा उपरान्त—सकल लोक ऋण

ऋण के सामान्य घटकों के अतिरिक्त, यथा बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/बैंकों से उधार आदि, 'कुल बकाया लोक ऋण' की व्यापक परिभाषा में गैर बजट उधार भी सम्मिलित है। गैर-बजट उधार या गैर-बजट वित्तपोषण आमतौर पर किसी विशेष वर्ष या वर्षों में व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उन वित्तीय संसाधनों के उपयोग को परिलक्षित करता है, जो अनुदान/विनियोग की माँग के लिए उस वर्ष/उन वर्षों के बजट में परिलक्षित नहीं होते हैं और इसलिए विधायिका के नियन्त्रण से बाहर रहते हैं। इन्हें सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों या विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है, जो सरकार की ओर से बाजार उधार के माध्यम से संसाधन जुटाते हैं। यद्यपि, सरकार को अपने बजट से कर्ज चुकाना/प्रतिपूर्ति करना होगा।

राज्य सरकार, इस तरह के ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए जिम्मेदार होने के बावजूद राज्य सरकार के विभिन्न सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/अन्य निकायों के माध्यम से बजट के इतर ऋण लेकर निर्धारित शुद्ध उधार सीमा की उपेक्षा कर सकती है। बजट में दर्शाये बिना इस तरह की देनदारियों का निर्माण, पारदर्शिता और अन्तर-पीढ़ीगत सहभागिता, दोनों पर प्रश्न उठाता है। इस तरह के अतिरिक्त-बजट उधार बजट प्रपत्रों या लेखों में प्रकटीकरण कथनों में नहीं लिए जाते हैं और न ही इन्हें विधायी अनुमोदन प्राप्त होता है।

लेखापरीक्षा की जाँच से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार ने गैर बजट ऋण की सहायता ली, जिस पर प्रतिवेदन के प्रस्तर 4.1 में विस्तार से चर्चा की गई है। 31 मार्च 2023 तक, ₹ 24,314.36 करोड़ का गैर-बजट ऋण बकाया था, जिसका राज्य के समग्र ऋण स्टाक पर प्रभाव है, जैसा कि तालिका 1.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.8 : 31 मार्च 2023 को अवशेष ऋण/दायित्व के घटक

(₹ करोड़ में)

वित्त लेखे 2022-23 के अनुसार ऋण तथा अन्य देयताएं	धनराशि
<b>अन्य देयताएं (अ)</b>	<b>533476.54</b>
ब्याज सहित बाजार ऋण	447467.50
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	50638.47
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	35248.39
अन्य ऋण	122.18
<b>भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम (ब)</b>	<b>34364.15</b>
अर्थोपाय अग्रिम	1.43
वर्ष 1984-85 से पूर्व के ऋण	9.94
संसाधनों में अन्तर की प्रतिपूर्ति हेतु ऋण	14146.94
ब्लॉक ऋण	877.00
विशेष सहायता	1134.62
अन्य ऋण	18194.22
<b>लोक लेखे पर देयताएं (स)</b>	<b>94475.55</b>
अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ, आदि	59727.44
आरक्षित निधियाँ	7111.99
जमा	18867.27
जमा, जिनका प्रभाजन उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल के मध्य होना है	8768.85
<b>योग (अ+ब+स)</b>	<b>662316.24</b>
<b>गैर बजटीय ऋण</b>	
वर्ष 2022-23 में गैर बजटीय ऋण	3488.00
<b>दिनांक 31.03.2023 को गैर बजटीय ऋण</b>	<b>24314.36</b>
<b>महायोग</b>	<b>686630.60</b>

स्रोत: वित्त लेखे 2022-23 एवं वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त सूचनाएं

इस प्रकार, गैर-बजटीय ऋण को सम्मिलित करते हुए 31 मार्च 2023 को राज्य का सकल ऋण/देयता वित्त लेखे में अंकित ₹ 6,62,316.24 करोड़ के सापेक्ष ₹ 6,86,630.60 करोड़ थी। तथापि, राज्य का बकाया ऋण तथा देयताएं, वर्ष 2020-21 (₹ 6,007 करोड़) और 2021-22 (₹ 8,139.94 करोड़) के दौरान भारत सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले में प्राप्त ऋण जिसके लिए राज्य की कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं है को घटाकर, ₹ 6,72,483.66 करोड़ था। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में बकाया देयताएं, गैर-बजटीय ऋण को सम्मिलित करते हुए किन्तु जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के सापेक्ष बैक-टू-बैंक ऋण को छोड़ते हुए 29.79 प्रतिशत थी।



अध्याय - II

राज्य के वित्त



## अध्याय-II

### राज्य के वित्त

#### 2.1 राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तन

यह वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तनों का एक समग्र दृश्य प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित संकेतकों के विश्लेषण की चर्चा आगामी प्रस्तारों में की गई है।

तालिका 2.1: वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियां	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 12.46 प्रतिशत की वृद्धि</li> <li>✓ राज्य की स्वयं की कर प्राप्तियों में 18.13 प्रतिशत की वृद्धि</li> <li>✓ गैर-कर प्राप्तियों में 17.96 प्रतिशत की वृद्धि</li> <li>✓ केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य के अंश में 5.85 प्रतिशत की वृद्धि</li> <li>✓ भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान में 15.56 प्रतिशत की वृद्धि</li> </ul>
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ राजस्व व्यय में 12.56 प्रतिशत की वृद्धि</li> <li>✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 8.36 प्रतिशत की वृद्धि</li> <li>✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 14.83 प्रतिशत की वृद्धि</li> <li>✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 17.71 प्रतिशत की वृद्धि</li> <li>✓ सहायता अनुदान पर व्यय में 9.09 प्रतिशत की वृद्धि</li> </ul>
पूँजीगत प्राप्तियां	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ऋण पूँजीगत प्राप्तियों में 11.75 प्रतिशत की कमी</li> <li>✓ गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों में 42.35 प्रतिशत की वृद्धि</li> </ul>
पूँजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ पूँजीगत व्यय में 30.21 प्रतिशत की वृद्धि</li> <li>✓ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 88.76 प्रतिशत की वृद्धि</li> <li>✓ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 88.75 प्रतिशत की वृद्धि</li> <li>✓ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 5.96 प्रतिशत की वृद्धि</li> </ul>
ऋण और अग्रिम	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ऋणों और अग्रिमों के संवितरण में 532.76 प्रतिशत की वृद्धि</li> <li>✓ ऋण और अग्रिमों की वसूली में 42.35 प्रतिशत की वृद्धि</li> </ul>
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ लोक ऋण प्राप्तियों में 11.75 प्रतिशत की कमी</li> <li>✓ लोक ऋण की पुनर्भुगतान में 21.01 प्रतिशत की कमी</li> </ul>
लोक लेखा	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ लोक लेखा प्राप्तियों में 18.72 प्रतिशत की वृद्धि</li> <li>✓ लोक लेखा से संवितरण में 17.88 प्रतिशत की वृद्धि</li> </ul>
रोकड़ अवशेष और निवेश	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 31 मार्च 2022 की तुलना में 31 मार्च 2023 को नकद शेष और निवेश में ₹ 11,685 करोड़ (26.24 प्रतिशत) की कमी।</li> </ul>

स्रोत : सम्बन्धित वर्ष के वित्त लेखे

#### 2.2 निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

2018-23 की अवधि के लिये राज्य सरकार के वित्त पर समय श्रेणी आँकड़े परिशिष्ट 2.1 में दिये गये हैं। तालिका 2.2 वर्ष 2021-22 के सापेक्ष वर्ष 2022-23 में

राज्य के वित्तीय संसाधनों के घटकों व उप-घटकों एवं निधियों के अनुप्रयोग को प्रदर्शित करती है।

तालिका 2.2: वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग की तुलना

	विवरण	2021-22 (₹ करोड़ में)	2022-23 (₹ करोड़ में)	वृद्धि/कमी (प्रतिशतता में)
स्रोत	प्रारम्भिक रोकड़ अवशेष और निवेश	31653	44533	40.69
	राजस्व प्राप्तियां	371011	417241	12.46
	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	939	1337	42.35
	लोक ऋण प्राप्तियां (निवल)	47025	44156	(-)6.10
	विविध पूँजी प्राप्तियां	0	0	-
	लोक लेखा प्राप्तियां (निवल)*	4442	8795	98.00
	आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	700	0	(-)100.00
	<b>योग</b>	<b>455770</b>	<b>516062</b>	<b>13.23</b>
	अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	337581	379978
पूँजीगत व्यय		71443	93028	30.21
ऋणों एवं अग्रिमों से संवितरण		1613	10208**	532.76
आकस्मिकता निधि में विनियोग		600	0	(-)100.00
आकस्मिकता निधि से संवितरण		0	0.06	-
अन्तिम रोकड़ अवशेष एवं निवेश		44533	32848	(-)26.24
<b>योग</b>		<b>*455770</b>	<b>516062</b>	<b>13.23</b>

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे


\* मुख्यशीर्ष 8671-विभागीय अवशेष, 8672-स्थायी रोकड़ अग्रदाय एवं 8673-रोकड़ अवशेष निवेश लेखा और रक्षित निधि में निवेश जो आरम्भिक एवं अन्तिम अवशेष का भाग है, के अन्तर्गत लेन-देन को छोड़कर।

\*\* वर्ष 2022-23 के दौरान ऋण एवं अग्रिमों के अन्तर्गत संवितरण ₹ 10,208.63 करोड़ था।


2.2.1 वर्ष 2022-23 के दौरान निधियों के घटक-वार स्रोतों और अनुप्रयोगों को चार्ट 2.1 में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 2.1: वर्ष 2022–23 के दौरान संसाधनों का संघटन और अनुप्रयोग

संसाधनों के संघटन (प्रतिशत में)



संसाधनों के अनुप्रयोग (प्रतिशत में)



स्रोत: वित्त लेखे 2022–23


## 2.3 राज्य के संसाधन

यह खण्ड वर्ष 2018–19 से 2022–23 की अवधि में राज्य के संसाधनों एवं उनकी प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है।

### 2.3.1 राज्य की प्राप्तियां

वर्ष 2022–23 की अवधि में राज्य की प्राप्तियों का संघटन चार्ट 2.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.2: वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्तियों के संघटन का विवरण



स्रोत: वित्त लेखे 2022-23

वर्ष 2022-23 के दौरान में राज्य की कुल प्राप्तियां ₹ 4,94,220 करोड़ थी। इसमें ₹ 4,17,241 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां, ₹ 68,184 करोड़ की पूँजीगत प्राप्तियां और ₹ 8,795 करोड़ की निवल लोक लेखा प्राप्तियां<sup>4</sup> सम्मिलित है। राजस्व प्राप्तियों में ₹ 1,74,087 करोड़ का स्वयं का कर राजस्व, ₹ 13,489 करोड़ का करेतर राजस्व, ₹ 1,69,745 करोड़ के केन्द्रीय करों एवं शुल्कों का अंश और ₹ 59,920 करोड़ का भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित हैं। पूँजीगत प्राप्तियों में ₹ 1,337 करोड़ की गैर-ऋण प्राप्तियां एवं ₹ 66,847 करोड़ की लोक ऋण प्राप्तियां सम्मिलित हैं।

### 2.3.2 राज्य की राजस्व प्राप्तियां

यह प्रस्तर कुल राजस्व प्राप्तियों और इसके घटकों में प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है। इसके बाद प्राप्तियों में प्रवृत्तियों का विश्लेषण है, जिन्हें राज्य की अपनी प्राप्तियों और केन्द्र सरकार से प्राप्तियों में विभाजित किया जाता है।

#### 2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति और वृद्धि

पाँच वर्ष की अवधि 2018-23 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के सापेक्ष कुल राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों और वृद्धि को तालिका 2.3 में दर्शाया गया है।

<sup>4</sup> निवल लोक लेखे प्राप्तियां वित्तीय वर्ष के अन्त में लघु बचत और भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा/अग्रिम, उच्चत एवं विविध और प्रेषणों का निवल अवशेष है।

तालिका 2.3 : राज्य के राजस्व प्राप्तियों, स्वयं के कर राजस्व और करेतर राजस्व की प्रवृत्ति  
(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व प्राप्तियां (आरआर)	329978	366393	296176	371011	417241
आरआर की वृद्धि दर (प्रतिशत)	18.37	11.04	(-)19.16	25.27	12.46
<b>राजस्व प्राप्तियां</b>					
स्वयं का राजस्व	120122	122826	119897	147368	174087
केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	136766	117818	106687	160358	169745
<b>करेतर राजस्व</b>	30101	81705	11846	11436	13489
भारत सरकार से सहायता अनुदान	42989	44044	57746	51849	59920
भारत सरकार से सहायता अनुदान की वृद्धि दर	5.76	2.45	31.11	(-)10.21	15.56
स्वयं के राजस्व (स्वयं के कर राजस्व एवं करेतर राजस्व)	150223	204531	131743	158804	187576
स्वयं के राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	28.19	36.15	(-)35.59	20.54	18.12
जीएसडीपी उत्पाद (₹ करोड़ में) (2011-12 श्रेणी)	1582180	1700062	1645317	1974532	2257575
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.88	7.45	(-)3.22	20.01	14.33
आरआर/जीएसडीपी (प्रतिशत)	20.86	21.55	18.00	18.79	18.48
<b>उछाल अनुपात<sup>5</sup></b>					
जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व उछाल	1.86	1.48	*	1.26	0.87
जीएसडीपी के सापेक्ष राज्य के स्वयं का राजस्व उछाल	2.85	4.85	*	1.03	1.26

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

\* चूंकि जीएसडीपी की वृद्धि नकारात्मक थी, इसलिये उछाल की गणना नहीं की गयी थी।

तालिका 2.3 में वर्णित आँकड़ों पर आधारित विश्लेषण से पता चलता है कि:

- वर्ष 2022-23 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य की राजस्व प्राप्तियां ₹ 4,17,241 करोड़ थी। 2018-23 की अवधि के दौरान चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 6.04 प्रतिशत थी। विगत वर्ष (2021-22) की तुलना में वर्ष 2022-23 में इसमें 12.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि मुख्य रूप से वर्ष 2021-22 की तुलना में केन्द्रीय कर हस्तांतरण के अन्तर्गत निगम कर (23 प्रतिशत) और निगम कर के अलावा आय पर कर (17 प्रतिशत) तथा स्वयं के कर राजस्व (18 प्रतिशत) की उच्च प्राप्तियों के कारण हुई।
- राज्य सरकार ने बजट अनुमान वर्ष 2022-23 में ₹ 4,99,213 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों का अनुमान लगाया था जिसे घटाकर संशोधित अनुमान में ₹ 4,78,817 करोड़ कर दिया गया। बजट अनुमान वर्ष 2022-23 की तुलना में, स्वयं के कर राजस्व की वास्तविक प्राप्तियों में 21.10 प्रतिशत, करेतर राजस्व में 42.37 प्रतिशत और भारत सरकार से सहायता अनुदान में 44.85 प्रतिशत की कमी आई थी। राज्य, स्वयं के


<sup>5</sup> उछाल अनुपात आधार चर में दिए गए परिवर्तन के सम्बन्ध में एक राजकोषीय चर की प्रतिक्रिया के परिमाण को इंगित करता है।

कर राजस्व में 6.02 प्रतिशत और भारत सरकार से सहायता अनुदान में 46.28 प्रतिशत कमी के कारण संशोधित अनुमानों को भी प्राप्त नहीं कर सका।

- वर्ष 2018-23 के दौरान जीएसडीपी के सापेक्ष राज्य के स्वयं के कर राजस्व उछाल का अनुपात उतार चढ़ाव भरा रहा, यह वर्ष 2018-19 में 2.85 की तुलना में 2019-20 में बढ़कर 4.85 हो गया, वर्ष 2021-22 में यह 1.03 था जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 1.26 हो गया।
- भारत सरकार से सहायता अनुदान 2021-22 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों के 13.98 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 14.36 प्रतिशत था, जो कि वर्ष 2022-23 के दौरान सहायता अनुदान की अधिक (15.56 प्रतिशत) प्राप्तियों के कारण था।

वित्त लेखे के अनुसार अवधि 2018-23 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों और संघटन को चार्ट 2.3 एवं चार्ट 2.4 में दर्शाया गया है।


चार्ट 2.3 वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे



चार्ट 2.4: वर्ष 2018–23 की अवधि के दौरान जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियाँ



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

### 2.3.2.2 राज्य के स्वयं के संसाधन


राज्य के स्वयं के संसाधनों में स्वयं का कर राजस्व और करेतर राजस्व सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश राज्य के स्वयं के कर राजस्व के घटक राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी), राज्य आबकारी, वाहनों पर कर, स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क, भू-राजस्व, विद्युत पर कर और शुल्क, सामानों एवं यात्रियों पर कर आदि हैं। करेतर राजस्व के स्रोतों में राजकोषीय सेवाओं से प्राप्तियाँ यथा सरकार द्वारा दिए गए बकाया ऋणों एवं अग्रिमों से ब्याज प्राप्तियाँ एवं रोकड़ अवशेष का निवेश, लाभांश और इक्विटी निवेश से लाभ, खनिज, वन और वन्य जीवन, के संरक्षक के रूप में उन रखी गई सम्पत्ति के उपयोग की अनुमति के लिए रायल्टी शुल्क या ऐसी अन्य सेवाओं और सरकार के तन्त्र के माध्यम से प्रदान की जाने वाली विभिन्न सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के लिए उपयोग शुल्क सम्मिलित हैं। 2018–23 की अवधि के दौरान स्वयं के कर/करेतर राजस्व के संग्रहण का विवरण **परिशिष्ट 2.2** में दिया गया है।

#### (i) स्वयं का कर राजस्व

राज्य के स्वयं के कर राजस्व में राज्य वस्तु और सेवा कर (एसजीएसटी), बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य आबकारी, वाहनों पर कर, स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क, भू-राजस्व आदि सम्मिलित हैं।

वर्ष 2022–23 के दौरान राज्य का स्वयं का कर राजस्व ₹ 1,74,087 करोड़ था। वर्ष 2018–23 की अवधि के दौरान, यह 2018–19 के ₹ 1,20,122 करोड़ से 44.93 प्रतिशत (₹ 53,965 करोड़) बढ़कर 2022–23 में ₹ 1,74,087 करोड़ हो गया। स्वयं का कर राजस्व की वृद्धि की प्रमुख प्रवृत्तियों को **चार्ट 2.5** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.5: वर्ष 2018-23 के दौरान स्वयं का कर राजस्व



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान राज्य के स्वयं का कर राजस्व के घटकों के अन्तर्गत प्राप्तियों का विवरण तालिका 2.4 में दिया गया है।

तालिका 2.4: वर्ष 2018-23 के दौरान राज्य की स्वयं का कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

क्र०सं०	गजस्व मद	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	स्पार्कलाइन
1	बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	23798	20517	22127	27058	31979	
2	राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	46108	47232	42860	54594	64141	
3	राज्य आबकारी	23927	27325	30061	36320	41253	
4	वाहनों पर कर	6929	7715	6483	7776	9059	
5	स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क	15733	16070	16475	20048	24844	
6	भू-गजस्व	631	504	297	193	285	
7	विद्युत पर कर एवं शुल्क	2978	3453	1587	1366	2519	
8	अन्य कर	18	10	7	13	7	
	योग	120122	122826	119897	147368	174087	

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.4 से यह स्पष्ट है कि:

- वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान स्वयं के कर राजस्व में 18 प्रतिशत की समग्र वृद्धि मुख्य रूप से राज्य वस्तु और सेवा कर में ₹ 9,547 करोड़, राज्य आबकारी में ₹ 4,933 करोड़, बिक्री, व्यापार आदि पर कर में

₹ 4,921 करोड़, स्टाम्प और निबन्धन शुल्क में ₹ 4,796 करोड़, वाहनों पर कर में ₹ 1,283 करोड़ तथा विद्युत पर कर एवं शुल्क में ₹ 1,153 करोड़ वृद्धि के कारण हुई थी।

- राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) राज्य के कर राजस्व का सबसे बड़ा घटक है, जिसमें वर्ष 2022–23 के लिए स्वयं का कर राजस्व प्राप्तियों का 36.84 प्रतिशत सम्मिलित है। वर्ष 2022–23 के दौरान, अनुमानित एसजीएसटी ₹ 88,264 करोड़ था, जिसके विरुद्ध वास्तविक संग्रह ₹ 64,141 करोड़ था जो अनुमान से 27.33 प्रतिशत कम था। तथापि विगत वर्ष की तुलना में एसजीएसटी 17.49 प्रतिशत अधिक था।
- बिक्री, व्यापार आदि पर करों के अन्तर्गत संग्रहण में वृद्धि मुख्य रूप से राज्य बिक्री कर ₹ 2,780.62 करोड़ और मूल्य वर्धित कर ₹ 2,747.72 करोड़ के अन्तर्गत अधिक प्राप्ति के कारण हुई थी। राज्य आबकारी में वृद्धि मुख्य रूप से माल्ट मदिरा में ₹ 1,862.83 करोड़, विदेशी मदिरा एवं स्पिरिट में ₹ 1,048.86 करोड़ तथा देशी स्पिरिट में ₹ 1,804.83 करोड़ की बिक्री में वृद्धि के कारण हुई थी। वाहनों में कर में वृद्धि मुख्य रूप से राज्य मोटर वाहन कराधान अधिनियम के अन्तर्गत ₹ 924.88 करोड़ की वृद्धि तथा भारतीय मोटर वाहन कराधान अधिनियम के अन्तर्गत ₹ 359.18 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई है।

#### राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार 2022–23 में एसजीएसटी की धनराशि ₹ 27,364.88 करोड़ थी तथा वित्त लेखे 2022–23 के अनुसार मुख्यशीर्ष 0006 के अन्तर्गत एसजीएसटी की धनराशि ₹ 64,140.91 करोड़ थी। ₹ 36,766.03 करोड़ के अन्तर का कारण लघु शीर्ष 105, 106, 107, 108 एवं 110 एसजीएसटी के विभाजन (₹ 38,685.46 करोड़) जो भारत सरकार से प्राप्त संस्वीकृतियों के कारण पुस्तांकित किये गये थे तथा वापसी/फ्लोटिंग चार्जज ₹ 1,909.47 करोड़ था।

#### बकाया राजस्व का विश्लेषण

बकाया राजस्व से तात्पर्य सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व की विलम्बित वसूली से है। 31 मार्च 2023 को बकाया राजस्व ₹ 45,687.87 करोड़ था, जिसमें से ₹ 16,893.47 करोड़ पाँच वर्ष से अधिक समय से लम्बित थे, जैसा कि तालिका 2.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5 : बकाया राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	राजस्व की मद	31 मार्च 2023 को लम्बित धनराशि	31 मार्च 2023 को पाँच वर्ष से अधिक समय से लम्बित धनराशि
1.	बिक्री व्यापार आदि पर कर/वैट	35081.65	14910.71
2.	राज्य वस्तु और सेवा कर	7430.27	0.00
3.	वाहनों पर कर	675.57	0.00
4.	राज्य आबकारी	45.26	45.26
5.	स्टाम्प और निबन्धन	2455.12	1937.50
	<b>योग</b>	<b>45687.87</b>	<b>16893.47</b>

**(ii) करेतर राजस्व**

वर्ष 2018–23 की अवधि के दौरान करेतर राजस्व के प्रमुख स्रोत और उनकी प्रवृत्ति का विश्लेषण तालिका 2.6 में दिया गया है:

तालिका 2.6: वर्ष 2018–23 की अवधि के दौरान करेतर राजस्व की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	स्पार्कलाइन
(i) ब्याज प्राप्तियाँ	1712	1469	1115	1250	1259	
(ii) लामांश एवं लाम	176	39	105	212	141	
<b>(iii) अन्य करेतर प्राप्तियाँ:</b>						
(क) विविध सामान्य सेवायें	13678	72044	572	295	486	
(ख) अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	3165	2181	3113	2655	3351	
(ग) ऊर्जा	5735	1044	1309	1769	965	
(घ) सिंचाई (वृहद, मध्यम एवं लघु)	908	1024	1174	1120	1280	
(ङ) सड़क एवं पुल	932	707	997	640	855	
(च) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	381	480	505	452	672	
(छ) अन्य एवं विविध	3414	2717	2956	3043	4480	
<b>योग</b>	<b>28213</b>	<b>80197</b>	<b>10626</b>	<b>9974</b>	<b>12089</b>	
<b>महायोग [(i), (ii) एवं (iii)]</b>	<b>30101</b>	<b>81705</b>	<b>11846</b>	<b>11436</b>	<b>13489</b>	


स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य की करेतर प्राप्तियां सर्वाधिक रहीं। तथापि, वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में उच्च करेतर प्राप्तियां मुख्य रूप से निक्षेप निधि से अवशेषों ₹ 12,693 करोड़ (2018–19) और ₹ 71,180 करोड़ (2019–20) को “विविध सामान्य सेवा शीर्ष” के अन्तर्गत बिना नगद प्राप्ति के स्थानांतरण के कारण थी। वर्ष 2022–23 के दौरान, कुल करेतर राजस्व प्राप्तियां ₹ 13,489 करोड़ थी, जो विगत वर्ष की तुलना में 17.95 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। गैर-लौह खनन और धातुकर्म उद्योगों की प्राप्तियों में ₹ 696 करोड़ (26.21 प्रतिशत), शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति में ₹ 220 करोड़ (48.67 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्य रूप से थी। विगत वर्ष (2021–22) की तुलना में वृद्धि को उर्जा के अन्तर्गत ₹ 804 करोड़ (45.44 प्रतिशत) कम प्राप्ति से प्रति-संतुलित थी।

**2.3.2.3 केन्द्र सरकार से अन्तरण**

केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य सरकार के अंश के घटक निगम कर, निगम कर से भिन्न आय पर कर, सेवा कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर और एकीकृत वस्तु और सेवा कर आदि हैं। 2013–14 से 2022–23 की अवधि के दौरान केन्द्रीय कर हस्तांतरण और अनुदान नीचे चार्ट 2.6 में दिए गए हैं:

चार्ट 2.6: केन्द्र सरकार से हस्तांतरण की प्रवृत्ति



वर्ष 2022-23 के दौरान, भारत सरकार से स्थानांतरण, (₹ 2,29,665 करोड़) जिसमें केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य का अंश (₹ 1,69,745 करोड़) और सहायता अनुदान (₹ 59,920 करोड़) सम्मिलित था, जो कि राज्य की राजस्व प्राप्तियों (₹ 4,17,241 करोड़) का 55.04 प्रतिशत था। वर्ष 2021-22 की तुलना में भारत सरकार से कुल हस्तांतरण 8.23 प्रतिशत (₹ 17,458 करोड़) अधिक था।

**(i) केन्द्रीय कर अन्तरण**

चौदहवें वित्त आयोग (2015-20) एवं 2020-23 की अवधि के लिये पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए अनुमानों की तुलना में राज्य सरकार को केन्द्रीय करों और शुल्कों में अंश के सापेक्ष वास्तविक अवमुक्त धनराशि तालिका 2.7 में दी गई है।

तालिका 2.7: अनुमान के सापेक्ष उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय अंश का वास्तविक हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वित्त आयोग के अनुमान	वित्त आयोग अनुशंसा के अनुसार अनुमान	वास्तविक हस्तांतरण	अन्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (4)-(3)
2015-16	सेवा कर को छोड़कर सभी साझा करने योग्य करों की शुद्ध आय का 17.959 प्रतिशत और	104297	90973.69	(-)13323.31
2016-17	साझा करने योग्य सेवा कर की शुद्ध आय का 18.205 प्रतिशत।	120355	109428.29	(-)10926.71
2017-18	(14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार)	139070	120939.14	(-)18130.86
2018-19	सभी साझा करने योग्य करों की शुद्ध आय का 17.931 प्रतिशत।	160892	136766.46	(-)24125.54
2019-20	(15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार)	186352	117818.30	(-)68533.70
2020-21	सभी साझा करने योग्य करों की शुद्ध आय का 17.931 प्रतिशत।	153342	106687.01	(-)46654.99
2021-22	(15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार)	118145	160358.05	42213.05
2022-23	सभी साझा करने योग्य करों की शुद्ध आय का 17.939 प्रतिशत।	131426	169745.30	38319.30
	(15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार)			

पाँच वर्ष की अवधि 2018–23 के दौरान केन्द्रीय करों और शुल्कों में उत्तर प्रदेश के अंश के अन्तर्गत प्राप्तियों की प्रवृत्ति तालिका 2.8 में दी गई है।

तालिका 2.8: 2018–23 की अवधि के दौरान केन्द्रीय कर हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी)	33757	33434	31611	45919	48136
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी)	2694	0	0	0	0
निगम कर	47563	40171	32258	45807	56507
आय पर कर से भिन्न निगम कर	35028	31477	33080	47482	55758
कस्टम शुल्क	9695	7468	5606	11922	6697
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	6442	5192	3577	6693	2101
सेवा कर	1252	0	475	2360	266
अन्य कर <sup>6</sup>	335	76	80	175	280
योग	136766	117818	106687	160358	169745
विगत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि प्रतिशत	13.09	(-)13.85	(-)9.45	50.31	5.85
राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों में केन्द्रीय कर हस्तांतरण का प्रतिशत	41.45	32.16	36.02	43.22	40.68

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों वित्त लेखे

तालिका 2.8 से स्पष्ट है कि वर्ष 2022–23 में राज्यांश के अन्तर्गत केन्द्रीय करों और शुल्कों से सम्बन्धित प्राप्तियों में वर्ष 2021–22 के सापेक्ष ₹ 9,387 करोड़ (5.85 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। केन्द्रीय करों और शुल्कों का अंश, राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों का 40.68 प्रतिशत था।

#### (ii) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

राज्य सरकार को भारत सरकार (जीओआई) से उप मुख्य शीर्षों जैसे केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए अनुदान, वित्त आयोग अनुदान और भारत सरकार से अन्य अन्तरण के अन्तर्गत सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। वर्ष 2018–23 की अवधि के दौरान, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की स्थिति तालिका 2.9 में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.9: 2018–23 की अवधि के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
केन्द्रीय प्रायोजित आयोजना-गत योजनाओं हेतु अनुदान					
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान (सीएसएस)	31250	25824	32342	31227	35575
वित्त आयोग अनुदान	9318	12965	16023	12306	12384

<sup>6</sup> इसमें सम्पत्ति पर कर, आय एवं व्यय पर अन्य कर, माल एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क सम्मिलित हैं।

शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राज्य/विधायिका वाले संघ/ राज्य क्षेत्र के लिए अन्य अन्तरण/अनुदान	2421	5255	9381	8316	11961
<b>योग</b>	<b>42989</b>	<b>44044</b>	<b>57746</b>	<b>51849</b>	<b>59920</b>
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	5.76	2.45	31.11	(-)10.21	15.57
राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष सहायता अनुदान की प्रतिशतता	13.03	12.02	19.50	13.98	14.36

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

**तालिका 2.9** से यह स्पष्ट है कि भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के विभिन्न घटकों के अन्तर्गत 2018–23 की अवधि के दौरान समग्र वृद्धि 39.38 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2018–19 में ₹ 42,989 करोड़ से बढ़कर 2022–23 में ₹ 59,920 करोड़ हो गई। तथापि, वर्ष 2022–23 में, विगत वर्ष की तुलना में सहायता अनुदान में 15.57 प्रतिशत (₹ 8,071 करोड़) की वृद्धि हुई थी। राज्य को वर्ष 2022–23 में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत ₹ 35,575 करोड़ प्राप्त हुए जो वर्ष 2021–22 की तुलना में 13.92 प्रतिशत अधिक था, जो मुख्यतः ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ₹ 6,894.58 करोड़ (130.63 प्रतिशत), चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा ₹ 642.68 करोड़ (91.81 प्रतिशत), महिला एवं बाल विकास द्वारा ₹ 1,075.79 करोड़ (71.36 प्रतिशत), पंचायती राज एवं युवा कल्याण द्वारा ₹ 336.48 करोड़ (104.75 प्रतिशत), प्राथमिक शिक्षा द्वारा ₹ 657.26 करोड़ (21.77 प्रतिशत) तथा अनुसूचित जाति कल्याण द्वारा ₹ 184.23 करोड़ (17.53 प्रतिशत) बढ़े हुए सहायता अनुदान प्राप्ति के कारण थी। तथापि, पुलिस विभाग द्वारा ₹ 22.93 करोड़ (70 प्रतिशत), नगर विकास विभाग द्वारा ₹ 1,749.88 करोड़ (31.30 प्रतिशत) तथा समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना) द्वारा ₹ 3,320.41 करोड़ (50.84 प्रतिशत) इत्यादि विभागों के अन्तर्गत सहायता अनुदान प्राप्तियां थी।

**एकल नोडल एजेंसी**— वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अन्तर्गत राशि अवमुक्त करने की प्रक्रिया और एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) के माध्यम से अवमुक्त राशि के उपयोग की निगरानी करने के लिए अधिसूचित (मार्च 2021) किया था। राज्य सरकार से अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक सीएसएस को लागू करने के लिए एक एसएनए नामित करे। राज्य स्तर पर प्रत्येक सीएसएस के लिए, एसएनए एक एकल नोडल खाता, ऐसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में खोलेगा, जो राज्य सरकार द्वारा शासकीय कार्य करने के लिये प्राधिकृत हो। प्रक्रिया के अनुसार आरबीआई के अपने लेखे में प्राप्त केन्द्रांश एवं संगत राज्यांश को सम्बन्धित एसएनए के लेखे में हस्तांतरित करना है।

सीजीए के पीएफएमएस पोर्टल के अनुसार, राज्य सरकार को अपने कोषागार खातों में वर्ष 2022–23 के दौरान केन्द्रीय अंश के रूप में ₹ 32,239.40 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। वास्तविक व्यय के विस्तृत प्रमाणक एवं सहायक अभिलेख एसएनए से कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश को प्राप्त नहीं हुये थे। 31 मार्च 2023 तक, सरकार ने कोषागार खातों में प्राप्त ₹ 40,531.31 करोड़ का केन्द्रीय अंश और ₹ 38,533.68 करोड़ का राज्यांश एसएनए को हस्तांतरित कर दिया। सीजीए के

पीएफएमएस पोर्टल के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक एसएनए के बैंक खातों में ₹ 28,980.96 करोड़ बिना व्यय किए हुए पड़े हुए हैं।

**(क) 15वाँ वित्त आयोग अनुदान**

15वें वित्त आयोग ने राज्य सरकार को स्थानीय निकायों तथा राज्य आपदा अनुक्रिया निधि, राज्य आपदा जोखिम प्रबन्धन निधि के लिए सहायता अनुदान की अनुशंसा की थी। वर्ष 2020-23 के दौरान 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान और राज्य सरकार द्वारा अन्तरित अनुदान की धनराशि का विवरण तालिका 2.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.10: 2020-23 की अवधि के दौरान भारत सरकार से प्राप्त वित्त आयोग अनुदान  
(₹ करोड़ में)

विवरण	अनुशंसायें			भारत सरकार से प्राप्त अनुदान			राज्य सरकार द्वारा अन्तरित अनुदान		
	XV-वित्त आयोग	XV- वित्त आयोग	योग	2020-21से 2021-22	2022-23	योग	2020-21 से 2021-22	2022-23	योग
	2020-21 से 2021-22	2022-23							
<b>स्थानीय निकाय (आधारभूत एवं निष्पादन अनुदान)</b>									
(i) पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान	16960	7466	24426	16960	7466	24426	16960	7466	24426
(ii) नगरीय स्थानीय निकायों को अनुदान	8245	3677	11922	6099.25	3477.82	9577.07	6099.25	3477.82	9577.07
स्थानीय निकायों के लिये योग	25205	11143	36348	23059.25	10943.82	34003.07	23059.25	10943.82	34003.07
एसडीआरएफ/एसडीएमएफ*	3866	2030	5896	3479.40	1401.60	4881.00	3479.40	1401.60	4881.00
कुल योग	29071	13173	42244	26538.65	12345.42	38884.07	26538.65	12345.42	38884.07

स्रोत: 15वें वित्त आयोग के प्रतिवेदन एवं सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

\*राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (एसडीआरएफ)/राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ)

2022-23 की अवधि के दौरान, स्थानीय निकायों के लिए सहायता अनुदान के अन्तर्गत 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित कुल ₹ 7,466.00 करोड़ के अनुदान के सापेक्ष, राज्य सरकार को भारत सरकार से ₹ 7,466.00 करोड़ प्राप्त हुए। इसमें से राज्य सरकार ने ग्रामीण स्थानीय निकाय को पूर्ण धनराशि अवमुक्त कर दी। अग्रेतर, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित ₹ 3,677 करोड़ के कुल अनुदान के सापेक्ष, राज्य सरकार को भारत सरकार से ₹ 3,477.82 करोड़ प्राप्त हुए। राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान यूएलबी को पूरी राशि अवमुक्त की। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में ₹ 199.18 करोड़ कम अवमुक्त किया गया। वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार ने शहरी/ग्रामीण स्थानीय निकायों को भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की पूरी राशि अवमुक्त कर दी थी।

15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार वर्ष 2022-23 की अवधि में ₹ 2,707 करोड़ एसडीआरएफ/एसडीएमएफ में जमा किये जाने थे, जिसमें एसडीआरएफ के लिए केन्द्रांश के रूप में ₹ 1,624 करोड़ और एसडीएमएफ के लिए केन्द्रांश के रूप में ₹ 406 करोड़



तथा राज्य सरकार को एसडीआरएफ के अंश के रूप में ₹ 541.60 करोड़ एवं एसडीएमएफ के अंश के रूप में ₹ 135.40 करोड़ जमा करना था। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के सापेक्ष भारत सरकार ने एसडीआरएफ/एसडीएमएफ के लिए ₹ 1,401.60 करोड़ अवमुक्त किया। इस प्रकार भारत सरकार ने निधि के लिए ₹ 628.40 करोड़ की कम राशि अवमुक्त की। राज्य सरकार ने अपने राज्य के अंश ₹ 677 करोड़ के सापेक्ष निधि के लिए ₹ 467.50 करोड़ अवमुक्त किया। इस प्रकार, राज्य सरकार ने ₹ 209.50 करोड़ कम अवमुक्त किया।

राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 के दौरान एसडीआरएफ के लिये केन्द्र के अंश के रूप में ₹ 812.00 करोड़ और राज्य के अंश के रूप में ₹ 270.80 करोड़ कुल ₹ 1,082.80 करोड़ तथा एसडीएमएफ के लिये केन्द्र के अंश के रूप में ₹ 589.60 करोड़ और राज्य के अंश के रूप में ₹ 196.70 करोड़ हस्तांतरित किए।

### 2.3.3 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ यथा विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋणों और अग्रिमों की वसूली, आन्तरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों से उधार आदि) से ऋण प्राप्तियाँ और भारत सरकार से ऋण और अग्रिम सम्मिलित हैं। पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि और संघटन में प्रवृत्तियाँ तालिका 2.11 में दर्शायी गयी हैं।

तालिका 2.11: वर्ष 2018-23 की अवधि में पूँजीगत प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
पूँजीगत प्राप्तियाँ	56908	79450	87994	76690	68184
(i) विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0
(ii) ऋण एवं अग्रिम की वसूली (गैर ऋण प्राप्तियाँ)	5313	5641	1135	939	1337
(iii) लोक ऋण प्राप्तियाँ, जिसमें से	51595	73809	86859	75751	66847
आन्तरिक ऋण	50791	72554	78677	65003	58024
आन्तरिक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.67	42.85	8.44	(-17.38)	(-10.74)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	804	1255	8182*	10748*	8823
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-27.11)	56.09	551.95	31.36	(-17.91)
ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	8.81	43.05	17.68	(-12.79)	(-11.75)
गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	2151.27	6.17	(-79.88)	(-17.27)	42.39
जीएसडीपी की वृद्धि दर	9.88	7.45	(-3.22)	20.01	14.33
पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	19.42	39.61	10.75	(-12.85)	(-11.09)

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

\* भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम की धनराशि में जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति की कमी के सापेक्ष 2020-21 में ₹ 6,007 करोड़ तथा 2021-22 में ₹ 8,140 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋण, जिस पर राज्य की कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं है, सम्मिलित हैं।

जैसा कि तालिका 2.11 से स्पष्ट है कि वर्ष 2022-23 में राज्य की पूँजीगत प्राप्तियों में ₹ 8,506 करोड़ की कमी हुई, जो वर्ष 2021-22 की तुलना में 11.09 प्रतिशत की कमी को दर्शाती है, जो विगत वर्ष की तुलना में आन्तरिक ऋण में 10.74 प्रतिशत एवं भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम में 17.91 प्रतिशत कम प्राप्ति के कारण थी। 2018-21 की

अवधि के दौरान आन्तरिक ऋण प्राप्तियों की उर्ध्वमुखी प्रवृत्ति थी लेकिन वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 में अधोमुखी प्रवृत्ति थी। भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों में 2018-23 की अवधि के दौरान उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति थी तथा 2021-22 के दौरान यह उच्चतम ₹ 10,748 करोड़ था जो कि जीएसटी क्षतिपूर्ति हेतु ₹ 8,140 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋण के कारण था, जिसमें राज्य की कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं है क्योंकि इसे जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष में उपकर के संग्रह से पुनर्भुगतान किया जाना है।

वर्ष 2022-23 के दौरान ऋण और अग्रिमों की वसूली (₹ 1,337 करोड़) में विगत वर्ष (₹ 939 करोड़) की तुलना में 42.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान ऋण और अग्रिमों की उच्च वसूली मुख्य रूप से उदय योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष में ₹ 4,891.72 करोड़ की राशि के ऋण के एसपीएसई को सहायता अनुदान में रूपान्तरण के कारण हुई थी।

### 2.3.4 संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन केन्द्रीय करों में राज्यांश और भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान को सम्मिलित किये बगैर स्वयं के कर राजस्व और करेतर राजस्व के सन्दर्भ में किया जाता है। वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य के स्वयं के कर राजस्व की प्राप्ति मध्यावधि राजकोषीय पुनर्संरचना नीति (एमटीएफआरपी) 2022 के अनुमान से 21.10 प्रतिशत कम और 15वें वित्त आयोग द्वारा किए गए अनुमान से 28.04 प्रतिशत अधिक थी, जैसा कि तालिका 2.12 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.12: वर्ष 2022-23 के दौरान अनुमान के सापेक्ष कर एवं करेतर प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष 2022-23 के लिये 15वें वित्त आयोग का अनुमान	बजट अनुमान/ एमटीएफआरपी 2022	वर्ष 2022-23 के लिये वास्तविक	वास्तविक के सापेक्ष प्रतिशत विचलन	
				15वें वित्त आयोग का अनुमान	बजट अनुमान/ एमटीएफआरपी 2022
स्वयं के कर राजस्व	135959	220655	174087	28.04	(-)21.10
करेतर राजस्व	35328	23406	13489	(-)61.82	(-)42.37

स्रोत: 15वें वित्त आयोग का प्रतिवेदन, राज्य सरकार का बजट अभिलेख 2022-23 एवं वित्त लेखे 2022-23


वर्ष 2022-23 में राज्य का स्वयं का कर राजस्व बजट अनुमान/एमटीएफआरपी 2022 में किए गए अनुमान की तुलना में काफी कम था। यह मुख्य रूप से एमटीएफआरपी 2022 के अनुमानों की तुलना में एसजीएसटी ₹ 24,123 करोड़, स्टाम्प और निबन्धन शुल्क ₹ 4,848 करोड़, राज्य आबकारी ₹ 7,900 करोड़ और बिक्री, व्यापार आदि पर कर ₹ 4,234 करोड़ के कम संग्रह के कारण था। तथापि, स्वयं के कर राजस्व जुटाने में राज्य का प्रदर्शन 15वें वित्त आयोग के अनुमानों से अच्छा था।

### 2.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार को राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों की संरचना के अन्तर्गत व्यय करने का उत्तरदायित्व निहित है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की चल रही राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया पूँजीगत अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र के विकास हेतु किये गये व्यय की लागत पर नहीं हो। यह प्रस्तर उप-प्रस्तरों सहित राज्य में व्यय के आवंटन का विश्लेषण करता है।

संचित निधि के अन्तर्गत व्यय विशिष्ट कार्यों या सेवाओं के अनुरूप क्षेत्रों जैसे 'सामान्य सेवाएँ', 'सामाजिक सेवाएँ', 'आर्थिक सेवाएँ', 'सहायता अनुदान और अंशदान', 'लोक ऋण' और 'ऋण एवं अग्रिम' में वर्गीकृत किये जाते हैं। राज्य के समेकित निधि के अन्तर्गत श्रेणीवार व्यय की प्रवृत्ति को चार्ट 2.7 में प्रस्तुत किया गया है।


चार्ट 2.7: वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान में क्षेत्रवार व्यय की प्रतिशतता



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि चार्ट 2.7 से स्पष्ट है, 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में सामाजिक सेवाओं पर व्यय का अंश बढ़ा था, जबकि व्यय के अन्य क्षेत्रों में राज्य की समेकित निधि से कुल व्यय में उनके सम्बन्धित अंश में कमी देखी गयी। वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान राज्य की संचित निधि के अन्तर्गत घटकवार व्यय चार्ट 2.8 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.8: वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान राज्य की संचित निधि के अन्तर्गत घटकवार व्यय



स्रोत: वित्त लेखा 2022-23

**चार्ट 2.8** प्रस्तुत करता है कि वर्ष 2022-23 के दौरान, सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत राजस्व व्यय सबसे अधिक था, जो कुल व्यय का 28.60 प्रतिशत था, जिसमें राज्य के अंगों, वित्तीय सेवाओं, ब्याज भुगतान, प्रशासनिक सेवाओं और पेंशन पर व्यय सम्मिलित है। सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय कुल व्यय का 27.46 प्रतिशत था, जिसमें शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, समाज कल्याण एवं पुष्टाहार, जल आपूर्ति और स्वच्छता, शहरी विकास आदि पर व्यय सम्मिलित है। आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 15.49 प्रतिशत था जिसमें कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों, ग्रामीण विकास, सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण, ऊर्जा, उद्योग और खनिज, परिवहन आदि पर व्यय सम्मिलित है।

### व्यय की वृद्धि और संघटन

वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान राज्य की संचित निधि और इसकी संरचना के अन्तर्गत कुल व्यय को तालिका 2.13 में संक्षेपित किया गया है और चार्ट 2.9 में भी दर्शाया गया है।


तालिका 2.13: वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान कुल व्यय एवं इसकी संरचना

(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कुल व्यय	370494	360951	351933	411237	483215
राजस्व व्यय	301728	298833	298543	337581	379978
पूँजीगत व्यय	62463	59998	52237	71443	93028
ऋण और अग्रिम	6303	2120	1153	1613	10209
आकस्मिकता निधि में विनियोग	0	0	0	600	0
जीएसडीपी की प्रतिशतता के रूप में					
कुल व्यय/जीएसडीपी	23.42	21.23	21.39	20.83	21.40
राजस्व व्यय/जीएसडीपी	19.07	17.58	18.15	17.10	16.83
पूँजीगत व्यय/जीएसडीपी	3.95	3.53	3.17	3.62	4.12
ऋण तथा अग्रिम/जीएसडीपी	0.40	0.12	0.07	0.08	0.45

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.9: 2018-23 की अवधि के दौरान घटकवार व्यय की प्रवृत्तियाँ



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

2018–23 की अवधि के दौरान, राज्य का कुल व्यय 2018–19 में ₹ 3,70,494 करोड़ से 30.42 प्रतिशत बढ़कर 2022–23 में ₹ 4,83,215 करोड़ हो गया। यह मुख्य रूप से राजस्व व्यय में ₹ 78,250 करोड़, पूँजीगत व्यय में ₹ 30,565 करोड़ और ऋण और अग्रिमों के संवितरण में ₹ 3,906 करोड़ की वृद्धि के कारण हुआ था। वर्ष 2022–23 की अवधि के दौरान, राजस्व व्यय कुल व्यय का 78.64 प्रतिशत और पूँजीगत व्यय कुल व्यय का 19.25 प्रतिशत था। इस प्रकार, कुल व्यय में राजस्व व्यय प्रमुख अंश था।

#### 2.4.1 राजस्व व्यय

सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्व के भुगतान के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य की अवसंरचना और सेवा तन्त्र में कोई वृद्धि नहीं होती है। राजस्व व्यय में मजदूरी और वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन, पूँजीगत कार्यों में संचालन और रखरखाव पर व्यय, सब्सिडी और स्थानीय निकायों, सहकारी समितियों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और अन्य को अन्तरण सम्मिलित हैं। राजस्व व्यय के मूल मापदण्ड तालिका 2.14 में दिए गए हैं।

तालिका 2.14: वर्ष 2018–23 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय के मूल मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कुल व्यय (टीई)	370494	360951	351933	411237	483215
राजस्व व्यय (आरई)	301728	298833	298543	337581	379978
आरई की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.34	(-)0.96	(-)0.10	13.08	12.56
टीई के सापेक्ष राजस्व व्यय का प्रतिशत	81.44	82.79	84.83	82.09	78.64
आरई/जीएसडीपी (प्रतिशत)	19.07	17.58	18.15	17.10	16.83
राजस्व प्राप्ति	329978	366393	296176	371011	417241
राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर (प्रतिशत)	18.37	11.04	(-)19.16	25.27	12.46
राजस्व व्यय के रूप में राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर (प्रतिशत)	91.44	81.56	100.80	90.99	91.07
जीएसडीपी (₹ करोड़ में)	1582180	1700062	1645317	1974532	2257575
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.88	7.45	(-)3.22	20.01	14.33
निम्न के सापेक्ष राजस्व व्यय का उछाल					
जीएसडीपी (अनुपात)	1.35	*	*	0.65	0.88
राजस्व प्राप्ति (अनुपात)	0.73	*	*	0.52	1.01

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे


\* चूँकि वृद्धि नकारात्मक थी, इसलिये उछाल की गणना नहीं की गयी।

राजस्व व्यय कुल व्यय का प्रमुख घटक बना रहा। तथापि, इसका अंश वर्ष 2018–19 में 81.44 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020–21 में 84.83 प्रतिशत हो गया, किन्तु वर्ष 2022–23 में घटकर 78.64 प्रतिशत हो गया। राजस्व व्यय की वृद्धि दर में वर्ष 2018–19 से 2022–23 के दौरान उतार-चढ़ाव बना रहा, यह वर्ष 2018–19 में 13.34 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2020–21 में 0.10 प्रतिशत हो गया और पुनः वर्ष 2022–23 में बढ़कर 12.56 प्रतिशत हो गया। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय में 2018–23 की

अवधि के दौरान उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गयी। यह वर्ष 2018-19 में उच्चतम (19.07 प्रतिशत) और वर्ष 2022-23 में निम्नतम (16.83 प्रतिशत) था। जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व व्यय उछाल, जीएसडीपी में प्रतिशत परिवर्तन के सापेक्ष राजस्व व्यय में प्रतिशत परिवर्तन को मापता है। जैसा कि तालिका 2.14 से स्पष्ट है कि वर्ष 2022-23 के दौरान जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व व्यय में उछाल 0.88 तथा राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष उछाल 1.01 था।

राजस्व व्यय वर्ष 2021-22 में ₹ 3,37,581 करोड़ से ₹ 42,397 करोड़ (12.56 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 3,79,978 करोड़ हो गया। वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से सामान्य शिक्षा में ₹ 8,531.85 करोड़, ऊर्जा पर ₹ 7,410.72 करोड़, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर ₹ 5,313.49 करोड़, समाज कल्याण पर ₹ 5,148.55 करोड़, नागरिक आपूर्ति पर ₹ 2,235.20 करोड़, स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों को ₹ 1,500.01 करोड़ की प्रतिपूर्ति और असाइनमेंट, शहरी विकास पर ₹ 1,146.82 करोड़, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर ₹ 1,035.66 करोड़ थी, जिसे मुख्य रूप से श्रम रोजगार एवं कौशल विकास के अन्तर्गत ₹ 1,756.12 करोड़ तथा प्राकृतिक आपदा के कारण राहत पर ₹ 1,478.44 करोड़ कम व्यय से प्रति-संतुलित किया गया है। सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं साथ ही आर्थिक सेवाओं पर वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व व्यय चार्ट 2.10 में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 2.10: वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण



स्रोत: वर्ष 2022-23 के वित्त लेखे

#### 2.4.1.1 प्रतिबद्ध और गैर-प्रतिबद्ध व्यय


राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के व्यय को प्रतिबद्ध और गैर-प्रतिबद्ध व्यय में वर्गीकृत किया जा सकता है। राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्य रूप से वेतन और मजदूरी, पेंशन भुगतान और ब्याज भुगतान पर व्यय सम्मिलित है। यह सरकार के संसाधनों पर सर्वप्रथम भारित है।

प्रतिबद्ध व्यय से इतर अनम्य व्यय की कुछ मदें हैं जिन्हें साधारण तौर पर बदला या भिन्न नहीं किया जा सकता है या जो वार्षिक आधार पर वैधानिक रूप से आवश्यक हैं। परिवर्तनीय लेनदेन के विपरीत जैसे-पूँजीगत व्यय निम्नलिखित मदों को अनम्य व्यय के रूप में माना जा सकता है:

- स्थानीय निकायों को हस्तांतरण – वेतन एवं भत्ते के लिए स्थानीय निकायों को वैधानिक हस्तांतरण (व्यय के लिए हस्तांतरण)
- आरक्षित निधियों में योगदान की वैधानिक आवश्यकताएं-समेकित निक्षेप निधि (सीएसएफ), प्रत्याभूति विमोचन निधि (जीआरएफ), अनुक्रिया निधि/ राज्य आपदा शमन (एसडीएमएफ/एसडीआरएफ) आदि में योगदान
- आकस्मिकता निधि की वसूली – वर्ष के अंदर वसूल की गई राशि
- उपकर को आरक्षित निधि/अन्य निकाय में स्थानांतरित करना, जो वैधानिक रूप से आवश्यक है
- प्राप्त केन्द्रीय निधि के सापेक्ष केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का राज्यांश
- ब्याज वाली निधियों की शेष राशि पर ब्याज का भुगतान, जैसे कि उन्हें निवेश किया जा सकता था और लोक ऋण पर ब्याज का भुगतान, जैसा कि लगाया गया है
- व्यय – ब्याज भुगतान

प्रतिबद्ध व्यय से इतर अन्य व्यय को गैर-प्रतिबद्ध व्यय में वर्गीकृत किया जा सकता है। 2018-23 की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध और गैर-प्रतिबद्ध व्यय के अंश की प्रवृत्ति को चार्ट 2.11 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.11: राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध एवं गैर प्रतिबद्ध व्यय का अंश



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

**प्रतिबद्ध व्यय**

2018-23 की अवधि के दौरान घटकवार प्रतिबद्ध व्यय तालिका 2.15 में दिया गया है।

तालिका 2.15 : 2018-23 की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध एवं अनम्य व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
वेतन एवं मजदूरी	91413	100188	97540	108775	121188
(i) वेतन	50471	53508	50333	54727	60061
(ii) मजदूरी	1062	1357	2363	2500	2719
(iii) सहायता अनुदान (वेतन)	39880	45323	44844	51548	58408
पेंशन पर व्यय	44024	49603	48219	50475	58697
ब्याज भुगतान	32042	34813	37428	42876	43008
<b>प्रतिबद्ध व्यय का योग</b>	<b>167479</b>	<b>184604</b>	<b>183187</b>	<b>202126</b>	<b>222893</b>
अनम्य व्यय के घटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
स्थानीय निकाय को वैधानिक हस्तांतरण	12100	14500	14208	16500	18000
आरक्षित निधि को अंशदान	30097	6199	5431	8950	8674
आकस्मिकता निधि का आपूरण	230	662	0	700	0
प्राप्त केन्द्रीय निधि के सापेक्ष सीएसएस का अंशदान	19196	17020	22161	22366	30056
बीओसीडब्लू को उपकर का हस्तांतरण	10	9.96	10	9.77	40.10
<b>योग</b>	<b>61633</b>	<b>38390.96</b>	<b>41810</b>	<b>48525.77</b>	<b>56770.10</b>
<b>राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में</b>					
<b>प्रतिबद्ध व्यय</b>					
वेतन एवं मजदूरी	27.70	27.34	32.93	29.32	29.05
पेंशन पर व्यय	13.34	13.54	16.28	13.60	14.07
ब्याज भुगतान	9.71	9.50	12.64	11.56	10.31
<b>योग</b>	<b>50.75</b>	<b>50.38</b>	<b>61.85</b>	<b>54.48</b>	<b>53.43</b>
<b>अनम्य व्यय</b>	<b>18.68</b>	<b>10.48</b>	<b>14.12</b>	<b>13.08</b>	<b>13.61</b>
<b>महायोग</b>	<b>69.43</b>	<b>60.86</b>	<b>75.97</b>	<b>67.56</b>	<b>67.04</b>
<b>राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में</b>					
वेतन एवं मजदूरी	30.30	33.53	32.67	32.22	31.89
पेंशन पर व्यय	14.59	16.60	16.15	14.95	15.45
ब्याज भुगतान	10.62	11.65	12.54	12.70	11.32
<b>योग</b>	<b>55.51</b>	<b>61.78</b>	<b>61.36</b>	<b>59.87</b>	<b>58.66</b>
<b>अनम्य व्यय</b>	<b>20.43</b>	<b>12.85</b>	<b>14.00</b>	<b>14.37</b>	<b>14.94</b>
<b>महायोग</b>	<b>75.94</b>	<b>74.63</b>	<b>75.37</b>	<b>74.24</b>	<b>73.60</b>
गैर प्रतिबद्ध राजस्व व्यय*	134249	114229	115320	135455	157085
राजस्व व्यय का प्रतिशत	44.49	38.23	38.63	40.13	41.34
कुल व्यय का प्रतिशत	36.24	31.65	32.77	32.94	32.51

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

\* प्रतिबद्ध व्यय को छोड़कर कुल राजस्व व्यय



प्रतिबद्ध व्यय, व्यय की प्राथमिकता तय करने और सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूंजी निवेश को पूरा करने में राज्य को प्रभावित करता है। राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के सापेक्ष प्रतिबद्ध व्यय का उच्च अनुपात यह इंगित करता है कि राज्य के पास नई योजनाओं के लिए अपने संसाधनों के आवंटन में सीमित लचीलापन है। तालिका 2.15 से स्पष्ट है कि वर्ष 2018–23 की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति पायी गयी, सिवाय वर्ष 2020–21 के जिसमें थोड़ी कमी आयी। प्रतिबद्ध व्यय के घटक-वार विवरण पर नीचे चर्चा की गई है।

#### वेतन एवं मजदूरी पर व्यय

राज्य सरकार में 31 मार्च 2022 को 12,58,329 स्वीकृत पद थे। वर्ष 2022–23 के दौरान, राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन पर व्यय ₹ 60,061 करोड़ था। यह राजस्व प्राप्तियों (₹ 4,17,241 करोड़) का 14.39 प्रतिशत और राजस्व व्यय (₹ 3,79,978 करोड़) का 15.81 प्रतिशत था। तथापि, मानक मद 'सहायक अनुदान-सामान्य (वेतन)', 'संशोधित वेतन का बकाया (राज्य सहायता)<sup>7</sup> और 'मजदूरी' के व्यय को सम्मिलित करते हुए वेतन मद पर कुल व्यय ₹ 1,21,188 करोड़ था, जो राजस्व प्राप्तियों का 29.05 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 31.89 प्रतिशत है।

वर्ष 2022–23 में वेतन एवं मजदूरी पर व्यय में विगत वर्ष 2021–22 की तुलना में 11.41 प्रतिशत (₹ 12,413 करोड़) की वृद्धि हुई, जो कि मुख्य रूप से मंहगाई भत्ता (₹ 4,613 करोड़) और सहायक अनुदान-सामान्य (वेतन) (₹ 6,861 करोड़) के अधिक संवितरण के कारण थी।

#### ब्याज भुगतान

राज्य सरकार द्वारा आन्तरिक ऋण, लघु बचत, भविष्य निधि, केन्द्र सरकार के ऋण और अग्रिमों आदि पर ब्याज भुगतान का लेखा-जोखा मुख्य शीर्ष 2049-ब्याज भुगतान के अन्तर्गत किया जाता है। वर्ष 2018–23 की अवधि के दौरान, ब्याज के भुगतान पर व्यय 7.64 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ ₹ 32,042 करोड़ से बढ़कर ₹ 43,008 करोड़ हो गया। वर्ष 2021–22 की तुलना में, वर्ष 2022–23 में ब्याज भुगतान में 0.31 प्रतिशत की वृद्धि, मुख्य रूप से केन्द्र सरकार को ऋण एवं अग्रिम पर ₹ 86 करोड़ कम ब्याज भुगतान के कारण हुई।

अग्रेतर, राज्य सरकार ने परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (डीसीपीएस) के अन्तर्गत, लेखाशीर्ष '2071-01-117-09-विलम्ब से जमा ग्राहक अंशदान पर ब्याज का भुगतान' के अन्तर्गत ₹ 4.00 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया। इसके अलावा, लेखाशीर्ष '2071-01-117-08 में दिनांक 31.03.2019 तक देय अवशेष नियोक्ता योगदान/देर से जमा नियोक्ता योगदान पर ब्याज' के अन्तर्गत ₹ 8.38 करोड़ का भुगतान किया था। संघ और राज्यों के मुख्य और लघु लेखा शीर्ष की सूची (एलएमएमएच) के अनुसार, डीसीपीएस पर ब्याज 2049-03-117 शीर्ष के अन्तर्गत पुस्तांकित किया जाना आवश्यक है। मुख्य शीर्ष 2071 के अन्तर्गत डीसीपीएस पर बजट का प्रावधान और ब्याज का भुगतान

<sup>7</sup> प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं सहायता प्राप्त संस्थाओं, स्वायत्त निकायों इत्यादि के कर्मचारियों से सम्बन्धित।

एलएमएमएच का उल्लंघन था, जिससे ये मुख्य शीर्ष 2049 के अन्तर्गत ब्याज व्यय में कम था।

### पेंशन भुगतान

राज्य में दिनांक 31 मार्च 2022 को 11,59,223 पेंशनभोगी थे। 2018-23 की अवधि के दौरान पेंशन भुगतान पर वार्षिक व्यय ₹ 44,024 करोड़ से ₹ 58,697 करोड़ के मध्य विस्तारित था। वर्ष 2022-23 में, पेंशन पर व्यय धनराशि ₹ 58,697 करोड़ था, जो कि विगत वर्ष (₹ 50,475 करोड़) के सापेक्ष 16.29 प्रतिशत उच्च था। यह अधिकता मुख्य रूप से अधिवार्षिकी व सेवानिवृत्ति भत्ते में (₹ 1,753.65 करोड़), पेंशन सारांशीकरण मूल्य में (₹ 505.36 करोड़), राज्य सहायित शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों के पेंशन में (₹ 1,373.90 करोड़) तथा डीसीपीएस के लिये शासकीय अभिदान में (₹ 1,468.13 करोड़) वृद्धि के कारण थी। वर्ष 2022-23 में पेंशन पर व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों का 14.07 प्रतिशत तथा कुल राजस्व व्यय का 15.45 प्रतिशत था।

### अनम्य व्यय

अनम्य व्यय के घटक, जिसमें स्थानीय निकायों को वैधानिक हस्तांतरण और आरक्षित निधि में योगदान सम्मिलित हैं, में वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान निरन्तर वृद्धि देखी गई। वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में अनम्य व्यय 10.48 प्रतिशत से 18.68 प्रतिशत के मध्य था और राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में अनम्य व्यय 12.85 प्रतिशत से 20.43 प्रतिशत के मध्य था।

### 2.4.1.2 सब्सिडी

राज्य सरकार कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभागों, उद्योग विभाग, ऊर्जा विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान प्रदान करती है, जिसका विस्तृत विवरण वित्त लेखे के परिशिष्ट- II में दिया गया है। 2018-23 की अवधि के दौरान प्रदान की गई सब्सिडी का विवरण तालिका 2.16 में दिया गया है।

तालिका 2.16: वर्ष 2018-23 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
सब्सिडी, जिसमें सम्मिलित हैं (₹ करोड़ में)	14053	14092	11677	20145	21267
ऊर्जा सब्सिडी (₹ करोड़ में)	8370	8920	6057	13388	14361
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	4.26	3.85	3.94	5.43	5.10
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	4.66	4.72	3.91	5.97	5.60
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	3.79	3.90	3.32	4.90	4.40
कुल सब्सिडी के प्रतिशत के रूप में ऊर्जा सब्सिडी	59.56	63.30	51.87	66.46	67.53

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

सब्सिडी पर व्यय वर्ष 2018–19 से 2022–23 के दौरान उतार चढ़ाव भरा रहा। यद्यपि, यह वर्ष 2018–19 में ₹ 14,053.00 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022–23 में ₹ 21,267.00 करोड़ हो गया, यह वर्ष 2020–21 में न्यूनतम ₹ 11,677.00 करोड़ था। वर्ष 2022–23 के दौरान ₹ 21,267.00 करोड़ की सब्सिडी राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय का क्रमशः 5.10 प्रतिशत और 5.60 प्रतिशत था। इसमें केन्द्र प्रायोजित के अन्तर्गत ₹ 1,564.07 करोड़ की केन्द्रीय सहायता भी सम्मिलित है। विगत वर्ष 2021–22 की तुलना में वर्ष 2022–23 के दौरान सब्सिडी में कुल वृद्धि (₹ 1,112.00 करोड़) मुख्य रूप से 'निजी नलकूपों के उपभोक्ताओं के टैरिफ पर 50 प्रतिशत की छूट ₹ 1,250.00 करोड़ के कारण यूपीपीसीएल को अनुदान', 'उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को विद्युत कर पर भुगतान की गई राशि के सापेक्ष राजस्व प्रतिपूरक अनुदान' ₹ 1,050.00 करोड़, 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' (जनजातीय कल्याण) ₹ 252.00 करोड़, जो 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के तहत सब्सिडी ₹ 635.00 करोड़, 'स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना' ₹ 640.00 करोड़ की कम सब्सिडी से प्रतिसंतुलित थी।

#### 2.4.1.3 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता, अनुदान और ऋण के रूप में प्रदान की जाती है। 2018–23 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की गई सहायता की मात्रा तालिका 2.17 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 2.17: 2018–23 के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
(क) स्थानीय निकाय					
शहरी स्थानीय निकाय (नगर निगम एवं नगर पालिकाएं)	3081.35	9059.97	15115.15	13610.89	9802.01
पंचायती राज संस्थाएं (जिला परिषद एवं ग्राम पंचायतें)	16209.80	12517.71	10412.00	7635.03	8109.70
योग (क)	<b>19291.15</b>	<b>21577.68</b>	<b>25527.15</b>	<b>21245.92</b>	<b>17911.71</b>
(ख)सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम(सरकारी कंपनियां और सांविधिक निगम)	7053.03	8940.17	7018.39	7391.59	10054.20
(ग)स्वायत्त निकाय(विश्वविद्यालय, विकास प्राधिकरण, सहकारी संस्थाएं एवं अन्य)	6436.96	37393.78	35251.87	44342.71	48527.42
(घ)गैर-सरकारी संगठन	181.61	7140.75	7040.51	7924.10	9340.91
(च)विविध	58801.38	18282.08	24050.46	19941.12	35527.75
योग(ख +ग+घ+च)	<b>72472.98</b>	<b>71756.78</b>	<b>73361.23</b>	<b>79599.52</b>	<b>103450.28</b>
महायोग(क+ख+ग+घ+च)	<b>91764.13</b>	<b>93334.46</b>	<b>98888.38</b>	<b>100845.44</b>	<b>121361.99</b>
वेतन पर भारत सरकार की सहायता	39880.53	45322.82	44844.40	51547.02	58408.44
पूँजीगत परिसम्पत्ति निर्माण पर भारत सरकार की सहायता	6089.49	6821.79	11208.64	12028.65	10955.37

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
गैर-वेतन पर भारत सरकार की सहायता	45794.09	41189.87	42799.84	37268.51	51998.17
वस्तु के रूप में भारत सरकार की सहायता	राज्य सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई				
पिछले वर्ष की तुलना में भारत सरकार की सहायता की वृद्धि दर	(-) 0.50	1.71	5.95	1.98	20.34
राजस्व व्यय	<b>301728</b>	<b>298833</b>	<b>298543</b>	<b>337581</b>	<b>379978</b>
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	30.41	31.23	33.12	29.87	31.94

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य अनुदानग्राही संस्थाओं को सहायता अनुदान के माध्यम से ₹ 1,21,361.99 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी। इसमें सम्मिलित हैं : शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान (₹ 9,802.01 करोड़), पंचायती राज संस्थाओं (₹ 8,109.70 करोड़), सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (₹ 10,054.20 करोड़), स्वायत्त निकाय (₹ 48,527.42 करोड़), गैर सरकार संगठन (₹ 9,340.91 करोड़), और विविध (₹ 35,527.75 करोड़) जिसमें मुख्यतः केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अवमुक्त सहायता अनुदान में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (₹ 5,520.47 करोड़), केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के राज्य का अंश (₹ 3,944.16 करोड़), शासकीय विभागों के बकाया बिजली के बिलों का भुगतान (₹ 3,500 करोड़), ऋण चुकाने के लिये यूपीईआईजीए को सहायता (₹ 1,744.66 करोड़), अंधे, मूक, बधिर और शारीरिक रूप से विकलांगों के लिये भरण पोषण (₹ 1,184.11 करोड़), निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण और उनके बच्चों की शिक्षा के लिये अनुदान (₹ 3,304.24 करोड़), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (₹ 1,620.78 करोड़), वृद्धावस्था/किसान पेंशन (₹ 4,062.98 करोड़) इत्यादि।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य अनुदानग्राही संस्थाओं को सहायता अनुदान वर्ष 2021-22 की तुलना में 20.34 प्रतिशत (₹ 20,516.55 करोड़) अधिक थी। वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान इसमें ₹ 29,597.86 करोड़ (32.25 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। अग्रतर, यह राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वर्ष 2018-19 में 30.41 से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 31.94 प्रतिशत हो गयी।

पंचायती राज संस्थाओं को सहायता वर्ष 2018-19 में ₹ 16,209.80 करोड़ से घटकर वर्ष 2022-23 में ₹ 8,109.70 करोड़ हो गयी। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार द्वारा पीआरआई को अवमुक्त सहायता अनुदान, 15वें वित्त आयोग के सापेक्ष भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के अन्तर्गत ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये (₹ 7,466.00 करोड़) एवं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता (₹ 643.70 करोड़) का हस्तांतरण था। वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान 15वें वित्त आयोग के अनुदान के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को जारी सहायता अनुदान में ₹ 258 करोड़ और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में ₹ 217 करोड़ की वृद्धि हो गयी।

नगरीय स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता 2018–19 में ₹ 3,081.35 करोड़ से बढ़कर 2020–21 में ₹ 15,115.15 करोड़ हो गई। तथापि, वर्ष 2022–23 के दौरान यह घटकर ₹ 9,802.01 करोड़ हो गया। वर्ष 2022–23 के दौरान, वर्ष 2021–22 की तुलना में सहायता अनुदान में ₹ 3,808.88 करोड़ (28 प्रतिशत) की कमी आई। तथापि, स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत ₹ 1,225 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना (सामान्य) के अन्तर्गत ₹ 1,258 करोड़, वित्त आयोग अनुदान में ₹ 1,716.57 करोड़ की वृद्धि थी। यूएलबी को दी गई सहायता में पूँजीगत सम्पत्ति के निर्माण के लिए सहायता ₹ 6,233.34 करोड़ सम्मिलित थी।

अग्रेतर, 2022–23 के दौरान वेतन और गैर-वेतन उद्देश्य के लिए दी गई वित्तीय सहायता विगत वर्ष की तुलना में बढ़ गई थी, जबकि पूँजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता पिछले वर्ष की तुलना में कम हो गई थी। आगे यह देखा गया कि विगत पाँच वर्षों के दौरान वेतन घटक पर सहायता में लगातार वृद्धि हुई।

#### 2.4.1.4 स्थानीय निकायों को राजकोषीय हस्तान्तरण पर राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों की अनुपालना

संविधान का अनुच्छेद 243 आई (अनुच्छेद 243 वाई के साथ पठित) यह प्रावधानित करता है कि राज्य सरकार के लिये पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों (यूएलबी) की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिये प्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) का गठन करना अनिवार्य है और अन्य बातों के साथ राज्य द्वारा लगाये जाने वाले करों, शुल्कों, टोल्स एवं फीस की निवल आय को राज्य एवं पंचायती राज संस्थाओं/नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य वितरण की अनुशंसा करता है।

राज्य सरकार ने दिसम्बर 2011 और अक्टूबर 2015 में क्रमशः चौथा एवं पाँचवां एसएफसी गठित किया था और इनकी रिपोर्ट दिसम्बर 2014 और अक्टूबर 2018 में राज्यपाल को प्रस्तुत की गयी एवं उनकी अनुशंसा क्रमशः अप्रैल 2015 और अप्रैल 2020 में लागू की गयी थी। स्वीकृत अनुशंसाओं के अनुसार, राज्य सरकार को राज्य के स्वयं के कर राजस्व के निवल आय का 12.5 प्रतिशत भाग को नगरीय स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के मध्य 60:40 के अनुपात में वितरित किया जाना था। 2018–19 से 2022–23 की अवधि के दौरान यूएलबी एवं पीआरआई को एसएफसी अनुदान का हस्तांतरण तालिका 2.18 में दिया गया है।

तालिका 2.18: 2018–23 के दौरान पीआरआई एवं यूएलबी को निधि का हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चौथा एसएफसी हस्तांतरण			पाँचवा एसएफसी हस्तांतरण	
	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
यूएलबी	7312.50	8700.00	8525.00	9900.00	10800.00
पीआरआई	4875.00	5800.00	5683.37	6600.00	7200.00
<b>योग</b>	<b>12187.50</b>	<b>14500.00</b>	<b>14208.37</b>	<b>16500.00</b>	<b>18000.00</b>


स्रोत: नगरीय स्थानीय निकाय निदेशालय एवं पंचायती राज निदेशालय

वर्ष 2020–21 को छोड़कर, 2018–19 से 2022–23 के दौरान यूएलबी एवं पीआरआई को एसएफसी अनुदान के हस्तांतरण में लगातार वृद्धि हुई। 2021–22 की तुलना में 2022–23 के दौरान स्थानीय निकायों के हस्तांतरण में 9.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

## 2.4.2 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय (कैपेक्स) मुख्य रूप से सड़कों, भवनों, आदि जैसे अचल अवसंरचना सम्पत्तियों के सृजन पर होने वाला व्यय है। राज्य सरकार के लिए अपने निवेश पर पर्याप्त प्रतिफल अर्जित करने, उधार ली गई निधि की लागत वसूल करने और वित्तीय संक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के उपाय हेतु पहल की आवश्यकता है। 2018-23 की अवधि के दौरान पूँजीगत व्यय और कुल व्यय से इसके प्रतिशत को चार्ट 2.12 में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 2.12: 2018-23 की अवधि के दौरान राज्य में पूँजीगत व्यय



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.12 से स्पष्ट है कि 2018-23 की अवधि के दौरान कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय 14.84 प्रतिशत और 19.25 प्रतिशत के बीच रहा और यह वर्ष 2022-23 में उच्चतम था। कुछ मुख्य शीर्षों जहाँ वर्ष 2022-23 के दौरान पूँजीगत व्यय महत्वपूर्ण रूप से अधिक था, तालिका 2.19 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.19: वर्ष 2022-23 के दौरान मुख्य शीर्षवार पूँजीगत व्यय

क्रम संख्या	प्रमुख शीर्ष और उसका नाम	प्रमुख गतिविधि/योजना	धनराशि (₹ करोड़ में)
1	4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय	जलजीवन मिशन (₹ 8118.56 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना (₹ 3940.23 करोड़)	12227.32
2	4801-ऊर्जा परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए (₹ 3034.27 करोड़), ग्रीष्म काल में राज्य में बिजली की निर्बाध आपूर्ति (₹ 1000 करोड़) के लिए उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड को अंशपूँजी	10220.50
3	4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय	पीएम आवास योजना-ग्रामीण (₹ 4770.36 करोड़), केन्द्र प्रायोजित योजना का संगत राज्यांश (₹ 3180.24 करोड़)	8984.05

क्रम संख्या	प्रमुख शीर्ष और उसका नाम	प्रमुख गतिविधि/योजना	धनराशि (₹ करोड़ में)
4	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	राष्ट्रीय ग्रामीण सुनिश्चित रोजगार योजना (₹ 4224.99 करोड़), केन्द्र प्रायोजित योजना का संगत राज्यांश (₹ 1284.56 करोड़)	7211.41
5	4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	केन्द्र प्रायोजित योजना का संगत राज्यांश (₹ 1090.66 करोड़), आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना (₹ 110.00 करोड़), 15वां वित्त आयोग (₹ 473.00 करोड़)	3789.20
6	4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	नये शहरों का समग्र और उचित विकास (₹ 1000.00 करोड़), दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना (₹ 1306.00 करोड़)	3204.53
7	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	प्रारम्भिक शिक्षा-केन्द्रीय योजना/केन्द्र प्रायोजित योजना (₹ 867.39 करोड़), प्रारम्भिक शिक्षा-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य का हिस्सा (₹ 508.26 करोड़), अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना (₹ 417.44 करोड़), वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण (₹ 121.28 करोड़)	3195.59
8	4055-पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	पुलिस विभाग के गैर आवासीय भवन का निर्माण (₹ 1362.82 करोड़), पुलिस विभाग के आवासीय भवन का निर्माण (₹ 579.10 करोड़), नव निर्मित जिलों में आवासीय/गैर आवासीय भवनों का निर्माण (₹ 263.92 करोड़)।	3138.21
9	5033- नागरिक उड्डयन पर पूँजीगत परिव्यय	हवाई पट्टियों का निर्माण, विस्तार और सुदृढ़ीकरण और भूमि का अधिग्रहण (₹ 1246.77 करोड़), जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना (₹ 661.21 करोड़)	2013.77

स्रोत: वित्त लेखे 2022-23

वर्ष 2022-23 के दौरान पूँजीगत व्यय ₹ 93,028.39 करोड़ था। वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान इसमें ₹ 21,586 करोड़ (30 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। सामान्य सेवा क्षेत्र में ₹ 2,092 करोड़ (88.80 प्रतिशत) मुख्यतः पुलिस, एवं लोक निर्माण ₹ 16,480 करोड़ (88.75 प्रतिशत), सामाजिक सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत चिकित्सा एवं लोक, स्वास्थ्य, जलापूर्ति एवं स्वच्छता और आवास में एवं आर्थिक सेवा क्षेत्र में ₹ 3,013 करोड़ (5.96 प्रतिशत) मुख्यतः खाद्य भण्डारण एवं भण्डारगृह और अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कारण थी।

#### 2.4.2.1 पूँजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के लिए विभिन्न मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत पूँजीगत व्यय में मुख्य परिवर्तनों का विवरण तालिका 2.20 में दिया गया है।



तालिका 2.20 : विभिन्न मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत 2022-23 के दौरान पूँजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन  
(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखाशीर्ष	2021-22	2022-23	वृद्धि (+)/ कमी (-) (प्रतिशत)
4215- जल आपूर्ति एवं स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय	3965.72	12227.32	8261.60 (208)
4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय	3751.67	7211.41	3459.74 (92)
4217- शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	1179.08	3204.53	2025.45 (172)
5053- नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय	105.02	2013.77	1908.75 (1817)
4202- शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	1632.25	3195.59	1563.34 (96)
4055- पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	1599.85	3138.21	1538.36 (96)
4408- खाद्य भण्डारण एवं भण्डारगृह पर पूँजीगत परिव्यय	7481.74	3233.01	-4248.73 (-57)

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत वृद्धि/कमी का प्रमुख कारण नीचे दिया गया है:

**मुख्य शीर्ष 4215 (जल आपूर्ति एवं स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय):** वृद्धि मुख्य रूप से जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ₹ 5,737.97 करोड़ तथा अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय योजना/केन्द्र पुनरोधित योजना में ₹ 2,440.12 करोड़ अधिक व्यय के कारण हुई।

**मुख्य शीर्ष 4217 (शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय):** यह मुख्यतः नये शहरों के समग्र और उचित विकास पर ₹ 1,000.00 करोड़ और दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना पर ₹ 736.00 करोड़ की वृद्धि के कारण है।

**मुख्य शीर्ष 4515 (अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय):** वृद्धि मुख्यतः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत ₹ 2,047.25 करोड़ तथा केन्द्र प्रायोजित योजना का संगत राज्यांश ₹ 1,284.56 करोड़ के अधिक व्यय के कारण थी।

**मुख्य शीर्ष 5053 (नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय):** इसका मुख्य कारण हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार और सुदृढीकरण और भूमि अधिग्रहण पर ₹ 1,204.21 करोड़ की वृद्धि और गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना पर ₹ 588.79 करोड़ की वृद्धि है।

**मुख्य शीर्ष 4202 (शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय):** मुख्य रूप से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अनुरूप राज्यांश पर ₹ 508.26 करोड़, केन्द्रीय योजना/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं पर ₹ 489.21 करोड़ और सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना पर ₹ 147.44 करोड़ की वृद्धि के कारण है।



**मुख्य शीर्ष 4408 (खाद्य भण्डारण एवं भण्डारगृह पर पूँजीगत परिव्यय):** कमी मुख्य रूप से विगत वर्ष के सापेक्ष केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न आपूर्ति परियोजना में ₹ 4,696.81 करोड़ कम व्यय के कारण हुई।

#### 2.4.2.2 पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता

यह खण्ड राज्य सरकार द्वारा किए गये पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

##### (i) एसपीएसई में निवेश की गुणवत्ता

सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उद्यम जो घाटे में चल रहे हैं या जहाँ निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया है, पूँजीगत व्यय, किया गया निवेश और दिया गया ऋण धारणीय नहीं है और पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित किया है। एसपीएसई में निवेश की गुणवत्ता से सम्बन्धित प्रकरण यथा अक्रियाशील एसपीएसई में निवेश, वार्षिक लेखा प्रस्तुत करने में बकाया, एसपीएसई को बजटीय सहायता, निवल मूल्य का क्षरण आदि पर प्रतिवेदन के अध्याय पाँच में विभिन्न प्रस्तरो के अन्तर्गत विस्तार से चर्चा की गई है।

कम्पनियों, निगमों और सहकारी बैंकों तथा सोसाइटियों में निवेश पर प्रतिफल के रुझान, सरकारी उधार की लागत और निवेश पर प्रतिफल के मध्य अन्तर तालिका 2.21 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.21 : निवेश पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	निवेश/प्रतिफल/ उधारियों की लागत	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	वर्ष के अन्त में निवेश <sup>8</sup>	118532	127630	139495	151521	164001
2	प्रतिफल	175.48	39.04	104.83	212.58	141.32
3	प्रतिफल (प्रतिशत)	0.15	0.03	0.08	0.14	0.09
4	सरकार की उधारियों एवं दायित्वों पर औसत ब्याज दर <sup>9</sup> (प्रतिशत)	6.50	6.82	7.01	7.28	6.74
5	ब्याज दर एवं प्रतिफल के मध्य अन्तर (प्रतिशत)	6.35	6.79	6.93	7.14	6.65
6	सरकारी उधारियों एवं निवेश पर प्रतिफल के मध्य में अन्तर	7527	8666	9667	10819	10906

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2022-23 के दौरान निवेश पर प्रतिफल ₹ 141.32 करोड़ (0.09 प्रतिशत) था। 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान निवेश पर प्रतिफल 0.03 प्रतिशत से 0.15 प्रतिशत के बीच था, जबकि इसी अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा अपनी उधारी

<sup>8</sup> यह आँकड़े वित्त लेखे के विवरण 19 (खण्ड 2) के अनुसार है। विवरण 19 (खण्ड 1) जो सम्बन्धित इकाईयों एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी सूचनाओं पर आधारित है, इसका अन्तर समाधान की प्रक्रिया में है।

<sup>9</sup> सकल अवशेष लोक ऋण का औसत ब्याज = [ब्याज भुगतान / ((लोक ऋण का प्रारंभिक शेष + लोक ऋण का अन्तिम शेष) / 2)] \* 100

पर भुगतान की गई औसत ब्याज दर 6.50 प्रतिशत से 7.28 प्रतिशत के मध्य थी। 2018-19 से 2022-23 (विगत पाँच वर्षों) की अवधि में सरकारी उधार की लागत और एसपीएसई और अन्य संस्थाओं में निवेश पर प्रतिफल में अन्तर ₹ 47,585 करोड़ था।

**(ii) राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम**

कोआपरेटिव सोसाइटीज़, निगम तथा कम्पनियों में निवेश के साथ-साथ राज्य सरकार विभिन्न इकाईयों/संस्थाओं को ऋण तथा अग्रिम प्रदान करती है। 31 मार्च 2023 को राज्य सरकार के अवशेष ऋण तथा अग्रिम एवं 2018-19 से 2022-23 की अवधि में ब्याज भुगतान के साथ-साथ ब्याज प्राप्ति का विवरण तालिका 2.22 में प्रस्तुत है।

तालिका 2.22 : 2018-23 के दौरान वितरित और वसूले गए ऋणों की मात्रा

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
बकाया ऋणों का प्रारम्भिक अवशेष	29720.31	30709.56	27188.98	27206.86	27880.79
वर्ष के दौरान अग्रिम दी गई धनराशि	6302.64	2120.00	1152.61	1613.36	10208.63
वर्ष के दौरान वसूल की गई धनराशि	5313.39	5640.58	1134.73	939.43	1337.32
बकाया ऋणों का अन्तिम अवशेष	30709.56	27188.98	27206.86	27880.79	36752.10
शुद्ध वृद्धि	989.25	-3520.58	17.88	673.93	8871.31
प्राप्त ब्याज	27.10	112.29	89.18	66.78	42.33
सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज की दर	0.09	0.39	0.33	0.24	0.13
सरकार के बकाया ऋणों पर भुगतान किये गये ब्याज की दर	6.50	6.82	7.01	7.28	6.74
प्राप्त ब्याज दर और भुगतान किये गये ब्याज के बीच अन्तर (प्रतिशत)	6.41	6.43	6.68	7.04	6.61

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2021-22 में ₹ 1,613.36 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2022-23 में ₹ 10,208.63 करोड़ ऋण के रूप में दिए गए। चालू वर्ष के दौरान दिए गए ऋणों में सम्मिलित हैं:

- औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को ₹ 8,000.00 करोड़ का ऋण।
- चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ को ₹ 1,000.00 करोड़ का ऋण, यद्यपि वर्ष के प्रारम्भ में ₹ 1,010.00 करोड़ का ऋण बकाया था।

वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण में ₹ 8,871.31 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2021-22 की तुलना में ऋण वसूली में ₹ 397.89 करोड़ की वृद्धि हुई तथा ब्याज प्राप्ति में ₹ 24.45 करोड़ की कमी आयी। वर्ष 2022-23 के दौरान ब्याज की प्राप्ति दिये गये बकाया ऋण का केवल 0.12 प्रतिशत थी।

**(iii) अपूर्ण परियोजनाओं पर निधियों का अवरोधन**

वित्त लेखे का परिशिष्ट-IX अपूर्ण पूँजीगत कार्यों की समग्र स्थिति को दर्शाता है। परिशिष्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण एवं सिंचाई विभाग में अपूर्ण कार्यों की सूची सम्मिलित है, यद्यपि सूची में राज्य सरकार के अन्य विभागों के सभी अपूर्ण कार्यों को सम्मिलित नहीं किया गया है। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर निधियों का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और राज्य को लम्बे समय के लिये अभिप्रेत लाभों से वंचित रखता है। अग्रेतर, सम्बन्धित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उधार ली गई धनराशि ऋण और ब्याज देनदारियों के भुगतान के रूप में अतिरिक्त दायित्व की ओर ले जाती है।

वित्त लेखे 2022-23 के परिशिष्ट-IX के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक 575 पूँजीगत परियोजनाएं अपूर्ण थीं, जिन पर ₹ 2,013.70 करोड़ की राशि व्यय की गई थी एवं ₹ 1,028.70 करोड़ के भुगतान लम्बित थे, जैसा कि तालिका 2.23 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.23 : 31 मार्च 2023 तक विभागवार अपूर्ण परियोजनाएं

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय
लोक निर्माण	569	3257.65	1944.84
सिंचाई	06	85.58	68.86
योग	575	3343.23	2013.70

स्रोत: वित्त लेखा 2022-23

**2.4.3 व्यय प्राथमिकताएं**

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर अपना व्यय बढ़ाने की आवश्यकता है। निम्न राजकोषीय प्राथमिकता (एक श्रेणी के अन्तर्गत व्यय का कुल व्यय से अनुपात) एक क्षेत्र विशेष से सम्बद्ध है, यदि आवंटन सम्बन्धित राष्ट्रीय औसत से कम है। इन घटकों का कुल व्यय से अनुपात जितना अधिक होता है, व्यय की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी मानी जाती है। सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र आदि पर व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता को तालिका 2.24 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.24: स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पूँजीगत व्यय के सम्बन्ध में राज्य की व्यय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

श्रेणी	कुल व्यय/जीएसडीपी	पूँजीगत व्यय/टीई	शिक्षा/टीई	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/टीई
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (2018-19)	16.38	15.58	14.76	5.07
उत्तर प्रदेश (2018-19)	23.42	16.86	13.01	4.89
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (2022-23)	15.79	15.22	14.85	5.68
उत्तर प्रदेश (2022-23)	21.40	19.25	14.35	6.45

स्रोत: आँकड़े सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखों से आगणित किये गये हैं

टीई-कुल व्यय एवं सीई-पूँजीगत व्यय


तालिका 2.24 यह दर्शाता है कि:

- 2018-19 और 2022-23 के दौरान राज्य सरकार के कुल व्यय का जीएसडीपी से अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत की तुलना में अधिक था, यद्यपि यह 2018-19 के सापेक्ष वर्ष 2022-23 में 23.42 प्रतिशत से घटकर 21.40 प्रतिशत हो गया।
- पूँजीगत व्यय परिसम्पत्ति निर्माण की सुविधा देता है, जो उच्च विकास के अवसर पैदा करता है। कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अनुपात वर्ष 2018-19 में 16.86 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 19.25 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2018-19 और 2022-23 में राज्य के कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक था।
- उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर व्यय का कुल व्यय से अनुपात वर्ष 2018-19 में 13.01 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 14.35 प्रतिशत हो गया, यद्यपि दोनों वर्षों के दौरान यह सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम था।
- उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर व्यय का कुल व्यय से अनुपात वर्ष 2018-19 में 4.89 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 6.45 प्रतिशत हो गया। इसके अतिरिक्त, यह 2022-23 के दौरान सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक था।

#### 2.4.4 मानक मदवार व्यय

मानक मद विनियोग की प्राथमिक इकाई है, जो व्यय की आर्थिक प्रकृति जैसे वेतन, पेंशन, सहायक अनुदान, ब्याज, सब्सिडी इत्यादि को दर्शाता है। वर्ष 2022-23 के दौरान मानक मदवार व्यय को चार्ट 2.13 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.13 : वर्ष 2022-23 के दौरान मानक मदवार व्यय (प्रतिशत में)



स्रोत: वित्त लेखा 2022-23

चार्ट 2.13 से स्पष्ट है कि राज्य की संचित निधि के अन्तर्गत मानक मद वेतन, वेतन के लिये सहायता अनुदान एवं पेंशन तथा सेवानिवृत्ति परिलाभों के अन्तर्गत व्यय, कुल व्यय

(₹ 5,05,905.54 करोड़) का 32.41 प्रतिशत था। इसके अलावा, सहायता अनुदान (गैर-वेतन), ब्याज/लाभांश एवं सब्सिडी समेकित निधि व्यय के क्रमशः 10.28 प्रतिशत, 8.64 प्रतिशत और 4.20 प्रतिशत था। निवेश एवं ऋण और वृहद निर्माण कार्यों, जो कि पूँजीगत प्रकृति के थे, पर व्यय संचित निधि के व्यय के क्रमशः 8.97 प्रतिशत और 11.35 प्रतिशत था।

## 2.5 लोक लेखा

प्राप्तियों एवं संवितरणों से सम्बन्धित कुछ संव्यवहारों यथा लघु बचत, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधि, जमा, उचन्त, प्रेषण इत्यादि जो समेकित निधि के भाग नहीं होते हैं, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अन्तर्गत गठित लोक लेखे में रखे जाते हैं एवं यह राज्य विधायिका के मतदान के अधीन नहीं होते हैं। सरकार इनके सम्बन्ध में एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के पश्चात् अवशेष विभिन्न प्रयोजनों एवं उपयोग के लिए सरकार के पास उपलब्ध निधि है।

### 2.5.1 निवल लोक लेखा संव्यवहार

लोक लेखा के अन्तर्गत प्राप्तियों एवं संवितरण की स्थिति वित्त लेखे के विवरण-21 में दर्शायी गई है तथा 2018-23 की अवधि के दौरान लोक लेखा (निवल) के संव्यवहारों का विवरण तालिका 2.25 में दिया गया है।

तालिका 2.25 : 2018-23 के दौरान घटक-वार लोक लेखा (निवल) संव्यवहार

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप-क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
अल्प बचत, भविष्य निधियाँ आदि	लघु बचत, भविष्य निधियाँ आदि	3646	3314	1062	525	413
आरक्षित निधि	(अ) ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ	0	1757	(-)252	2693	729
	(ब) ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ *	13545	(-)70056	753	1200	2963
जमा एवं अग्रिम	(अ) ब्याज सहित जमा	184	883	607	(-) 717	-1948
	(ब) ब्याज रहित जमा	2000	(-)2990	1308	(-) 741	5547
	(स) अग्रिम	12	17	(-) 0.15	0	0
उचन्त एवं विविध	(अ) उचन्त	(-)236	(-)1743	1859	1444	(-)394
	(ब) अन्य लेखे**	459	(-)85	(-)162	17	429
	(स) बाह्य देशों की सरकारों के साथ लेखे	0	0	0	0	0
	(द) विविध	0	0	0	0	(-)0.10
प्रेषण	(अ) मनी आर्डर तथा अन्य प्रेषण	328	308	(-)323	25	1046
	(ब) अन्तर शासकीय समायोजन लेखे	(-)16	5	(-)2	(-)4	10
योग		19922	(-)68590	4850*	4442*	8795*

टिप्पणी: धनात्मक इंगित करता है कि प्राप्तियाँ संवितरण से अधिक हैं और ऋणात्मक उसका विपरीत इंगित करता है।

\* रक्षित निधि में निवेश जो कि प्रारम्भिक एवं अन्तिम रोकड़ अवशेष का भाग है, को छोड़कर।

\*\* मुख्य शीर्ष 8671-विभागीय अवशेष, 8672-स्थायी रोकड़ अग्रदाय एवं 8673-रोकड़ अवशेष निवेश लेखा और रक्षित निधि में निवेश जो आरंभिक एवं अन्तिम अवशेष का भाग है, के अन्तर्गत लेन-देन को छोड़कर।

### 2.5.2 आरक्षित निधियाँ

राज्य सरकार के लोक लेखे के अन्तर्गत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए आरक्षित निधियाँ सृजित की जाती हैं। इन निधियों को राज्य की संचित निधि के साथ-साथ भारत सरकार से अंशदान या अनुदान से पूरा किया जाता है। आरक्षित निधियों एवं निर्धारित निधियों से निवेश के बारे में विस्तार से सूचना वित्त लेखे के विवरणी 21 और 22 में उपलब्ध है, जो **परिशिष्ट 2.3** में संक्षेपित किया गया है।

31 मार्च 2023 को, आरक्षित निधियों के साथ कुल संचयी अवशेष ₹ 12,611.99 करोड़ था। इनमें से ब्याज<sup>10</sup> सहित आरक्षित निधि के अन्तर्गत ₹ 4,927.44 करोड़ था एवं ब्याज रहित आरक्षित निधि के अन्तर्गत ₹ 7,684.56 करोड़ था। अग्रेतर, राज्य सरकार ने आरक्षित निधि अवशेष से ₹ 5,545.20 करोड़ भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया था। कुछ प्रमुख आरक्षित निधियों के विवरण की चर्चा नीचे की गयी है:

#### 2.5.2.1 समेकित निक्षेप निधि

राज्य सरकार ने मार्च 2020 में 'उत्तर प्रदेश सरकार की समेकित निक्षेप निधि' का गठन किया, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 से लागू हुआ था। सरकार की लम्बित देनदारियों के विमोचन के लिये परिशोधन निधि के रूप में निधि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2020-21 से किया जाना था। राज्य सरकार की अधिसूचना (17 मार्च 2020) के अनुसार, सरकार विगत वर्ष के अन्त में लम्बित देनदारियों, अर्थात् आन्तरिक ऋण एवं लोक लेखे की देनदारियों का कम से कम 0.5 प्रतिशत योगदान करेगी। निधि के कोष में आवधिक अंशदान के साथ-साथ निधि में उपार्जित आय को सरकार के सामान्य राजस्व से बाहर रखा जायेगा। सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अधीन निधि का प्रबन्धन आरबीआई द्वारा किया जायेगा। निधि में प्राप्ति का निवेश भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, कोषागार बिल, भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों और अन्य राज्यों के ऐसे परिपक्वता राज्य विकास ऋणों में किया जायेगा, जैसा कि बैंक समय-समय पर सरकार के परामर्श से निर्धारित करें।

समेकित निक्षेप निधि में 1 अप्रैल 2022 को प्रारम्भिक अवशेष ₹ 3,000 करोड़ था, जिसे लोक लेखे के अन्तर्गत शीर्ष 8222-01-101-निक्षेप निधि में रखा गया था। वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार ने राज्य के संचित निधि के अन्तर्गत विनियोग की कमी या ऋण के परिहार के लिए शीर्ष 2048-00-101 से ₹ 2,500 करोड़ निधि में स्थानान्तरित किया। अग्रेतर, वर्ष 2022-23 के दौरान निधि से कोई संवितरण नहीं किया गया था। इस प्रकार 31 मार्च 2023 को, समेकित निक्षेप निधि में (उपार्जित ब्याज को छोड़कर) शेष राशि ₹ 5,500.00 करोड़ थी।

समेकित निक्षेप निधि के दिशा-निर्देशों के दृष्टिगत, सरकार द्वारा समेकित निक्षेप निधि में कम से कम ₹ 2,928.48 करोड़ (वर्ष 2021-22 के अन्त में ₹ 5,85,695.00 करोड़ की आन्तरिक ऋण और लोक लेखे की देनदारियों का 0.50 प्रतिशत) का अंशदान करना अपेक्षित था। इस प्रकार, ₹ 428.48 करोड़ (₹ 2,928.48 करोड़-₹ 2,500.00 करोड़) का कम अंशदान किया गया था, जो वर्ष 2022-23 के दौरान निक्षेप निधि निवेश का भाग

<sup>10</sup> एक निधि जहाँ राज्य सरकार को निधि में जमा धनराशि पर सरकार द्वारा तय की गयी दर से ब्याज का भुगतान करना अपेक्षित है।

नहीं बन सका। वर्ष 2022–23 के दौरान समेकित निक्षेप निधि में कम अन्तरण के कारण ₹ 428.48 करोड़ राज्य के राजस्व अधिशेष को अधिक एवं राजकोषीय घाटे को कम करके दर्शाया गया।

### 2.5.2.2 मूल्यहास आरक्षित निधि

राज्य सरकार ने अनुपयोगी संयन्त्र एवं मशीनरी के नवीनीकरण तथा प्रतिस्थापन हेतु संयन्त्र एवं मशीनरी के क्रय, संयन्त्र एवं मशीनरी की विशेष मरम्मत तथा नवीनतम तकनीक से युक्त संयन्त्र एवं मशीनरी क्रय हेतु उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मूल्यहास आरक्षित निधि (डीआरएफ) का सृजन किया (मार्च 2005)। डीआरएफ का रख-रखाव लोक लेखे में लेखा शीर्ष 8226–102 के अन्तर्गत किया जाता है।

वर्ष 2022–23 के दौरान, निधि में (–)₹ 6.11 करोड़ का प्रारम्भिक अवशेष था और शीर्ष 3054–80–797 से ₹ 30.00 करोड़ की राशि स्थानांतरित की गई थी और इसमें से ₹ 9.70 करोड़ का संवितरण किया गया, जिसे शीर्ष 5054–80–800 में स्थानांतरित कर दिया गया था। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2023 को डीआरएफ का अन्तिम अवशेष ₹ 14.19 करोड़ था।

सरकार ने निर्धारित किया कि डीआरएफ के लिये 1.5 प्रतिशत धनराशि कार्य के सापेक्ष डेबिट की जायेगी और प्राप्ति शीर्ष 1054–800–04 में जमा की जायेगी। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग डीआरएफ नियमावली, 2005 के अन्तर्गत, यह धनराशि अभीष्ट उद्देश्यों के लिये लोक लेखे के अन्तर्गत डीआरएफ में अन्तरित की जायेगी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2022–23 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार ने डीआरएफ के सम्बन्ध में लेखाशीर्ष 1054–800–04 के अन्तर्गत ₹ 98.45 करोड़ प्राप्त किया, जिसके सापेक्ष डीआरएफ के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 8226–102 में ₹ 30.00 करोड़ हस्तांतरित किया गया था। इस प्रकार, सरकार ने कार्य की लागत में वृद्धि करके अपनी राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि की थी।

31 मार्च 2021 तथा 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिये राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 2.8.2.2 में इस प्रकरण को प्रकाश में लाया गया था।

### 2.5.2.3 राज्य आपदा अनुक्रिया निधि

राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (एसडीआरएफ), आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (ए) के अन्तर्गत गठित एक कोष है। अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों (जनवरी 2022) के अनुसार, एसडीआरएफ का उपयोग केवल अधिसूचित आपदाओं यथा चक्रवात, सूखा, भूकंप, अग्नि, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटने, कीटों के हमले एवं शीत लहर/ठंड के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु किया जायेगा। एसडीआरएफ के दिशानिर्देश आगे निम्नलिखित को निर्धारित करते हैं:

- सम्बन्धित राज्य सरकारों के लेखे में मुख्य शीर्ष-8121–सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि के नीचे 'ब्याज सहित आरक्षित निधि' के अन्तर्गत लोक लेखे में निधि का गठन किया जायेगा।
- अवधि 2021–22 से 2025–26 के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये एसडीआरएफ में वार्षिक योगदान की धनराशि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार निर्धारित होगी।

एसडीआरएफ के निर्धारित कुल आकार में से, भारत सरकार सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिये कुल वार्षिक आवंटन का 75 प्रतिशत का योगदान करेगी और शेष 25 प्रतिशत का योगदान सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

- राज्य सरकार एसडीआरएफ के अन्तर्गत अवशेष धनराशि पर आरबीआई के ओवरड्राफ्ट विनियमन दिशानिर्देशों के अन्तर्गत ओवरड्राफ्ट पर लागू ब्याज का भुगतान करेगी। ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर जमा किया जाना है। एसडीआरएफ के निवेश पर अर्जित आय के साथ एसडीआरएफ में प्राप्ति को केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, नीलाम किये गये कोषागार बिलों और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ अन्य ब्याज अर्जित जमा में निवेश किया जाना है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार ने लेखाशीर्ष 8121-122-एसडीआरएफ के अन्तर्गत एसडीआरएफ का रख-रखाव किया था। उत्तर प्रदेश में आपदा प्रबन्धन के लिये 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2022-23 के लिये ₹ 2,165.60 करोड़ आवंटित किया था, जिसमें भारत सरकार (₹ 1,624 करोड़) और राज्य सरकार (₹ 541.60 करोड़) का अंशदान सम्मिलित था। इसके सापेक्ष राज्य सरकार को भारत सरकार से ₹ 812.00 करोड़ प्राप्त हुए तथा राज्य सरकार ने एसडीआरएफ में ₹ 1,082.80 (₹ 270.80 करोड़ राज्य के अंश को सम्मिलित करते हुए) हस्तांतरित किये। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से एनडीआरएफ के लिये ₹ 0.18 करोड़ प्राप्त हुए, जिसे राज्य सरकार ने एसडीआरएफ को हस्तांतरित कर दिया।

2022-23 के दौरान, लेखाशीर्ष 8121-122-एसडीआरएफ के अन्तर्गत ₹ 3,015.59 करोड़<sup>11</sup> का प्रारम्भिक अवशेष था एवं वर्ष के दौरान इसे ₹ 1,091.97 करोड़ प्राप्त हुए। अग्रेतर, प्राकृतिक आपदाओं पर किये गये ₹ 949.20 करोड़ के व्यय को निधि के अवशेष के सापेक्ष समायोजित (मुख्य शीर्ष 2245-05-901) किया गया। इस प्रकार, 31 मार्च 2023 के अन्त में शीर्ष 8121-122-एसडीआरएफ में अवशेष धनराशि ₹ 3,158.36 करोड़ थी, जो कि ब्याज सहित एक आरक्षित निधि है। तथापि, राज्य सरकार ने एसडीआरएफ के अन्तर्गत उपलब्ध शेष धनराशि पर ₹ 266.56 करोड़ (वर्ष 2022-23 में लागू ओवरड्राफ्ट पर ब्याज की दर को छमाही आधार पर औसत दर की गणना की गयी) का ब्याज जमा नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, एसडीआरएफ को 2022-23 के दौरान शीर्ष 8235-111-एसडीआरएफ के अन्तर्गत ₹ 6.73 करोड़ की विविध प्राप्तियां भी जमा हुईं। अग्रेतर, राज्य सरकार ने एसडीआरएफ की अभिवृद्धि का निवेश दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं किया था।

वर्ष 2022-23 के दौरान एसडीआरएफ में ब्याज (₹ 266.56 करोड़) जमा नहीं करने के कारण राज्य के राजस्व अधिशेष को ₹ 266.56 करोड़ से अधिक तथा राजकोषीय घाटा को कम दर्शाया गया।

<sup>11</sup> इसमें राज्य आपदा अनुक्रिया निधि के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 8235-111-एसडीआरएफ से शीर्ष 8121-122-एसडीआरएफ में हस्तांतरित ₹ 10 करोड़ की राशि सम्मिलित है।



#### 2.5.2.4 राज्य आपदा शमन निधि

राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) का गठन आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (सी) के अन्तर्गत किया जाना है। यह निधि विशेष रूप से राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अन्तर्गत आने वाली आपदाओं के सम्बन्ध में शमन परियोजनाओं के सम्बन्ध में एसडीआरएफ/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) दिशानिर्देश और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य विशिष्ट स्थानीय आपदाओं के उद्देश्य से गठित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121-130- राज्य आपदा शमन निधि के अन्तर्गत एसडीएमएफ के संचालन को अधिसूचित किया था (जून 2022), जो ब्याज सहित आरक्षित निधि है।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से ₹ 589.60 करोड़ प्राप्त हुए। निधि का प्रारंभिक शेष शून्य था, राज्य सरकार ने केन्द्रांश (₹ 589.60 करोड़) और राज्यांश (₹ 196.70 करोड़) सहित निधि में ₹ 786.30 करोड़ हस्तांतरित किए। वर्ष के दौरान निधि से कोई व्यय नहीं किया गया।

#### 2.5.2.5 प्रत्याभूति विमोचन निधि

राज्य सरकार ने राज्य स्तर पर निर्गत बांडों और राज्य स्तरीय उद्यमों या अन्य निकायों द्वारा लिये गये ऋण के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्गत की गई प्रत्याभूति से उत्पन्न होने वाले भुगतान दायित्वों की प्रतिपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की प्रत्याभूति विमोचन निधि के गठन और प्रशासन की योजना को अधिसूचित (जनवरी 2021) किया। यह फंड वित्तीय वर्ष 2021-22 से लागू होना था और इसे आरबीआई द्वारा प्रशासित किया जाना था। दिशानिर्देशों<sup>12</sup> के अनुसार, राज्य सरकार प्रारम्भ में न्यूनतम एक प्रतिशत का योगदान देगी एवं तदोपरान्त अगले पाँच वर्षों में न्यूनतम तीन प्रतिशत के स्तर को प्राप्त करने के लिए विगत वर्ष के अन्त में बकाया गारंटी का न्यूनतम 0.5 प्रतिशत की दर से योगदान देगी।

विभिन्न संस्थाओं द्वारा लिये गये ऋणों पर राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूति की स्थिति वित्त लेखे के विवरण 9 एवं 20 में दी गई है, जो राज्य सरकार से प्राप्त सूचना पर आधारित है। वित्त लेखे 2021-22 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के अन्त में अवशेष क्रियान्वित प्रत्याभूति ₹ 1,74,218.42 करोड़ थी। तथापि वित्त लेखे 2022-23 के अनुसार, वर्ष 2022-23 के प्रारम्भ में 20 संस्थाओं, यथा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों और अन्य संस्थानों के लिये राज्य सरकार द्वारा निष्पादित बकाया प्रत्याभूति ₹ 1,71,705.13 करोड़ थी। इस प्रकार वर्ष 2021-22 के अन्त में अवशेष प्रत्याभूति तथा वर्ष 2022-23 के प्रारम्भ में शेष प्रत्याभूति में ₹ 2,513.30 करोड़ का अन्तर था। अन्तर का समाधान उत्तर प्रदेश सरकार तथा कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश के मध्य होना शेष था।

2022-23 के दौरान, प्रत्याभूति में ₹ 21,539.69 करोड़ की वृद्धि हुई और ₹ 22,464.30 करोड़ की प्रत्याभूति समाप्त हो गई। इस प्रकार, वर्ष 2022-23 के अन्त में कुल बकाया प्रत्याभूति ₹ 1,70,780.52 करोड़ थी। वर्ष 2022-23 के अन्त में बकाया प्रत्याभूति जीएसडीपी का 7.56 प्रतिशत थी। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार को

<sup>12</sup> जैसा दिसम्बर 2022 में संशोधित किया गया

उत्तर प्रदेश भण्डारण निगम से प्राप्य प्रत्याभूति कमीशन ₹ 4.41 करोड़ में से कोई प्रत्याभूति कमीशन प्राप्त नहीं हुआ।

अग्रेतर, राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 में निधि में आवश्यक योगदान ₹ 1,742.18 करोड़ के सापेक्ष कोई योगदान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप राजस्व व्यय ₹ 1,742.18 करोड़ से कम दर्शाया गया।

#### 2.5.2.6 राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि

राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि (एससीएएफ) की स्थापना प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत की गई थी। प्रतिपूरक वनीकरण निधि (लेखांकन प्रक्रिया) नियम, 2018 प्रावधानित करता है कि राज्य सरकारों द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसियों<sup>13</sup> से प्राप्त धनराशि को राज्य के लोक लेखे में मुख्य शीर्ष 8336-सिविल जमा के नीचे लघु शीर्ष-103 के अन्तर्गत ब्याज सहित खण्ड के अधीन 'राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निक्षेप' में जमा किया जाना है। इसमें से 90 प्रतिशत को राज्य के लोक लेखा में मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य और अन्य आरक्षित निधि के नीचे लघु शीर्ष 129-एससीएएफ में अन्तरित किया जायेगा और शेष 10 प्रतिशत प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 की धारा 3 (4) के अनुसार राष्ट्रीय निधि में जमा किया जायेगा।

01 अप्रैल 2022 को, एससीएएफ में ₹ 1,182.76 करोड़ का प्रारम्भिक अवशेष था। 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार को राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण जमा से एससीएएफ के लिये कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई। प्रयोक्ता एजेंसियों से कोई प्राप्ति नहीं हुई थी। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 से सम्बन्धित बकाया ब्याज ₹ 31.66 करोड़ का भुगतान किया। वर्ष 2022-23 के दौरान निधि से किया गया व्यय ₹ 231.74 करोड़ था और एससीएएफ में ₹ 982.68 करोड़ शेष था।

शीर्ष 8336-सिविल जमा के अन्तर्गत राज्य प्रतिकरात्मक वनीकरण जमा और शीर्ष 8121- सामान्य और अन्य आरक्षित निधि के अन्तर्गत एससीएएफ में उपलब्ध शेष राशि पर ब्याज का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा वार्षिक आधार पर घोषित लागू दर के अनुसार किया जाना है।

तथापि, राज्य सरकार ने 2022-23 के दौरान शेष राशि पर 3.35 प्रतिशत<sup>14</sup> की दर से देय ₹ 37.02 करोड़ का ब्याज हस्तांतरित नहीं किया। इस प्रकार, वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य का राजस्व अधिशेष अधिक और राजकोषीय घाटा ₹ 37.02 करोड़ से कम बताया गया।

<sup>13</sup> 'उपयोगकर्ता एजेंसी' से तात्पर्य किसी व्यक्ति, संस्थान या कम्पनी या भारत सरकार या राज्य सरकार के विभाग से है जो गैर-वन उद्देश्य हेतु विपथन करने या वनभूमि की अधिसूचना रद्द करने का अनुरोध करता है अथवा वनभूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में निहित प्रावधानों तथा उसके बाद बने नियमों तथा निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-वन उद्देश्यों हेतु उपयोग करने का अनुरोध करता है।

<sup>14</sup> जैसा कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित (अक्टूबर 2022) किया गया।

### 2.5.2.7 केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि

केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे परियोजनाओं, रेलवे, राज्य और ग्रामीण सड़कों और अन्य अवसंरचना के सुरक्षा में सुधार आदि के विकास और रखरखाव के लिये किया जाता है। वर्तमान लेखांकन प्रक्रिया के सन्दर्भ में सीआरआईएफ के सम्बन्ध में भारत सरकार से राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान को प्रारम्भ में मुख्य शीर्ष 1601 के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों के रूप में पुस्तांकित किया जाता है और उसके बाद प्राप्त धनराशि को मुख्य शीर्ष 8449-103-केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से अनुदान के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया जाना है।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार को सीआरआईएफ के अन्तर्गत ₹ 658.75 करोड़ की सहायता अनुदान की राशि प्राप्त हुई थी। तथापि राज्य सरकार ने 31 मार्च 2023 तक लोक लेखे के अन्तर्गत निधि में कोई धनराशि हस्तांतरित नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप राजस्व व्यय ₹ 658.75 करोड़ कम बताया गया।

### 2.5.3 राज्य की संचित निधि या लोक लेखे से बाहर रखी गयी निधियाँ

अनुच्छेद 267 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(1) प्रावधान करता है कि राज्य की सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, सरकार द्वारा राज हुंडियों को निर्गमित करके, उधार द्वारा या अर्थोपाय अग्रिमों द्वारा लिए गए सभी उधार एवं उधारों के प्रति संदाय में सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों से एक संचित निधि बनेगी जो "राज्य की संचित निधि" के नाम से ज्ञात होगी। अनुच्छेद 266(2) प्रावधान करता है कि राज्य की सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य लोक धनराशियाँ राज्य के लोक लेखे में जमा की जायेंगी। तथापि, निम्नलिखित प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त धन संचित निधि/लोक लेखे का भाग नहीं बना जैसा कि नीचे चर्चा की गयी है :

#### 2.5.3.1 भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर

भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 एवं बीओसीडब्ल्यू (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 ऐसे प्रतिष्ठान, जिसने किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य में विगत बारह महीने के किसी भी दिन दस या अधिक निर्माण श्रमिकों को नियोजित किया हो, को समाविष्ट करता है। अधिनियम में अन्य बातों के साथ, श्रमिकों के कार्य की दशाओं में सुधार एवं उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से कल्याण बोर्ड के गठन किये जाने तथा निर्माण की लागत पर उपकर के आरोपण एवं संग्रहण के माध्यम से कल्याण बोर्ड के संसाधनों में वृद्धि किये जाने का प्रावधान है। तदनुसार, राज्य सरकार ने उ०प्र० बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड का गठन (नवम्बर 2009) किया तथा उपकर अधिनियम के अनुसार एक प्रतिशत की दर से उपकर का आरोपण किया। समय-समय पर यथा संशोधित, उ०प्र० बीओसीडब्ल्यू नियम, 2009 में पंजीकरण शुल्क ₹ 20 एवं पंजीकृत श्रमिकों से वार्षिक सदस्यता शुल्क ₹ 20 का संग्रहण करने का प्रावधान है।

इस सम्बन्ध में, लेखापरीक्षा के निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

#### शासकीय लेखे से बाहर रखी गयी निधियाँ

वर्ष 2018-23 की अवधि में उपकर की प्राप्तियों एवं उपयोग का विवरण, जैसा कि बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराया गया, तालिका 2.26 में दिया गया है।

तालिका 2.26: 2018-23 की अवधि के दौरान पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति, उद्ग्रहीत उपकर एवं उपभोग की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्तियां				कुल उपलब्ध निधियाँ	व्यय	अटल आवासीय विद्यालय के लिये कॉर्पस फंड	अन्तिम अवशेष
		पंजीकरण शुल्क एवं वार्षिक सदस्यता शुल्क	श्रम उपकर		जमा धनराशि पर ब्याज				
			बोर्ड के खाते में प्राप्त	कोषागार (राज्य सरकार से प्राप्त)					
1	2	3	4	5	6	7 (स्तम्भ 2 से 6)	8	9	10 [स्तम्भ 7- (8+9)]
2018-19	3922.47	7.42	891.31	9.99	247.86	5079.05	193.85	0.00	4885.20
2019-20	4885.20	13.15	916.45	8.73	323.18	6146.71	362.67	0.00	5784.04
2020-21	5784.04	9.31	878.81	10.00	360.00	7042.16	882.54	0.00	6159.62
2021-22	6159.62	3.71	1007.55	9.78	310.80	7491.46	1697.50	1890.00	3903.96
2022-23	3903.96	9.63	1297.46	40.10	305.05	5556.20	626.61	450.00	4479.59

स्रोत: उ0प्र0 बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड (वर्ष 2022-23 के अनन्तिम आँकड़े)

राज्य सरकार ने उ0प्र0 बीओसीडब्ल्यू नियम, 2009 के अन्तर्गत सभी जिलाधिकारियों एवं अन्य विभागों/स्थानीय निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अधिकारियों को बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड अधिनियम, 1996 तथा बीओसीडब्ल्यू सेस नियमावली 1998<sup>15</sup> के अन्तर्गत उपकर निर्धारक अधिकारी एवं उपकर संग्राहक अधिकारी नियुक्त (नवम्बर 2009 एवं सितम्बर 2010) किया। आगे राज्य सरकार ने संग्रहीत उपकर को बोर्ड के राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाते में जमा करने का आदेश (अगस्त 2013 एवं सितम्बर 2016) निर्गत किया। उपर्युक्त तालिका 2.26 से स्पष्ट है कि 31 मार्च 2023 को बोर्ड के पास ₹ 4,479.59 करोड़ उपलब्ध थे।

बीओसीडब्ल्यू उपकर नियम, 1998 प्रावधानित करता है कि संग्रहीत उपकर राज्य के लेखाकनन प्रक्रिया के अन्तर्गत बोर्ड के लेखाशीर्ष में बोर्ड को अन्तरित किया जायेगा। उपकर को शासकीय लेखे में लिये बिना बोर्ड के बैंक खाते में सीधे हस्तान्तरित करने का आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(2) का उल्लंघन करता है। सरकार के लेखे के माध्यम से उपकर का लेखाकरण नहीं किये जाने के कारण राज्य सरकार के लेखे से यह भी निश्चित नहीं किया जा सकता है कि विभिन्न संग्राहक अधिकारियों द्वारा उपकर, फीस आदि के मद में कितनी धनराशि संग्रहीत की गयी और कितनी धनराशि बोर्ड को अन्तरित की गयी।

अग्रेतर देखा गया कि वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार के लेखे में ₹ 47.33 करोड़ लेबर सेस के मुख्य शीर्ष 0230 में जमा हुए थे जिसमें से ₹ 40.10 करोड़ बोर्ड को हस्तांतरित किये गये थे। इस प्रकार, 31 मार्च 2023 को लेबर सेस के ₹ 7.23 करोड़ मुख्य शीर्ष 0230 से हस्तांतरित होने शेष थे, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष ₹ 7.23 करोड़ से अधिक दर्शाया गया था।

<sup>15</sup> बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड अधिनियम, 1996 की धारा 14 की उपधारा (1) में दिये गये अधिकार का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने बीओसीडब्ल्यू उपकर नियम, 1998 बनाया जिसे भारत के राजपत्र में दिनांक 26 मार्च 1998 को अधिसूचित किया गया।

### श्रमिक उपकर का उपभोग

राज्य सरकार ने बीओसीडब्ल्यू कल्याण निधि से निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों यथा पेंशन, आवासीय, विद्यालय, आवास के क्रय/निर्माण हेतु अग्रिम, अन्त्येष्टि सहायता, चिकित्सकीय सहायता, मेधावी छात्रों को नकद पुरस्कार, लाभार्थियों के बच्चों की शिक्षा/विवाह हेतु वित्तीय सहायता, गम्भीर बीमारी इत्यादि योजनाओं को अधिसूचित किया। इन योजनाओं पर वर्ष 2022-23 में किये गये व्यय का विवरण तालिका 2.27 में दिया गया है:

तालिका 2.27: 2018-23 की अवधि के दौरान श्रमिकों का बीओसीडब्ल्यू में पंजीकरण एवं आच्छादन तथा उ0प्र0 बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड द्वारा योजनाओं पर व्यय

वर्ष	उपलब्ध निधि (₹ करोड़ में)	संचालित योजनायें		योजनाओं पर वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)	वर्ष में पंजीकृत श्रमिक	वर्ष के अन्त में पंजीकृत श्रमिक	आच्छादित श्रमिक	प्रतिशतता		
		संख्या	बीओसीडब्ल्यू द्वारा आवंटन (₹ करोड़ में)					आच्छादित श्रमिक	आवंटन के सापेक्ष निधि का उपभोग	उपलब्धता के सापेक्ष निधि का उपभोग
2018-19	3922.47	16	361.75	174.47	647579	4856323	269424	5.55	48.23	4.45
2019-20	4885.20	17	696.94	347.04	514406	5370729	1164381	21.68	49.79	7.10
2020-21	5784.04	16	1203.15	868.88	4374964*	9745693	3046569*	31.26	72.22	15.02
2021-22	6159.62	16	2461.03	1681.22	4822173*	14567866	4470669*	30.69	68.31	27.29
2022-23	3903.96	15	1506.31	604.61	1185758	15753624	149518	0.95	40.14	15.49

स्रोत: उ0प्र0 बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड

\*नोट: उ0प्र0 बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड ने सूचित किया (अक्टूबर 2023) वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में पंजीकृत श्रमिकों तथा आच्छादित श्रमिकों की संख्या ज्यादा थी क्योंकि पंजीकृत श्रमिकों को वर्ष 2020-21 में सहायता दो किशतों में तथा वर्ष 2021-22 में सहायता चार किशतों में आपदा राहत सहायता योजना के अन्तर्गत प्रदान की गयी थी।

तालिका 2.27 से स्पष्ट है कि बोर्ड द्वारा श्रमिकों के कल्याण पर उपलब्ध निधियों के सापेक्ष 4.45 प्रतिशत से 27.29 प्रतिशत व्यय किया गया और 0.95 प्रतिशत से 31.26 प्रतिशत पंजीकृत श्रमिकों को आच्छादित किया गया।

#### 2.5.3.2 राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 82 (1) में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य सरकार राज्य के लिए राज्य विद्युत विनियामक आयोग के नाम से एक आयोग का गठन करेगी। अधिनियम की धारा 103 में आगे प्रावधान है कि राज्य सरकार एक निधि का गठन करेगी जिसे राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि के रूप में जाना जायेगा एवं जिसमें राज्य सरकार द्वारा राज्य आयोग को दिये गये कोई भी अनुदान एवं ऋण, अधिनियम के अन्तर्गत राज्य आयोग को प्राप्त सभी फीस एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य स्रोतों से आयोग को प्राप्त अन्य सभी निधियाँ जमा होंगी।

उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग का गठन 10 सितम्बर 1998 को हुआ। लेखापरीक्षा ने पाया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि का गठन नहीं किया। परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा प्राप्त फीस आयोग द्वारा संचालित बैंक खाते में जमा की गयी। इस प्रकार, संविधान के

अनुच्छेद 266 (2) के विपरीत 31 मार्च 2023 तक ₹ 111.14 करोड़<sup>16</sup> की धनराशि राज्य के लोक लेखे से बाहर रखी गयी। यहाँ यह प्रासंगिक है कि समान मामले में, केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 99 के अन्तर्गत गठित (अक्टूबर 2007) केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग निधि को भारत के लोक लेखे के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा था।

प्रकरण को 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के आर्थिक क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 6.1 में भी प्रकाश में लाया गया था। प्रकरण को 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021 एवं 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 4.1.2 में दोहराया गया था।

यूपीईआरसी ने अवगत कराया (सितम्बर 2023) कि उसने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक निधि के गठन के लिए सरकार को अनुस्मारक (अक्टूबर 2022) जारी किया था। अग्रेतर वित्त विभाग ने वर्तमान प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में यूपीईआरसी को नियम बनाने के लिये अनुरोध किया (अगस्त 2023)।

## 2.6 लोक देयता प्रबन्धन

लोक देयता प्रबन्धन सरकार की देयता के प्रबन्धन के लिए एक रणनीति स्थापित करने और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है, जिससे आवश्यक मात्रा में निधियों की उगाही, इसके जोखिम और लागत उद्देश्यों की प्राप्ति और कोई अन्य संप्रभु ऋण प्रबन्धन लक्ष्य जिसे अधिनियम या किसी वार्षिक बजट घोषणाओं के माध्यम से सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो, को पूर्ण किया जा सके।

### 2.6.1 देयता रूपरेखा : घटक

राज्य सरकार की कुल देयता का गठन आमतौर पर राज्य के आन्तरिक ऋण (बाजार ऋण, आरबीआई से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ और वित्तीय संस्थानों से ऋण आदि), केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम तथा लोक लेखा देयताओं से होता है।

वित्त लेखे का विवरण 6, राज्य सरकार की बकाया देयता की स्थिति को प्रदर्शित करता है। राज्य सरकार ने बजट अभिलेखों में अतिरिक्त बजट देनदारियों को प्रकट नहीं किया था। तालिका 2.28 में 2018-19 से 2022-23 के दौरान घटकवार ऋण प्रवृत्तियों को प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.28 : अवधि 2018-23 में घटक वार देयताओं की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
बकाया कुल दायित्व	518096	502412	564972	612956	662316
लोक					
आन्तरिक ऋण	353190	405049	458552	496423	533477
ऋण					
भारत सरकार से ऋण	11980	11529	18107	27261	34364
लोक लेखा दायित्व	152926	85834	88313	89272	94475
अवशेष कुल दायित्व की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.74	(-3.03)	12.45	8.49	8.05

<sup>16</sup> वर्ष 2022-23 के लिये यूपीईआरसी से प्राप्त सूचना के अनुसार।

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)	1582180	1700062	1645317	1974532	2257575
दायित्व/जीएसडीपी (प्रतिशत)	32.75	29.55	34.34	31.04	29.34
लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के अन्तर्गत प्राप्तियां	113504	112696	123555	121852	116747
लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के अन्तर्गत पुनर्भुगतान (मूलधन तथा ब्याज)	95293	163192	98424	116743	110395
उपलब्ध निवल निधियाँ	18211	(-)50496	25131	5109	6352
उपलब्ध निवल निधियों की लोक ऋणों एवं अन्य दायित्व के अन्तर्गत प्राप्तियों से प्रतिशतता	16.04	(-)44.81	20.34	4.19	5.44

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि तालिका 2.28 में दर्शाया गया है, अवधि 2018–23 के दौरान राज्य सरकार के समग्र देयता के अन्तर्गत आन्तरिक ऋण वर्ष 2018–19 में ₹ 3,53,190 करोड़ से 51.05 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2022–23 में ₹ 5,33,477 करोड़ हो गया। वर्ष 2022–23 के दौरान इसमें विगत वर्ष की तुलना में 7.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कि ₹ 64,636.26 करोड़ के राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण हेतु आवश्यक थी। 31 मार्च 2023 को, आन्तरिक ऋण (₹ 5,33,477 करोड़) में बाजार ऋण (₹ 4,47,467.50 करोड़), वित्तीय संस्थानों से ऋण (₹ 50,638.47 करोड़), राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां (₹ 35,248.39 करोड़) और अन्य ऋण (₹ 122.18 करोड़) सम्मिलित है। इस प्रकार बाजार ऋण राज्य सरकार की कुल वित्तीय देनदारियों (₹ 6,62,316 करोड़) का 67.56 प्रतिशत था।


विगत वर्ष 2021–22 की तुलना में 2022–23 के दौरान राज्य के सकल दायित्व में 8.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों के अन्तर्गत उपलब्ध निवल निधि का उनकी प्राप्तियों से प्रतिशत में, वर्ष 2018–19 (16.04 प्रतिशत) से वर्ष 2022–23 (5.44 प्रतिशत) की अवधि में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति थी।

कुल बकाया लोक देयता की व्यापक परिभाषा में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य निकायों द्वारा गैर-बजट ऋण भी सम्मिलित है, जहाँ मूलधन और/या ब्याज को राज्य के बजट से पूरित किया जाना है। जैसा कि प्रस्तर 4.1 में चर्चा की गयी है, राज्य सरकार ने भी गैर बजट ऋण का सहारा लिया था और इस लेखे में 31 मार्च 2023 को अवशेष देयता ₹ 24,314.36 करोड़ थी।

चार्ट 2.14 वर्ष 2022–23 के अन्त में वित्त लेखे के अनुसार राज्य सरकार के बकाया सकल दायित्व की स्थिति को दर्शाता है।




चार्ट 2.14 : वर्ष 2022-23 के अन्त में बकाया सकल दायित्व का ब्यौरा



स्रोत: वित्त लेखे 2022-23

2018-23 की अवधि के दौरान लिये गये लोक ऋण एवं उसके पुनर्भुगतान की प्रवृत्ति को चार्ट 2.15 में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 2.15: 2018-23 की अवधि के दौरान लिये गये लोक ऋण के सापेक्ष पुनर्भुगतान



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.15 से स्पष्ट है कि अवधि 2018-19 से 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार ने अपनी लोक ऋण प्राप्त धनराशि का 69 प्रतिशत से 95 प्रतिशत का उपयोग पिछले लोक ऋणों और ब्याज की देनदारियों के पुनर्भुगतान में किया, परिणामस्वरूप, लोक ऋण का मात्र 5 प्रतिशत से 31 प्रतिशत ही पूँजीगत व्यय के लिए उपलब्ध था। यह उपलब्धता वर्ष 2018-19 में न्यूनतम और वर्ष 2020-21 में अधिकतम थी। वर्ष 2022-23 में राज्य



सरकार ने अपनी ऋण प्राप्त धनराशि का 92 प्रतिशत पिछले ऋणों के पुनर्भुगतान और ब्याज भुगतान में उपयोग किया, परिणामस्वरूप मात्र 8 प्रतिशत धनराशि ही पूँजीगत व्यय के लिए उपलब्ध थी।

### राजकोषीय घाटे के घटक और इसका वित्तपोषण

तीन प्रमुख राजकोषीय मापदण्ड—राजस्व घाटा/अधिशेष, राजकोषीय घाटा/अधिशेष और प्राथमिक घाटा/अधिशेष—एक निर्दिष्ट अवधि में राज्य सरकार के वित्त में समग्र राजकोषीय असंतुलन की सीमा को दर्शाते हैं। सरकारी लेखे में घाटा प्राप्तियों और व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है।

राजस्व अधिशेष राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के अन्तर को दर्शाता है। राजस्व अधिशेष ऋणों को कम करने में सहायक है। राजकोषीय घाटा राजस्व तथा गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों पर राजस्व और ऋण तथा अग्रिमों सहित पूँजीगत व्यय का आधिक्य है। राजकोषीय घाटा सरकार के निवल वृद्धिमान दायित्वों अथवा इसके अतिरिक्त उधार को दर्शाता है। राजकोषीय घाटे का ब्योरा सरकार द्वारा अपनी निधियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राजस्व तथा गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों से इतर विभिन्न उधारों के वित्तपोषण की सीमा को उद्घाटित करता है। अग्रेतर, जिस तरह से घाटे को वित्तपोषित किया गया और संसाधनों को लागू किया गया, राजकोषीय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण संकेतक हैं। यह खण्ड इन घाटों के वित्तपोषण की प्रवृत्तियों, प्रकृति, परिमाण और तरीके को प्रस्तुत करता है। प्रमुख राजकोषीय मापदण्डों की समग्र स्थिति तालिका 2.29 में दी गई है।

तालिका 2.29: राजकोषीय घाटे के घटक एवं इनके वित्तपोषण का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजकोषीय घाटे (-)/ अधिशेष (+) का संघटन—(अ)	(-)35203	(+)11083	(-)54622	(-)39286	(-)64636
1 राजस्व घाटा (-) / अधिशेष (+)	(+)28250	(+)67560	(-)2367	(+)33430	(+)37263
2 निवल पूँजीगत व्यय <sup>17</sup>	(-)62463	(-)59998	(-)52237	(-)71443	(-)93028
3 निवल ऋण एवं अग्रिम <sup>18</sup>	(-)990	(+)3521	(-)18	(-)1273	(-)8871
राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का स्वरूप (निवल)					
1 बाजार ऋण	33306.67	55825.80	63499.68	46670.00	46111.96
2 भारत सरकार से ऋण	(-) 832.22	(-) 450.84	6577.99	9154.59	7102.82
3 एनएसएसएफ को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	(-) 4871.64	(-) 5122.07	(-) 5122.07	(-)5122.07	-5122.07

<sup>17</sup> निवल पूँजीगत व्यय = विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ (-) पूँजीगत व्यय; ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय पूँजीगत प्राप्तियों से अधिक है।

<sup>18</sup> निवल ऋण और अग्रिम = ऋण और अग्रिम माइनस ऋण और अग्रिम का संवितरण; माइनस आँकड़ा यह दर्शाता है कि ऋणों और अग्रिमों का संवितरण वर्ष के दौरान वसूली से अधिक था। वर्ष 2021-22 में, इसमें संचित निधि से आकस्मिकता निधि में ₹ 600 करोड़ का हस्तांतरण भी सम्मिलित है, जिसे राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत बजटित किया गया था।

विवरण		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	3275.84	1155.20	(-) 4874.22	(-)3677.27	-3936.23
5	लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	3645.59	3313.67	1062.40	525.12	412.91
6	जमा एवं अग्रिम	2196.34	(-) 2089.80	1914.78	(-)1458.73	3598.74
7	उचन्त एव विविध	222.67	(-) 1828.11	1697.48	1461.10	34.82
8	प्रेषण	312.67	313.50	(-)325.46	21.06	1056.61
9	आरक्षित निधि	13544.71	(-) 68298.52	500.94	3893.01	3691.79
10	आकस्मिकता निधि	(-) 166.65	629.73	(-) 100.00	700.00	(-)0.06
11	<b>सकल घाटा (ब)</b>	<b>50633.98</b>	<b>(-) 16551.44</b>	<b>64831.52</b>	<b>52166.81</b>	<b>52951.29</b>
12	नगद अवषेष में वृद्धि (-)/कमी (+)(अ-ब)	(-) 15431.00	5468.75	(-) 10209.41	(-) 12880.39	11684.97
13	<b>सकल राजकोषीय घाटा (11+12)</b>	<b>35202.98</b>	<b>(-) 11082.69</b>	<b>54622.11</b>	<b>39286.42</b>	<b>64636.26</b>

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

अवधि 2018-23 के दौरान, राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति थी। वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य का राजस्व अधिशेष (₹ 67,560 करोड़) एवं राजकोषीय अधिशेष (₹ 11,083 करोड़) मुख्य रूप से निक्षेप निधि के ₹ 71,180 करोड़ के पुस्तकीय अवशेष के राजस्व प्राप्ति लेखे में, बिना किसी वास्तविक रोकड़ प्राप्ति के, अन्तरण के कारण था। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य ने ₹ 64,636.26 करोड़ का राजकोषीय घाटा दर्ज किया, जो मुख्य रूप से बाजार ऋण एवं भारत सरकार से ऋण के माध्यम से वित्तपोषित था।

### 2.6.2 ऋण की रूपरेखा: परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान

ऋण परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान रूपरेखा ऋण के पुनर्भुगतान या ऋण के सर्विस के लिए सरकार की ओर से प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 31 मार्च 2023 को ₹ 6,62,316 करोड़ के बकाया सकल शेष वित्तीय दायित्वों में से, ₹ 94,475 करोड़ लोक लेखे के दायित्वों से सम्बन्धित हैं। लोक ऋण (₹ 5,67,841 करोड़) की परिपक्वता रूपरेखा तालिका 2.30 एवं चार्ट 2.16 में दर्शायी गयी है।


तालिका 2.30 : लोक ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता रूपरेखा

पुनर्भुगतान की अवधि (वर्ष)	लोक ऋण (₹ करोड़ में)	प्रतिशत
0-1	21288.28	3.75
1-3	71046.49	12.51
3-5	102342.80	18.02
5-7	131920.58	23.24
7 एवं अधिक	214833.74	37.83
अन्य*	26408.80	4.65
योग	<b>567840.69</b>	100

स्रोत : वित्त लेखा 2022-23 के आधार पर आगणित

\* समाधान के अधीन- इसमें भारत सरकार द्वारा बट्टे खाते में डाले जाने वाले ₹ 13.12 करोड़, ₹ 24,546.44 करोड़ जिसके लिये भारत सरकार से ऋण पुनर्भुगतान की शर्तें प्रतीक्षित थीं और भारत सरकार द्वारा पुनर्भुगतान किये गये बैंक-टू-बैंक ऋण (-) ₹ 235.72 करोड़ जिसके लिये ऋण-वार विवरण की प्रतीक्षा की जा रही थी।

चार्ट 2.16: ऋण परिपक्वता की रूपरेखा



स्रोत: वित्त लेखा 2022-23

लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा इंगित करती है कि वर्ष 2023-24, 2024-26, 2026-28 और 2028-30 की अवधि के दौरान ऋण चुकाने के लिए राज्य की देयता क्रमशः ₹ 21,288.28 करोड़ (3.75 प्रतिशत), ₹ 71,046.49 करोड़ (12.51 प्रतिशत), ₹ 1,02,342.80 करोड़ (18.02 प्रतिशत) और ₹ 1,31,920.58 (23.24 प्रतिशत) होगी।

आगामी नौ से अधिक वर्षों की अवधि के लिये 31 मार्च 2023 को अवशेष लोक ऋण के पुनर्भुगतान का वर्षवार सारणी तालिका 2.31 में प्रदर्शित है।

तालिका 2.31: लोक ऋण का पुनर्भुगतान सारणी

(₹ करोड़ में)

पुनर्भुगतान की अवधि	लोक ऋण का पुनर्भुगतान		योग	प्रतिशत
	आन्तरिक ऋण	भारत सरकार से ऋण और अग्रिम		
2023-24	19485.70	1802.58	21288.28	3.75
2024-25	29007.44	704.77	29712.21	5.23
2025-26	40731.06	603.22	41334.28	7.28
2026-27	50426.52	748.60	51175.12	9.01
2027-28	50522.28	645.40	51167.68	9.01
2028-29	54321.85	626.20	54948.05	9.68
2029-30	76368.87	603.66	76972.53	13.56
2030-31	81335.73	541.77	81877.50	14.42
2031-32	62419.37	445.00	62864.37	11.07
2031-32 से आगे	66784.12	3307.75	70091.87	12.34
राज्य सरकार से समाधान के अन्तर्गत*	2073.60	24335.20	26408.80	5.08
<b>योग</b>	<b>533476.54</b>	<b>34364.15</b>	<b>567840.69</b>	<b>100.00</b>

स्रोत: वित्त लेखा 2022-23

नोट : तालिका 2.31 में अवशेष ऋण स्टॉक पर देय ब्याज को सम्मिलित नहीं किया गया है।

\* समाधान के अधीन- इसमें भारत सरकार द्वारा बट्टे खाते में डाले जाने वाले ₹ 13.12 करोड़, ₹ 24,546.44 करोड़ जिसके लिये भारत सरकार से ऋण पुनर्भुगतान की शर्तें प्रतीक्षित थीं और भारत सरकार द्वारा पुनर्भुगतान किये गये बैंक-टू-बैंक ऋण (-) ₹ 235.72 करोड़ सम्मिलित हैं, जिसके लिये ऋण-वार विवरण की प्रतीक्षा की जा रही थी।

## 2.7 ऋण संवहनीयता विश्लेषण

ऋण संवहनीयता विश्लेषण राजकोषीय और ऋण मापदंडों, डोमर दृष्टिकोण और एफआरबीएम लक्ष्यों के लिये व्यापक-राजकोषीय मापदंडों के अनुपालन के आधार पर किया गया है। विश्लेषण का परिणाम निम्नलिखित प्रस्तारों में दिया गया है:

(अ) भविष्य में अपने ऋण दायित्वों की सर्विस करने की राज्य की क्षमता को ऋण संवहनीयता के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसलिए ऋण की संवहनीयता वर्तमान या प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल संपत्ति की पर्याप्तता और ऐसे उधारों से प्रतिफल के साथ अतिरिक्त उधार की लागत के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता को भी संदर्भित करती है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि की ऋण चुकाने की क्षमता में वृद्धि के साथ तारतम्यता होनी चाहिए। ऋण संवहनीयता, ऋण विमोचन (मूलधन एवं ब्याज भुगतान) के सकल ऋण प्राप्तियों से अनुपात और उपलब्ध ऋण धनराशि के अनुप्रयोग पर भी निर्भर करती है। ऋण विमोचन का ऋण प्राप्तियों से अनुपात पूँजीगत व्यय हेतु लिये गये ऋण की निवल उपलब्धता को इंगित करते हुए यह दर्शाता है कि ऋण प्राप्तियों का उपयोग ऋण विमोचन में किस सीमा तक किया गया।

राज्य के लोक ऋण की ऋण संवहनीयता के संकेतक तालिका 2.32 एव चार्ट 2.17 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.32 : ऋण संवहनीयता के संकेतकों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

ऋण संवहनीयता संकेतक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
बकाया लोक ऋण <sup>19</sup> (₹ करोड़ में)	365170	416578	470652*	509537*	553694*
बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.24	14.08	12.98	8.26	8.67
जीएसडीपी (₹ करोड़ में)	1582180	1700062	1645317	1974532	2257575
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.88	7.45	(-3.22)	20.01	14.33
लोक ऋण / जीएसडीपी (प्रतिशत में)	23.08	24.50	28.61	25.81	24.53
बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर <sup>20</sup> (प्रतिशत में)	8.06	7.83	7.53	7.84	7.24
लोक ऋण पर ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	8.54	8.36	11.28	10.35	9.22
लोक ऋण भुगतान का लोक ऋण प्राप्तियों से प्रतिशत	40.15	30.35	30.83	37.92	33.94
राज्य के लिए उपलब्ध निवल लोक ऋण <sup>21</sup>	2694	20784	26661	8609	5672
ऋण प्राप्तियों के सापेक्ष निवल लोक ऋण की उपलब्धता प्रतिशतता में	5.22	28.25	30.69	11.37	8.49
राजस्व घाटा (-)/अधिपेश (+) ब्याज भुगतान के अलावा	60292	102373	35061	76306	80271

<sup>19</sup> बकाया लोक ऋण मुख्य शीर्षों 6003-आन्तरिक ऋण तथा 6004-केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम में वर्ष के 31 मार्च को अवशेष का योग है।

<sup>20</sup> लोक ऋण पर ब्याज भुगतान (लोक ऋण का प्रारम्भिक शेष + लोक ऋण का अन्तिम शेष / 2) (प्रतिशत में)।


<sup>21</sup> राज्य सरकार के लिए निवल लोक ऋण उपलब्धता की गणना लोक ऋण की अदायगी तथा लोक ऋण पर ब्याज भुगतान के सापेक्ष लोक ऋण प्राप्तियों के आधिक्य के रूप में की जाती है।

ऋण संवहनीयता संकेतक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
प्राथमिक घाटा (-)/अधिपेश (+)	(-)3161	45896	(-)17194	3589	(-)21628
ऋण संवहनीयता (₹ करोड़ में)* (फैलाव मात्रा स्प्रेड <sup>22</sup> + प्राथमिक घाटा)	3485	44313	(-) 67789	65600	17629

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

\* राज्य के पुनर्भुगतान दायित्व से रहित जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति की कमी के सापेक्ष 2020-21 (₹ 6,007 करोड़) तथा 2021-22 (₹ 8,140 करोड़) के बैंक-टू-बैंक ऋण को घटाकर बकाया लोकऋण की गणना की गयी है।

चार्ट 2.17 : ऋण संवहनीयता संकेतांक



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.32 तथा चार्ट 2.17 का विश्लेषण निम्नानुसार इंगित करता है:

- राज्य का कुल बकाया लोक ऋण वर्ष 2018-19 में ₹ 3,65,170 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 5,53,694 करोड़ हो गया। वर्ष 2022-23 के दौरान इसमें विगत वर्ष की तुलना में 8.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, बकाया लोक ऋण में, राज्य के लिये कोई पुनर्भुगतान देयता के बिना जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी के सापेक्ष भारत सरकार से बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में 2020-21 (₹ 6,007 करोड़) और 2021-22 (₹ 8,139.94 करोड़) में प्राप्त हुए ऋण को सम्मिलित करते हुए विगत वर्ष से 8.43 प्रतिशत की वृद्धि दर से 31 मार्च 2023 तक राज्य का लोक ऋण ₹ 5,67,840.69 करोड़ था।
- ऋण संवहनीयता की स्थिति दर्शाती है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ फैलाव मात्रा शून्य है तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात स्थिर होगा या ऋण अन्ततः स्थिर हो जायेगा। यदि यह सकारात्मक है तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात अन्ततः नीचे जायेगा और इसके

<sup>22</sup> फैलाव मात्रा = अवशेष लोक ऋण\*(जीएसडीपी वृद्धि दर-औसत ब्याज दर)/100।

विपरीत यदि फैलाव मात्रा के साथ-साथ प्राथमिक घाटा नकारात्मक हो जाता है तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि होगी। जैसा कि तालिका 2.32 में आगणित किया गया है, ऋण स्थिरीकरण संकेतक 2020-21 में गिरावट के बाद 2021-22 में सकारात्मक हो गया और 2022-23 में मंदी के बावजूद सुधार के पक्ष पर बना रहा।

• ब्याज भुगतान के उच्च प्रतिशत के कारण प्राथमिकता के क्षेत्रों के लिए कम निधि रह जाती है। राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष ब्याज भुगतान का प्रतिशत सरकार के लिए एक निर्धारित अवधि में उसके ऋणों पर ब्याज भुगतान के सापेक्ष सुरक्षा की सीमा का आंकलन करता है। राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष लोक ऋण पर ब्याज भुगतान का प्रतिशत 2020-21 के दौरान 11.28 प्रतिशत से घटकर 2022-23 के दौरान 9.22 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2018-23 के दौरान लोक ऋण के ब्याज और पुनर्भुगतान के प्रावधान के पश्चात् वर्तमान परिचालनों के लिये उधार से उपलब्ध निवल निधि में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति थी और यह वर्ष 2018-19 के दौरान कुल लोक ऋण का न्यूनतम 5.22 प्रतिशत एवं 2021-22 के दौरान अधिकतम 30.69 प्रतिशत था। वर्ष 2022-23 के दौरान उपलब्ध निवल निधि उधार का 8.49 प्रतिशत था।

(ब) वित्त आयोग प्रतिवेदन में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.33: वित्त आयोग प्रतिवेदन में वित्तीय समुच्चय हेतु लक्ष्य के साथ-साथ उपलब्धि हेतु निर्धारित लक्ष्य

मापदण्ड		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
जीएसडीपी के सापेक्ष लम्बित दायित्वों का प्रतिशत	लक्ष्य	32.03	32.67	40.90	40.00	40.50
	प्राप्ति	32.75	29.55	33.97*	30.33*	28.71*

\*जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के सापेक्ष वर्ष 2020-21 (₹ 6,007 करोड़) और 2021-22 (₹ 8,139.94 करोड़) के दौरान प्रदान किये गये बैंक टू-बैंक ऋण जिस पर राज्य का कोई पुनर्भुगतान दायित्व नहीं है; को सम्मिलित किये बिना गणना की गई।

जैसा कि तालिका 2.33 में दर्शाया गया है 2018-23 की अवधि के दौरान, वर्ष 2018-19 को छोड़कर, कुल अवशेष ऋण का जीएसडीपी से अनुपात वित्त आयोग के प्रतिवेदन में निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत था।

(स) ई.डी. डोमर (डोमर, 1944) द्वारा किये गये अध्ययन के आधार पर ऋण संवहनीयता पर एक विश्लेषण किया गया। डोमर मॉडल बताता है कि लोक ऋणग्रस्तता की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक आधार यह है कि सरकारी ऋण की ब्याज दरें सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से अधिक नहीं होनी चाहिये। ब्याज दर, जीएसडीपी की वृद्धि दर और प्राथमिक बजट शेष के आधार पर लोक ऋण की गतिशीलता इस प्रकार है:

जी-आर (जी: वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर; आर: वास्तविक ब्याज दर)	प्रारम्भिक बजट अवशेष < 0 (प्राथमिक घाटा)	प्रारम्भिक बजट अवशेष > = 0 (प्राथमिक अधिशेष)
यदि जी-आर > 0 (धोस आर्थिक वृद्धि)	वास्तविक आर्थिक वृद्धि वास्तविक ब्याज दर से अधिक है शर्त ये है कि दर्ज प्राथमिक घाटा स्थिर हो और ऋण/जीएसडीपी के अनुरूप हो, तो ऋण संवहनीय है।	वास्तविक आर्थिक वृद्धि वास्तविक ब्याज दर से अधिक है और प्राथमिक अधिशेष दर्ज हो तो ऋण/जीएसडीपी अनुपात कम हो जायेगा और ऋण स्थिर स्तर की ओर बढ़ जाता है, इसलिये संवहनीय होता है।
यदि जी-आर < 0 (धीमी आर्थिक वृद्धि)	वास्तविक आर्थिक वृद्धि वास्तविक ब्याज दर से कम है और प्राथमिक घाटा दर्ज करता है। तब ऋण बिना किसी सीमा के बढ़ता जाता है और असंवहनीय हो जाता है।	वास्तविक आर्थिक वृद्धि वास्तविक ब्याज दर से कम और प्राथमिक अधिशेष दर्ज करता है। तब ऋण संवहनीय नहीं रह जाता है शर्त ये है कि यह मध्यम या दीर्घावधि में कम न हो।

मुद्रास्फीति उत्तर प्रदेश के प्रकरण में उपरोक्त मापदण्डों को लागू करने के परिणाम तालिका 2.34 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 2.34: डोमर माडल पर आधारित ऋण संवहनीयता विश्लेषण

वर्ष	वास्तविक वृद्धि* (जी)	वास्तविक ब्याज** (आर)	जी-आर (डोमर गैप)	प्राथमिक घाटा(-) /अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)
2018-19	3.88	4.29	(-)0.41	(-) 3161
2019-20	4.03	1.97	2.06	(+) 45896
2020-21	(-)4.24	2.27	(-)6.51	(-) 17194
2021-22	10.20	2.05	8.15	(+) 3589
2022-23	8.30	0.17	8.13	(-) 21628

\* स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी के लिये आगणित वास्तविक वृद्धि दर

\*\* वास्तविक ब्याज दर मुद्रास्फीति के लिये समायोजित नाम मात्र ब्याज दर है।

2019–20 एवं 2021–22 के दौरान राज्य सरकार ने प्राथमिक अधिशेष प्राप्त किया था। तथापि, 2019–20 में प्रारम्भिक अधिशेष लोक लेखे के अन्तर्गत निक्षेप निधि के ₹ 71,180 करोड़ बिना वास्तविक रोकड़ प्राप्ति के गैर कर राजस्व में मुख्यतः पुस्तकीय अवशेष के हस्तांतरण के कारण था। अग्रेतर, कोविड-19 के बाद के वर्षों (यथा-2021–22 एवं 2022–23) की वास्तविक वृद्धि दर (जी) और डोमर गैप (जी-आर) को 2020–21 के दौरान नकारात्मक जीएसडीपी के साथ पठित किया जाना चाहिए। फलतः अग्रेतर वर्षों में जीएसडीपी की गणना के लिये निम्न आधार रहा।

जैसा कि तालिका 2.34 से स्पष्ट है कि डोमर माडल विश्लेषण के अनुसार 2019–20 और 2021–22 और 2022–23 में ब्याज की वृद्धि दर जीएसडीपी (जी-आर>0) की वृद्धि दर से कम थी। तथापि जब डोमर गैप के परीक्षण से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2018–19 और 2020–21 में वास्तविक ब्याज दर वास्तविक वृद्धि दर से आगे निकल गयी थी। सकारात्मक

डोमर गैप के साथ-साथ प्राथमिक अधिशेष ने वर्ष 2021-22 में ऋण जीएसडीपी अनुपात को कम किया। अग्रेतर, 2022-23 में प्राथमिक घाटा होने के बावजूद 2022-23 में सकारात्मक डोमर गैप प्राथमिक घाटे को समाहित करने में सक्षम था तथा आगे ऋण जीएसडीपी अनुपात को घाटे की प्रवृत्ति की ओर रखने में सहयोगी था, जैसा कि तालिका 2.32 में दर्शाया गया है।

उपरोक्त चर्चा से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ऋण जीएसडीपी अनुपात में विगत पाँच वर्षों में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति थी तथा इस प्रकार यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि ऋण संवहनीयता के मार्ग पर था।

### 2.7.1 उधार ली गयी निधि का उपयोग

उधार लिये गये निधि का उपयोग आदर्श रूप से पूँजी निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। 2018-23 की अवधि के दौरान ऋण ली गई धनराशि के उपभोग की स्थिति को तालिका 2.35 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.35 : ऋण ली गई निधि का उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	लोक ऋण प्राप्तियां	51595	73809	86859	75751	66847
2	पूर्व के लोक ऋणों का पुनर्भुगतान (मूलधन) (लोक ऋण प्राप्तियों का प्रतिशत)	20717 (40.15)	22401 (30.35)	26777 (30.83)	28726 (37.92)	22690 (33.94)
3	पूँजीगत व्यय (लोक ऋण प्राप्तियों का प्रतिशत)	62463 (121.06)	59998 (81.29)	52237 (60.14)	71443 (94.31)	93028 (139.17)
4	निवल संवितरित ऋण एवं अग्रिम (लोक ऋण प्राप्तियों का प्रतिशत)	990 (1.92)	(-3521) (-4.77)	18 (0.02)	674 (0.89)	8871 (13.27)
5	निवल उपलब्ध ऋण से किये गये राजस्व व्यय का भाग क्र.सं. 5 = क्र.सं. (1-2-3-4) (लोक ऋण प्राप्तियों का प्रतिशत)	(-) 32575 (-63.14)	(-5069) (-6.87)	7827 (9.01)	(-) 25092 (-33.12)	(-) 57742 (-86.38)

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.35 यह दर्शाती है कि 2018-19, 2019-20, 2021-22 और 2022-23 की अवधि में पूँजीगत लेखों पर व्यय की पूर्ति राज्य के राजस्व अधिशेष से की गयी।

### 2.7.2 प्रत्याभूतियों की स्थिति-आकस्मिक देयताएं

राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों या अन्य निकायों द्वारा निर्गत बाण्ड तथा लिये गये अन्य ऋण के लिये प्रत्याभूति निर्गत करती है। प्रत्याभूतियाँ, ऋणकर्ता जिनके लिए प्रत्याभूति दी गई थी, द्वारा चूक की स्थिति में, राज्य की संचित निधि पर भारित आकस्मिक देयताएं हैं।



वित्त लेखे का विवरण संख्या 9 तथा 20, राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण दर्शाता है। इस संकलन में विवरण सीधे राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा विगत पाँच वर्षों में दी गयी प्रत्याभूति और लम्बित प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि तालिका 2.36 में दी गई है।

तालिका 2.36 : राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूति की स्थिति

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूति	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
वर्ष के दौरान प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि	90662.48	132499.27	175469.24	206431.78	193244.82
प्रत्याभूति की लम्बित धनराशि	110032.12	118696.49	150554.00	174218.42	170780.52

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

लम्बित प्रत्याभूति वर्ष 2021–22 के ₹ 1,74,218.42 करोड़ से 1.97 प्रतिशत घटकर वर्ष 2022–23 में ₹ 1,70,780.52 करोड़ हो गयी। वर्ष 2022–23 के दौरान, लम्बित प्रत्याभूति राजस्व प्राप्ति (₹ 4,17,242 करोड़) का 40.93 प्रतिशत था और वर्ष के दौरान राज्य सरकार की जीएसडीपी (₹ 22,57,575 करोड़) का 7.56 प्रतिशत था। 31 मार्च 2023 को लम्बित प्रत्याभूति मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र की तीन कम्पनियों (₹ 1,30,648 करोड़), अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग के अन्तर्गत एक इकाई (₹ 28,450 करोड़), सहकारिता विभाग के अन्तर्गत चार इकाईयों (₹ 6,175 करोड़) तथा चीनी उद्योग विभाग के अन्तर्गत दो इकाईयों (₹ 3,699 करोड़) से सम्बन्धित थी। वर्ष 2022–23 के दौरान, प्रत्याभूति शुल्क/कमीशन के रूप में ₹ 4.41 करोड़ की धनराशि प्राप्त होनी थी, परन्तु कोई प्रत्याभूति शुल्क प्राप्त नहीं हुआ था। अग्रेतर, वर्ष 2022–23 के दौरान कोई प्रत्याभूति लागू नहीं हुई थी।

अग्रेतर, वर्ष 2022–23 के प्रारम्भ में लम्बित प्रत्याभूति तथा वर्ष 2021–22 के अन्त में लम्बित प्रत्याभूति में ₹ 2,513.30 करोड़ का अन्तर था जो महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश तथा राज्य सरकार के मध्य समाधान की प्रक्रिया में था।

### 2.7.3 नकद अवशेष का प्रबन्धन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समझौते के अनुसार, राज्य सरकारों को बैंक के साथ न्यूनतम दैनिक नकद अवशेष बनाए रखना होता है। यदि किसी दिन अवशेष न्यूनतम सहमत धनराशि कम हो जाती है, तो समय-समय पर सामान्य आर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)/विशेष आर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट लेकर कमी को पूरा किया जाता है। राज्य सरकार के लिए सामान्य डब्ल्यूएमए की सीमा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर संशोधित की जाती है।

राज्य सरकार अपने अधिशेष नकद अवशेष को भारत सरकार की लघु और दीर्घकालिक प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों में निवेश करती है। ऐसे निवेशों से प्राप्त आय को मुख्य शीर्ष '0049-ब्याज प्राप्तियां' के अन्तर्गत प्राप्तियों के रूप में जमा किया जाता है। नकद अवशेष में समेकित निक्षेप निधि के सरकारी प्रतिभूतियों का निवेश सम्मिलित है।

यह वांछनीय नहीं है कि राज्य सरकार अधिक नकद अवशेष होने के बावजूद बाजार ऋण का सहारा ले क्योंकि इससे उत्पादक उपयोग में लाए बिना नकद अवशेष में और वृद्धि होती है।

वर्ष 2022-23 के दौरान नकद अवशेष तथा राज्य सरकार द्वारा नकद अवशेष में से किए गए निवेश को तालिका 2.37 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.37 : वर्ष 2022-23 के दौरान नकद अवशेष तथा उनका निवेश

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2022 को प्रारम्भिक अवशेष	31 मार्च 2023 को अन्तिम अवशेष
<b>अ. सामान्य नकद अवशेष</b>		
कोषागार में नकद	0.00	0.00
भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा	(-)348.47	102.77
पारगमन में प्रेषण	0.00	0.00
नकद अवशेष निवेश लेखा में किया गया निवेश	41825.24	27188.94
<b>योग(अ)</b>	<b>41476.77</b>	<b>27291.71</b>
<b>ब. अन्य नकद अवशेष तथा निवेश</b>		
विभागीय अधिकारियों यथा लोक निर्माण, वन अधिकारी के पास नकद	10.69	10.78
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	0.50	0.50
निर्धारित निधियों में निवेश	3045.20	5545.20
<b>योग(ब)</b>	<b>3056.39</b>	<b>5556.48</b>
<b>योग (अ+ब)</b>	<b>44533.16</b>	<b>32848.19</b>

स्रोत: वित्त लेखे 2022-23

वर्तमान वर्ष के अन्त में राज्य सरकार की नकद अवशेष धनराशि ₹ 32,848.19 करोड़ थी। वर्ष 2021-22 के अन्त में अवशेष की तुलना में इसमें ₹ 11,684.97 करोड़ (26.24 प्रतिशत) की कमी हुई। वर्ष 2022-23 के दौरान नकद अवशेष निवेश लेखा में निवेश का प्रारम्भिक अवशेष ₹ 41,825.24 करोड़ था। ₹ 8,42,096.42 करोड़ के ट्रेजरी बिल क्रय किये गए और ₹ 8,56,668.38 करोड़ की धनराशि के ये इन्स्ट्रूमेंट विक्रय किये गये, जिससे वर्ष के अन्त में लेखे में ₹ 27,188.94 करोड़ की धनराशि अवशेष रही। ट्रेजरी बिलों और भारत सरकार की दीर्घकालिक प्रतिभूतियों में निवेश पर ब्याज के रूप में क्रमशः ₹ 391.31 करोड़ और ₹ 11.29 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई। अग्रेतर, भारत सरकार की दीर्घ अवधि की सिक्यूरिटी के शोधन के रूप में ₹ 64.34 करोड़ प्राप्त हुआ था।

नकद अवशेष निवेश लेखे के अन्तर्गत ट्रेजरी बिलों में निवेश का राज्य सरकार का संव्यवहार वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 5,44,061 करोड़ से घटकर वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 4,93,843 करोड़ तथा वर्ष 2020-21 में ₹ 4,64,321 करोड़ हो गया। यह वर्ष 2021-22 में बढ़कर ₹ 6,91,373 करोड़ और वर्ष 2022-23 में ₹ 8,42,096 करोड़ हो गया। नकद अवशेष निवेश लेखे के अनुरूप, नकद अधिशेष (सामान्य नकद अवशेष) अवधि 2017-18 से 2018-19 के दौरान ₹ 11,425 करोड़ (31 मार्च 2018) से बढ़कर ₹ 26,855 करोड़ (31 मार्च 2019) हो गया जो वर्ष 2019-20 (31 मार्च 2020) में घटकर ₹ 21,387 करोड़ हो गया और पुनः वर्ष 2020-21 (31 मार्च 2021) में बढ़कर ₹ 30,597 करोड़ हो गया एवं वर्ष 2021-22 (31 मार्च 2022) में बढ़कर ₹ 41,477 करोड़ हो गया और अग्रेतर, वर्ष 2022-23 के दौरान घटकर ₹ 27,292 करोड़ हो गया। अवधि 2018-23 के दौरान नकद

अवशेष निवेश लेखा तथा उस पर अर्जित ब्याज की स्थिति को तालिका 2.38 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.38 : नकद अवशेष निवेश लेखा (मुख्य 8673)


(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	अंतिम अवशेष	वृद्धि(+)/कमी (-) (अन्तिम अवशेष-प्रारम्भिक अवशेष)	उपार्जित ब्याज
2018-19	11159.38	26684.36	15524.98	1088.56
2019-20	26684.36	21150.71	(-) 5533.65	596.15
2020-21	21150.71	30459.45	9308.74	249.67
2021-22	30459.45	41825.24	11365.79	346.99
2022-23	41825.24	27188.94	(-) 14636.30	402.60

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2022-23 के दौरान नकद अवशेष तथा निवल नकद अवशेष निवेश के माहवार प्रवाह को चार्ट 2.18 में दर्शाया गया है।


चार्ट 2.18: वर्ष 2022-23 के दौरान नकद अवशेष तथा निवल नकद अवशेष निवेश का माहवार प्रवाह



स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (ले० एवं हक०) उत्तर प्रदेश द्वारा अनुरक्षित आँकड़े

राज्य सरकार द्वारा लिये गये बाजार ऋण तथा राज्य सरकार के पास उपलब्ध नकद अवशेष की स्थिति चार्ट 2.19 में प्रस्तुत की गयी है।

चार्ट 2.19: अवधि 2018–23 के दौरान नकद अवशेष के सापेक्ष बाजार ऋण



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

#### 2.7.4 नकद अवशेष में भिन्नता

महालेखाकार के अभिलेखों के अनुसार 31 मार्च 2023 को नकद अवशेष धनराशि ₹ 102.77 करोड़ (डेबिट) था और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिवेदित धनराशि ₹ 41.19 करोड़ (डेबिट) था। इस प्रकार ₹ 143.96 करोड़ के निवल अन्तर था, जो समाधान की प्रक्रिया में था।

#### 2.8 निष्कर्ष

##### सकारात्मक संकेतक

- राजकोषीय घाटा (–) ₹ 64,636 करोड़ जीएसडीपी का 2.86 प्रतिशत था, जो कि यूपीएफआरबीएम (संशोधन) बिल 2021 द्वारा निर्धारित 3.50 प्रतिशत के राजकोषीय लक्ष्य के अन्दर था।
- वर्ष 2021–22 के सापेक्ष वर्ष 2022–23 में राजस्व प्राप्ति में 12.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- राज्य ने 2022–23 के दौरान ₹ 37,263 करोड़ का राजस्व अधिशेष दर्ज किया था।
- राजस्व व्यय के सापेक्ष प्रतिबद्ध व्यय में वर्ष 2021–22 से 2022–23 के दौरान घटने की प्रवृत्ति देखी गई। वर्ष 2022–23 में यह राजस्व व्यय का 58.66 प्रतिशत था।
- राज्य का ऋण-जीएसडीपी अनुपात में घटने की प्रवृत्ति देखी गई और यह वर्ष 2022–23 में 28.71 प्रतिशत था।
- वर्ष 2022–23 में सकारात्मक डोमर गैप प्राथमिक घाटे को समाहित करने में सक्षम था तथा प्रारम्भिक रूप से ऋण जीएसडीपी अनुपात को घाटे की प्रवृत्ति की ओर रखने में सहयोगी था।

### संकेतक जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है

- वर्ष 2022–23 के दौरान, राज्य सरकार ने समेकित निक्षेप निधि में ₹428.48 करोड़ का कम अंशदान हस्तांतरित किया गया, जिसका उपयोग राज्य सरकार की लम्बित देनदारियों के मोचन के लिये किया जाना था।
- राज्य सरकार ने मूल्यह्रास आरक्षित निधि के लिए प्रभारित राशि को इस निधि में स्थानांतरित नहीं किया बल्कि इसे राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों के रूप में रखा गया।
- राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा अनुक्रिया निधि के अनिवेशित अवशेष पर वर्ष 2022–23 के लिए ₹ 266.56 करोड़ का ब्याज जमा नहीं किया गया था। एसडीआरएफ दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट तरीके से निधि की अवशेष धनराशि का निवेश नहीं किया जा रहा था।
- राज्य सरकार ने प्रत्याभूति विमोचन निधि में ₹ 1742.18 करोड़ का अंशदान नहीं किया है जो कि सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूति में से, उधार प्राप्तकर्ता एजेंसी द्वारा चूक की स्थिति में ऋण की सर्विसिंग के दायित्व की पूर्ति हेतु है।

### 2.9 संस्तुतियाँ

1. राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि समेकित निक्षेप निधि में वार्षिक अंशदान विगत वर्ष के अन्त में बकाया देयताओं का कम से कम 0.50 प्रतिशत हो, जैसा कि समेकित निक्षेप निधि योजना में दिया गया है, जिससे कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अग्रतर निवेश हेतु एवं भविष्य की अवशेष देयताओं के भुगतान हेतु निधि में पर्याप्त अवशेष उपलब्ध हो।
2. राज्य सरकार को मूल्यह्रास आरक्षित निधि के लिए भारित पूरी धनराशि को इस निधि को हस्तांतरित करना चाहिए।
3. राज्य सरकार द्वारा एसडीआरएफ दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एसडीआरएफ के अन्तर्गत अवशेष धनराशि का निवेश करना चाहिये और उपार्जित ब्याज को निधि में जमा करना चाहिये।
4. राज्य सरकार को अधिसूचना के अनुसार प्रत्याभूति विमोचन निधि में वार्षिक अंशदान सुनिश्चित करना चाहिये जैसा कि उत्तर प्रदेश प्रत्याभूति विमोचन निधि योजना में आवश्यक है।



अध्याय - III

बजटीय प्रबन्धन





## अध्याय-III

### बजटीय प्रबन्धन

यह अध्याय अनुपूरक अनुदानों और सहवर्ती वित्तीय प्रबन्धन को सम्मिलित करते हुए बजटीय प्रक्रिया और आवंटन प्राथमिकताओं की सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और प्रभावशीलता, यह आंकलन करते हुए कि क्या नीतिगत स्तर पर लिए गए निर्णयों को धन के विचलन के बिना प्रशासनिक स्तर पर लागू किया गया है, से सम्बन्धित है।

#### 3.1 बजट प्रक्रिया

वार्षिक बजट की कार्यवाही, सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए दिशानिर्देश देने का एक साधन है। उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल (यूपीबीएम) उत्तर प्रदेश सरकार हेतु बजट तैयार करने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है।

यूपीबीएम के प्रस्तर 8 के अनुसार वित्त विभाग वार्षिक बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। विभागाध्यक्ष और अन्य प्राक्कलन अधिकारी प्रत्येक लेखा शीर्ष, जिससे वह सम्बन्धित है, के लिए अनुमान तैयार करते हैं और इन्हें वित्त विभाग को अग्रेषित करते हैं। विभागीय अधिकारियों एवं सचिवालय के प्रशासनिक विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सामग्री के आधार पर बजट तैयार किया जाता है। बजट तैयार करने की प्रक्रिया चार्ट 3.1 में दी गयी है।

चार्ट 3.1: बजट तैयार करने की प्रक्रिया




सीएसएस: केन्द्र प्रायोजित योजनाएं; सीएस: केन्द्रीय योजनाएं; ईएपी: बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं

संविधान के अनुच्छेद 202 के अन्तर्गत बजट को अन्तिम रूप देने के पश्चात राज्यपाल की संस्तुति पर राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। व्यय अनुमानों को बजट में अलग से मतदेय एवं भारित मद के व्यय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और राजस्व लेखा में अन्य व्यय से व्यय को विभेद करता है। राज्य सरकार द्वारा कोई भी व्यय करने से पूर्व वैधानिक प्राधिकार आवश्यक है। विधान सभा द्वारा अनुदानों पर मतदेय होने के पश्चात, राज्य के समेकित निधि से विनियोग हेतु सभी प्रकार के मतदेय के साथ साथ भारित व्यय के सभी आवश्यक व्यय की पूर्ति हेतु एक विधेयक विधान सभा में प्रस्तावित किया जाता है। विनियोग विधेयक जब विधानमण्डल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है और इसे राज्यपाल की सहमति भी प्राप्त हो जाती है, तो उसमें दर्शायी गई धनराशि सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की जा सकती है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 में प्रावधान है कि वर्ष के लिए विनियोग अधिनियम में पारित प्रावधानों पर अनुपूरक अनुदान या विनियोग चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, व्यय को पूरा करने के लिए किया जा सकता है जहाँ उस वर्ष, जिसके लिए विनियोग अधिनियम के प्रावधान अपर्याप्त पाए जाते हैं या जब वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान किसी नई सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न होती है अथवा यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस सेवा के लिए दी गई राशि से अधिक राशि व्यय की जा रही है, जिसकी मूल बजट में परिकल्पना नहीं की गई थी।

अनुपूरक अनुदान से इतर, उसी अनुदान या भारित विनियोग के अन्तर्गत निधियों के पुनःआवंटन के लिए पुनर्विनियोग का भी उपयोग किया जा सकता है। पुनर्विनियोग, सक्षम प्राधिकारी द्वारा मतदेय अथवा भारित विनियोग खण्ड के अन्तर्गत विनियोग की एक इकाई में बचत का अन्तरण उसी खण्ड के अन्तर्गत (अर्थात् राजस्व-मतदेय, राजस्व-भारित, पूँजीगत-मतदेय, पूँजीगत-भारित) किसी अन्य इकाई के अन्तर्गत मौजूदा सेवा पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। वर्ष 2022-23 के लिए बजट के विभिन्न घटकों को चार्ट 3.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.2: वर्ष 2022-23 के बजट के घटक



स्रोत: उत्तर प्रदेश वार्षिक वित्तीय विवरण एवं वर्ष 2022-23 के विनियोग लेखे

भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत बजट के भारित और मतदेय दोनों मदों के सम्बन्ध में विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजी व्यय और राजस्व व्यय को दर्शाते हैं और विनियोग लेखे में मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण और पुनर्विनियोग को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह पता लगाने का प्रयास करती है कि क्या वास्तव में विभिन्न अनुदानों के अनुसार किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अधीन दिए गए प्राधिकार के अधीन है और यह कि संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रभारित किए जाने के लिए आवश्यक व्यय प्रावधानों के अधीन प्रभारित है। यह भी पता चलता है कि क्या इस प्रकार किया गया व्यय कानून, प्रासंगिक नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है।

**3.1.1 वर्ष 2022-23 के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक व्यय और बचत का सारांश**

कुल बजट प्रावधानों, व्यय और बचत की संक्षिप्त स्थिति तालिका 3.1 में दी गई है।

तालिका 3.1: 2022-23 दौरान बजट प्रावधान, व्यय और बचत

(₹ करोड़ में)

	कुल बजट प्रावधान		व्यय		बचत	
	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
राजस्व	436261.48	49523.27	336997.42	46227.13	99264.06	3296.14
पूँजीगत	167153.05	32618.11	113919.00	22716.03	53234.05	9902.08
<b>योग</b>	<b>603414.53</b>	<b>82141.38</b>	<b>450916.42</b>	<b>68943.16</b>	<b>152498.11</b>	<b>13198.22</b>

स्रोत: विनियोग लेखे 2022-23 एवं बजटीय अभिलेख

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, राजस्व और पूँजीगत दोनों खण्डों के अन्तर्गत बजट प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय काफी कम था, जिसमें 21.11 प्रतिशत और 31.60 प्रतिशत की बचत देखी गई। अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत बजट प्रावधानों के सापेक्ष सकल व्यय राजस्व मतदेय खण्ड में 77.25 प्रतिशत, राजस्व भारत खण्ड में 93.34 प्रतिशत, पूँजीगत मतदेय खण्ड में 68.15 प्रतिशत और अनुदान/विनियोग के पूँजीगत भारत खण्ड के अधीन 69.64 प्रतिशत था।

### 3.1.2 भारत एवं मतदेय व्यय

2018-23 की अवधि के दौरान कुल भारत एवं मतदेय व्यय और उनके सापेक्ष बचतों का विवरण के विश्लेषण की प्रवृत्ति तालिका 3.2 में दिया गया है।

तालिका: 3.2 वर्ष 2018-23 के दौरान मतदेय और भारत के अधीन व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व				पूँजीगत			
	व्यय		बचत		व्यय		बचत	
	मतदेय	भारत	मतदेय	भारत	मतदेय	भारत	मतदेय	भारत
2018-19	247287	58976	51703	433	82792	20729	27377	9838
2019-20	266083	35367	64113	22640	75556	22420	27637	12993
2020-21	263323	39047	81777	25080	66856	26798	33551	8139
2021-22	293995	45530	84220	999	80806	28734	57149	10258
2022-23	336997	46227	99264	3296	113919	22716	53234	9902

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के विनियोग लेखे

तालिका 3.2 से प्रदर्शित होता है कि 2018-19 की अवधि के दौरान, राजस्व मतदेय खण्ड के अधीन व्यय ₹ 2,47,287 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 2,66,083 करोड़ हो गया था जो वर्ष 2020-21 में मामूली रूप से घटकर ₹ 2,63,323 करोड़ हो गया था जो पुनः वर्ष 2022-23 में बढ़कर ₹ 3,36,997 करोड़ हो गया था। वर्ष 2022-23 के दौरान, राजस्व मतदेय खण्ड के अधीन व्यय पिछले वर्ष के व्यय की तुलना में 14.63 प्रतिशत बढ़ गया। हालाँकि, राजस्व मतदेय खण्ड के अधीन बचत 2018-19 में ₹ 51,703 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 99,264 करोड़ हो गई।

इसी प्रकार, पूँजीगत मतदेय खण्ड के अन्तर्गत व्यय 2018-23 की अवधि के दौरान परिवर्तनशील था और यह वर्ष 2020-21 के दौरान न्यूनतम (₹ 66,856 करोड़) और वर्ष 2022-23 के दौरान अधिकतम (₹ 1,13,919 करोड़) था। वर्ष 2022-23 के दौरान पूँजीगत मतदेय खण्ड के अन्तर्गत व्यय (₹ 1,13,919 करोड़) पूर्व वर्ष के दौरान हुए व्यय की तुलना में 40.98 प्रतिशत अधिक था। हालाँकि, पूँजीगत मतदेय खण्ड के अन्तर्गत बचत बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ी है, जो कि वर्ष 2018-19 के ₹ 27,377 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021-22 में ₹ 57,149 करोड़ हो गई जो कि वर्ष 2022-23 के दौरान पुनः घटकर ₹ 53,234 करोड़ हो गयी।

### 3.1.3 बजट मार्क्समैनशिप

#### कुल बजट परिणाम

कुल बजट परिणाम उस सीमा को मापता है जिसमें कुल बजट व्यय परिणाम/वास्तविक व्यय मूलरूप से अनुमोदित राशि दोनों के सन्दर्भ में अनुमोदन से अधिक और अनुमोदन से कम को दर्शाता है। वास्तविक अनुमोदित बजट के सापेक्ष वास्तविक व्यय की तुलना के विवरण को तालिका 3.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.3: वर्ष 2022-23 के दौरान वास्तविक अनुमोदित बजट के सन्दर्भ में वास्तविक परिणाम (₹ करोड़ में)

विवरण	मूल अनुमोदित बजट (बीई)	वास्तविक परिणाम	वास्तविक एवं बजट के मध्य अन्तर*
(1)	(2)	(3)	(4)
राजस्व	472027.90	383224.55	(-)88803.35
पूँजी	179758.46	136635.03	(-)43123.43
योग	651786.36	519859.58	(-)131926.78

स्रोत: विनियोग लेखे एवं बजट अभिलेख

\*मूल प्रावधान पर वास्तविक परिणाम का आधिक्य (+) चिन्ह के रूप में और मूल प्रावधान पर वास्तविक परिणाम में कमी (-) चिन्ह के रूप में दर्शाया गया है।

राजस्व सेक्शन में, (बीई) के सापेक्ष परिणाम में विचलन (-) 18.81 प्रतिशत था। यह 45 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के मध्य, 40 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के मध्य, छः अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के मध्य और 100 प्रतिशत से अधिक व समतुल्य एक अनुदान में विचलन के कारण था।

पूँजी सेक्शन में, (बीई) के सापेक्ष परिणाम में विचलन (-) 23.99 प्रतिशत था। यह 45 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के मध्य, 21 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के मध्य, 19 अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के मध्य और 100 प्रतिशत के समतुल्य या अधिक सात अनुदानों में विचलन के कारण था।

#### व्यय परिणाम संरचना

व्यय परिणाम संरचना उस सीमा को मापता है जहाँ पुनः आवंटन, मूल बजट श्रेणी के मध्य निष्पादन के दौरान व्यय संरचना में परिवर्तनशीलता के योगदान को तालिका 3.4 में निम्न रूप में दर्शाया गया है।

तालिका 3.4 : व्यय परिणाम संरचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	अनुमोदित मूल बजट(बीई)	संशोधित अनुमान(आरई)	वास्तविक परिणाम	(बीई) एवं (आरई) के मध्य अन्तर	वास्तविक एवं आरई* के मध्य अन्तर'
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजस्व	472027.90	438622.88	383224.55	33405.02	(-)55398.33
पूँजी	179758.46	180516.56	136635.03	(-) 758.10	(-)43881.53
योग	651786.36	619139.44	519859.58	32646.92	(-)99279.86

स्रोत: विनियोग लेखा एवं बजट अभिलेख

\*संशोधित अनुमान पर वास्तविक का आधिक्य (+) चिन्ह के रूप में और संशोधित अनुमान पर वास्तविक में कमी (-) चिन्ह के रूप में दर्शाया गया है

राजस्व खण्ड में, (आरई) के सापेक्ष परिणाम में विचलन (-) 12.63 प्रतिशत था। यह 64 अनुदानों में 0 से  $\pm$  25 प्रतिशत के मध्य, 23 अनुदानों में  $\pm$  25 प्रतिशत से  $\pm$  50 प्रतिशत के मध्य, पाँच अनुदानों में  $\pm$  50 प्रतिशत से  $\pm$  100 प्रतिशत के मध्य विचलन के कारण था।

पूँजी खण्ड में, (आरई) के सापेक्ष परिणाम में विचलन (-) 24.31 प्रतिशत था। यह 53 अनुदानों में 0 से  $\pm$  25 प्रतिशत के मध्य, 14 अनुदानों में  $\pm$  25 प्रतिशत से  $\pm$  50 प्रतिशत के मध्य, 20 अनुदानों में  $\pm$  50 प्रतिशत से  $\pm$  100 प्रतिशत के मध्य और 100 प्रतिशत के समतुल्य या अधिक पाँच अनुदानों में विचलन के कारण था।

### 3.2 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणियाँ

इस भाग में निर्धारित बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया से विचलन पर चर्चा की गई है।

#### 3.2.1 विगत वित्तीय वर्षों के अधिक व्यय का नियमितीकरण

संविधान के अनुच्छेद 205(1)(ब) में प्रावधान है कि यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस सेवा के लिए दी गई राशि से अधिक राशि व्यय की गई है, तो राज्यपाल द्वारा ऐसे अधिक व्यय की माँग को उस वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

उत्तर प्रदेश बजट नियमावली (यूपीबीएम) के प्रस्तर 137 में निर्देशित है कि यदि वर्ष की समाप्ति के उपरान्त, यह पता चलता है कि किसी अनुदान या भारित विनियोग के अधीन उस वर्ष के लिए उस अनुदान या भारित विनियोग के अधीन कुल विनियोग से अधिक व्यय किया गया था तो अतिरिक्त व्यय की माँग को, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 205(1)(ब) के अधीन अपेक्षित था, लोक लेखा समिति की अनुशंसा के आधार पर विधानसभा में प्रस्तुत कर नियमित किया जाना चाहिए।

वर्ष 2005-06 से 2020-21 से सम्बन्धित 104 अनुदानों और 48 विनियोगों के अन्तर्गत ₹ 32,533.46 करोड़ के अतिरिक्त संवितरण, जैसा कि सम्बन्धित वर्षों के विनियोग लेखों में टिप्पणी की गई है, को राज्य विधानमण्डल द्वारा नियमित किया जाना शेष है, जैसा कि तालिका 3.5 में वर्णित है।

तालिका 3.5: पिछले वित्तीय वर्षों का अधिक व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान/विनियोग का विवरण	अधिक व्यय राशि जिसको नियमित करने की आवश्यकता है
2005-06	राजस्व मतदेय- 8, 12, 53, 55, 57, 58, 72 पूँजीगत मतदेय-15, 16, 18, 23, 33, 34, 37, 38, 40, 55, 56, 57, 58, 73, 75, 96 राजस्व भारित-1, 52; पूँजीगत भारित-52, 55	869.05
2006-07	राजस्व मतदेय -9, 13, 55, 58, 61, 62, 73, 91, 95 पूँजीगत मतदेय -3, 16, 31, 37, 55, 57, 58, 89, 96 राजस्व भारित -2, 3, 10, 52, 62, 89	2484.47

वर्ष	अनुदान/विनियोग का विवरण	अधिक व्यय राशि जिसको नियमित करने की आवश्यकता है
2007-08	राजस्व मतदेय -51, 55, 57, 58, 62; पूँजीगत मतदेय -13,16, 55, 58, 63, 83, 96 राजस्व भारित -51, 66	3610.65
2008-09	राजस्व मतदेय -62, 96; पूँजीगत मतदेय -55, 58, 96 राजस्व भारित -52	3399.42
2009-10	राजस्व मतदेय -58; पूँजीगत मतदेय -1,16, 55, 58, 59 राजस्व भारित -3,10, 16, 48, 52, 66	1250.16
2010-11	राजस्व मतदेय -30, 51, 91; पूँजीगत मतदेय -10, 55, 58 राजस्व भारित -10, 23, 61, 82	1702.62
2011-12	राजस्व मतदेय -21, 62, 91; पूँजीगत मतदेय -1, 55, 58 राजस्व भारित -13, 18, 23, 61, 62, 82	1889.66
2012-13	राजस्व मतदेय -51, 57; पूँजीगत मतदेय -55, 58 राजस्व भारित -55, 62, 89	2380.23
2013-14	पूँजीगत मतदेय - 55, 58; पूँजीगत भारित - 52	2608.18
2014-15	राजस्व मतदेय - 57, 91; पूँजीगत मतदेय -1, 40, 55, 57, 58 राजस्व भारित -13	2225.32
2015-16	पूँजीगत मतदेय - 55, 57, 58, 87 राजस्व भारित - 2, 23, 52, 62	1566.71
2016-17	पूँजीगत मतदेय - 55, 58, 87 राजस्व भारित - 89; पूँजीगत भारित - 61	5662.17
2017-18	राजस्व मतदेय - 62; पूँजीगत मतदेय -55 राजस्व भारित -91; पूँजीगत भारित -58	1337.17
2018-19	राजस्व मतदेय -57; पूँजीगत मतदेय - 55, 57, 58 राजस्व भारित - 52; पूँजीगत भारित - 10, 21, 55	1539.44
2019-20	पूँजीगत भारित - 55	0.11
2020-21	राजस्व मतदेय -57; पूँजीगत मतदेय -55 पूँजीगत भारित -55	8.10
नियमितीकरण की आवश्यकता वाले विगत वर्षों के कुल व्ययाधिक्य		<b>32533.46</b>

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के विनियोग लेखे

अधिक व्यय बजटीय और वित्तीय नियन्त्रण की प्रणाली को विकृत करता है और सार्वजनिक धन के प्रबन्धन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है और इसको नियमित न किया जाना संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन है। प्राधिकार से अधिक व्यय और अधिक व्यय को नियमित न किये जाने को उत्तर प्रदेश के विगत राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से प्रकाश में लाया गया है। तथापि, वर्ष 2005-06 से 2020-21 से सम्बन्धित अधिक व्यय के मामलों को वित्त विभाग द्वारा नियमितीकरण करने के लिए राज्य विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना शेष है। यह संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 का उल्लंघन है, जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधानमण्डल के कानून द्वारा किए गए विनियोग के अलावा कोई भी धन संचित निधि से आहरित नहीं किया जाएगा।

### 3.2.2 व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

वित्त विभाग ने व्यय की आर्थिक प्रकृति को दर्शाने वाले विनियोग की प्राथमिक इकाई के रूप में मानक मदों की एक सूची को अपनाया है। इस प्रकार, कुछ मानक मद केवल व्यय की राजस्व प्रकृति के अनुरूप हैं क्योंकि यह परिसम्पत्तियों के निर्माण में परिणत नहीं होते हैं। अग्रेतर, कुछ मानक मदों को केवल व्यय की पूँजीगत श्रेणी में रखा जा सकता है क्योंकि इन प्रावधानों से परिसम्पत्ति बनायी जाती है और तदनुसार बजट में व्यवस्था और लेखांकन की आवश्यकता होती है।

लेखापरीक्षा में मानक शीर्ष 15 (वाहनों का रखरखाव एवं पेट्रोल आदि का क्रय), 16 (वाणिज्यिक एवं विशेष सेवाओं के लिये भुगतान), 27 (आर्थिक सहायता), 29 (रखरखाव), 47 (कम्प्यूटर का रखरखाव/सम्बन्धित स्टेशनरी का क्रय) एवं 58 (आउटसोर्सिंग सेवाओं का संवितरण) के तहत राजस्व और पूँजीगत व्यय के बीच त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण संज्ञान में आया, जैसा कि तालिका 3.6 में संक्षेपित है

तालिका 3.6: राजस्व व्यय का पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र०सं०	मानक मद	मानक मद नामकरण	मुख्य लेखाशीर्ष	2022-23 में व्यय
1.	15	वाहनों का रखरखाव एवं पेट्रोल आदि का क्रय	4406	0.19
2.	16	वाणिज्यिक एवं विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	4059, 5054	6.16
3.	27	आर्थिक सहायता	4810	9.08
4.	29	रखरखाव	4406	0.29
5.	47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/प्रासंगिक स्टेशनरी की खरीद	4202, 5054	0.82
6.	58	आउटसोर्सिंग सेवाओं का संवितरण	4070	1.18
राजस्व व्यय में न्यूनोक्ति				17.72

स्रोत : वित्त लेखा 2022-23

राजस्व एवं पूँजी व्यय के मध्य त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के परिणाम को तालिका 3.6 में दर्शाया गया है, वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य का राजस्व अधिशेष ₹ 17.72 करोड़ अधिक दर्शाया गया।

### 3.2.3 एकमुश्त बजटीय प्रावधान

सार्वजनिक वित्त के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं के बारे में विश्वसनीय, प्रासंगिक और समय पर सूचनाओं की उपलब्धता से सरकार की वित्तीय स्थिति और सरकारी गतिविधियों की सही लागत का आंकलन किया जा सकता है। पारदर्शिता शासन व्यवस्था को मजबूत करने का एक साधन है।

यूपीबीएम के प्रस्तर 31 के अनुसार, सिवाय नियम या निर्देश एवं नियन्त्रित स्थायी स्वीकृति के, नियमतः अनुमानों में एकमुश्त प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए। प्रस्तावित प्रावधानों को उचित ठहराने वाले विस्तृत स्पष्टीकरण मुख्य मदों को प्रदर्शित करते हुये दिया जाना चाहिए।



वर्ष 2022-23 के दौरान, 18 अनुदानों के विभिन्न शीर्षों के अधीन ₹ 9,277.05 करोड़ का एकमुश्त प्रावधान योजना विवरण को दर्शाए बिना किया गया (परिशिष्ट-3.1)। इन एकमुश्त प्रावधानों में से ₹ 5,254.09 करोड़ (प्रावधान का 56.64 प्रतिशत) का वास्तविक व्यय किया गया।

अनुदान संख्या 58-लोक निर्माण विभाग (संचार-सड़क) के पूँजीगत (मतदेय) खण्ड के प्रकरण के अन्तर्गत मूल बजट प्रावधान में सड़क कार्यों के लिए ₹ 5,246 करोड़ का एक मुश्त प्रावधान किया था जो अनुदान के पूँजीगत (मतदेय) खण्ड के अन्तर्गत मूल बजटीय प्रावधानों का 33.05 प्रतिशत था। इसमें से वास्तविक व्यय ₹ 4,617.04 करोड़ था। यथार्थ शीर्ष प्रमाणन के आंकलन के बिना एकमुश्त बजटीय प्रावधान करना पारदर्शिता के सिद्धान्त के विपरीत है।

### 3.2.4 केन्द्रीय योजनाओं/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के चित्रण में विसंगति

उत्तर प्रदेश बजट नियमावली और बजट तैयार करने के लिए जारी दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि बजट प्रावधानों को केन्द्रीय योजनाओं/केन्द्रीय सहायतित योजनाओं के सम्बन्ध में उप-शीर्ष के अन्तर्गत उपयुक्त विस्तृत शीर्ष के साथ निर्दिष्ट वित्तपोषण पद्धति (केन्द्रीय अंशदान/राज्य अंशदान/वित्तीय संस्थान) के साथ बनाया जाना चाहिए।

वर्ष 2022-23 के लिए बजट दस्तावेजों की जाँच से पता चला कि वित्तपोषण पद्धति को दर्ज करने के लिए उपरोक्त मानदण्डों का पालन नहीं किया गया। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत आठ कार्यक्रमों (परिशिष्ट 3.2) के प्रकरण में वित्तपोषण पद्धति (केन्द्रीय अंशदान/राज्य अंशदान/वित्तीय संस्थान) का विस्तृत शीर्ष के साथ उल्लेख नहीं किया गया था। अग्रेतर, केन्द्रीय योजनाओं/केन्द्र सहायतित योजनाओं के अन्तर्गत चार कार्यक्रमों (परिशिष्ट 3.3) के सम्बन्ध में केन्द्र अंशदान और राज्य के अंश का कुल योग, बिना कोई कारण बताए 100 प्रतिशत से अधिक या कम था।

31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021 व 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के क्रमशः प्रस्तर 3.2.7, 3.2.6 व प्रस्तर 3.2.6 में भी इस प्रकरण को प्रकाश में लाया गया था लेकिन सरकार द्वारा कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई।

### 3.3 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ

बजटीय आवंटन, वास्तविक संवितरण, बचत और अभ्यर्पण का विवरण और परिकल्पित योजनाओं/परियोजनाओं पर उनके प्रभाव की चर्चा अनुवर्ती प्रस्तरों में की गई है।

#### 3.3.1 बजट अनुमान और योजना एवं क्रियान्वयन के बीच अन्तर

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रावधानों, अनुपूरक प्रावधानों, कुल बजट प्रावधानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय एवं राजस्व मतदेय, राजस्व भारित, पूँजीगत मतदेय, तथा बचत की संक्षिप्त स्थिति को पूँजीगत भारित खंडों के अन्तर्गत तालिका 3.7 में विस्तृत रूप से दिया गया है।

तालिका 3.7 : वर्ष 2022-23 के दौरान बजट प्रावधानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचतें	अभ्यर्पण		
						धनराशि	प्रतिशतता	
मतदेय	राजस्व	422507.48	13754.00	436261.48	336997.42	99264.06	20152.35	20.30
	पूँजी	144198.92	11757.35	155956.27	103710.37	52245.90	3401.72	6.51
	ऋण एवं अग्रिम	2946.78	8250	1,196.78	10208.63	988.15	415.71	42.07
योग		<b>569653.18</b>	<b>33761.35</b>	<b>603414.53</b>	<b>450916.42</b>	<b>152498.11</b>	<b>23969.78</b>	<b>15.72</b>
भारित	राजस्व	49520.42	2.85	49523.27	46227.13	3296.14	32.41	0.98
	पूँजी	49.47	00	49.47	25.57	23.90	0.53	2.22
	लोक ऋण का पुर्नभुगतान	32563.29	5.35	32568.64	22690.46	9878.18	00	00
योग		<b>82133.18</b>	<b>8.20</b>	<b>82141.38</b>	<b>68943.16</b>	<b>13198.22</b>	<b>32.94</b>	<b>0.25</b>
महायोग		<b>651786.36</b>	<b>33769.55</b>	<b>685555.91</b>	<b>519859.58</b>	<b>165696.33</b>	<b>24002.72</b>	<b>14.49</b>

स्रोत: विनियोग लेखा 2022-23

वर्ष 2022-23 के दौरान, कुल प्रावधान ₹ 6,85,555.91 करोड़ के सापेक्ष वास्तविक व्यय ₹ 5,19,859.58 करोड़ था। समस्त बचत ₹ 1,65,696.33 करोड़ के कुल प्रावधान का 24.17 प्रतिशत थी, जिसमें मुख्य रूप से राजस्व मतदेय (22.75 प्रतिशत) और पूँजीगत मतदेय खण्डों के अन्तर्गत (33.50 प्रतिशत) थी। यह राज्य सरकार द्वारा नियोजन और क्रियान्वयन में बड़े अन्तर को दर्शाता है।

वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान व वास्तविक व्यय में प्रवृत्ति को तालिका 3.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.8: वर्ष 2018-23 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक व्यय


(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
मूल बजट	456248.38	509003.49	544571.20	585910.43	651786.36
अनुपूरक बजट	42887.74	17805.73	00	15781.05	33769.55
कुल बजट (टीबी)	499136.12	526809.22	544571.20	601691.48	685555.91
संशोधित अनुमान (आरई)	482328.87	481130.95	446224.67	517531.86	619139.44
वास्तविक व्यय (ईई)	409784.50	399426.75	396023.70	449065.47	519859.58
बचतें	89351.61	127382.47	148547.50	152626.01	165696.33
अनुपूरक बजट का मूल प्रावधान के सापेक्ष प्रतिशत	9.40	3.50	00	2.69	5.18
कुल बचत का कुल प्रावधान से प्रतिशत	17.90	24.18	27.28	25.37	24.17
टीबी-आरई	16807.24	45678.27	98346.53	84159.61	66416.47
आरई-ईई	72544.37	81704.20	50200.97	68466.39	99279.86
(टीबी-आरई) का टीबी से प्रतिशत	3.37	8.67	18.06	13.99	9.69
(आरई-ईई) का आरई से प्रतिशत	15.04	16.98	11.25	13.23	16.04

स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण एवं विनियोग लेखे।

तालिका 3.8 प्रदर्शित करती है कि वर्ष 2022-23 के दौरान अनुपूरक प्रावधान ₹ 33,769.55 करोड़ मूल प्रावधान का विगत वर्ष 2.69 प्रतिशत के सापेक्ष 5.18 प्रतिशत था।


बीई, आरई एवं वास्तविक व्यय की प्रवृत्ति का चित्रण चार्ट 3.3 में है।



उक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक पुनरीक्षित अनुमान (आरई) सदैव राज्य के कुल बजट (टीबी) अनुमान से कम था। प्रथम तीन वर्ष में आरई एवं टीबी के बीच का अन्तर में निरन्तर वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गयी तथा अन्तिम दो वर्षों में गिरावट देखी गयी थी। वास्तविक व्यय वर्ष 2019-20 के दौरान मामूली गिरावट (2.53 प्रतिशत) तथा वर्ष 2020-21 में (0.85 प्रतिशत) विगत वर्षों के सापेक्ष थी, तथापि इसमें वर्ष 2021-22 के दौरान (13.39 प्रतिशत) और वर्ष 2022-23 में (15.76 प्रतिशत) की वृद्धि विगत संगत वर्षों के सापेक्ष रही। वर्ष 2018-23 के दौरान बजट प्रावधान का बचत वर्ष (2018-19) में 17.90 प्रतिशत और (2020-21) में 27.28 प्रतिशत के मध्य परिवर्तनशील रहा। वर्ष 2018-19 में पुनरीक्षित अनुमान (आरई) कुल बजट (टीबी) से 3.37 प्रतिशत कम था और वर्ष 2022-23 में यह अन्तर 9.69 प्रतिशत तक बढ़ गया। आगे, वर्ष 2018-23 के दौरान वास्तविक व्यय भी समान अवधि के दौरान पुनरीक्षित अनुमान (आरई) से निरन्तर कम था, यह (2020-21) में 11.25 प्रतिशत और (2021-22) में 16.04 प्रतिशत के मध्य था। उसी रूप में अनुपूरक प्रावधान वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल बजट प्रावधानों समतुल्य सीमा के अन्तर्गत भी नहीं था।

विगत पाँच वर्षों (2018-23) के दौरान प्रावधान के तुलना में बजट के कम उपयोग के पैटर्न को चार्ट 3.4 में दिखाया गया है।

चार्ट 3.4: विगत पाँच वर्षों (2018–23) के दौरान बजट प्रावधान और बजट का उपयोग



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के विनियोग लेखे

चार्ट 3.4 प्रदर्शित करता है कि विगत पाँच वर्षों (2018–23) के दौरान बजटीय प्रावधानों में लगातार वृद्धि हुई है, तथापि वास्तविक व्यय में वर्ष 2019–20 व 2020–21 के दौरान कमी की प्रवृत्ति थी। वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 के दौरान वास्तविक व्यय में वृद्धि हुई थी, लेकिन यह बजट प्रावधान का 75 प्रतिशत से 76 प्रतिशत रहा। यह बजटीय आवंटन अवास्तविक आधारित प्रस्तावों को दर्शाता है जैसे कि राज्य का बजट अनुमान बढ़ा हुआ था और वास्तविक व्यय बजटीय प्रावधानों से कम था। वर्ष 2022–23 के दौरान अनुमानित प्राप्तियाँ एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य तुलना में भी कुल बजटीय व्यय की आवश्यकता के लिये बजट प्रावधान के स्रोत में अन्तराल था जैसा कि तालिका 3.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.9: वर्ष 2022–23 के दौरान बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

प्राप्ति मद	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	बजट अनुमान के सन्दर्भ में वास्तविक प्राप्तियों की कमी/अधिकता
<b>(i) राजस्व प्राप्तियाँ</b>	<b>499212.71</b>	<b>417241.50</b>	<b>(-) 16.42</b>
स्वयं का कर राजस्व	220655.00	174087.15	(-) 21.10
संघीय करों/शुल्कों का अंश	146498.76	169745.30	(+) 15.87
गैर कर राजस्व	23406.48	13489.46	(-) 42.37
भारत सरकार से सहायता अनुदान	108652.47	59919.59	(-) 44.85
<b>(ii) ऋण एवं अग्रिमों की वसूली</b>	<b>2565.00</b>	<b>1337.32</b>	<b>(-) 47.86</b>
(iii) लोक ऋण	89174.00	66846.93	(-) 25.04
<b>कुल प्राप्तियाँ</b>	<b>590951.71</b>	<b>485425.75</b>	<b>17.86</b>

स्रोत: राज्य सरकार का बजट अभिलेख एवं वित्त लेखा

जैसा कि तालिका 3.9 से स्पष्ट है कि बजट 2022-23 में अनुमानित प्राप्तियां एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य पर्याप्त (₹ 1,05,526 करोड़) का अन्तराल था। इस प्रकार राज्य सरकार, उपलब्ध राजस्व स्रोत के सन्दर्भ में बजट में वृद्धि की समीक्षा करे।

### 3.3.2 अव्ययित बजट प्रावधान

यूपीबीएम के प्रस्तर 174 के सन्दर्भ में दोषपूर्ण या त्रुटिपूर्ण बजट प्रावधान, बड़े अभ्यर्षण की आवश्यकता या इसके परिणामस्वरूप अधिकता को एक वित्तीय अनियमितता माना गया है। बजट तैयार करने के लिए प्रत्येक वर्ष बजट प्रक्रिया प्रारम्भ होने पर वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश भी अनुमानों की सटीकता और त्रुटिपूर्ण माँगों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार पाये गये अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर देते हैं।

वर्ष 2022-23 के लिए विनियोग लेखे के अन्तर्गत 92 अनुदानों में बचत के सापेक्ष बजट प्रावधान की लेखापरीक्षा जाँच से प्रकाश में आया कि राजस्व-मतदेय के अन्तर्गत 55 अनुदानों से सम्बन्धित 55 प्रकरणों में एवं पूँजीगत-मतदेय खण्डों के 31 अनुदानों से सम्बन्धित 31 प्रकरणों (जहाँ प्रत्येक मामले में बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी) के अधीन क्रमशः ₹ 98,549.60 करोड़ और ₹ 52,025.93 करोड़ की बचत अंकित की गई थी। इसी प्रकार वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व-भारित खण्ड के अन्तर्गत तीन अनुदानों से सम्बन्धित तीन प्रकरणों में तथा पूँजीगत भारित खण्ड के अन्तर्गत एक अनुदान से सम्बन्धित एक प्रकरण (जहाँ प्रत्येक मामले में बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी) में क्रमशः ₹ 3,256.15 करोड़ और ₹ 9,876.90 करोड़ की बचतें अंकित की गईं। इस प्रकार, 62 अनुदानों के 90 प्रकरणों (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक) में कुल ₹ 1,63,708.58 करोड़ (24.98 प्रतिशत) की बचत हुई जैसा कि परिशिष्ट 3.4 में वर्णित है और तालिका 3.10 में संक्षेपित है।

तालिका 3.10 : 2022-23 के दौरान ₹ 100 करोड़ से अधिक की बड़ी बचत वाले अनुदानों का सारांश (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का खण्ड	प्रकरणों की संख्या	कुल प्रावधान	व्यय	बचत	कुल प्रावधान के सापेक्ष बचत (प्रतिशत)
1	राजस्व मतदेय	55	422917.71	324368.05	98549.60	23.30
2	पूँजीगत मतदेय	31	158459.24	106433.31	52025.93	32.83
	<b>कुल मतदेय</b>	<b>86</b>	<b>581376.95</b>	<b>430801.36</b>	<b>150575.53</b>	<b>25.90</b>
1.	राजस्व भारित	3	45821.03	42564.88	3256.15	7.11
2.	पूँजीगत भारित	1	28136.73	18259.84	9876.90	35.10
	<b>कुल भारित</b>	<b>4</b>	<b>73957.76</b>	<b>60824.72</b>	<b>13133.05</b>	<b>17.76</b>
	<b>महायोग</b>	<b>90</b>	<b>655334.71</b>	<b>491626.08</b>	<b>163708.58</b>	<b>24.98</b>

स्रोत: विनियोग लेखा 2022-23

विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही सम्बन्धित योजनाओं के सम्बन्ध में बड़ी बचतें त्रुटिपूर्ण बजट या निष्पादन में कमी या दोनों का संकेत है।

### 3.3.3 सतत् बचत

उत्तर प्रदेश के विगत राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सतत् बचतों (₹ 100 करोड़ और अधिक) को प्रतिवेदित किया गया था एवं राज्य सरकार को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रावधानों के उपयोग न होने के कारणों की समीक्षा व भविष्य के वर्षों में अधिक न्यायोचित प्रावधान करने सम्बन्धी परामर्श दिया गया था।

24 अनुदानों के 27 प्रकरणों में यह देखा गया कि विगत पाँच वर्षों के दौरान लगातार बचत ₹ 101.54 करोड़ और ₹ 14,921.22 करोड़ के मध्य (₹ 100 करोड़ और अधिक) हुई थी। सतत् बचत का विवरण **परिशिष्ट-3.5** में दिया गया है और **तालिका 3.11** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 3.11 : वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान सतत् बचतों वाले अनुदानों का सारांश  
(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	बचत की धनराशि				
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व- मतदेय	23	37825.43	47801.39	53290.45	52515.92	61142.03
पूँजीगत- मतदेय	04	10717.24	12115.09	10233.06	11636.85	5663.27
योग	27	48542.67	59916.48	63523.51	64152.77	66805.30

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के विनियोग लेखे

वर्षों से पर्याप्त संख्या में अनुदानों में लगातार बचत, राज्य सरकार द्वारा बार-बार निधि की आवश्यकता के अनुचित निर्धारण का संकेतक है।

### 3.3.4 अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

यूपीबीएम का प्रस्तर 162 अन्य बातों के साथ यह निर्धारित करता है कि अनुपूरक अनुदान या विनियोग की आवश्यकता तब होती है जब विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत अनुदान या विनियोग में शामिल राशि वर्ष के लिए अपर्याप्त पाई जाती है, या जब उस वर्ष के लिए विनियोग अधिनियम में विचार नहीं की गई कुछ नई सेवाओं, योजना या मद पर व्यय करने के लिए आवश्यकता उत्पन्न होती है।

वर्ष 2022-23 के विनियोग लेखों से पता चला कि 17 अनुदानों के 42 प्रकरणों में (प्रत्येक मामले में ₹ 1.00 करोड़ या अधिक) किये गये ₹ 5256.75 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान, इन अनुदानों में ₹ 17,504.94 करोड़ बचत के कारण अनावश्यक साबित हुए। व्यय मूल प्रावधानों के स्तर से कम या उसके बराबर तक भी नहीं था जैसा कि **परिशिष्ट-3.6** में वर्णित है एवं **तालिका 3.12** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 3.12 : उन मामलों का सारांश जिनमें वर्ष 2022-23 में अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ या अधिक) अनावश्यक साबित हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान का खण्ड	कुल प्रकरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत
1.	राजस्व मतदेय	28	52971.17	3826.77	56797.94	42369.82	14428.12
2.	पूँजीगत मतदेय	14	4255.55	1429.98	5685.53	2608.71	3076.82
<b>योग</b>		<b>42</b>	<b>57226.72</b>	<b>5256.75</b>	<b>62483.47</b>	<b>44978.53</b>	<b>17504.94</b>

यह अनुपूरक प्रावधानों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त औचित्य के अभाव को दर्शाता है जिसके परिणामस्वरूप इन अनुदानों के अन्तर्गत पर्याप्त बचत हुई। इसके अतिरिक्त, अनुपूरक प्रावधान धनराशि की आवश्यकता का मूल्यांकन सावधानीपूर्वक न किया जाना, खराब बजट अनुशासन का भी सूचक है।

### 3.3.5 अनावश्यक पुनर्विनियोग

यूपीबीएम के प्रस्तर 147 में प्रावधान है कि विनियोग की प्रत्येक इकाई के अन्तर्गत व्यय को विनियोग की उस इकाई के अधीन मूल रूप से प्रदान की गई राशि के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए। तथापि, यदि किसी योजना/सेवा पर मूल/पूरक प्रावधान आवश्यकता से कम पाया जाता है, तो सरकार पुनर्विनियोग का सहारा ले सकती है जो अनुदान के उसी खण्ड के अन्तर्गत अनुदान के एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में बचत का अन्तरण है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2022-23 के दौरान, 18 अनुदानों के 31 उप-शीर्षों में (परिशिष्ट-3.7) कुल बजट प्रावधान ₹ 8,484.54 करोड़ था और पुनर्विनियोजन के माध्यम से ₹ 542.35 करोड़ की और वृद्धि की गई थी। तथापि, पुनर्विनियोग अनावश्यक साबित हुआ, क्योंकि प्रत्येक मामले में व्यय इन उप-शीर्षों के कुल बजट प्रावधान के अन्तर्गत था। इन 31 उप-शीर्षों में कुल ₹ 1,498.57 करोड़ की बचत हुई, जैसा कि तालिका 3.13 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 3.13: अनावश्यक पुनर्विनियोग की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

अनुदान	उपशीर्ष	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोग	पुनर्विनियोजन के बाद कुल प्रावधान	व्यय	बचत
18	31	8484.54	542.35	9026.89	7528.32	1498.57

स्रोत: विनियोग लेखा 2022-23

यह इन अनुदानों के अधीन पुनर्विनियोग की युक्ति के लिए पर्याप्त औचित्य के अभाव को दर्शाता है जबकि पर्याप्त बजटीय प्रावधान पहले से ही उपलब्ध थे।

### 3.3.6 व्यय का अतिरेक

सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 62(3) के अन्तर्गत, व्यय की एक स्थिर गति को बनाए रखना सार्वभौमिक रूप से एक ठोस सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन के रूप में स्वीकार किया गया है। केन्द्र सरकार में लागू सामान्य वित्तीय नियमों में, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अन्तिम महीने में व्यय के अतिरेक को वित्तीय औचित्य के उल्लंघन के

रूप में माना गया है। तथापि, व्यय के अतिरेक को रोकने के लिए यूपीबीएम में कोई विशेष निर्देश नहीं दिया गया है।

विनियोग लेखे वर्ष 2022-23 की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि 10 अनुदानों के अन्तर्गत माह मार्च 2023 में किया गया व्यय 50 से 71 प्रतिशत सीमान्तर्गत था जैसा कि **परिशिष्ट 3.8** में दर्शाया गया है। इन्हीं अनुदानों के अन्तर्गत वर्ष के चौथे तिमाही में किया गया व्यय जो कि 54 प्रतिशत से 77 प्रतिशत सीमान्तर्गत था।

अग्रेतर, जाँच में पाया गया कि अनुदान सं० 58 (संचार साधन एवं सड़क) के अन्तर्गत किये गये व्यय ₹ 11,969 करोड़ में से मार्च 2023 के दौरान ₹ 53.03 करोड़ पी०डी०/पी०एल०ए० में दो जनपदों (प्रयागराज एवं कौशाम्बी) में अन्तरित किया गया। इसी प्रकार अनुदान सं० 38 (नागरिक उड्डयन विभाग) के अन्तर्गत किये गये व्यय ₹ 1,420 करोड़ में से मार्च 2023 में ₹ 611.62 करोड़ दो जनपदों (गौतमबुद्धनगर व श्रावस्ती) में पी०डी०/पी०एल०ए० में अन्तरित किये गये। एक अनुदान सं० 07 (उद्योग विभाग-भारी एवं मध्यम) के प्रकरण में किये गये व्यय ₹ 10,367 करोड़ में से मार्च 2023 में ₹ 25 करोड़ जनपद उरई में पी०डी०/पी०एल०ए० में अन्तरित किये गये।

### 3.3.7 बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनका वास्तविक वित्त पोषण

यूपीबीएम के प्रस्तर 212 में योजनाओं और परियोजनाओं के सूत्रीकरण और मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देशों की रूपरेखा निम्नानुसार है: 'शक्तिशाली परियोजना सूत्रीकरण और मूल्यांकन का परियोजनाओं की प्रासंगिकता और प्रभाव के साथ-साथ उनके समय पर कार्यान्वयन पर एक बड़ा असर पड़ता है। परियोजना सूत्रीकरण और मूल्यांकन चरण में दिये गए अतिरिक्त समय और प्रयास के परिणामस्वरूप अन्तिम परियोजना प्रभाव के मामले में गुणात्मक सुधार होगा।

विनियोग लेखे 2022-23 की लेखापरीक्षा जाँच में प्रकाश में आया कि कई ऐसी योजनायें थीं, जिनके लिए सरकार ने मूल प्रावधान किए लेकिन विनियोग लेखाओं में बिना कारण बताए कोई धनराशि व्यय नहीं की गई। इसी प्रकार, ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ मूल प्रावधानों को अन्य परियोजनाओं/योजनाओं में पुनर्विनियोजित किया गया था और उन योजनाओं पर कोई व्यय नहीं किया गया था जिनके लिए मूल रूप से विनियोग किया गया था। ऐसे प्रकरणों की चर्चा नीचे की गयी है:

#### **योजनायें (उप शीर्ष) जिनके बजट आवंटन का उपभोग नहीं किया जा सका**

विनियोग लेखे 2022-23 में देखा गया कि राज्य सरकार ने 13 अनुदानों के अन्तर्गत 22 योजनाओं (**परिशिष्ट-3.9**), जिसके लिए सौ करोड़ और उससे अधिक का बजट प्रावधान किया गया था, पर कोई व्यय नहीं किया, जैसा कि **तालिका 3.14** में संक्षेपित है।



तालिका 3.14: उन योजनाओं का सारांश जिनमें मूल प्रावधानों का उपयोग नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

अनुदानों की संख्या	योजना की संख्या	मूल अनुदान	कुल व्यय	बचत
13	22	9,458.85	0.00	9,458.85

स्रोत: विनियोग लेखा 2022-23


**योजनायें (उप शीर्षों) जिनसे मूल प्रावधानों का पुनर्विनियोग अन्य योजनाओं में किया गया**

राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 (परिशिष्ट-3.10) के दौरान 15 अनुदानों के तहत 30 योजनाओं के लिए ₹ 1,233.69 करोड़ (प्रत्येक प्रकरण में दस करोड़ और अधिक) का प्रावधान किया, लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया और इन योजनाओं से प्रावधानों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,233.69 करोड़) किया गया।

उपरोक्त 52 योजनाओं के अन्तर्गत निधियों का उपयोग न करना यह दर्शाता है कि या तो बजट बिना उचित विवेक के तैयार किया गया था, या कार्यक्रम के कार्यान्वयन में गम्भीर चूक हुई थी।

वर्ष 2022-23 में हुई कुल बचतों सहित अनुदानों का प्रतिशत उपभोग ग्रुप के अनुसार विवरण को **परिशिष्ट- 3.11** एवं **चार्ट 3.5** में दर्शाया गया है।

**चार्ट 3.5 : अनुदानों/विनियोगों की संख्याओं का ग्रुप के अनुसार कुल बचतों सहित बचतों के प्रतिशतता का वितरण**




स्रोत: विनियोग लेखा 2022-23

### 3.3.8 बचतों का विलम्बित अभ्यर्पण

यूपीबीएम का प्रस्तर 141 नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित करता है कि सभी अन्तिम बचतें 25 मार्च तक वित्त विभाग को अवश्य समर्पित कर दी जाए। जैसे ही बचतें प्रत्याशित हों तो उनका समर्पण शीघ्र किया जाना चाहिए। यदि वित्त विभाग ऐसे समर्पणों को स्वीकार करने में असमर्थ रहता है तो विलम्ब से समर्पण करने वाले अधिकारियों को परिणामी वित्तीय अनियमितता के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

वर्ष 2022-23 के दौरान बचत और अभ्यर्पण का विवरण चार्ट 3.6 में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 3.6: वर्ष 2022-23 के दौरान कुल बचतें एवं अभ्यर्पण



स्रोत: विनियोग लेखा 2022-23

चार्ट 3.6 में यह देखा जा सकता है कि कुल बचत ₹ 1,65,696.33 करोड़ में से कुल धनराशि ₹ 24,002.71 करोड़ (14.49 प्रतिशत) अभ्यर्पित किया गया था। कुल अभ्यर्पण में से ₹ 0.57 करोड़ 25 मार्च 2023 से पूर्व अभ्यर्पित किया गया था और शेष ₹ 24,002.14 करोड़ वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन समर्पित किया गया था। अवशेष बचत ₹ 1,41,693.62 करोड़ (85.51 प्रतिशत) अभ्यर्पित नहीं किया गया था। अग्रेतर, वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन किया गया अभ्यर्पण यूपीबीएम के निर्देशों का घोर उल्लंघन था।

#### वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण

तीन अनुदानों में निहित तीन प्रकरणों में (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 1.00 करोड़ या अधिक) ₹ 785.46 करोड़ की बचत के सापेक्ष ₹ 791.14 करोड़ की धनराशि का अभ्यर्पण किया गया, परिणामस्वरूप वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 5.68 करोड़ धनराशि का अधिक अभ्यर्पण हुआ, जैसा कि तालिका 3.15 में दर्शित है।

तालिका 3.15 : योजनाएं जिनमें बचत से अधिक अभ्यर्पण हुआ का सारांश

(₹ करोड़ में)				
अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	बचत	अभ्यर्पण	अधिक अभ्यर्पण
68	विधान सभा सचिवालय (राजस्व मतदेय)	21.93	25.85	3.92
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा-राजस्व मतदेय)	578.68	580.43	1.75
17	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (राजस्व मतदेय)	184.85	184.86	0.01
<b>योग</b>		<b>785.46</b>	<b>791.14</b>	<b>5.68</b>

स्रोत : विनियोग लेखा 2022-23

वास्तविक बचत से अधिक धनराशि के समर्पण से स्पष्ट है कि विभागों द्वारा व्यय के प्रवाह को निगरानी कर पर्याप्त बजटीय नियन्त्रण का प्रयोग नहीं किया गया था।

### 3.4 चयनित अनुदानों की समीक्षा

चयनित अनुदानों के सम्बन्ध में बजटीय प्रक्रिया और व्यय पर नियन्त्रण हेतु समीक्षा की गयी जिसमें मूल अनुदानों, अनुपूरक माँगों और वास्तविक व्यय में भिन्नता के परिणाम का विश्लेषण किया गया। अनुदान समीक्षा के परिणाम की चर्चा इस प्रतिवेदन के आगामी प्रस्तारों में की गयी है।

#### 3.4.1 अनुदान सं0 60 वन विभाग

##### 3.4.1.1 प्रस्तावना

अनुदान सं0 60-वन विभाग में सम्मिलित हैं मुख्य शीर्ष 2049-ब्याज भुगतान, 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, 2406-वानकी एवं वन्य जीवन, 2407-वृक्षारोपण, 2415-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा, 3604-नगरीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं में प्रतिकर एवं समनुदेशन, 4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूँजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय एवं 4406-वानिकी एवं वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय।

##### 3.4.1.2 बजट एवं व्यय

पिछले तीन वर्षों (2020-21 से 2022-23) के लिए अनुदान के तहत बजट प्रावधानों, वास्तविक व्यय और अप्रयुक्त प्रावधानों की समग्र स्थिति को तालिका 3.16 में दिया गया है।

तालिका 3.16 : वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान बजट प्रावधान, व्यय एवं बचत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	खण्ड	बजट प्रावधान	योग	व्यय	अप्रयुक्त प्रावधान और इसका प्रतिशत
2020-21	राजस्व-मतदेय मूल	901.55	901.55	566.71	334.84 (37.14)
	अनुपूरक	0.00			
	राजस्व-भारित मूल	0.14	0.14	0.00	0.14 (100.00)
	अनुपूरक	0.00			
	पूँजी-मतदेय मूल	468.19	468.19	414.63	53.56 (11.44)
	अनुपूरक	0.00			
<b>योग</b>		<b>1369.88</b>	<b>981.34</b>	<b>388.54</b>	
2021-22	राजस्व-मतदेय मूल	936.89	936.89	589.33	347.56 (37.10)
	अनुपूरक	0.00			
	राजस्व-भारित मूल	0.14	0.14	0.00	0.14 (100.00)
	अनुपूरक	0.00			
	पूँजी-मतदेय मूल	568.86	568.86	541.05	27.81 (4.89)
	अनुपूरक	0.00			
<b>योग</b>		<b>1505.89</b>	<b>1,130.38</b>	<b>375.51</b>	
2022-23	राजस्व-मतदेय मूल	1010.88	1010.98	671.21	339.77 (33.61)
	अनुपूरक	0.10			
	राजस्व-भारित मूल	31.80	31.80	31.69	0.11 (0.35)
	अनुपूरक	0.00			
	पूँजी-मतदेय मूल	729.93	986.44	900.58	85.86 (8.70)
	अनुपूरक	256.51			
<b>योग</b>		<b>2029.22</b>	<b>1603.48</b>	<b>425.74</b>	

स्रोत: वन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के विनियोग लेखे

तालिका 3.16 दर्शाती है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्व-मतदेय के अन्तर्गत अप्रयुक्त बजट प्रावधान 33.61 प्रतिशत से 37.14 प्रतिशत के सीमान्तर्गत था जबकि वर्ष 2020-21 से 2021-22 के दौरान राजस्व-भारित के अन्तर्गत कुल बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा।

अगस्त 2023 में विभाग ने उत्तर में बताया कि वर्ष 2020-23 के दौरान राजस्व (मतदेय गैर-योजना) शीर्ष की अप्रयुक्त धनराशि वेतन एवं अधिष्ठान शीर्ष से सम्बन्धित थी, जिसका निर्धारण स्वीकृत मानव शक्ति के आधार पर था। बचत रिक्त पद/अधिवार्षिता के कारण थी और आगामी वर्षों में बचत में कमी की संभावना थी। राजस्व भारित शीर्ष के सन्दर्भ में, विभाग ने आगे बताया कि यह राशि किसी अदालत या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के फैसले, डिक्री या पुरस्कार के अनुपालन में संभावित भुगतान के लिए प्रावधानित की गयी थी।

### 3.4.1.3 सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा

जैसा कि प्रस्तर 3.3.7 में चर्चा की गयी है कि राज्य सरकार ने 13 अनुदानों के अन्तर्गत 22 योजनाओं, पर जिसमें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ और अधिक का प्रावधान किया गया था, (परिशिष्ट-3.9) पर कोई भी व्यय नहीं किया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त, वन विभाग की अनुदान लेखापरीक्षा में देखा गया कि दो शीर्ष/योजनाओं में मूल प्रावधान के साथ-साथ अनुपूरक प्रावधान भी किया गया था लेकिन कोई भी व्यय नहीं किया गया जैसा कि तालिका 3.17 में चर्चा की गयी है।

तालिका 3.17: योजनाएं जिनमें सम्पूर्ण प्रावधान उपयोग नहीं किया जा सका।

(₹ करोड़ में)

क्र०सं०	लेखा शीर्ष	योजना / शीर्ष का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	अप्रयुक्त प्रावधान
1.	4406-01-102-01 मतदेय	केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	7.05	21.71	28.76	0.00	28.76
2.	4406-01-102-89 मतदेय	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के संगत राज्यांश	5.23	14.47	19.70	0.00	19.70
विभाग ने (अगस्त 2023) में उत्तर दिया कि केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (सी.एस.एस.) में भारत सरकार से निधि अन्तरण और मैकेनिज्म प्रणाली के अनुश्रवण में बदलाव के कारण और पीएफएमएस में मैपिंग पूरी न होने कारण केन्द्रांश प्राप्त नहीं हो सका था।							

स्रोत : वन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं वर्ष 2022-23 का विनियोग लेखा

अग्रेतर, एक शीर्ष/योजना के अन्तर्गत, सरकार ने मूल प्रावधान से पुनर्विनियोजन किया, यद्यपि विभाग ने पुनर्विनियोजन के उपरान्त अवशेष बजट प्रावधान में से कोई व्यय नहीं किया जैसा कि तालिका 3.18 में चर्चा की गयी है।

तालिका 3.18 : योजना जिसके लिये पुनर्विनियोजन के उपरान्त बजट प्रावधान उपयोग नहीं किया जा सका

(₹ करोड़ में)

क्र०सं	लेखाशीर्ष	योजना/शीर्ष का नाम	मूल प्रावधान	पुनर्विनियोग	योग	व्यय	अप्रयुक्त प्रावधान
1.	4406-02-110-08 मतदेय	कुकरैल वन क्षेत्र में पर्यावरण पर्यटन और जैव विविधता केन्द्र की स्थापना।	10.00	(-)4.75	5.25	0.00	5.25
विभाग ने उत्तर (अगस्त 2023) दिया कि कुकरैल वन क्षेत्र में कुकरैल नाइट सफारी पार्क की स्थापना की अनुमति विचाराधीन होने के कारण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था। वास्तव में विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्य की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने की शुरुआत भी नहीं की जा सकी थी जिसके कारण बजट प्रावधान का उपयोग नहीं किया जा सका था।							

स्रोत : वन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं वर्ष 2022-23 का विनियोग लेखा

उपरोक्त शीर्ष/योजनाओं के अन्तर्गत निधि का उपभोग न करना यह प्रदर्शित करता है कि प्रस्तावित कार्य की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी किये बिना बजट का प्रावधान किया गया था।

#### 3.4.1.4 नई योजनाओं/सेवाओं का क्रियान्वयन

अनुदान सं० 60 (वन विभाग) में वर्ष 2022-23 के लिये 11 नये शीर्ष/योजनाओं के लिये प्रावधान किया गया था। अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 11 नये शीर्ष/योजनाओं में से तीन प्रकरणों में प्रावधान के सापेक्ष 50.00 प्रतिशत से 60.40 प्रतिशत व्यय किया जैसा कि तालिका 3.19 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.19 : नई सेवाओं में व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र०सं०	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	व्यय (प्रतिशतता)	अप्रयुक्त प्रावधान
1.	2406-01-070-03 मतदेय	बुंदेलखण्ड के अलावा अन्य जिलों में वन विश्राम गृह का नवीनीकरण एवं रखरखाव	10.00	6.04 (60.40)	3.96
विभाग ने उत्तर में बताया (अगस्त 2023) कि अप्रयुक्त धनराशि के पुनर्विनियोग हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा था, यद्यपि जिसका अनुमोदन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ था।					
2.	2406-02-111-04 मतदेय	शहीद अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर गोरखपुर के लिये कार्पस फण्ड	50.00	25.00 (50.00)	25.00
विभाग ने उत्तर में बताया (अगस्त 2023) कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केवल ₹ 25 करोड़ वित्तीय स्वीकृति प्रदान की थी।					
3.	4406-02-110-04 मतदेय	सारनाथ हिरन पार्क में वन्यजीव प्रबंधन एवं पर्यटन सुविधाओं का विकास	0.33	0.18 (54.55)	0.15
विभाग ने उत्तर में बताया (अगस्त 2023) कि मूल्यांकन कमेटी ने, जैसा कि निर्देशित किया था, कि विश्राम गृहों के रखरखाव हेतु प्रस्तावित कार्य के स्थान पर छोटे चिड़ियाघर के उन्नयन का प्रस्ताव समय पर प्राप्त नहीं हो सका था और जिसके फलस्वरूप निधि का उपयोग नहीं हो सका था।					

स्रोत : वन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं वर्ष 2022-23 का विनियोग लेखा

जैसा कि तालिका 3.19 में चर्चा की गई है, विभाग प्रस्तावित कार्य के निष्पादन हेतु आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं कर सका, जिसके फलस्वरूप निधि का उपयोग नहीं हुआ।

### 3.4.1.5 अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

यूपीबीएम का प्रस्तर 162 अन्य बातों के साथ यह अपेक्षा करता है कि अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता तब होती है जब विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत अनुदान या विनियोग में शामिल राशि वर्ष के लिए अपर्याप्त पाई जाती है, या जब उस वर्ष के लिए विनियोग अधिनियम में विचार नहीं की गई कुछ नई सेवाओं, योजना या मद पर व्यय करने के लिए आवश्यकता उत्पन्न होती है।

वन विभाग के वर्ष 2022-23 के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि दो योजनाओं में ₹ 37.18 करोड़ की धनराशि का अनुपूरक प्रावधान किया गया जो कि इन प्रकरणों में कुल प्रावधान उपयोग न किये जाने के कारण अनावश्यक सिद्ध हुआ जैसा कि तालिका 3.20 में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.20 : अनुपूरक प्रावधान में बचत, व्यय व प्रावधान का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र०सं०	शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत
1.	4406-01-102-01 मतदेय	हरित भारत मिशन	7.05	21.71	28.76	0.00	28.76
	4406-01-102-89 राज्यांश-मतदेय		5.23	14.47	19.70	0.00	19.70
विभाग ने उत्तर में बताया (अगस्त 2023) कि भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश अवमुक्त न किये जाने के कारण हरित भारत मिशन के प्रावधान का उपयोग न किया जा सका।							
2.	2406-02-110-17 मतदेय	लखनऊ में कुकरैल नाइट	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10
	4406-02-110-17 मतदेय	सफारी पार्क की स्थापना	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90
विभाग ने उत्तर में बताया (अगस्त 2023) कि कुकरैल नाइट सफारी पार्क की स्थापना केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडए) से अनुमति के अभाव में कार्य की शुरुआत नहीं की जा सकी। तथ्य यह है कि बजट प्रावधानों की उपलब्धता के बावजूद, विभाग कुकरैल नाइट सफारी पार्क की स्थापना के प्रस्तावित कार्य को प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करना सुनिश्चित नहीं कर सका।							
योग			12.28	37.18	49.46	0.00	49.18

स्रोत : वन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं वर्ष 2022-23 का विनियोग लेखा

### 3.4.1.6 सतत बचतें

वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान बजट आवंटन का पर्याप्त अंश (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 1.00 करोड़ या अधिक) शीर्ष 2406-04-103-03 (राज्य प्रतिपूरक वनरोपण-राज्य प्राधिकरण) के अन्तर्गत इस अनुदान में अप्रयुक्त रहा, जो यह इंगित करता है कि संगत वर्षों में प्रस्तावित वित्तीय व्यय का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका था जैसा कि तालिका 3.21 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.21 : सतत् बचत (₹ 1 करोड़ और अधिक) का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र०सं०	शीर्ष	योजना का नाम	बचतें	बचतें	बचते
			2020-21	2021-22	2022-23
1.	2406-04-103-03 राजस्व-मतदेय	राज्य प्राधिकरण-राज्य प्रतिकर वनीकरण	26.06	3.11	368.26
लेखापरीक्षा में देखा गया कि शीर्ष 2406-04-103-03 राज्य प्राधिकरण-राज्य प्रतिकर वनीकरण के अन्तर्गत प्रतिकर वनीकरण, जल संग्रहण क्षेत्र शोधन योजना, वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) व ब्याज भुगतान शीर्ष हेतु प्रावधान किया गया था। वन भूमि के एनपीवी और ब्याज भुगतान शीर्ष के बचत के सन्दर्भ में विभाग ने उत्तर में बताया (अगस्त 2023) कि वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान कई वन संभागों द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति न किये जाने के कारण बचत हुई थी और क्रमशः संगत शीर्ष में कम व्यय हुआ। तथापि, जल संग्रहण क्षेत्र शोधन योजना शीर्ष के अन्तर्गत बचत के सन्दर्भ में विभाग ने बताया (अगस्त 2023) कि वन भूमि के अन्तरण हेतु भारत सरकार से लम्बित अनुमोदन के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निधि के लिये प्रस्ताव न भेजना बचत का कारण था।					

स्रोत : वन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के विनियोग लेखे

वर्षों से सतत् बचत, राज्य सरकार द्वारा निधि की आवश्यकता के अनुचित मूल्यांकन का संकेतक है।

#### 3.4.1.7 लघु शीर्ष 800 का अविवेकपूर्ण उपयोग

लेखापरीक्षा में देखा गया कि वन विभाग ने मुख्य शीर्ष-2406 एवं मुख्य शीर्ष 4406 के अन्तर्गत लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अन्तर्गत ₹ 3.21 करोड़, ₹ 3.27 करोड़ एवं ₹ 7.03 करोड़ की धनराशि का व्यय क्रमशः वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान इन व्ययों को उचित लघु शीर्षों में दर्ज करने के बजाय इन शीर्षों में दर्ज किया गया था जिसका विवरण तालिका 3.22 में अंकित है।

तालिका 3.22: लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष / उप-मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत व्यय एवं इसका मुख्य शीर्ष के कुल व्यय से प्रतिशतता		
	2020-21	2021-22	2022-23
2406-वानिकी एवं वन्य जीवन - 01-वानिकी	2.21 (0.39)	0.77 (0.13)	0.78 (0.12)
4406-वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय-01-वानिकी	1.00 (0.24)	2.50 (0.46)	6.25 (0.69)
<b>योग</b>	<b>3.21</b>	<b>3.27</b>	<b>7.03</b>
लेखापरीक्षा में देखा गया कि विभाग ने केन्द्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस) से सम्बन्धित व्यय, वन अग्नि की सुरक्षा एवं प्रबन्धन योजना, संशोधित कार्य योजना एवं निर्माण, ई-गवर्नेन्स योजना, सीएसएस का सम्बन्धित राज्यांश, मूसाबाग वन क्षेत्र लखनऊ का विकास एवं सुरक्षा, आचार्य नरेन्द्र देव स्मारक पार्क की स्थापना, पारिस्थितिकी पर्यटन का विकास, वन देवी जैव-विविधता क्षेत्र मऊ का विकास एवं सुरक्षा, गौरा हार्दो आजमगढ़ में वन विहार पार्क का विकास 'लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय' में दर्ज किया गया था। तथापि ये व्यय मुख्य शीर्ष 2406 एवं मुख्य शीर्ष-4406 के अन्तर्गत उपलब्ध लघु शीर्ष-101-वन संरक्षण, विकास एवं पुनरूत्थान, 102-सामाजिक एवं फार्म वानिकी या 001-निर्देशन एवं प्रशासन से सम्बन्धित होने चाहिये थे।			

विभाग ने (अगस्त 2023) आश्वस्त किया कि इन व्ययों को सम्बन्धित लघु शीर्षों में प्रावधान एवं दर्ज करने हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा।

स्रोत: वन विभाग एवं कार्यालय म०ले० (ले०एवं ह०-१) उ०प्र० प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

### 3.4.2 अनुदान सं० 38 नागरिक उड्डयन

#### 3.4.2.1 प्रस्तावना

अनुदान सं० 38- नागरिक उड्डयन में मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2203- प्रावधिक शिक्षा, 3053- नागरिक उड्डयन एवं 5053- नागरिक उड्डयन पर पूँजीगत परिव्यय शीर्ष सम्मिलित हैं।

#### 3.4.2.2 बजट एवं व्यय

पिछले तीन वर्षों (2020-21 से 2022-23) के लिए अनुदान के तहत बजट प्रावधानों, वास्तविक व्यय और बचत की समग्र स्थिति को तालिका 3.23 में दिया गया है।

तालिका 3.23 : वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	खण्ड	बजट प्रावधान	योग	व्यय	अप्रयुक्त प्रावधान और इनकी प्रतिशतता
2020-21	राजस्व-मूल (वी)	146.91	146.91	87.96	58.95 (40.13)
	अनुपूरक	0.00			
	पूँजी-मूल (वी)	2,604.75	2604.75	1728.92	875.83 (33.62)
	अनुपूरक	0.00			
2021-22	राजस्व-मूल (वी)	101.19	101.19	52.72	48.47 (47.90)
	अनुपूरक	0.00			
	पूँजी-मूल (वी)	2,206.00	2206.00	128.28	2077.72 (94.18)
	अनुपूरक	0.00			
2022-23	राजस्व-मूल (वी)	103.68	103.68	76.17	27.51 (26.53)
	अनुपूरक	0.00			
	पूँजी-मूल (वी)	2,212.00	2212.00	2013.77	198.23 (8.96)
	अनुपूरक	0.00			

स्रोत : विनियोग लेखे

तालिका 3.23 दर्शाती है कि पूँजी (मतदेय) के अन्तर्गत अप्रयुक्त बजट प्रावधान 8.96 प्रतिशत और 94.18 प्रतिशत के मध्य एवं राजस्व (मतदेय) के अन्तर्गत बजट प्रावधान 26.53 प्रतिशत और 47.90 प्रतिशत के मध्य था।

विभाग ने उत्तर में बताया (अगस्त 2023) कि वर्ष 2020-21 से 2021-22 के दौरान कोविड के दृष्टिकोण से पूर्णबन्दी और 2021-22 में विधानसभा चुनाव जिसके कारण हैलीकाप्टर संचालन प्रभावित हुआ था, बजट का कम उपयोग हो पाया। आगे, 2022-23 के दौरान, विभाग ने बताया कि पूँजीगत परियोजनाओं पर कम व्यय के कारण बचत हुई थी।



### 3.4.2.3 बचतों का समर्पण न किया जाना

यूपीबीएम के अनुसार व्यय करने वाले विभागों को अनुदानों/विनियोगों या उनके अंश का समर्पण वित्त विभाग को 25 मार्च तक करना आवश्यक है।

अनुदान सं0 38 नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान बचतों की स्थिति एवं समर्पण को तालिका 3.24 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.24: अनुदान सं 38-नागरिक उड्डयन के अन्तर्गत बचतों का समर्पण न किया जाना

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बचत		समर्पण	
	राजस्व (वी)	पूँजी (वी)	राजस्व (वी)	पूँजी (वी)
2020-21	58.95	875.83	0.00	0.00
2021-22	48.47	2077.72	9.91	2077.62
2022-23	27.51	198.23	27.51	198.23

स्रोत: विनियोग लेखे

लेखापरीक्षा में देखा गया कि विभाग ने सभी समर्पण जैसा तालिका 3.23 में दर्शाया गया है कि वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन अर्थात् 31 मार्च को किया था, जो कि यूपीबीएम का उल्लंघन था।

### 3.4.2.4 व्यय का गलत वर्गीकरण

मुख्य शीर्ष 3053 के नीचे टिप्पणी (8) के अनुसार केन्द्र व राज्य के लेखाओं के मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची (एलएमएमएच) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा उच्च पदाधिकारियों के उपयोग हेतु क्रय किये गये वायुयान का वर्गीकरण सरकार के सामान्य प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत किया जाना चाहिये। अग्रेतर, एलएमएमएच में मुख्य शीर्ष 2070 के अन्तर्गत टिप्पणी (6) के नीचे प्रावधानित है कि सरकार द्वारा संरक्षित वायुयान पर क्रय एवं रखरखाव पर किया गया व्यय नियमित लोक सेवा जैसा नहीं है और मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं के नीचे लघु शीर्ष 114 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिये। इस प्रकार, वायुयान के रखरखाव एवं मरम्मत पर किये गये व्यय का वर्गीकरण मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं के अन्तर्गत किया जाना चाहिये न कि मुख्य शीर्ष 3053-नागरिक उड्डयन या एमएच 5053-नागरिक उड्डयन के अन्तर्गत पूँजीगत परिव्यय।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में देखा गया कि विभाग ने राज्य हेलीकाप्टरों पर विशेष मरम्मत के अन्तर्गत ₹ 11.81 करोड़ के व्यय को राजस्व मुख्य शीर्ष 2070 के बजाय पूँजी के मुख्य शीर्ष 5053 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया। लेखाओं की पुस्तकों में राजस्व व्यय का पूँजी व्यय के रूप में वर्गीकरण राज्य के राजस्व आधिक्य को भी प्रभावित किया था।

विभाग ने उत्तर में बताया (जुलाई 2023) कि व्यय का वर्गीकरण उसी लेखाशीर्ष में किया गया था जिसमें बजट आवंटित किया गया था।

तथ्य यह है कि राज्य हेलीकाप्टर की मरम्मत और रखरखाव पर किये गये व्यय को राजस्व व्यय के बजाय पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जो एलएमएमएच के तहत निर्देशों का उल्लंघन था।

### 3.4.2.5 सम्पूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त और असमर्पित रहा

शासन ने लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षा प्रणाली की स्थापना और क्रय हेतु ₹ 0.88 करोड़ (फरवरी 2023) स्वीकृत किये। वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक बजट में मशीन एवं उपकरणों हेतु शीर्ष 5053-02-800-04-26 के अन्तर्गत ₹ एक करोड़ का प्रावधान किया गया था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि ₹ एक करोड़ का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा और समर्पित कर दिया तथा प्रस्तावित उपकरण की खरीद भी नहीं की जा सकी थी।

विभाग ने उत्तर में बताया (अगस्त 2023) कि भारत सरकार के नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के मानकों के अनुसार सुरक्षा उपकरणों की खरीद हेतु एक क्रय समिति और प्रावधिक कमेटी का गठन किया गया लेकिन क्रय समिति वित्तीय वर्ष में क्रय प्रक्रिया को पूरी नहीं कर सकी थी।

तथ्य यह है कि खरीद प्रक्रिया में देरी के कारण उपकरणों की खरीद के लिये प्रदान की गयी धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका।

### 3.5 निष्कर्ष

- वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 6,85,555.91 करोड़ के कुल बजट प्रावधान में से ₹ 1,65,696.33 करोड़ की कुल बचत हुई। पिछले पाँच वर्षों (2018-23) के दौरान बजटीय प्रावधानों में लगातार वृद्धि हुई, लेकिन बजट का उपभोग 73 प्रतिशत से 82 प्रतिशत सीमान्तर्गत था। तथापि वित्तीय वर्ष 2022-23 में पिछले वर्ष 2021-22 की तुलना में वास्तविक व्यय में ₹ 70,794.11 करोड़ (15.76 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- व्यय के गलत वर्गीकरण, वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही में व्यय का अतिरेक, बड़ी संख्या में योजनाओं के तहत अप्रयुक्त प्रावधान और बजट प्रावधानों के अनावश्यक पुनर्विनियोग के प्रकरण थे। इसके अलावा, विभागीय नियन्त्रण अधिकारियों ने बचतों का अभ्यर्पण नहीं किया और 85.51 प्रतिशत बचतें व्यपगत हो गईं।
- वर्ष 2005-06 से 2020-21 से सम्बन्धित 104 अनुदानों और 48 विनियोजनों के तहत ₹ 32,533.46 करोड़ के अधिक संवितरण को नियमितीकरण के लिए राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाना बाकी है। अधिक व्यय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत नियमितीकरण की आवश्यकता है।

### 3.6 संस्तुतियाँ

- वित्त विभाग को उन कारणों की समीक्षा करनी चाहिए जिनके कारण विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत प्रावधान अप्रयुक्त रहे और भविष्य के वर्षों में अधिक विवेकपूर्ण बजट प्रावधान करने के लिए कदम उठाने चाहिए।
- पुनर्विनियोग निधि की आवश्यकताओं के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए। वित्त विभाग सम्बन्धित विभागों को निधियों के इष्टतम उपयोग के क्रम में संशोधित अनुमान प्रस्तुत करते समय योजनाओं/परियोजनाओं के लागत अनुमान की सटीकता में सुधार करने की सलाह दे सकता है।

7. वित्त विभाग को विभागीय नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा व्यय की प्रवृत्ति की निगरानी करनी चाहिए, ताकि अन्तिम समय के अभ्यर्पण और आवंटन के व्यपगत होने का सहारा लिए बिना, निधियों को अनावश्यक रूप से रखा न जाये एवं शीघ्रातिशीघ्र अभ्यर्पित कर दिया जाय।
8. कतिपय मानक मदों में सम्मिलित पूँजीगत या राजस्व प्रकृति के कुछ व्यय के मदों का वर्गीकरण निश्चित मानक शीर्ष में सम्मिलित कर लिया गया जैसा कि प्रस्तर 3.2.2 में इंगित किया गया है। इसको यूपीबीएम के साथ संरेखित करने के लिये समीक्षा और निवारण करने की आवश्यकता है।
9. सरकार व्यय की स्थिर गति बनाए रखने के लिए वित्तीय वर्ष के अन्तिम महीनों विशेष रूप से मार्च के महीने में व्यय के अतिरेक को नियन्त्रित करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने पर विचार कर सकती है।
10. राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिक व्यय के सभी मौजूदा मामले संविधान के अनुच्छेद 205 में निहित प्रावधानों के अनुसार नियमितीकरण के लिए राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखे जाएं।



## अध्याय - IV

लेखाओं की गुणवत्ता  
एवं वित्तीय रिपोर्टिंग  
परम्परायें



## अध्याय-IV

### लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग परम्पराएं

सुसंगत एवं विश्वसनीय सूचना सहित एक मजबूत आन्तरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली राज्य सरकार को दक्ष एवं प्रभावी शासकीय व्यवस्था प्रदान करती है। अतः वित्तीय नियमों, पद्धतियों एवं निर्देशों के अनुसार अनुपालन साथ ही साथ उन अनुपालनों के रिपोर्टिंग की समयबद्धता एवं गुणवत्ता अच्छे शासन के गुणों में से एक है। अनुपालनों एवं नियंत्रणों पर प्रतिवेदन, यदि यह प्रभावी एवं प्रचालन योग्य है, सरकार के सामरिक नियोजन एवं निर्णय निर्माण सहित मूलभूत प्रबन्धकीय उत्तरदायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करता है। यह अध्याय सम्पूर्णता, पारदर्शिता, माप एवं प्रकटीकरण के सम्बन्ध में निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों सहित वित्तीय रिपोर्टिंग परम्पराओं में राज्य सरकार के लेखों की गुणवत्ता एवं अनुपालन पर एक विहंगावलोकन प्रदान करता है।

### लेखों की सम्पूर्णता सम्बन्धित प्रकरण

#### 4.1 राज्य के स्वामित्व वाले पीएसई/प्राधिकरणों के माध्यम से प्राप्त गैर-बजट ऋण को संचित निधि में जमा नहीं किया जाना

राज्य सरकार ने राज्य के ऋण मापदण्डों पर प्रभाव डालने वाले व्ययों की पूर्ति हेतु राज्य के स्वामित्व वाले पीएसई/प्राधिकरणों के माध्यम से संचित निधि में जमा नहीं किए जा रहे गैर-बजट ऋण का सहारा लिया।

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (यूपीएफआरबीएम) अधिनियम, 2004 में उल्लिखित है कि राज्य सरकार अपने राजकोषीय संक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभूतियों के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक देनदारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और स्पेशल पर्पज वेहिकल द्वारा लिये गये ऋण से उत्पन्न वास्तविक देनदारियों तथा अन्य समकक्ष प्रपत्र, जहाँ पुनर्भुगतान का दायित्व राज्य सरकार के आवंटन पर है, का राजकोषीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव को लोक हित में प्रदर्शित करने का उपयुक्त उपाय करेगी। अग्रेतर, उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन नियम, 2006 में प्रावधान किया गया है कि बजट अभिलेखों के साथ विधानमण्डल के समक्ष रखे जाने वाले 'मध्यम अवधि राजकोषीय पुनर्गठन नीति (एमटीएफआरपी) विवरण' में राज्य सरकार के राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा एवं कुल बकाया ऋण<sup>23</sup> के सम्बन्ध में पाँच साल का आवर्ती लक्ष्य भी सम्मिलित होंगे। वर्ष 2022-23 के लिए ऋण स्टाक का लक्ष्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 32.5 प्रतिशत रखा गया। राज्य सरकार ने अपने बजट में गैर बजट ऋण का ब्योरा नहीं दिया। यद्यपि, राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक, बकाया गैर बजट ऋण ₹ 24,314.36 करोड़ था जिसमें 2022-23 के दौरान उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा लिया गया ₹ 3,488.00 करोड़ का ऋण शामिल था।

<sup>23</sup> राज्य का कुल बकाया ऋण राज्य के ऋणस्टॉक की स्थिति या कुल ऋणग्रस्तता जिसमें आन्तरिक ऋण—, भारत सरकार ऋण एवं अग्रिम, लघु बचत, भविष्य निधि आदि, आरक्षित निधियां एवं जमा और अग्रिम शामिल हैं, को इंगित करता है।

#### 4.2 परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में अनुमोचित देनदारियां

राज्य सरकार ने परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए नामित निधि प्रबन्धक को अग्रेतर निवेश हेतु अंशदान अन्तरित न कर अपनी देनदारियों का उन्मोचन नहीं किया।

1 अप्रैल 2005 या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (डीसीपीएस) के अन्तर्गत आच्छादित हैं। सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वायत्त निकायों के नवनियुक्त भी इसी योजना से आच्छादित हैं। योजना की शर्तों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी मूल वेतन और मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान करते हैं जबकि राज्य सरकार 14 प्रतिशत का योगदान करती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, प्रारम्भ में दोनों योगदान सरकारी कर्मचारियों के लिये सम्बन्धित लेखा शीर्ष 8342-अन्य जमा-117 डीसीपीएस तथा सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों और स्वायत्त निकायों के लिये लेखा शीर्ष 8342-120-विविध जमा के अन्तर्गत लोक लेखे में जमा किये जाते हैं। इसके बाद, डीसीपीएस में योगदान की गई सम्पूर्ण धनराशि (सरकार का योगदान और कर्मचारियों का योगदान) को राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबन्धक को हस्तांतरित किया जाना वांछनीय है। अग्रेतर, मुख्य शीर्ष 8342 ब्याज सहित जमा की श्रेणी में आता है, इसका तात्पर्य यह है कि सरकार द्वारा अहस्तांतरित शेष पर ब्याज का भुगतान करना वांछनीय है।

वर्ष 2022-23 की अवधि में, राज्य सरकार ने लेखा शीर्ष 2071-01-117-डीसीपीएस के लिए सरकार के योगदान के अन्तर्गत ₹ 6,744.03 करोड़ का व्यय पुस्तांकित किया। इसमें सरकार के योगदान के रूप में ₹ 6,255.10 करोड़ (सरकारी कर्मचारियों के लिए ₹ 3,772.71 करोड़, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के लिए ₹ 2,476.96 करोड़ एवं सहायता स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए ₹ 5.43 करोड़) तथा ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन एवं योजना से आच्छादित कर्मचारियों की विलम्बित जमाओं पर ब्याज के भुगतान हेतु ₹ 488.93 करोड़ शामिल हैं। इसमें से, परिभाषित अंशदायी योजना हेतु सरकार के योगदान की धनराशि ₹ 6,237.81 करोड़ लोक लेखे में डीसीपीएस हेतु नामित मुख्य शीर्ष 8342 में हस्तान्तरित की गयी। राजस्व व्यय के रूप में पुस्तांकित धनराशि (₹ 6,255.10 करोड़) एवं डीसीपीएस हेतु नामित शीर्ष में वास्तविक हस्तान्तरित धनराशि (₹ 6,237.81 करोड़) के मध्य अन्तर राज्य सरकार एवं महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के मध्य समाधान के अधीन है।

वर्ष 2022-23 के वित्त लेखे के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों के लिए 8342-117-डीसीपीएस शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 481.05 करोड़ की राशि अंतिम अवशेष थी। जिसको कि एनएसडीएल/न्यासी बैंक हस्तांतरित नहीं की गयी थी। वर्ष के प्रारम्भ में सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में डीसीपीएस का प्रारम्भिक अवशेष ₹ 440.62 करोड़ था इस पर सरकार को सामान्य भविष्य निधि पर देय ब्याज दर के अनुसार गणना किये गये ब्याज की धनराशि ₹ 31.28 करोड़ को जमा करना वांछनीय था। तथापि, सरकार ने ₹ 0.53 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया। इसका प्रभाव राज्य के राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटे पर भी पड़ा, जो वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 30.75 करोड़ क्रमशः अधिक और कम बताया गया था।



अग्रेतर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संधृत आँकड़ों के अनुसार, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में, राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में लेखा शीर्ष 8342-120 में ₹ 4,463.96 करोड़ की प्राप्तियों (कर्मचारियों का योगदान ₹ 2,019.43 करोड़ एवं सरकार का योगदान ₹ 2,444.53 करोड़) के सापेक्ष ₹ 3,992.44 करोड़ एनएसडीएल/न्यासी बैंक को हस्तान्तरित किया गया। नामित निधि प्रबन्धक को डीसीपीएस के अंशदान के इस प्रकार कम हस्तांतरण के प्रकरण को 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021 एवं 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में पूर्व में भी, संज्ञान में लाया गया था। इस प्रकार राज्य सरकार ने डीसीपीएस हेतु देयता का उन्मोचन नहीं किया और वर्तमान देयता भविष्य के वर्षों हेतु स्थगित कर दी गई। परिणामस्वरूप, अप्रेषित निधि अभिदाताओं के निवेश के कोष का अंश न बन सकने के कारण इसमें कोई मूल्य वृद्धि भी नहीं हुई।

#### 4.3 उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि

राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (यूपीआरटीएआरएफ) की स्थापना नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 915.46 करोड़ की धनराशि यूपीआरटीएआरएफ में जमा नहीं की जा रही थी।

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (यूपीएमवीटी) अधिनियम, 1997 (यथा संशोधित 2009) की धारा 8 (1) के प्रावधानों के अनुसार, किसी सार्वजनिक सेवा वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर पीड़ित यात्रियों, उनके उत्तराधिकारियों या सेवा वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से प्रभावित अन्य व्यक्तियों को सहायता देने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (यूपीआरटीएआरएफ) स्थापित करेगी। धारा 4 के अधीन उद्ग्रहीत कर के दो प्रतिशत और धारा 6 के अधीन उद्ग्रहीत अतिरिक्त कर के दो प्रतिशत के बराबर धनराशि निधि में जमा की जाएगी।

राज्य सरकार द्वारा यूपीआरटीएआरएफ की स्थापना न करके यूपीएमवीटी अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान के उद्देश्य को नकार दिए जाने के प्रकरण का उल्लेख, 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (उत्तर प्रदेश सरकार-वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं0 04 का प्रस्तर सं0 1.9.3.2) में किया गया था। अपने उत्तर में राज्य सरकार ने बताया था कि यूपीआरटीएआरएफ की स्थापना किए जाने की प्रक्रिया प्रगति पर थी। प्रकरण को 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021 एवं 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 4.4 में बार बार दोहराया गया। तथापि, यह पाया गया कि राज्य सरकार ने यूपीआरटीएआरएफ की स्थापना अभी तक नहीं की थी।

2015-23 की अवधि के दौरान, परिवहन विभाग ने यूपीएमवीटी अधिनियम की धारा 4 एवं 6 के अन्तर्गत ₹ 45,772.30 करोड़ का कर वसूल किया, जिसका विवरण तालिका 4.1 में दिया गया है।

तालिका 4.1: 2015–23 की अवधि के दौरान यूपीआरटीएआरएफ में जमा किए जाने योग्य कर का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	धारा 4 के अधीन वसूल किया गया कर			धारा 6 के अधीन वसूल किया गया अतिरिक्त कर 0041-102-01	धारा 4 और धारा 6 के अधीन वसूल किया गया कुल कर	यूपीआरटीएआरएफ में हस्तांतरित किये जाने हेतु 2 प्रतिशत
	लेखा शीर्ष 0041-102-01	0041-102-03	योग 4 = 2+3			
1	2	3	4 = 2+3	5	6 = 4+5	7 = स्तम्भ 6 का 2 प्रतिशत
2015-16	3710.60	159.40	3870.00	213.00	4083.00	81.66
2016-17	4357.84	168.27	4526.11	243.67	4769.78	95.40
2017-18	5186.72	186.02	5372.74	270.73	5643.47	112.87
2018-19	5585.21	199.77	5784.98	259.01	6043.99	120.88
2019-20	5843.87	203.25	6047.12	231.25	6278.37	125.57
2020-21	4809.33	153.75	4963.08	58.44	5021.52	100.43
2021-22	5816.77	176.97	5993.74	158.10	6151.84	123.04
2022-23	7359.76	234.98	7594.74	185.59	7780.33	155.61
योग	42670.10	1482.41	44152.51	1619.79	45772.30	915.46

स्रोत: कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

तालिका 4.1 से स्पष्ट है कि 2015–23 के लिये ₹ 915.46 करोड़ यूपीआरटीएआरएफ में जमा करने हेतु संग्रहीत हुए किन्तु निधि की स्थापना न होने के कारण जमा नहीं किया जा सका। वर्ष 2022–23 से सम्बन्धित ₹ 915.46 करोड़ में से ₹ 155.61 करोड़ थे। इसका प्रभाव वर्ष 2022–23 के राज्य के राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटे पर भी पड़ा, जो कि ₹ 155.61 करोड़ क्रमशः अधिक और कम बताया गया था।

परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने बताया (सितम्बर 2023) कि यूपीआरटीएआरएफ की स्थापना शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है। आगे यह भी सूचित किया गया कि 2015–23 की अवधि के दौरान, परिवहन विभाग के अनुदान संख्या 43 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण से दुर्घटनाग्रस्त सम्बन्धित पात्र व्यक्तियों को वित्तीय सहायता के रूप में ₹ 1.57 करोड़<sup>24</sup> की धनराशि प्रदान की गयी।

दुर्घटनाओं के कारण हताहत हुए पात्र व्यक्तियों को यूपीएमवीटी अधिनियम, 1997 के अधीन गठित यूपीआरटीएआरएफ से सहायता नहीं प्रदान की जा रही थी अतः सरकार को राज्य के लोक लेखे में यूपीआरटीएआरएफ की स्थापना करके अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने की आवश्यकता है।

<sup>24</sup> वर्ष 2015–16, ₹ 5.85 लाख (41 दुर्घटनायें), वर्ष 2016–17, ₹ 19.35 लाख (77 दुर्घटनायें), वर्ष 2017–18, ₹ 24.00 लाख (121 दुर्घटनायें), वर्ष 2018–19, ₹ 19.15 लाख (143 दुर्घटनायें), वर्ष 2019–20, ₹ 33.07 लाख (176 दुर्घटनायें), वर्ष 2020–21, ₹ 21.60 लाख (164 दुर्घटनायें), वर्ष 2021–22, ₹ 18.85 लाख (135 दुर्घटनायें) एवं वर्ष 2022–23, ₹ 15.60 लाख (87 दुर्घटनायें)।

#### 4.4 विशिष्ट पृथक शीर्ष का सृजन न किया जाना

##### 4.4.1 हरित कर के लेखाकरण के लिए उप-शीर्ष/विस्तृत शीर्ष का न बनाया जाना

राज्य सरकार द्वारा एकत्रित हरित कर के लेखाकरण के लिए विशिष्ट उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष का सृजन/संचालन न किए जाने के परिणामस्वरूप हरित कर के रूप में ₹ 32.18 करोड़ की प्राप्ति सरकारी लेखे में स्पष्ट रूप से नहीं दर्शायी जा सकी।

उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2014 में प्रावधान है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत पंजीकरण की वैधता की समाप्ति के पश्चात् परिवहन वाहन के अतिरिक्त किसी भी मोटर वाहन का उपयोग किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जाएगा, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर हरित कर का भुगतान न कर दिया जाये। हरित कर का उद्देश्य पर्यावरणीय प्रदूषण को नियन्त्रित करना था और इस प्रकार एकत्रित राजस्व का उपयोग पर्यावरण की सुरक्षा हेतु किया जाना था। उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिसूचित किया (जनवरी 2015) कि मोटर वाहन के पंजीकरण के नवीनीकरण के समय, हरित कर पंजीकरण के समय भुगतान किए गए एकमुश्त कर के 10 प्रतिशत की दर से देय होगा।

परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गयी सूचना (सितम्बर 2023) से पता चला कि परिवहन विभाग ने वर्ष 2022-23 में 1.28 लाख वाहनों से ₹ 8.32 करोड़ हरित कर संग्रहित किया। 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2015-16 से 2021-22 की अवधि के दौरान 6.38 लाख वाहनों से ₹ 23.86 करोड़ की धनराशि हरित कर के रूप में संग्रहित की गई।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि हरित कर के लेखाकरण के लिए कोई पृथक उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष नहीं बनाया गया था। अतः इसे राज्य सरकार द्वारा आरोपित किये गए अन्य करों के साथ मुख्य शीर्ष 0041-वाहन कर में जमा किया गया था। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार के लेखों से संग्रहित हरित कर की राशि सुनिश्चित नहीं की जा सकती थी। अग्रेतर, परिवहन आयुक्त कार्यालय पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हरित कर के वास्तविक उपयोग की स्थिति प्रदान नहीं कर सका।

प्रकरण को क्रमशः 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021 एवं 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के राज्य के वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तर क्रमशः 3.2.5, 3.2.4 और 3.2.4 में भी उल्लिखित किया गया, किन्तु सरकार द्वारा कोई भी सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गयी। प्रकरण को पुनः शासन के संज्ञान में लाया गया (नवम्बर 2023 एवं फरवरी 2024), शासन का उत्तर प्रतीक्षित (फरवरी 2024) है।

##### 4.4.2 अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का विकास प्राधिकरणों को हस्तांतरण

उ0प्र0 शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 विकास क्षेत्र में अवस्थित अचल सम्पत्तियों के अन्तरण विलेखों पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के संग्रहण का प्रावधान करता है। इसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के रूप में संग्रहीत राशि से अनुसांगिक प्रभारों को घटाते हुए (यदि हो तो), शेष राशि को स्थानीय निकायों<sup>25</sup> को

<sup>25</sup> विकास प्राधिकरण, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नगर निगम/नगर पालिका परिषद।

विनिर्दिष्ट अनुपात में स्थानान्तरित किया जाना था। सितम्बर 2013 में शासन द्वारा स्टाम्प शुल्क के वितरण प्रक्रिया के निर्धारण में 25 प्रतिशत संग्रहित राशि को डेडीकेटेड अर्बन ट्रान्सपोर्ट फण्ड (डी0यू0टी0एफ0) में स्थानान्तरित करने हेतु आदेशित किया गया। स्टाम्प शुल्क एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि का लेखांकन मुख्य शीर्ष 0030-स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क, 02-स्टाम्प नान जुडीशियल, 102-स्टाम्प बिक्री के अन्तर्गत किया जाता है।

दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के हस्तांतरण के लिए वर्ष 2022-23 के दौरान अनुदान संख्या 61 वित्त विभाग (ऋण सेवा एवं अन्य व्यय) मुख्य शीर्ष 2217-शहरी विकास-80-सामान्य-800-अन्य व्यय के अन्तर्गत ₹ 1,201.36 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया था। इसके सापेक्ष ₹ 932.62 करोड़ का हस्तांतरण डेडीकेटेड अर्बन ट्रान्सपोर्ट फण्ड (डी0यू0टी0एफ0) एवं शहरी निकाय को किया गया।

राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के लेखांकन के लिये अलग से कोई उप लेखा शीर्ष नहीं खोलने के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार द्वारा दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त की गयी है तथा क्या समस्त धनराशियों को सम्बन्धित स्थानीय निकाय को विनिर्दिष्ट अनुपात में अन्तरित कर दिया गया है। इंगित किये जाने पर (जुलाई 2023), आयुक्त, स्टाम्प, उत्तर प्रदेश ने उत्तर में बताया कि अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के अलग से लेखा उप शीर्ष बनाने के लिये शासन को फरवरी 2023 में अनुरोध किया गया था।

#### 4.4.3 उदय के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड को दिये गये सब्सिडी का गलत वर्गीकरण

उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अन्तर्गत ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार एवं सभी डिस्कॉम की तरफ से उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन (यूपीपीसीएल) के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) पर हस्ताक्षर किये गये (जनवरी 2016)। समझौता ज्ञापन में प्रावधान किया गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार डिस्कॉम के 2017-18 से 2020-21 की अवधि के भविष्य के घाटे को क्रमबद्ध तरीके से पूरा करेगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने अनुदान संख्या 09 में लेखा शीर्ष 2801-विद्युत-05-पारिषण एवं वितरण-800-अन्य व्यय-05-उदय योजना- 20-सहायता अनुदान (गैर वेतन) के अन्तर्गत ₹ 6,154.00 करोड़ का प्रावधान किया। इस प्रावधान के सापेक्ष ₹ 5,372.50 करोड़ की सब्सिडी यू0पी0पी0सी0एल0 को वर्ष 2021-22 में प्रदान की गयी। इसी प्रकार वर्ष 2022-23 में उदय के अन्तर्गत ₹ 8,007.72 करोड़ की सब्सिडी यू0पी0पी0सी0एल0 को प्रदान की गयी। इस प्रकार ₹ 13,380.22 करोड़ की धनराशि उदय के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 में पुस्तांकित की गई, जबकि समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) में उदय के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 की डिस्कॉम की हानियों की प्रतिपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं था।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया कि उक्त ₹ 13,380.22 करोड़ की सब्सिडी हानि उदय के अन्तर्गत त्रुटिवश स्वीकृत एवं प्रदान की गई थी, जबकि उसे कार्य योजना/रिवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर0डी0एस0एस0) के अन्तर्गत जारी होना था।

इस प्रकार डिस्कॉम को वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान निर्गत सब्सिडी के लिए लेखा वर्गीकरण त्रुटिपूर्ण था। अतः राज्य सरकार द्वारा आर0डी0एस0एस0 के अन्तर्गत डिस्कॉम के हानि की प्रतिपूर्ति के लिए विशिष्ट लेखा शीर्ष का सृजन किया जाना चाहिए।

#### 4.5 राज्य में कार्यदायी संस्थाओं को केन्द्रीय योजनाओं की निधियों का अन्तरण

वित्त लेखे के खण्ड II का परिशिष्ट VI राज्य में कार्यदायी संस्थाओं को केन्द्रीय योजनाओं की निधियों का सीधे हस्तान्तरित किए जाने को प्रदर्शित करता है, अर्थात् राज्य के बजट से बाहर प्राप्त निधियाँ, जिसे भारत सरकार के पीएफएमएस पोर्टल से संकलित किया गया है। वर्ष 2022-23 के दौरान, भारत सरकार ने राज्य के कार्यदायी संस्थाओं को ₹ 1,062.78 करोड़ की निधि (राज्य सरकार के डीडीओ: ₹ 1.13 करोड़, राज्य सरकार के एसपीएसई: ₹ 4.25 करोड़, राज्य सरकार के संस्थान: ₹ 1,017.69 करोड़, स्थानीय निकाय: ₹ 2.08 करोड़ और शैक्षणिक संस्थान (सरकारी): ₹ 1.15 करोड़ और सांविधिक निकाय: ₹ 36.48 करोड़) सीधे हस्तान्तरित की। अग्रेतर, राज्य सरकार की कार्यदायी संस्थाओं को केन्द्रीय योजनाओं की निधियों को सीधे हस्तांतरण किए जाने में वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में 158.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई (वर्ष 2021-22 में ₹ 410.76 करोड़ से वर्ष 2022-23 में ₹ 1,062.78 करोड़)।

#### पारदर्शिता से सम्बन्धित प्रकरण

#### 4.6 उपभोग प्रमाणपत्रों के प्रेषण में विलम्ब

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-V भाग-I, प्रस्तर 369-एच में प्रावधान है कि जहाँ अनुदान विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए स्वीकृत किए गये हैं, सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को अनुदान प्राप्तकर्ता से उपभोग प्रमाणपत्र (यूसी) प्राप्त करना चाहिए, जिसे सत्यापन के पश्चात् महालेखाकार (ले0 एवं हक0) को अग्रेषित किया जाना चाहिए। अग्रेतर, उन अनुदानों के सम्बन्ध में, स्वीकृति के दिनांक से अगले 12 महीनों की अवधि में उपभोग किए जाने की संभावना है, सक्षम प्राधिकारी को अनुदान की स्वीकृति के दिनांक से 18 माह से अनधिक समय में अपेक्षित प्रमाण पत्र महालेखाकार को प्रेषित करना चाहिए।

जिस उद्देश्य के लिए सहायता अनुदान का उपयोग किया गया था, उसकी पुष्टि केवल यूसी प्राप्त होने पर ही की जा सकती है जो अन्य उद्देश्यों के लिए निधियों के अपयोजन से बचाव करेगी। इस प्रकार, लेखे में दर्शाए गए व्यय को यूसी के अप्राप्त रहने की सीमा तक अन्तिम नहीं माना जा सकता है। 30 सितम्बर 2021 तक दिए गए अनुदानों के लिए 31 मार्च 2023 को बकाया उपभोग प्रमाणपत्रों की स्थिति तालिका 4.2 में दी गई है।

तालिका 4.2: उपभोग प्रमाण पत्रों के प्रेषण में बकाया

वर्ष <sup>26</sup>	प्रतीक्षित उपभोग प्रमाणपत्रों की संख्या (31 मार्च को)	धनराशि (₹ करोड़ में)
2019-20 तक	27147	10753.67
2020-21	3148	8528.85
2021-22 (सितम्बर 2021 तक)	611	698.72
<b>योग</b>	<b>30906</b>	<b>19981.24</b>

स्रोत: वित्त लेखा 2022-23

तालिका 4.2 दर्शाती है कि 2001-02 से 2021-22 (सितम्बर 2021 तक) की अवधि में निर्गत अनुदानों की धनराशि ₹ 19,981.24 करोड़ के लिए कुल 30,906 यूसी

<sup>26</sup> उपर्युक्त वर्ष "देय वर्ष" से सम्बन्धित है, अर्थात् वास्तविक आहरण के 18 महीने बाद।

31 मार्च 2023 को लम्बित थे। कुल बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र में 8449 (₹ 11,368.55 करोड़) उपयोगिता प्रमाण पत्र केन्द्र प्रायोजित योजनाओं/केन्द्रीय योजना से सम्बन्धित थे। अग्रेतर, अवधि 2001-02 से 2021-22 (30 सितम्बर 2021 तक) की अवधि के ₹ 36,336.54 करोड़ धनराशि की सहायता अनुदान के 28,786 यूसी वर्ष 2022-23 में जमा किये गये। लम्बित यूसी की वर्ष-वार स्थिति का सार तालिका 4.3 में दिया गया है।

तालिका 4.3 : असमायोजित यूसी का वर्षवार विवरण


(₹ करोड़ में)

वर्ष	यूसी की संख्या	धनराशि
2001-02 से 2011-12	19468	5055.74
2012-13	321	158.93
2013-14	1187	600.36
2014-15	1635	899.75
2015-16	718	518.56
2016-17	532	425.95
2017-18	399	554.82
2018-19	766	1418.21
2019-20	2121	1121.35
2020-21	3148	8528.85
2021-22 (सितम्बर 2021 तक)	611	698.72
<b>योग</b>	<b>30906</b>	<b>19981.24</b>

स्रोत: वित्त लेखा 2022-23 एवं महालेखाकार (ले. एवं हक.-1), उ.प्र. द्वारा अनुरक्षित सूचनाएं

कुल असमायोजित यूसी में से, ₹ 16,476.42 करोड़ (82.46 प्रतिशत) धनराशि के 18,116 यूसी (58.61 प्रतिशत) पाँच विभागों; नगर विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना), कृषि और अन्य संबद्ध विभाग (कृषि) कृषि और अन्य संबद्ध विभाग (ग्रामीण विकास) एवं महिला एवं बाल विकास विभाग से सम्बन्धित थे जैसा कि चार्ट 4.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.1: विभागवार बकाया यूसी की संख्या



स्रोत: महालेखाकार (ले. एवं हक.-1) उ.प्र. द्वारा अनुरक्षित सूचनाएं

यूसी के अभाव में, इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि संवितरित सहायता अनुदान का व्यय वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए उन्हें विधानमण्डल द्वारा स्वीकृत/अधिकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त, यूसी के लम्बी अवधि तक लम्बित रहने की स्थिति में निधियों के गबन, अपयोजन एवं दुर्विनियोजन की भी सम्भावना रहती है।

#### 4.7 संक्षिप्त आकस्मिक बिल

राज्य सरकार द्वारा व्यय की उन मदों हेतु आकस्मिक प्रभारों का आहरण 'संक्षिप्त आकस्मिक' (एसी) बिलों पर किया जाता है, जिसके लिए आहरण के समय अन्तिम वर्गीकरण और सहायक वाउचर उपलब्ध नहीं है। वित्तीय हस्त पुस्तिका (खण्ड-V) भाग-1 के प्रस्तर 183 के अनुसार भुगतान के बाद प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक प्रभारों के मामले में विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डीसीसी) बिल अगले माह के अन्त तक कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियन्त्रण अधिकारी को या जहाँ कोई नियन्त्रण अधिकारी नहीं है तो सीधे महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना वांछनीय है। समर्थित डीसीसी बिलों को देर से प्रस्तुत करने या लम्बे समय तक प्रस्तुत न करने से एसी बिलों के अन्तर्गत किया गया व्यय अस्पष्ट रहता है। 31 मार्च 2023 को लम्बित डीसीसी बिलों का विवरण तालिका 4.4 में दिया गया है।

तालिका 4.4: 31 मार्च 2023 को लम्बित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों की वर्षवार स्थिति

(₹ करोड़ में)


वर्ष	लम्बित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
2020-21 तक	776	4.14
2021-22	12	0.95
2022-23	54	3.43
<b>योग</b>	<b>842</b>	<b>8.52</b>

स्रोत: वित्त लेखा 2022-23

जैसा कि तालिका 4.4 से स्पष्ट है, ₹ 5.09 करोड़ की धनराशि के 788 डीसीसी बिल वर्ष 2001-02 से 2021-22 तक की लम्बी अवधि से लम्बित थे और ₹ 3.43 करोड़ की धनराशि के 54 डीसीसी बिल वर्ष 2022-23 से सम्बन्धित हैं। कुल असमायोजित एसी बिलों में से, ₹ 5.80 करोड़ (68.03 प्रतिशत) की धनराशि के 290 बिल (34.44 प्रतिशत) पाँच विभागों से सम्बन्धित हैं। सचिवालय प्रशासन विभाग (₹ 1.80 करोड़ धनराशि के 93 एसी बिल), चिकित्सा (परिवार कल्याण) (₹ 1.59 करोड़ धनराशि के तीन एसी बिल), निर्वाचन विभाग (₹ 1.26 करोड़ धनराशि के 55 एसी बिल), कृषि और अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (₹ 0.63 करोड़ धनराशि के 120 एसी बिल) एवं समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना), (₹ 0.52 करोड़ धनराशि के 19 एसी बिल) से सम्बन्धित थे जैसा कि चार्ट 4.2 में दर्शाया गया है।



चार्ट 4.2: बड़े बकायेदार विभागों के लम्बित डीसीसी बिल



स्रोत: म0ले0 (ले. एवं ह.-1), ज0 प्र0 द्वारा प्रदान की गयी सूचना

विस्तृत आकस्मिक बिल प्रस्तुत करने में विलम्ब इंगित करता है कि निधियाँ बिना तत्काल भुगतान की आवश्यकता के आहरित की गई थीं। एसी बिल के माध्यम से धनराशि का आहरण संचित निधि में कार्यात्मक मुख्य लेखाशीर्ष के सापेक्ष लेखाबद्ध किया जाता है। जब तक निर्धारित समय के अन्दर लेखे का समायोजन नहीं किया जाता है, व्यय उस सीमा तक बढ़ा हुआ परिलक्षित होता है। अग्रेतर, निर्धारित समय के अन्दर डीसी बिलों को प्रस्तुत न करने से न केवल वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन होता है बल्कि अपव्यय/दुर्विनियोजन/कदाचार आदि की संभावना भी बढ़ जाती है।

#### 4.8 वैयक्तिक जमा खाता

संघ और राज्यों के लेखे के मुख्य और लघु शीर्षों की सूची के अन्तर्गत, वैयक्तिक जमा, ब्याज रहित प्रकृति के होते हैं जो कि लेखा शीर्ष 8443-सिविल जमा-106- वैयक्तिक जमा के अन्तर्गत खोले जाते हैं। उत्तर प्रदेश वैयक्तिक लेजर खाता (यूपीपीएलए) नियमावली 1998 के प्रस्तर 4 के अनुसार, राज्य सरकार महालेखाकार के परामर्श से विशिष्ट उद्देश्यों के लिए वैयक्तिक जमा (पीडी) खाते/पीएलए खोलने के लिए अधिकृत है। नामित प्रशासक राज्य की संचित निधि से निधियों के अन्तरण द्वारा इन पीडी खातों को संचालित करने के लिए अधिकृत हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य की संचित निधि से शीर्ष 8443-106 के अन्तर्गत पीडी खातों में ₹ 2.96 करोड़ की धनराशि का अन्तरण किया गया। इसमें मार्च 2023 में पीडी खाते में अन्तरित ₹ 0.17 करोड़ भी सम्मिलित हैं। 31 मार्च 2023 को पीडी लेखों का विस्तृत विवरण तालिका 4.5 में दिया गया है।

तालिका 4.5: वर्ष 2022-23 के दौरान पीडी खातों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

प्रारम्भिक अवशेष (01.04.2022 को)		वर्ष के दौरान एडिशन		वर्ष के दौरान संवितरण		अंतिम अवशेष (31.03.2023 को)	
प्रशासकों की संख्या	धनराशि	प्रशासकों की संख्या	धनराशि	प्रशासकों की संख्या	धनराशि	प्रशासकों की संख्या	धनराशि
13	11.08 (डेबिट) <sup>27</sup>	शून्य	2.96	01	1.46	12	9.58 (डेबिट) <sup>28</sup>

स्रोत: वित्त लेखा 2022-23

<sup>27</sup> राज्य सरकार ने ₹ 10.95 करोड़ के प्रारम्भिक अवशेष की सूचना दी है। अन्तर का समाधान किया जा रहा है तथा इसे विवरण 21 में दर्शाया गया है।

<sup>28</sup> राज्य सरकार ने ₹ 12.65 करोड़ के अन्तिम अवशेष की सूचना दी है। अन्तर का समाधान किया जा रहा है तथा इसे विवरण 21 में दर्शाया गया है।




अग्रेतर, उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश (मार्च 1999) प्रावधानित करता है कि व्यक्तिगत जमा लेखे के प्रशासकों को कोषागार के आँकड़ों के साथ अपनी शेष राशि का मिलान और सत्यापन करना आवश्यक था एवं महालेखाकार को वार्षिक सत्यापन प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। तथापि, वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य के पीडी लेखाओं के 12 प्रशासकों में से केवल नौ प्रशासकों ने कोषागार के आँकड़ों से अपनी शेष राशि का मिलान एवं सत्यापन किया है।

#### 4.9 लघु शीर्ष 800 का अविवेकपूर्ण प्रयोग

बजट और लेखांकन की पारदर्शी प्रणाली के एक महत्वपूर्ण घटक लेखे के प्रारूप, जिसमें सरकार की प्राप्तियों और व्यय को विधानमण्डल में प्रतिवेदित किया जाता है, की निरन्तर समीक्षा की जानी चाहिए और उसे अद्यतन किया जाना चाहिए जिससे वे वास्तव में सरकार की सभी प्रमुख गतिविधियों पर प्राप्तियों और व्यय को पारदर्शी तरीके से सभी महत्वपूर्ण हितधारकों की आधारभूत सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रतिबिंबित कर सकें। इस प्रयोजन हेतु, अन्य प्राप्तियों और अन्य व्यय से सम्बन्धित लघु शीर्ष 800 का परिचालन केवल तभी किया जाना है जब लेखे में उपयुक्त लघु शीर्ष का प्रावधान नहीं किया गया हो। लघु शीर्ष 800 के नियमित परिचालन को हतोत्साहित किया जाना है, क्योंकि इससे लेखे अस्पष्ट रहते हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान, व्यय पक्ष में 86 मुख्य लेखा शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 75,008.02 करोड़ की धनराशि, जो कि कुल राजस्व और पूँजीगत व्यय, ₹ 4,73,006.45 करोड़, का 15.86 प्रतिशत है, को लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया। 2018-23 की अवधि के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अन्तर्गत पुस्तांकित व्यय का प्रचलन और कुल व्यय से इसका प्रतिशत चार्ट 4.3 में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.3: 2018-23 की अवधि के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय का परिचालन



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

ऐसे उदाहरण जहाँ व्यय के बहुत महत्वपूर्ण भाग (मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय का

50 प्रतिशत या अधिक) लघु शीर्ष 800—अन्य व्यय के अन्तर्गत वर्गीकृत किये गये थे, तालिका 4.6 में सूचीबद्ध हैं।

तालिका 4.6: वर्ष 2022–23 के दौरान लघु शीर्ष 800—अन्य व्यय के अन्तर्गत पुस्तांकित महत्वपूर्ण व्यय (₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत व्यय	कुल व्यय	प्रतिशतता
5053	नागरिक उड्डयन पर पूँजीगत परिव्यय	2013.77	2013.77	100.00
4875	अन्य उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	921.91	921.91	100.00
2040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	877.38	877.38	100.00
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय	645.97	645.97	100.00
4859	दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	389.47	389.47	100.00
2705	कमान्ड क्षेत्र विकास	209.13	209.13	100.00
2885	उद्योगों और खनिजों पर अन्य व्यय	58.02	58.02	100.00
2575	अन्य विशेष क्षेत्र के कार्यक्रम	27.51	27.51	100.00
2043	राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत संग्रहण प्रभार	25.26	25.26	100.00
5425	अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय	11.40	11.40	100.00
2407	वृक्षारोपण	5.74	5.74	100.00
4853	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	3.87	3.87	100.00
4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1.12	1.12	100.00
2041	वाहनों पर कर	0.77	0.77	100.00
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	300.08	300.76	99.77
2801	ऊर्जा	25884.81	27884.81	92.83
4216	आवास पर पूँजीगत परिव्यय	8225.06	8984.05	91.55
3053	नागर विमानन	31.16	34.23	91.03
2852	उद्योग	3492.16	3839.86	90.94
2216	आवास	405.03	531.30	76.23
3452	पर्यटन	90.06	120.74	74.59
4403	पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय	89.40	120.79	74.01
2211	परिवार कल्याण	9459.88	12852.18	73.61
4575	अन्य विशेष क्षेत्र के कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	598.69	828.17	72.29
4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	640.19	943.04	67.89
2700	वृहद सिंचाई	546.08	836.96	65.25
2501	ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	1142.94	2044.64	55.90
2075	विविध सामान्य सेवायें	18.81	33.87	55.54
4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	457.02	840.88	54.35

स्रोत: वित्त लेखा 2022–23

अग्रेतर, विगत चार वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान व्यय की जाँच में देखा गया कि तीन अनुदानों में जैसे, अनुदान सं० 12-कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन), (लेखा शीर्ष 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम एवं 2705-कमान क्षेत्र विकास) अनुदान सं० 53-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग (लेखा शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें) एवं अनुदान सं० 85-लोक उद्यम विभाग, (लेखा शीर्ष -3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें) के शत प्रतिशत व्यय लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत दर्शाये गये थे।

इसी प्रकार, वर्ष 2022-23 के दौरान, प्राप्ति पक्ष के 53 राजस्व मुख्य लेखाशीर्षों में लघुशीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ के अन्तर्गत कुल ₹ 7,327.58 करोड़, जो कि राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियाँ, ₹ 4,17,241.50 करोड़, का 1.76 प्रतिशत है, को पुस्तांकित किया गया। वर्ष 2022-23 के दौरान ऐसे उदाहरण जहाँ राजस्व प्राप्तियों के बहुत महत्वपूर्ण भाग (मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल प्राप्तियों का 50 प्रतिशत या अधिक) लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत वर्गीकृत किये गये थे, तालिका 4.7 में सूचीबद्ध हैं।

तालिका 4.7: वर्ष 2022-23 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत पुस्तांकित महत्वपूर्ण प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	प्रतिशतता
0801	ऊर्जा	964.52	964.52	100.00
0810	ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोत	293.35	293.35	100.00
0217	नगर विकास	175.80	175.80	100.00
0425	सहकारिता	59.01	59.01	100.00
0875	अन्य उद्योग	20.93	20.93	100.00
1452	पर्यटन	8.78	8.78	100.00
0215	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	4.68	4.68	100.00
1456	नागरिक आपूर्ति	2.40	2.40	100.00
0023	होटल प्राप्तियाँ कर	0.87	0.87	100.00
0047	अन्य राजकोषीय सेवाएं	0.27	0.27	100.00
0415	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	0.15	0.15	100.00
0852	उद्योग	0.08	0.08	100.00
0220	सूचना एवं प्रचार-प्रसार	0.05	0.05	100.00
0211	परिवार कल्याण	34.51	34.54	99.91
0235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	78.84	79.10	99.67
1055	सड़क परिवहन	2.43	2.48	97.98
0230	श्रम एवं रोजगार	798.73	820.59	97.34
0056	जेल	9.58	9.92	96.57
0059	लोक निर्माण	140.36	145.58	96.41
1054	सड़कें एवं पुल	823.01	855.12	96.24
0700	वृहद सिंचाई	19.49	20.80	93.70
0435	अन्य कृषि कार्यक्रम	60.50	67.57	89.54
1053	नागरिक उड्डयन	0.12	0.14	85.71
0029	भू-राजस्व	229.91	284.94	80.69
0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	117.31	149.02	78.72
0406	वानिकी एवं वन्य जीव	209.04	322.28	64.86

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	प्रतिशतता
0071	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए योगदान और वसूली	293.64	505.91	58.04
0403	पशु पालन	12.02	22.22	54.10

स्रोत: वित्त लेखा 2022-23

बहुप्रयोजनीय लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत अत्यधिक धनराशि का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है और आवंटन प्राथमिकताओं एवं व्यय की गुणवत्ता के समुचित विश्लेषण को विकृत करता है।

#### 4.10 बहुप्रयोजनीय मानक मद '42-अन्य व्यय' के अन्तर्गत व्यय

राज्य सरकार के बजट में अधिक पारदर्शिता लाने तथा योजना एवं क्रियान्वयन में पर्याप्त विश्वसनीयता एवं नियन्त्रण को प्रभावी बनाने की दृष्टि से बहुप्रयोजनीय मानक मद '42-अन्य व्यय' के बजाय उपयुक्त शीर्षों के अन्तर्गत बजट प्रावधान की आवश्यकता है। जैसा कि बजट दस्तावेजों में परिभाषित है 'अन्य व्यय' अवशिष्ट मदों से सम्बन्धित है और इसमें पारिश्रमिक तथा पुरस्कार सम्बन्धी व्यय एवं विवेकाधीन निधियों से व्यय शामिल हैं।

लेखे की जाँच में पाया गया कि मानक मद '42-अन्य व्यय' के अन्तर्गत ₹ 36,912.15 करोड़ का व्यय किया गया, जो 2022-23 के दौरान राज्य की संचित निधि से कुल संवितरण ₹ 5,05,905.54 करोड़ का 7.30 प्रतिशत है। अग्रेतर, यह देखा गया कि 25 अनुदानों में, मानक मद '42-अन्य व्यय' के अन्तर्गत व्यय इन अनुदानों के कुल व्यय के पाँच प्रतिशत से अधिक था और इसका इन अनुदानों के कुल व्यय में 24.98 प्रतिशत का अंश था जैसा कि तालिका 4.8 में दिया गया है।

तालिका 4.8: विभिन्न अनुदानों में मानक मद '42-अन्य व्यय' के अन्तर्गत व्यय और कुल व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं.	अनुदान का विवरण	कुल व्यय	मानक मद 42 के अन्तर्गत व्यय	कुल व्यय के सापेक्ष मानक मद 42 के अन्तर्गत व्यय का प्रतिशत
1.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	12270.89	9773.66	79.65
2.	53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	0.33	0.25	74.58
3.	03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग और निर्यात प्रोत्साहन)	1071.98	669.21	62.43
4.	76	श्रम विभाग (श्रमिक कल्याण)	790.06	469.92	59.48
5.	13	कृषि और अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्रामीण विकास)	21601.08	12126.14	56.14
6.	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प और निबन्धन)	329.28	176.67	53.65
7.	45	पर्यावरण विभाग	9.38	4.87	51.93
8.	28	गृह विभाग (राजनीतिक पेंशन और अन्य व्यय)	283.48	138.53	48.87
9.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	1235.18	575.22	46.57
10.	21	खाद्य तथा रसद विभाग	5931.17	2292.55	38.65
11.	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	1024.57	367.19	35.84

क्र. सं.	अनुदान सं.	अनुदान का विवरण	कुल व्यय	मानक मद 42 के अन्तर्गत व्यय	कुल व्यय के सापेक्ष मानक मद 42 के अन्तर्गत व्यय का प्रतिशत
12	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक और यूनानी)	1147.56	241.89	21.08
13	92	संस्कृति विभाग	172.60	32.90	19.06
14	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद एवं अन्य व्यय)	3584.67	645.45	18.01
15	07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	8592.89	1376.35	16.02
16	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	805.36	125.48	15.58
17	66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	259.90	40.00	15.39
18	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	20600.17	3113.71	15.11
19	43	परिवहन विभाग	672.31	100.08	14.89
20	22	खेल विभाग	369.97	54.16	14.64
21	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)	491.63	60.63	12.33
22	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	1251.64	147.04	11.75
23	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	931.05	94.24	10.12
24	29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	19.26	1.63	8.46
25	61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	60910.73	3433.04	5.64
योग (5 प्रतिशत से ऊपर)			144357.14	36060.81	24.98

स्रोत: महालेखाकार (ले० एवं ह०) द्वारा अनुरक्षित सूचना

मानक मद '42-अन्य व्यय' के अन्तर्गत अत्यधिक व्यय का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत नहीं करता है।

#### माप से सम्बन्धित मुद्दे

#### 4.11 प्रमुख उचन्त एवं प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत बकाया अवशेष

वित्त लेखे उचन्त और प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत निवल शेष को दर्शाते हैं। इन शीर्षों के अन्तर्गत बाकी शेष की गणना विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत अलग-अलग डेबिट और क्रेडिट शेष को समेकित करके की जाती है। उचन्त और प्रेषण मदों का समाशोधन राज्य कोषागारों/निर्माण खण्डों, वन प्रभागों, आदि द्वारा प्रेषित विवरणों पर निर्भर करता है। कुछ मुख्य उचन्त लेखा शीर्षों के अन्तर्गत बाकी शेष को तालिका 4.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.9: उचन्त और प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत अवशेष

उचन्त शीर्ष	2020-21		2021-22		2022-23	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
<b>मुख्य शीर्ष 8658—उचन्त</b>						
101 — पीएओ उचन्त	305.56	711.90	418.07	739.80	395.41	269.72
निवल		क्रेडिट 406.34		क्रेडिट 321.73		डेबिट 125.69
102 — उचन्त लेखा— सिविल	15856.65	16415.75	15820.92	16389.57	15764.39	16431.30
निवल		क्रेडिट 559.10		क्रेडिट 568.65		क्रेडिट 666.91
109 — रिजर्व बैंक उचन्त—मुख्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
निवल		0.00 <sup>29</sup>		0.00 <sup>30</sup>		क्रेडिट 0.01
110 — रिजर्व बैंक उचन्त—केन्द्रीय लेखा कार्यालय	(-)84.60	(-)827.29	(-)94.54	(-)1,138.62	(-)94.12	(-)1,136.38
निवल		डेबिट 742.69		डेबिट 1,044.08		डेबिट 1,042.26
<b>मुख्य शीर्ष 8782—नकद प्रेषण एवं उसी लेखाधिकारी को लेखा प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के मध्य समायोजन</b>						
102 — लोक निर्माण प्रेषण	180269.09	182097.49	2,16,990.54	2,18,840.01	2,32,556.35	2,35,417.30
निवल		क्रेडिट 1828.40		क्रेडिट 1,849.47		क्रेडिट 2,860.95
103 — वन प्रेषण	3206.05	3405.87	3391.12	3594.69	3,701.73	3,939.71
निवल		क्रेडिट 199.82		क्रेडिट 203.57		क्रेडिट 237.98
8793—अन्तर्राज्यीय उचन्त लेखा	62.96	0.01	66.72	0.05	56.76	0.01
निवल		डेबिट 62.95		डेबिट 66.67		डेबिट 56.75

स्रोत: वित्त लेखा 2022-23

#### 4.12 लेखा मानकों का अनुपालन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक की सलाह पर, संघ एवं राज्यों के लेखों के प्रारूप निर्धारित कर सकते हैं। भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति ने अब तक तीन भारतीय सरकारी लेखा मानक (आई0जी0ए0एस0) अधिसूचित किये हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2022-23 के दौरान इन लेखांकन मानकों के अनुपालन और साथ ही उनकी कमियों का विवरण तालिका 4.10 में दिया गया है:

तालिका 4.10 लेखा मानकों का अनुपालन

क्र0 स0	लेखांकन मानक	आई जी ए एस का सार	राज्य सरकार द्वारा की गयी अनुपालन	कमी
1	आई.जी.ए. एस-1	सरकार द्वारा दी गयी गारंटी — प्रकटीकरण की आवश्यकताएँ	आंशिक अनुपालन किया गया (वित्त लेखे के विवरण 9 एवं 20)	शासन द्वारा दी गयी गारंटी के लिए नामित प्राधिकारी से सम्बन्धित जानकारी राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2	आई.जी.ए. एस-2	सहायता अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण	आंशिक अनुपालन किया गया (वित्त लेखे के विवरण 10)	राज्य सरकार द्वारा वस्तु के रूप में दी गयी अनुदान सहायता के कुल मूल्य के बारे में जानकारी प्रदान नहीं की गयी।

<sup>29</sup> क्रे. 0.02 लाख

<sup>30</sup> क्रे. 0.01 लाख

क्र० स०	लेखांकन मानक	आई जी ए एस का सार	राज्य सरकार द्वारा की गयी अनुपालन	कमी
3	आई.जी.ए एस-3	सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिम	आंशिक अनुपालन किया गया (वित्त लेखे के विवरण 7 एवं 18)	राज्य सरकार द्वारा शाश्वत ऋण के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी।

स्रोत: वित्त लेखा 2022-23

#### 4.13 ऋण और अग्रिम के प्रतिकूल अवशेष

प्रतिकूल अवशेष (डेबिट शीर्षों में क्रेडिट शेष और क्रेडिट शीर्षों में डेबिट शेष) उन लेखाशीर्ष के अन्तर्गत दर्शाये गये ऋणात्मक अवशेष हैं, जहाँ ऋणात्मक अवशेष नहीं होने चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी भी ऋण या अग्रिम के लेखाशीर्ष के सापेक्ष, ऋणात्मक अवशेष मूल अग्रिम धनराशि से अधिक पुनर्भुगतान का संकेत देगा।

31 मार्च 2023 को वर्ष 2022-23 के वित्त लेखे में ऋण और अग्रिमों के निम्नलिखित प्रतिकूल अवशेष सम्मिलित थे : अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनों के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण (लेखा शीर्ष 6801-205 के अन्तर्गत ₹ 356.18 करोड़), मोटर वाहनों के क्रय हेतु अग्रिम (लेखा शीर्ष 7610-202 के अन्तर्गत ₹ 17.47 करोड़), अन्य वाहनों के क्रय हेतु अग्रिम (लेखा शीर्ष 7610-203 के अन्तर्गत ₹ 25.37 करोड़), अन्य अग्रिम (लेखा शीर्ष 7610-800 के अन्तर्गत ₹ 3.02 करोड़)।

ये प्रतिकूल अवशेष कार्यालय महालेखाकार (ले. एवं हक.) उत्तर प्रदेश एवं राज्य सरकार के मध्य समाधान की प्रक्रिया में थे।

#### 4.14 विभागीय आँकड़ों का मिलान न किया जाना

उत्तर प्रदेश बजट नियमावली के प्रस्तर 124 के अनुसार, राजस्व/व्यय पर प्रभावी बजटीय नियन्त्रण को लागू करने और लेखे में परिशुद्धता सुनिश्चित करने हेतु, मुख्य नियन्त्रण अधिकारियों (सीसीओ)/नियन्त्रण अधिकारियों (सीओ) द्वारा प्रत्येक माह उनकी बहियों में दर्ज प्राप्तियों एवं व्यय का महालेखाकार (ले. एवं हक.) द्वारा लेखे में लिए गए आँकड़ों के साथ मिलान वांछनीय है। नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा आँकड़ों के मिलान की स्थिति तालिका 4.11 में नीचे दी गयी है।


तालिका 4.11: नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्तियों और व्यय के मिलान की स्थिति

वर्ष	नियन्त्रण अधिकारियों की कुल संख्या	प्राप्तियों/व्यय का मिलान करने वाले नियन्त्रण अधिकारियों की संख्या		
		पूर्ण मिलान किया गया	आंशिक मिलान किया गया	मिलान नहीं किया गया
<b>प्राप्तियां</b>				
2020-21	48	45	--	03
2021-22	48	43	--	05
2022-23	48	43	--	05
<b>व्यय</b>				
2020-21	179	173	--	06
2021-22	180	177	--	03
2022-23	180	179	--	01

स्रोत: महालेखाकार (ले० एवं हक०) उ०प्र० द्वारा अनुरक्षित सूचना

वर्ष 2022-23 में 48 सीसीओ में से 43 द्वारा प्राप्तियों का मिलान पूर्ण किया गया, उनके द्वारा ₹ 2,03,047.18 करोड़ (मिलान हेतु नियत ₹ 2,04,549.28 करोड़ की कुल प्राप्तियों का 99.27 प्रतिशत) की प्राप्तियों का मिलान किया। अग्रेतर, 180 सीसीओ में से, 179 सीसीओ ने ₹ 3,69,692.69 करोड़ (मिलान हेतु नियत ₹ 3,79,533.40 करोड़ के कुल व्यय का 97.41 प्रतिशत) के अपने व्यय के आँकड़ों का मिलान किया था, जैसा कि चार्ट 4.4 में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.4: वर्ष 2020-23 के दौरान प्राप्तियों और व्यय के मिलान की स्थिति



स्रोत: महालेखाकार (ले० एवं हक०), उ०प्र० द्वारा अनुरक्षित सूचना

सभी प्राप्तियों और व्यय के सम्बन्ध में मिलान के लिए आवश्यक कार्यवाही किया जाना वांछनीय है।

#### प्रकटीकरण से सम्बन्धित मुद्दे

#### 4.15 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के लेखाओं/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुत किया जाना

सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 19 (3) के अनुसार, राज्यपाल/प्रशासक लोकहित में, यथास्थिति, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की विधायिका द्वारा बनाई गई विधि के अधीन स्थापित किसी निगम के लेखे की लेखापरीक्षा हेतु सीएजी से अनुरोध कर सकेगा और जब ऐसा अनुरोध किया गया हो, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ऐसे निगम के लेखे की लेखापरीक्षा करेगा और ऐसी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिये उसे निगम के बहियों एवं लेखाओं के अवलोकन का अधिकार होगा।

धारा 19 के अतिरिक्त, जहाँ किसी निकाय या प्राधिकरण के लेखे की लेखापरीक्षा सीएजी को किसी विधि द्वारा या उसके अधीन नहीं सौंपी गई है, वहाँ यदि, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के जिसमें विधान सभा है, के प्रशासक द्वारा (सम्बन्धित निकाय के सम्बन्ध में जो लागू हो) ऐसा करने का अनुरोध किया गया तो वह ऐसे निकाय या प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा ऐसे नियमों और शर्तों पर करेगा जिस पर उसके और सम्बन्धित सरकार के बीच सहमति स्थापित हो और ऐसी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिये, उस निकाय या प्राधिकरण की बहियों और लेखाओं के अवलोकन का अधिकार होगा (सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 20)।



उपर्युक्त स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों के प्रकरण में, यदि सीएजी एकल लेखापरीक्षक है, तो लेखे के सत्य एवं निष्पक्ष होने का लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। अतः इन निकायों और प्राधिकरणों द्वारा वार्षिक लेखे तैयार कर इसे लेखापरीक्षा हेतु महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रस्तुत करना वांछनीय है। लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र के अलावा, वित्तीय लेखापरीक्षा सम्पन्न होने पर लेखापरीक्षा कार्यालय एक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) निर्गत करता है, जो कि लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र का भाग होता है।

यह देखा गया कि 55 स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों के 343 वार्षिक लेखे (वर्ष 2022-23 तक के) सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा 30 जून 2023 तक लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों के अप्रस्तुत लेखाओं का विभागवार विवरण **परिशिष्ट 4.1** में दिया गया है। इन 343 लेखाओं की अवधिवार लम्बित स्थिति **तालिका 4.12** में दी गई है।

**तालिका 4.12: लेखापरीक्षा हेतु प्रतीक्षित परन्तु प्रस्तुत नहीं किये गये वार्षिक लेखाओं का आयुवार विश्लेषण**

विलम्ब की अवधि (वर्षों में)	निकायों/प्राधिकरणों की संख्या	लेखाओं की संख्या
1-2	9	12
3-4	16	50
5-10	23	140
10 से अधिक	7	141
योग	55	343

**स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) I एवं महालेखाकार (लेखापरीक्षा) II कार्यालय में उपलब्ध सूचना**

वार्षिक लेखे और उनकी लेखापरीक्षा के अभाव में, इन निकायों/प्राधिकरणों को संवितरित सहायता अनुदानों और ऋणों के समुचित उपभोग और उनके लेखांकन को संप्रमाणित नहीं किया जा सकता है। लेखापरीक्षा ने बकायेदार निकायों के लेखाओं को प्रस्तुत न करने का मुद्दा सम्बन्धित प्राधिकारियों के समक्ष समय-समय पर उठाया, लेकिन कोई सुधार परिलक्षित नहीं हुआ।

#### **4.16 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के प्रोफार्मा लेखे**

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों (डीसीयू) द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रोफार्मा वार्षिक लेखे को अन्तिम रूप दिया जाना एवं लेखाबन्दी के तीन माह के अन्दर लेखापरीक्षा हेतु महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना वांछनीय है। तथापि, राज्य के नौ डीसीयू में से केवल पाँच डीसीयू (सिंचाई कार्यशाला खण्ड, कानपुर, झांसी, बरेली, मेरठ एवं प्रयागराज) ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक लेखा अन्तिमीकृत किया है एवं दो डीसीयू (सिंचाई कार्यशाला खण्ड, गोरखपुर एवं सीएओ एवं खाद्य आयुक्त) ने वित्तीय वर्ष 2021-22 तक का वार्षिक लेखा अन्तिमीकृत किया है। एक डीसीयू (उप निदेशक पशुपालन फार्म निगम) ने वर्ष 2020-21 के लिए अपने लेखा अन्तिमीकृत किया। जबकि शेष एक डीसीयू द्वारा कई वर्षों से अपने वार्षिक लेखे का अन्तिमीकृत नहीं किया गया है। विवरण **परिशिष्ट 4.2** में दिया गया।

#### **4.17 दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, आदि के लम्बित मामले**

वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-V भाग-I के प्रस्तर 82 में व्यक्तियों की धोखाधड़ी या लापरवाही से होने वाली हानि, सरकारी सम्पत्ति की हानि या विनाश के लिये जिम्मेदारी

तय करने और उसे महालेखाकार को सूचित करने के बारे में विस्तृत निर्देश दिये गये हैं।

राज्य सरकार ने ₹ 9.31 करोड़ की शासकीय सामग्री/धनराशि के दुर्विनियोजन/हानि/चोरी आदि के 135 प्रकरण<sup>31</sup> सूचित किये, जिन पर 31 मार्च, 2023 तक अन्तिम कार्यवाही लम्बित थी। दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लम्बित प्रकरणों का विभागवार ब्यौरा एवं अन्तिम निस्तारण में विलम्ब के कारणों का विवरण तालिका 4.13 में दिया गया है।

तालिका 4.13: दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लम्बित प्रकरण

(₹ लाख में)

विभाग का नाम	शासकीय सामग्री के दुर्विनियोजन/हानि/चोरी के प्रकरण		दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लम्बित प्रकरणों के अन्तिम निस्तारण में विलम्ब के कारण					
			विभागीय और आपराधिक जाँच प्रतीक्षित		विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी परन्तु अन्तिम रूप नहीं दिया गया		आपराधिक कार्यवाही को अन्तिम रूप दिया गया परन्तु धनराशि की वसूली लम्बित	
	प्रकरणों की संख्या	धनराशि	प्रकरणों की संख्या	धनराशि	प्रकरणों की संख्या	धनराशि	प्रकरणों की संख्या	धनराशि
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	9	28.78	0	0	7	26.83	2	1.95
समाज कल्याण	3	0.95	0	0	2	0.70	1	0.25
उद्यान	1	3.59	0	0	1	3.59	0	0
ग्रामीण विकास	9	3.28	1	0.74	7	2.34	1	0.20
शिक्षा	8	171.16	2	101.08	4	55.55	2	14.53
प्राविधिक शिक्षा	1	11.59	0	0	0	0	1	11.59
पशुपालन	16	6.55	7	5.20	9	1.35	0	0
मत्स्य उद्योग	3	2.61	0	0	3	2.61	0	0
कृषि	3	7.62	2	2.17	1	5.45	0	0
सिंचाई	41	121.03	4	16.07	35	36.95	2	68.01
सहकारिता	2	1.45	0	0	1	0.17	1	1.28
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	11	15.89	1	0.30	9	14.22	1	1.37
पुलिस	6	8.10	6	8.10	0	0	0	0
पी ए सी	2	47.99	1	0.51	0	0	1	47.48
राजस्व	5	14.49	3	8.81	2	5.68	0	0
वित्त	1	0.67	1	0.67	0	0	0	0
बाट एवं माप	1	1.09	0	0	0	0	1	1.09
लोक निर्माण विभाग	9	147.8	4	27.26	1	0.12	4	120.42

<sup>31</sup> जनवरी की अवधि के सम्बन्ध 1967 से 2022-23।

विभाग का नाम	शासकीय सामग्री के दुर्विनियोजन/हानि/चोरी के प्रकरण		दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लम्बित प्रकरणों के अन्तिम निस्तारण में विलम्ब के कारण					
			विभागीय और आपराधिक जाँच प्रतीक्षित		विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी परन्तु अन्तिम रूप नहीं दिया गया		आपराधिक कार्यवाही को अन्तिम रूप दिया गया परन्तु धनराशि की वसूली लम्बित	
	प्रकरणों की संख्या	धनराशि	प्रकरणों की संख्या	धनराशि	प्रकरणों की संख्या	धनराशि	प्रकरणों की संख्या	धनराशि
राजस्व (भूमि अधिग्रहण)	3	331.78	0	0	3	331.78	0	0
न्याय	1	4.44	0	0	1	4.44	0	0
<b>योग</b>	<b>135</b>	<b>930.86</b>	<b>32</b>	<b>170.91</b>	<b>86</b>	<b>491.78</b>	<b>17</b>	<b>268.17</b>

स्रोत: सम्बन्धित विभागों से प्राप्त सूचनाएं

इन लम्बित मामलों का आयुवार विश्लेषण तालिका 4.14 में दर्शाया गया है, जो इंगित करता है कि 31 मार्च 2023 को ₹ 4.81 करोड़ से सम्बन्धित 96 प्रकरण 20 वर्षों से अधिक समय से लम्बित थे।

तालिका 4.14: दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लम्बित प्रकरणों का आयुवार विश्लेषण

(₹ लाख में)

वर्ष परास	प्रकरणों की संख्या	सम्बद्ध धनराशि
0 – 5 वर्ष (2018-19 से 2022-23)	0	0
5 – 10 वर्ष (2013-14 से 2017-18)	0	0
10 – 15 वर्ष (2008-09 से 2012-13)	21	400.76
15 – 20 वर्ष (2003-04 से 2007-08)	18	49.52
20 – 25 वर्ष (1998-99 से 2002-03)	14	82.53
25 वर्षों से अधिक (1997-98 एवं पूर्व)	82	398.05
<b>योग</b>	<b>135</b>	<b>930.86</b>

स्रोत: सम्बन्धित विभागों से प्राप्त सूचनाएं

कुल 135 लम्बित प्रकरणों जिसमें ₹ 930.86 लाख की धनराशि अन्तर्निहित थी (31 मार्च 2023 को), में से 32 प्रकरणों में जिसमें, ₹ 170.91 लाख धनराशि अन्तर्निहित थी, की विभागीय और आपराधिक जाँच प्रारम्भ नहीं की गई। 86 प्रकरणों (₹ 491.78 लाख से सम्बन्धित) में विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिन्हें अन्तिम रूप नहीं दिया गया। 17 प्रकरणों (₹ 268.17 लाख से सम्बन्धित) में आपराधिक कार्यवाही को अन्तिम रूप दिया गया, लेकिन धनराशि की वसूली लम्बित थी।

#### 4.18 निष्कर्ष

- राज्य सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाले पीएसई/प्राधिकारियों के माध्यम से राज्य के ऋण मानकों पर प्रभाव वाले व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त बजट ऋण का सहारा लिया। चूँकि ये अतिरिक्त बजट ऋण राज्य के ऋण-स्टाक का हिस्सा नहीं हैं, वित्त लेखों में दर्शायी गयी ऋण स्थिति वास्तविक ऋण स्थिति को नहीं दर्शाती है।

- राज्य सरकार ने परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिए कर्मचारियों और नियोक्ताओं के अंशदान की सम्पूर्ण राशि नामित निधि प्रबन्धक को इसके अग्रेतर निवेश के लिए प्रेषित नहीं की।
- राज्य सरकार सार्वजनिक वाहन की दुर्घटना से प्रभावित यात्रियों या यात्री की मृत्यु की दशा में उनके उत्तराधिकारियों या हताहत हुए अन्य व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1997 के अन्तर्गत वांछनीय उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि की स्थापना नहीं की।
- राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के लेखांकन के लिये अलग से कोई उप लेखा शीर्ष नहीं खोलने के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार द्वारा दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त की गयी है तथा क्या समस्त धनराशियों को सम्बन्धित स्थानीय निकाय एवं डीयूटीएफ को विनिर्दिष्ट अनुपात में अन्तरित कर दिया गया है।
- वर्ष 2022-23 की समाप्ति पर बड़ी संख्या (30,906) में ₹ 19,981.24 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र लम्बित थे। उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के अभाव में, इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि संवितरित सहायता अनुदान वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए व्यय किया गया है जिसके लिए उन्हें विधानमण्डल द्वारा स्वीकृत / प्राधिकृत किया गया था।
- 'लघु शीर्ष 800 अन्य प्राप्तियाँ/व्यय' के अन्तर्गत बड़ी धनराशि के वर्गीकरण के कारण वित्तीय अभिलेखों में प्राप्तियों/व्यय का पूर्ण चित्रण नहीं हो पाता। इसी प्रकार, 25 अनुदानों के सम्बन्ध में, मानक शीर्ष '42 अन्य व्यय' के अन्तर्गत कुल व्यय के पाँच प्रतिशत व्यय का वर्गीकरण किया गया, जो वित्तीय अभिलेखों में पारदर्शिता को प्रभावित करता है।
- 30 जून 2023 तक 55 स्वायत्त निकायों/प्राधिकारियों के 343 वार्षिक लेखे (वर्ष 2022-23 तक लम्बित) लेखापरीक्षा के लिए सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। वार्षिक लेखों और उनकी लेखापरीक्षा के अभाव में, इन स्वायत्त निकायों/प्राधिकारियों को दिए गए अनुदानों और ऋणों के उचित उपयोग की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

#### 4.19 संस्तुतियाँ

11. राज्य सरकार को गैर-बजट ऋण से बचना चाहिये एवं राज्य सरकार की ओर से एसपीएसई/प्राधिकरणों द्वारा लिए गए परन्तु राज्य सरकार द्वारा अदायगी किये जाने वाले ऋणों को संचित निधि में जमा करना चाहिये।
12. राज्य सरकार को परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना की सम्पूर्ण धनराशि राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबन्धक को हस्तांतरित करना चाहिये जिससे गैर-हस्तान्तरित धनराशि अभिदाताओं के निवेश के कोष का भाग बन सके और उसमें मूल्य वृद्धि हो।

13. सांविधिक आवश्यकता होने के कारण, सरकार को 'उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि' की स्थापना करनी चाहिए जिससे प्रभावित व्यक्तियों के लाभ के लिए निधि का उपयोग किया जा सके।
14. अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के संग्रहण के लिए अलग से शीर्ष निर्धारित किया जाना चाहिए और उ0प्र0 शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के अनुसार सभी संग्रहित धनराशि को सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकाय एवं डी0यू0टी0एफ0 को हस्तांतरित किया जाना चाहिए।
15. सरकार विशिष्ट प्रयोजनों के लिए निर्गत अनुदानों के सम्बन्ध में विभागों द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र समय पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें एवं सभी अनुदान प्राप्तकर्ता, जिनके उपभोग प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त हुए हैं, को नया अनुदान निर्गत करने से पूर्व में दिए गए सभी अनुदानों की समीक्षा की जानी चाहिए।
16. वित्त विभाग को महालेखाकार (ले. एवं हक.) के परामर्श से, वर्तमान में लघुशीर्ष 800 के अन्तर्गत प्रदर्शित होने वाले सभी मदों की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए। अग्रेतर, मानक मद के स्तर पर मानक मद 42-अन्य व्यय को अविवेकपूर्ण रोकना चाहिए व इस मानक मद का प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए।
17. वित्त विभाग को निकायों/प्राधिकरणों की वित्तीय स्थिति का आंकलन करने के लिए उनके द्वारा वार्षिक लेखे के संकलन और प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में तीव्रता लाने हेतु नियमित समीक्षा को समाहित करती एक प्रणाली विकसित करने पर विचार करना चाहिए।



## अध्याय - V

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र  
के उद्यम





## अध्याय -V

### राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

यह अध्याय सरकारी कम्पनियों, वैधानिक निगमों तथा सरकार द्वारा नियन्त्रित अन्य कम्पनियों (जीसीओसी) के वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा करता है। वर्ष 2022-23 के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई) के वित्तीय विवरणों के पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप (या पूर्व के वर्षों के जिन्हें अन्तिम रूप चालू वर्ष में दिया गया था) जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों का प्रभाव पर भी चर्चा की गई है।

#### 5.1 सरकारी कम्पनियों की परिभाषा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में एक सरकारी कम्पनी को एक कम्पनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें प्रदत्त अंश पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा, या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित है और इसमें वह कम्पनी भी सम्मिलित है जो सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी है।

इसके अलावा, केन्द्र सरकार द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी अन्य कम्पनी<sup>32</sup> को इस प्रतिवेदन में सरकार नियन्त्रित अन्य कम्पनी के रूप में दर्शाया गया है।

#### 5.2 लेखापरीक्षा के अधिदेश

सरकारी कम्पनियों एवं सरकार नियन्त्रित अन्य कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों के साथ पठित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए विनियमों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत, सीएजी सरकारी कम्पनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में सनदी लेखाकारों की नियुक्ति करते हैं एवं लेखाओं की लेखापरीक्षा किये जाने की प्रक्रिया पर निर्देश देते हैं। इसके अतिरिक्त, सीएजी को कम्पनी के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। कुछ सांविधिक निगमों को शासित करने वाली संविधियों में उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा मात्र सीएजी द्वारा किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

#### 5.3 एसपीएसई और राज्य के जीएसडीपी में उनका योगदान

एसपीएसई में राज्य सरकार की कम्पनियाँ और सांविधिक निगम शामिल हैं। जनसामान्य के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, एसपीएसई की स्थापना वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को करने और राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखने के लिए की गई है। 31 मार्च 2023 को, उत्तर प्रदेश में 113 एसपीएसई थे, जिनमें छः वैधानिक

<sup>32</sup> कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 04 सितम्बर 2014 द्वारा निर्गत कम्पनी (कठिनाइयों को दूर करना), सातवाँ आदेश 2014।

निगमों, 86 सरकारी कम्पनियों (41 निष्क्रिय सरकारी कम्पनियों<sup>33</sup> सहित) तथा 21 सरकारी नियन्त्रित अन्य कम्पनियों<sup>34</sup> (जीसीओसी) सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत थीं। इन एसपीएसई की सूची **परिशिष्ट 5.1** में दी गई है। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रकृति और उनके लेखों की स्थिति नीचे **तालिका 5.1** में दर्शाई गई है।

**तालिका 5.1: उत्तर प्रदेश में एसपीएसई की प्रकृति**

एसपीएसई की प्रकृति	कुल संख्या	एसपीएसई की संख्या जिनके लेखें 30 सितम्बर 2023 तक दिये गए		
		एसपीएसई द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए दिये गए लेखों की संख्या	एसपीएसई द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए दिये गए लेखों की संख्या	एसपीएसई द्वारा वर्ष 2020-21 एवं पूर्व वर्षों <sup>35</sup> के लिए दिये गए लेखों की संख्या
कार्यरत सरकारी कंपनियों <sup>36</sup>	66	10	15	41
सांविधिक निगम	6	0	2	4
<b>कार्यरत एसपीएसई का योग</b>	<b>72</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>45</b>
निष्क्रिय सरकारी कंपनियों	41	0	1	40
<b>योग</b>	<b>113</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>85</b>

स्रोत: एसपीएसईज द्वारा प्रस्तुत नवीनतम अन्तिम लेखों के अनुसार

### निष्क्रिय एसपीएसई

राज्य में 41 निष्क्रिय एसपीएसई (परिसमापन के तहत 13 सहित) हैं। नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरण एवं इन कम्पनियों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, इन निष्क्रिय एसपीएसई<sup>37</sup> में ₹ 1,107.52 करोड़ का निवेश, पूँजी ₹ 832.08 करोड़ (राज्य सरकार: ₹ 291.67 करोड़ और अन्य: ₹ 540.41 करोड़) और दीर्घकालिक ऋण ₹ 275.44 करोड़ (राज्य सरकार: ₹ 223.35 करोड़ और अन्य: ₹ 52.09 करोड़) हैं। यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि निष्क्रिय एसपीएसई में निवेश राज्य की आर्थिक वृद्धि में योगदान नहीं देते हैं।

### कार्यरत एसपीएसई

एसपीएसई के कारोबार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) से अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में एसपीएसई की गतिविधियों की सीमा को दर्शाता है। 72 कार्यरत एसपीएसई के टर्नओवर का विवरण **परिशिष्ट 5.2** में दिया गया है। 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए कार्यरत एसपीएसई का टर्नओवर और जीएसडीपी **तालिका 5.2** में दिया गया।

<sup>33</sup> निष्क्रिय एसपीएसई वे हैं जिन्होंने अपना परिचालन बंद कर दिया है।

<sup>34</sup> **परिशिष्ट-5.1** के क्रमांक 48 से 66, 101 एवं 113 पर।

<sup>35</sup> चार एसपीएसई ने अपने प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किये (लखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, आगरा-मथुरा सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, वाराणसी सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड)।

<sup>36</sup> सरकारी एसपीएसई में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) और 139(7) में संदर्भित सरकार द्वारा नियन्त्रित अन्य कम्पनियों शामिल हैं।

<sup>37</sup> परिसमापन के तहत 13 एसपीएसई को छोड़कर।

तालिका 5.2: उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी की तुलना में एसपीएसई के टर्नओवर का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23
<b>टर्नओवर</b>			
ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई	67,007.04	69,529.64	77,053.32
ऊर्जा क्षेत्र के इतर	15,946.86	16,325.46	15,643.41
<b>योग</b>	<b>82,953.90</b>	<b>85,855.10</b>	<b>92,696.73</b>
<b>उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी</b>	<b>16,45,317</b>	<b>19,74,532</b>	<b>22,57,575</b>
<b>उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी में टर्नओवर का प्रतिशत</b>			
ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई	4.07	3.52	3.41
ऊर्जा क्षेत्र के इतर	0.97	0.83	0.69
<b>योग</b>	<b>5.04</b>	<b>4.35</b>	<b>4.10</b>

स्रोत: एसपीएसई के नवीनतम अन्तिम रूप दिए गए लेखों में टर्नओवर एवं मओएसपीआई, भारत सरकार के जीएसडीपी के आँकड़ों के आधार पर संकलन।

उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी में एसपीएसई का योगदान 2020-21 में 5.04 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 4.10 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2022-23 में जीएसडीपी में ऊर्जा सेक्टर एसपीएसई का योगदान 3.41 प्रतिशत था जबकि ऊर्जा क्षेत्र के इतर अन्य एसपीएसई का योगदान 0.69 प्रतिशत था।

जीएसडीपी में ऊर्जा क्षेत्र के इतर एसपीएसई का योगदान हालाँकि न्यूनतम था (2020-21 में 0.97 से 2022-23 में 0.69 प्रतिशत तक)।

#### 5.4 एसपीएसई में निवेश एवं बजटीय सहायता

##### 5.4.1 एसपीएसई में पूँजी स्वामित्व एवं ऋण

31 मार्च 2023 को 72 कार्यरत एसपीएसई में क्षेत्रवार कुल पूँजी, राज्य सरकार द्वारा पूँजी अंशदान एवं दीर्घकालिक ऋण, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण सहित नीचे तालिका 5.3 में दिए गए हैं।

तालिका 5.3: एसपीएसई में क्षेत्रवार निवेश

विवरण	निवेश (₹ करोड़ में)					कुल पूँजी एवं दीर्घकालिक ऋण का प्रतिशत
	कुल पूँजी	राज्य सरकार पूँजी	कुल दीर्घकालिक ऋण	राज्य सरकार ऋण	कुल पूँजी एवं दीर्घकालिक ऋण	
ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई	256815.30	157818.01	71931.98	64.65	328747.28	88.55
ऊर्जा क्षेत्र के इतर एसपीएसई	25673.50	11451.23	16821.20	4949.91	42494.70	11.45
<b>योग</b>	<b>282488.80</b>	<b>169269.24</b>	<b>88753.18</b>	<b>5014.56</b>	<b>371241.98</b>	<b>100.00</b>

स्रोत: एसपीएसई द्वारा प्रदान की गई सूचना

31 मार्च 2023 को, राज्य सरकार का इन एसपीएसई में ₹ 1,74,283.80 करोड़ (पूँजी ₹ 1,69,269.24 करोड़ और दीर्घकालिक ऋण ₹ 5,014.56 करोड़) का निवेश था। एसपीएसई निवेश का रुझान मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई पर था, जिससे

31 मार्च 2023 को कुल निवेश ₹ 3,71,241.98 करोड़ का 88.55 प्रतिशत (₹ 3,28,747.28 करोड़) प्राप्त हुआ था। कुल निवेश 3,71,241.98 करोड़ में राज्य सरकार की हिस्सेदारी 46.95 प्रतिशत थी।

इसके अलावा, एसपीएसई द्वारा दी गई सूचना एवं उनके वर्ष 2022-23 के अन्तिम लेखों के अनुसार, वर्ष 2022-23 की अवधि में उ0प्र0 सरकार ने इन एसपीएसई को ₹ 6,676.49 करोड़ का अनुदान (20 एसपीएसई), ₹ 25,449.11 करोड़ का अनुदान (9 एसपीएसई) एवं ₹ 13.91 करोड़ का ऋण (2 एसपीएसई) प्रदान किया<sup>38</sup> गया।

#### 5.4.2 एसपीएसई में पूँजी निवेश का बाजार पूँजीकरण

बाजार पूँजीकरण सूचीबद्ध कम्पनियों के अंशों के बाजार मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। 31 मार्च 2023 को, उत्तर प्रदेश के एसपीएसई के अंश भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज/नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थे।

#### 5.4.3 विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण

वर्ष 2022-23 के दौरान, एक निष्क्रिय एसपीएसई (साउथर्न-यूपी पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड) को कम्पनी रजिस्ट्रार, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के कार्यालय द्वारा कम्पनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया (मई 2022) एवं कम्पनी को भंग कर दिया गया। एसपीएसई के विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण का कोई अन्य मामला नहीं था।

### 5.5 एसपीएसई से आय

#### 5.5.1 एसपीएसई द्वारा अर्जित लाभ

30 सितम्बर 2023 तक एसपीएसई द्वारा प्रस्तुत नवीनतम वित्तीय विवरण के अनुसार, लाभ अर्जित करने वाले एसपीएसई की संख्या 2021-22 में 37 की तुलना में 2022-23 में 39 थी। अर्जित लाभ 2021-22 में ₹ 1,315.53 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 2,169.50 करोड़ हो गया।

शीर्ष छः एसपीएसई जिन्होंने 2022-23 के दौरान अधिकतम लाभ में योगदान दिया, उन्हें तालिका 5.4 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 5.4: शीर्ष छः एसपीएसई जिन्होंने अधिकतम लाभ में योगदान दिया

एसपीएसई का नाम	नवीनतम अन्तिम रूप दिए गए लेखों की अवधि	कर के बाद शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	एसपीएसई के कुल लाभ में लाभ का प्रतिशत
1. पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2022-23	991.67	45.71
2. उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2021-22	275.88	12.72
3. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2021-22	235.66	10.86
4. उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम	2020-21	165.53	7.63
5. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	2021-22	144.68	6.67

<sup>38</sup> इसमें प्रस्तर 4.4.3 में वर्णित सहायता अनुदान के रूप में दर्ज ₹ 8,007.72 करोड़ शामिल हैं।

एसपीएसई का नाम	नवीनतम अन्तिम रूप दिए गए लेखों की अवधि	कर के बाद शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	एसपीएसई के कुल लाभ में लाभ का प्रतिशत
6. उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	2014-15	120.38	5.55
<b>योग</b>		<b>1933.80</b>	<b>89.14</b>

स्रोत: एसपीएसई के नवीनतम वित्तीय विवरण

अकेले इन छः एसपीएसई ने 2022-23 के दौरान 39 एसपीएसई द्वारा अर्जित कुल लाभ (₹ 2,169.50 करोड़) में 89.14 प्रतिशत का योगदान दिया था।

एसपीएसई का शुद्ध लाभ अनुपात<sup>39</sup> तालिका 5.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.5: एसपीएसई का शुद्ध लाभ अनुपात

क्षेत्र	शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	टर्नओवर (₹ करोड़ में)	शुद्ध लाभ अनुपात (प्रतिशत में)
ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई	(-)30128.46	77053.32	(-)39.10
ऊर्जा क्षेत्र के इतर	(-)131.94	15643.41	(-)0.84
<b>योग</b>	<b>(-)30260.40</b>	<b>92696.73</b>	<b>(-)32.64</b>

### 5.5.2 एसपीएसई द्वारा भुगतान किया गया लाभांश

राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति तैयार की थी (अक्टूबर 2002) जिसके तहत लाभ में चल रहे एसपीएसई को राज्य सरकार द्वारा योगदान की गई शेयर पूँजी पर न्यूनतम पांच प्रतिशत लाभांश का भुगतान करना अपेक्षित है। लाभ कमाने वाले तीन एसपीएसई ने वर्ष 2022-23 के लिए अपने लेखें प्रस्तुत किए। लाभ कमाने वाले तीन एसपीएसई में से, दो एसपीएसई<sup>40</sup> को संचित घाटा हुआ और एक एसपीएसई<sup>41</sup> ने 2022-23 के दौरान लाभांश की घोषणा नहीं की।

## 5.6 ऋण भुगतान

### 5.6.1 ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग किसी कम्पनी की बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना उसी अवधि के ब्याज व्यय द्वारा ब्याज और करों (ईबीआईटी) से पहले कम्पनी के लाभ को विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, कम्पनी की कर्ज पर ब्याज चुकाने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से निम्न नीचे दिए गए ब्याज कवरेज अनुपात से पता चलता है कि कम्पनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी। नवीनतम अन्तिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार, कार्यरत एसपीएसई,

<sup>39</sup> शुद्ध लाभ/टर्नओवर\*100।

<sup>40</sup> पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड।

<sup>41</sup> उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन परिषद।

जिन पर ब्याज का बोझ था, उनका ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण नीचे तालिका 5.6 में दिया गया है।

तालिका 5.6: एसपीएसई का ब्याज कवरेज अनुपात

वर्ष	विवरण	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज और कर से पहले की आय (ईबीआईटी) (₹ करोड़ में)	सरकार और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण की देनदारी वाले एसपीएसई की संख्या	एक या उससे अधिक ब्याज कवरेज अनुपात वाली कम्पनियों की संख्या	ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम वाली कम्पनियों की संख्या <sup>42</sup>
2020-21	ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई	10277.64	21.55	10	4	5
	ऊर्जा क्षेत्र के इतर	275.16	-118.80	29	8	9
	<b>योग</b>	<b>10552.80</b>	<b>-97.25</b>	<b>39</b>	<b>12</b>	<b>14</b>
2021-22	ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई	12647.24	6233.69	10	3	6
	ऊर्जा क्षेत्र के इतर	277.21	48.80	28	8	9
	<b>योग</b>	<b>12924.45</b>	<b>6282.49</b>	<b>38</b>	<b>11</b>	<b>15</b>
2022-23	ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई	12167.05	-3265.83	10	5	4
	ऊर्जा क्षेत्र के इतर	212.44	-152.88	28	8	8
	<b>योग</b>	<b>12379.49</b>	<b>-3418.71</b>	<b>38</b>	<b>13</b>	<b>12</b>

स्रोत: एसपीएसई के नवीनतम वित्तीय विवरण

एसपीएसई के नवीनतम वित्तीय विवरण से, यह देखा गया कि ऊर्जा क्षेत्र से सम्बन्धित पांच एसपीएसई, जिन पर ऋण की देनदारी थी, 2022-23 के दौरान ब्याज कवरेज अनुपात एक से अधिक या उसके बराबर था। हालाँकि, ऊर्जा के अलावा अन्य एसपीएसई के मामले में, जिन पर ऋण की देनदारी है, केवल आठ एसपीएसई का ब्याज कवरेज अनुपात एक से अधिक या उसके बराबर था और आठ एसपीएसई का ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम था। इस प्रकार, एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात वाले ये एसपीएसई ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रहे थे।

## 5.7 एसपीएसई का वित्तीय प्रदर्शन

### 5.7.1 नियोजित पूँजी पर आय

नियोजित पूँजी पर आय (आरओसीई) एक अनुपात है जो किसी कम्पनी की लाभप्रदता और उसकी पूँजी नियोजित करने की दक्षता को मापता है। आरओसीई की गणना किसी कम्पनी की ब्याज और करों से पहले की आय (ईबीआईटी) को नियोजित पूँजी<sup>43</sup> से विभाजित करके की जाती है। 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान आरओसीई का विवरण नीचे तालिका 5.7 में दिया गया है।

<sup>42</sup> बकाया ऋण होने के बावजूद इस अवधि के दौरान ब्याज देयता शून्य होने के कारण शेष 13 कंपनियों के ब्याज कवरेज अनुपात की गणना नहीं की गई है।

<sup>43</sup> नियोजित पूँजी = भुगतान की गई पूँजी + निःशुल्क आरक्षित निधि एवं अधिशेष दीर्घकालिक ऋण-संचित हानि-स्थगित राजस्व व्यय।

तालिका 5.7 : नियोजित पूँजी पर आय

वर्ष	विवरण	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (प्रतिशत में)
2020-21	ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई	17400.25	<b>101343.76</b>	17.17
	ऊर्जा क्षेत्र के इतर	356.58	<b>29073.01</b>	1.23
	<b>योग</b>	<b>17756.83</b>	<b>130416.77</b>	<b>13.62</b>
2021-22	ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई	-2071.60	98088.99	-2.11
	ऊर्जा क्षेत्र के इतर	517.60	34904.86	1.48
	<b>योग</b>	<b>-1554.00</b>	132993.85	<b>-1.17</b>
2022-23	ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई	-17838.09	75433.18	-23.65
	ऊर्जा क्षेत्र के इतर	286.36	36425.97	0.79
	<b>योग</b>	<b>-17551.73</b>	<b>111859.15</b>	<b>-15.69</b>

स्रोत: कार्यरत एसपीएसई के नवीनतम वित्तीय विवरण

यह देखा गया कि ऊर्जा क्षेत्र और ऊर्जा क्षेत्र के इतर दोनों के लिए 2020-21 के दौरान आरओसीई सकारात्मक था। हालाँकि, ईबीआईटी नकारात्मक होने के कारण ऊर्जा क्षेत्र के लिए 2020-21 की तुलना में 2021-22 एवं 2022-23 में आरओसीई कम एवं नकारात्मक हो गया।

### 5.7.2 एसपीएसई द्वारा पूँजी पर आय

पूँजी पर आय (आरओई) वित्तीय प्रदर्शन का एक माप है जिससे यह आकलन किया जाता है कि किसी कम्पनी की संपत्ति का उपयोग लाभ के लिए कितने प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। आरओई की गणना शुद्ध आय (यानी, करों के बाद शुद्ध लाभ) को अंशधारकों के कोष से विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है और किसी भी कम्पनी के लिए इसकी गणना की जा सकती है यदि शुद्ध आय और अंशधारकों के कोष दोनों सकारात्मक संख्या हैं।

अंशधारकों के कोष की गणना चुकता पूँजी और मुक्त निधि में से संचित घाटे और स्थगित राजस्व व्यय को घटाकर की जाती है और यह पता चलता है कि यदि सभी संपत्तियाँ बेच दी गईं और सभी ऋणों का भुगतान कर दिया गया तो कम्पनी के अंशधारकों के लिए कितना बचा होगा। एक सकारात्मक अंशधारकों के कोष से पता चलता है कि कम्पनी के पास अपनी देनदारियों को भुगतान करने के लिए पर्याप्त संपत्ति है जबकि नकारात्मक अंश पूँजी का मतलब है कि देनदारियाँ संपत्ति से अधिक हैं।

लाभ अर्जित करने वाले 39 कार्यरत एसपीएसई का पूँजी पर आय<sup>44</sup> (आरओई) 2022-23 में 6.64 प्रतिशत रहा। घाटे में चल रहे एसपीएसई सहित 72 कार्यरत एसपीएसई में समग्र आरओई 2022-23 में नकारात्मक था।

<sup>44</sup> पूँजी पर आय = (करों के बाद शुद्ध लाभ/अंशधारकों की पूँजी) X 100 जहाँ अंशधारकों की पूँजी = प्रदत्त पूँजी+ मुक्त निधि - शुद्ध संचित घाटे - स्थगित राजस्व व्यय।

कार्यरत एसपीएसई से सम्बन्धित अंशधारकों के कोष और आरओई का विवरण नीचे तालिका 5.8 में दिया गया है।

तालिका 5.8 : एसपीएसई से सम्बन्धित पूँजी पर आय

वर्ष	विवरण	शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	अंशधारक कोष (₹ करोड़ में)	आरओई (प्रतिशत में)
2020-21	ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई	6985.41	74143.10	9.42
	ऊर्जा क्षेत्र के इतर	-118.01	15059.08	-
	<b>योग</b>	<b>6867.40</b>	<b>89202.18</b>	<b>7.70</b>
2021-22	ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई	-14842.16	79672.94	-
	ऊर्जा क्षेत्र के इतर	34.53	17884.13	0.19
	<b>योग</b>	<b>-14807.63</b>	<b>97557.07</b>	<b>-</b>
2022-23	ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई	-30128.46	66880.18	-
	ऊर्जा क्षेत्र के इतर	-131.94	19293.13	-
	<b>योग</b>	<b>-30260.40</b>	<b>86173.31</b>	<b>-</b>

स्रोत: एसपीएसई के नवीनतम वित्तीय विवरण के अनुसार

2021-22 और 2022-23 के दौरान, आरओई की गणना नहीं की जा सकी क्योंकि सभी एसपीएसई की कुल आय नकारात्मक थी।

### 5.7.3 हानि वहन करने वाले एसपीएसई

#### 5.7.3.1 वहन की गयी हानियाँ

30 सितम्बर 2023 को, नवीनतम अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार 27 कार्यरत एसपीएसई, ने हानियाँ वहन की। इन कार्यरत एसपीएसई द्वारा वहन की गई हानियाँ इनके नवीनतम अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई की हानियों के कारण 2020-21 में ₹ 11,366.55 करोड़ से बढ़कर ₹ 32,429.90 करोड़ हो गयी जैसा कि विस्तृत रूप में तालिका 5.9 में दिया गया है।

तालिका 5.9 : 2020-21 से 2022-23 के दौरान हानियाँ वहन करने वाले एसपीएसई की संख्या

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विवरण	हानि में चल रहे एसपीएसई की संख्या	वर्ष के लिए निवल हानि	संचित हानि	निवल मूल्य <sup>45</sup>
2020-21	ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई	9	-10569.28	-66215.88	77022.22
	ऊर्जा क्षेत्र के इतर	23	-797.27	-5062.70	5215.41
	<b>योग</b>	<b>32</b>	<b>-11366.55</b>	<b>-71278.58</b>	<b>82237.63</b>
2021-22	ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई	9	-15354.12	-161218.71	-32812.35
	ऊर्जा क्षेत्र के इतर	20	-769.04	-4943.07	3193.76
	<b>योग</b>	<b>29</b>	<b>-16123.16</b>	<b>-166161.78</b>	<b>-29618.59</b>
2022-23	ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई	7	-31632.60	-166029.29	-47581.10
	ऊर्जा क्षेत्र के इतर	20	-797.30	-6067.42	4353.49
	<b>योग</b>	<b>27</b>	<b>-32429.90</b>	<b>-172096.71</b>	<b>-43227.63</b>

स्रोत: एसपीएसई के नवीनतम वित्तीय विवरण के अनुसार

<sup>45</sup> निवल मूल्य का आशय प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त संचय तथा आधिक्य के कुल योग में से संचित हानि एवं स्थगित राजस्व व्यय घटाने से होता है। मुक्त संचय का आशय लाभों से निर्मित कुल संचय किन्तु संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन एवं मूल्यहास के प्रावधानों की वापसी को शामिल किये बिना है।



2022-23 में, राज्य सरकार के पूँजी निवेश ₹ 1,42,768.81 करोड़ वाले 27 एसपीएसई द्वारा वहन की गयी कुल हानि ₹ 32,429.90 करोड़ में से, ₹ 31,632.46 करोड़ (97.54 प्रतिशत) की हानि का योगदान मुख्यतः पाँच ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई<sup>46</sup> द्वारा किया गया था जिनमें राज्य सरकार का पूँजी निवेश ₹ 1,35,759.57 करोड़ है।

#### 5.7.4 एसपीएसई में पूँजी का क्षरण

30 सितम्बर 2023 को नवीनतम अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार, 34 एसपीएसई की संचित हानियाँ ₹ 1,95,724.15 करोड़ थी। उनमें से, 24 एसपीएसई ने ₹ 32,427.27 करोड़ की हानियाँ वहन की (परिशिष्ट 5.2)।

34 एसपीएसई में से 15 एसपीएसई<sup>47</sup> के निवल मूल्य का संचित हानियों द्वारा पूर्णतया क्षरण हो गया था एवं उनका निवल मूल्य या तो शून्य या ऋणात्मक था। 31 मार्च 2023 को इन 15 एसपीएसई के पूँजी निवेश ₹ 1,46,516.94 करोड़ के विरुद्ध निवल मूल्य (-) ₹ 77,811.31 करोड़ थी। 15 एसपीएसई में से, जिनकी पूँजी क्षरण<sup>48</sup> हो गई थी, चार एसपीएसई ने 2022-23 के दौरान लाभ अर्जित किया था। 15 में से 10 एसपीएसई पर 31 मार्च 2023 को ₹ 20,547.97 करोड़ का बकाया ऋण था, जैसा कि तालिका 5.10 में बताया गया है।

तालिका 5.10: एसपीएसई का विवरण जिनकी निवल मूल्य, उनके नवीनतम अन्तिम रूप दिए गये लेखों के अनुसार, का क्षरण हो गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	एसपीएसई के नाम	लेखों का नवीनतम वर्ष	कुल प्रदत्त पूँजी	ब्याज, कर और लाभांश के बाद शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)	(-) संचित हानि/ (+) मुक्त संचय	निवल मूल्य	31 मार्च 2023 को राज्य सरकार की पूँजी	31 मार्च 2023 को राज्य सरकार की ऋण
1	दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2022-23	23988.47	-5073.77	-30049.98	-6061.51	शून्य	शून्य
2	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड	2022-23	2431.28	0.51	-4186.93	-1755.65	शून्य	शून्य
3	उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	119625.63	-14572.24	-95139.33	-68546.27 <sup>49</sup>	119625.63	शून्य
4	यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड	2021-22	0.16	-0.12	-2.33	-2.17	शून्य	शून्य

<sup>46</sup> उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड: (-) ₹ 556.26 करोड़ (2021-22), उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड: (-) ₹ 14,572.24 करोड़ (2022-23), मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड : (-) ₹ 4,892.19 करोड़ (2022-23), दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: (-) ₹ 5,073.77 करोड़ (2022-23) एवं पूर्वाञ्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड : (-) ₹ 6,610.27 करोड़ (2022-23)।

<sup>47</sup> दो एसपीएसई की निवल मूल्य को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश जल निगम के पास पूँजी नहीं है और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में वर्ष 2022-23 के दौरान ₹8,825.47 करोड़ की पूँजी निवेश के कारण की 2022-23 निवल मूल्य सकारात्मक है।

<sup>48</sup> ये एसपीएसई सरकार से समर्थन मिलने तक अपनी आय के स्रोत के माध्यम से स्थापना व्यय के साथ-साथ अन्य देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं।

<sup>49</sup> उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनियों में किए गए निवेश के कारण निवल मूल्य की गणना के लिए ₹ 93,032.57 करोड़ रुपये को शामिल नहीं किया गया है।

क्र. सं.	एसपीएसई के नाम	लेखों का नवीनतम वर्ष	कुल प्रदत्त पूँजी	ब्याज, कर और लाभांश के बाद शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)	(-) संचित हानि/ (+) मुक्त संचय	निवल मूल्य	31 मार्च 2023 को राज्य सरकार की पूँजी	31 मार्च 2023 को राज्य सरकार की ऋण
5	यूपीएसआईडीसी पावर कम्पनी लिमिटेड	2013-14	0.05	-0.02	-0.25	-0.20	शून्य	शून्य
6	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	2020-21	135.58	4.29	-376.75	-241.17	110.58	995.41
7	इलाहाबाद सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2019-20	4.91	-10.90	-16.48	-11.57	शून्य	शून्य
8	उत्तर प्रदेश ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	2009-10	1.10	-9.21	-26.59	-25.49	1.10	शून्य
9	उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प एवं विपणन विकास निगम लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड)	2008-09	7.24	-1.90	-24.65	-17.41	6.34	10.59
10	कानपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2017-18	0.67	-11.48	-7.41	-6.74	0.05	शून्य
11	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2017-18	0.26	0.04	-0.76	-0.50	0.15	शून्य
12	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	2000-01	47.07	-8.80	-84.93	-37.86	36.45	159.49
13	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	2018-19	93.24	-5.65	-274.49	-181.25	93.24	151.08
14	अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2022-23	2.00	-40.91	-206.41	-204.41	0.25	शून्य
15	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	2012-13	179.28	17.38	-898.39	-719.11	114.51	345.94
<b>योग</b>			<b>146516.94</b>	<b>-19712.78</b>	<b>-131295.68</b>	<b>-77811.31</b>	<b>119988.30</b>	<b>1662.51</b>

स्रोत: एसपीएसई के नवीनतम वित्तीय विवरण के अनुसार

### 5.8 एसपीएसई की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) एवं (7) के अन्तर्गत सरकारी कम्पनी एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सीएजी द्वारा की जाती है। सीएजी को पूरक लेखापरीक्षा करने और सांविधिक लेखापरीक्षक की

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर टिप्पणियां जारी करने या परिपूर्ण करने का अधिकार है। कुछ निगमों को नियन्त्रित करने वाले विधियों के अनुसार उनके लेखों का सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा किया जाना चाहिए और एक प्रतिवेदन विधानमंडल को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

### 5.9 सीएजी द्वारा एसपीएसई के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) में प्रावधान है कि सरकारी कम्पनी या सरकार नियन्त्रित अन्य कम्पनी के मामले में सांविधिक लेखा परीक्षकों को वित्तीय वर्ष की शुरुआत से 180 दिनों की अवधि के भीतर सीएजी द्वारा नियुक्त किया जाना है।

एसपीएसई के लेखापरीक्षा के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति सीएजी द्वारा की गई थी।

### 5.10 एसपीएसई द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण

#### 5.10.1 समय पर प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी के क्रियाकलापों एवं मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन, इसकी वार्षिक सामान्य सभा<sup>50</sup> (एजीएम) के तीन महीने के अन्दर तैयार किया जाता है। ऐसी तैयारी के बाद यथाशीघ्र वार्षिक प्रतिवेदन को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर या उसके पूरक के रूप में सीएजी की टिप्पणियों के साथ विधानमंडल के समक्ष रखा जाना चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले सम्बन्धित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान मौजूद हैं। यह तंत्र राज्य की समेकित निधि से कम्पनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार अंशधारकों की एजीएम आयोजित करने की आवश्यकता होती है। यह भी कहा गया है कि एक तारीख से अगली तारीख के बीच 15 महीने से अधिक का समय नहीं होगा। इसके अलावा, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को उनके विचार के लिए उक्त एजीएम में रखा जाना चाहिए।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए कम्पनी के निदेशकों सहित जिम्मेदार व्यक्तियों पर जुर्माना और कारावास जैसे दण्ड लगाने का भी प्रावधान है।

विभिन्न एसपीएसई के वार्षिक लेखे 30 सितम्बर 2023 तक लम्बित थे, जैसा कि निम्नलिखित प्रस्तर में बताया गया है।

<sup>50</sup> पहली एजीएम के सन्दर्भ में, यह कंपनी के प्रथम वित्तीय वर्ष के समाप्ति की तिथि से नौ महीने की अवधि के भीतर आयोजित की जाएगी और किसी अन्य के सन्दर्भ में वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि से छः माह अर्थात् 30 सितम्बर के अन्दर होनी चाहिए।

### 5.10.2 एसपीएसई द्वारा लेखे तैयार करने की समयबद्धता

31 मार्च 2023 को, सीएजी की लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में 107 एसपीएसई<sup>51</sup> थे। इनमें से वर्ष 2022-23 के लिए परिसमापन के तहत 13 को छोड़कर 94 एसपीएसई के लेखे बकाया थे। हालाँकि, 30 सितम्बर 2023 तक केवल 10 एसपीएसई ने वर्ष 2022-23 के लिए अपने लेखे सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किए। 95 एसपीएसई के 1,028 लेखे बकाया थे जैसा कि **परिशिष्ट 5.3** में बताया गया है। एसपीएसई के लेखों को प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण **तालिका 5.12** में दिया गया है।

तालिका 5.12: लेखे प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण

विवरण	एसपीएसई	लेखों की संख्या	
31.03.2023 को सी ए जी के लेखापरीक्षा के क्षेत्राधिकार में कुल कम्पनियों की संख्या	107	--	
घटाया नयी कम्पनियां जिनका 2022-23 के लेखे देय नहीं थे	0	0	
परिसमापन के अन्तर्गत 13 कम्पनियों के अलावा कम्पनियों की संख्या जिनके लेखे 2022-23 के लिए देय थे	94	98 <sup>52</sup>	
30 सितम्बर 2023 तक सीएजी की लेखापरीक्षा के लिए लेखे प्रस्तुत करने वाली कम्पनियों की संख्या	10	11 <sup>53</sup>	
31.03.2023 को सीएजी के लेखापरीक्षा के क्षेत्राधिकार में कुल कम्पनियों की संख्या	<b>95</b>	<b>1028</b>	
बकाया का वर्गीकरण	(i) कार्यरत	56	305
	(ii) निष्क्रिय	28	603
	(iii) परिसमापन के अन्तर्गत	11 <sup>54</sup>	120
कार्यरत वर्ग के अधीन बकाया का समयानुसार विश्लेषण	एक वर्ष (2022-23)	15	16
	दो वर्ष (2021-22 एवं 2022-23)	07	16
	तीन वर्ष एवं अधिक	34	273

### 5.10.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखे तैयार करने की समयबद्धता

सीएजी द्वारा छः सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा की जाती है एवं उनमें से चार सांविधिक निगमों<sup>55</sup> का सीएजी एकल लेखापरीक्षक है। 30 सितम्बर 2023 से पूर्व किसी भी सांविधिक निगम ने वर्ष 2022-23 के लेखे प्रस्तुत नहीं किया है। 30 सितम्बर 2023 को छः सांविधिक निगमों के 19 लेखे लम्बित थे जैसा कि **परिशिष्ट 5.3** में वर्णित है।

<sup>51</sup> प्रस्तर 5.10.3 में वर्णित छः सांविधिक निगमों के अलावा।

<sup>52</sup> वर्ष 2022-23 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड का समेकित वित्तीय विवरण।

<sup>53</sup> वर्ष 2022-23 के लिए उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड का समेकित वित्तीय विवरण।

<sup>54</sup> दो एसपीएसई उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश (रोहिलखंड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड ने परिसमापन की प्रक्रिया में जाने तक नवीनतम लेखे जमा किये हैं।

<sup>55</sup> उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, उत्तर प्रदेश जल निगम और उत्तर प्रदेश वन निगम।

## 5.11 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निगरानी-लेखों की लेखापरीक्षा एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा

### 5.11.1 वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा

कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में एवं लेखा मानकों पर राष्ट्रीय परामर्श समिति परिवर्तित नाम राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण<sup>56</sup> के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखा मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार करना अपेक्षित है। सांविधिक निगमों को उनके नियमों के अन्तर्गत से सीएजी के परामर्श पर बताए गए निर्धारित प्रारूप में तथा ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से सम्बन्धित अन्य किसी विशिष्ट प्रावधान में, लेखे तैयार करना अपेक्षित है।

### 5.11.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा जाती है एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुसार उनपर प्रतिवेदन प्रस्तुत की जाती है। सीएजी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रदर्शन की निगरानी करके एक निगरानी भूमिका निभाते हैं, जिसका समग्र उद्देश्य यह है कि सांविधिक लेखापरीक्षक उन्हें सौंपे गए कार्यों का उचित और प्रभावी ढंग से निर्वहन करते हैं। यह कार्य प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके निष्पादित किया जाता है:

- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना और
- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षक की प्रतिवेदन को परिपूर्ण या टिप्पणी करना।

### 5.11.3 सरकारी कम्पनियों के लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 या अन्य प्रासंगिक अधिनियम के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की प्राथमिक जिम्मेदारी एक संस्था के प्रबंधन की है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के मानक लेखा परीक्षा प्रथाओं और सीएजी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार एक स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सीएजी को प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

चयनित सरकारी कम्पनियों के प्रमाणित लेखों के साथ-साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों की प्रतिवेदन की समीक्षा सीएजी द्वारा पूरक लेखा परीक्षा करके की जाती है। इस तरह की समीक्षा के आधार पर, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हों, कम्पनी अधिनियम,

<sup>56</sup> 01 अक्टूबर 2018 से प्रभावी।

2013 की धारा 143 (6) के तहत एजीएम में प्रस्तुत करने हेतु प्रतिवेदित किया जाता है।

## 5.12 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका का परिणाम

### 5.12.1 एसपीएसई लेखों की लेखापरीक्षा

01 अक्टूबर 2022 से 30 सितम्बर 2023 तक 47 एसपीएसई से वर्ष 2022-23<sup>57</sup> और पिछले वर्षों<sup>58</sup> के लिए 66 वित्तीय विवरण<sup>59</sup> प्राप्त हुए थे। सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा में 49 एसपीएसई के 75 वित्तीय विवरणों<sup>60</sup> की समीक्षा की गई और छः एसपीएसई के 13 लेखों पर गैर-समीक्षा प्रमाणपत्र जारी किया गया।

### 5.12.2 वित्तीय विवरण में संशोधन

2022-23 के दौरान, एजीएम में रखने से पहले एसपीएसई द्वारा अपने वित्तीय विवरण में संशोधन करने का कोई मामला नहीं है।

### 5.12.3 लेखापरीक्षकों की प्रतिवेदन का पुनर्लेखन

2022-23 के दौरान, सीएजी द्वारा किए गए वित्तीय विवरणों के पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप सांविधिक लेखापरीक्षकों की प्रतिवेदन में एक प्रतिवेदन पुनर्लेखन का मामला है।

## 5.13 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 से तैयार की जा रही है और राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत की जा रही है। लोक लेखा समिति को अभी भी इन प्रतिवेदनों पर चर्चा करना है।

## 5.14 निष्कर्ष

31 मार्च 2023 को, छः सांविधिक निगमों सहित 113 एसपीएसई थे। 107 एसपीएसई में से, 41 निष्क्रिय एसपीएसई (परिसमापन के अन्तर्गत 13 एसपीएसई सहित) हैं। एसपीएसई ने अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किया। 101 एसपीएसई के 1,047 लेखे बकाया थे।

नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार, 39 एसपीएसई द्वारा अर्जित ₹ 2,169.50 करोड़ के कुल लाभ में से, ₹ 1,933.80 करोड़ (89.14 प्रतिशत) के लाभ का योगदान छः एसपीएसई द्वारा किया गया था। इसके अलावा 34 एसपीएसई में ₹ 1,95,724.15 करोड़ की संचित हानियाँ थी। इनमें से 24 एसपीएसई को ₹ 32,427.27 करोड़ का हानि हुई। संचित घाटे के कारण 15 एसपीएसई के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार उनकी निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गई थी।

<sup>57</sup> 10 एसपीएसई से वर्ष 2022-23 के लिए 11 वित्तीय विवरण (एक सीएफएस सहित) प्राप्त हुए।

<sup>58</sup> प्राप्त 55 वित्तीय विवरण वर्ष 2021-22 और उससे पहले के थे।

<sup>59</sup> वर्ष 2022-23 के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का समेकित वित्तीय विवरण भी शामिल है।

<sup>60</sup> जिसमें विभिन्न एसपीएसई के चार सीएफएस शामिल हैं।

### 5.15 संस्तुतियाँ

18. प्रशासनिक विभागों को एसपीएसई के लेखों के बकाया को समाप्त करने के लिए सख्ती से निगरानी करनी चाहिए और आवश्यक दिशानिर्देश जारी करना चाहिए और एसपीएसई के लेखों को तैयार करने में आने वाली बाधाओं को हल करने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए।
19. राज्य सरकार उन निष्क्रिय एसपीएसई की स्थिति की समीक्षा कर सकती है जिन्होंने अपना परिचालन बंद कर दिया है और निष्क्रिय एसपीएसई के संबंध में परिसमापन प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में नीतिगत निर्णय ले सकती है।
20. राज्य सरकार उन एसपीएसई में घाटे के कारण का विश्लेषण कर सकती है जिनकी निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गई है और इन एसपीएसई के संचालन को जारी रखने के बारे में निर्णय ले सकती है।

तान्या सिंह

(तान्या सिंह)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II),

उत्तर प्रदेश

लखनऊ

दिनांक 21 जून 2024

प्रतिहस्ताक्षरित



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक 27 JUN 2024





परिशिष्टियाँ



**परिशिष्ट-1.1**  
(प्रस्तर 1.1 में सन्दर्भित)  
उत्तर प्रदेश राज्य के सामान्य आँकड़े

क्र. सं.	विवरण	आकड़े	
1	क्षेत्र <sup>1</sup>	2,40,928 वर्ग किलोमीटर	
2	जनसंख्या <sup>2</sup>		
	अ. जनगणना 2011 (1 मार्च 2011 को)	19.98 करोड़	
	ब. वर्ष 2023 के लिए अनुमानित (1 मार्च 2023 को)	23.57 करोड़	
3	दशकीय जनसंख्या वृद्धि <sup>3</sup> (2013-2023)	उत्तर प्रदेश	14.23 प्रतिशत
		अखिल भारतीय (संघ शासित प्रदेशों सहित)	11.68 प्रतिशत
4	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73 प्रतिशत)	67.7 प्रतिशत	
5	शिशु मृत्यु दर <sup>4</sup> (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय औसत = 28 प्रति 1000 जीवित जन्म)	38	
6	जन्म पर जीवन प्रत्याशा <sup>5</sup> (अखिल भारतीय औसत = 70 वर्ष)	66 वर्ष	
7	मौजूदा कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)	₹ 22,57,575 करोड़	
8	प्रति व्यक्ति जीएसडीपी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) (2013-14 से 2022-23)	उत्तर प्रदेश	8.74
		अखिल भारतीय (संघ शासित प्रदेशों सहित)	9.12
9	जीएसडीपी सीएजीआर (2013-14 से 2022-23)	उत्तर प्रदेश	10.22
		अखिल भारतीय (संघ शासित प्रदेशों सहित)	10.34
10	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (बीपीएल) <sup>6</sup> (2011-12) (अखिल भारतीय औसत = 21.92 प्रतिशत)	29.43 प्रतिशत	

<sup>1</sup> आर्थिक एवं संख्याकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन।

<sup>2</sup> भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011-2036, जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट की तालिका 8 (जुलाई 2020) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग।

<sup>3</sup> भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011-2036, जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट की तालिका 8 (जुलाई 2020) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग।

<sup>4</sup> सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एस.आर.एस.) बुलेटिन, मई 2022 (वर्ष 2020 के लिए), भारत के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय।

<sup>5</sup> रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, भारत के कार्यालय द्वारा प्रकाशित एसआरएस आधारित संक्षिप्त जीवन तालिका 2016-20 (अक्टूबर 2022)।

<sup>6</sup> भारतीय रिजर्व बैंक की भारतीय अर्थव्यवस्था 2011-12 पर सांख्यिकी की पुस्तिका (तालिका 162)।

**परिशिष्ट-2.1**  
(प्रस्तर 2.2 में सन्दर्भित)  
राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आँकड़े  
(कोष्ठक में दर्शाये गये आँकड़े प्रत्येक उप-शीर्ष के योग का प्रतिशत को इंगित करते हैं)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
<b>भाग अ –प्राप्तियां</b>					
<b>1. राजस्व प्राप्तियां जिसमें</b>	<b>3,29,978</b>	<b>3,66,393</b>	<b>2,96,176</b>	<b>3,71,011</b>	<b>4,17,241</b>
(i) स्वयं के कर राजस्व जिसमें	1,20,122(36)	1,22,826(34)	1,19,897(40)	1,47,368(40)	1,74,087(42)
राज्य वस्तु एवं सेवाकर	46,108 (38)	47,232(38)	42,860(36)	54,594(37)	64,141(37)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	23,798(20)	20,517(17)	22,127(18)	27,058(18)	31,979(18)
राज्य आबकारी	23,927(20)	27,325(22)	30,061(25)	36,320(25)	41,253(34)
वाहनों पर कर	6,929(6)	7,715(6)	6,483(5)	7,776(5)	9,059(5)
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	1,57,33(13)	16,070(13)	16,475(14)	20,048(14)	24,844(14)
भू-राजस्व	631(1)	504(0.41)	297(0.25)	193(0.13)	285(0.16)
विद्युत पर कर और शुल्क	2,978 (2)	3,453(3)	1,587(1)	1,366(1)	2,519(1.45)
अन्य कर	18(0.01)	10(0.01)	7(0.01)	13(0.01)	7(0.004)
(ii) करेतर राजस्व	3,0101(9)	81,705(22)	11,846(4)	11,436(3)	13,489(3.23)
(iii) केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	1,36,766(42)	1,17,818(32)	1,06,687(36)	1,60,358(43)	1,69,745(41)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	42,989(13)	44,044(12)	57,746(20)	51,849(14)	59,920(14)
<b>2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली</b>	<b>5,313</b>	<b>5,641</b>	<b>1,135</b>	<b>939</b>	<b>1,337</b>
<b>4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)</b>	<b>3,35,291</b>	<b>3,72,034</b>	<b>2,97,311</b>	<b>3,71,951<sup>7</sup></b>	<b>4,18,578</b>
<b>5. लोक ऋण प्राप्तियां जिसमें</b>	<b>51,595</b>	<b>73,809</b>	<b>86,859</b>	<b>75,751</b>	<b>66,847</b>
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	50,791(98)	72,554(98)	78,677(91)	65,003(86)	58,024(87)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	0	0	0	0	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	804(2)	1,255(2)	8,182(9)	10,748(14)	8,823(13)
<b>6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)</b>	<b>3,86,886</b>	<b>4,45,843</b>	<b>3,84,170</b>	<b>4,47,702</b>	<b>4,85,426<sup>8</sup></b>
<b>7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां</b>	<b>230</b>	<b>662</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
<b>8. लोक लेखा प्राप्तियां<sup>9</sup></b>	<b>3,80,994</b>	<b>3,70,692</b>	<b>3,64,493</b>	<b>4,27,452</b>	<b>5,07,452</b>
<b>9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)</b>	<b>7,68,110</b>	<b>8,17,197</b>	<b>7,48,663</b>	<b>8,75,853</b>	<b>9,92,878</b>

<sup>7</sup> वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्व प्राप्तियां ₹ 3,71,011.44 करोड़ थी और ऋण एवं अग्रिम की वसूली ₹ 939.43 करोड़ थी। इसप्रकार, राजस्व तथा गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों का योग ₹ 3,71,950.87 करोड़ था।

<sup>8</sup> वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व प्राप्ति ₹ 4,17,241.50 करोड़ थी और ऋण एवं अग्रिम की वसूली ₹ 1,337.32 करोड़ थी और लोक ऋण प्राप्ति ₹ 66,846.93 करोड़ थी। इसप्रकार, समेकित निधि में कुल प्राप्तियां ₹ 4,85,425.75 करोड़ थीं।

<sup>9</sup> इसमें मुख्य शीर्ष 8671 (विभागीय अवशेष), मुख्य शीर्ष 8672 (स्थायी रोकड़ अग्रदाय), मुख्य शीर्ष 8673 (रोकड़ अवशेष निवेश लेखा) और रक्षित निधि के अन्तर्गत निवेश सम्मिलित नहीं है, जो कि राज्य सरकार के रोकड़ अवशेष का भाग है।

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
<b>भाग ब-व्यय/संवितरण</b>					
<b>10. राजस्व व्यय जिसमें</b>	<b>3,01,728(81)</b>	<b>2,98,833(83)</b>	<b>2,98,543(85)</b>	<b>3,37,581(82)</b>	<b>3,79,978(79)</b>
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतान सहित)	1,31,057(44)	1,17,675(39)	1,19,057(40)	1,33,521(39)	1,44,688(38)
सामाजिक सेवाएं	91,312(30)	1,03,849(35)	1,09,727(37)	1,20,987(36)	1,38,928(36)
आर्थिक सेवाएं	67,259(22)	62,809(21)	55,551(19)	66,573(20)	78,363(21)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	12,100(4)	14,500(5)	14,208(5)	16,500(5)	18,000(5)
<b>11. पूंजीगत व्यय जिसमें</b>	<b>62,463(17)</b>	<b>59,998(16)</b>	<b>52,237(15)</b>	<b>71,443(17)</b>	<b>93,028(19)</b>
सामान्य सेवाएं	3,419(5)	2,495(4)	1,523(3)	2,357(3)	4,450(5)
सामाजिक सेवाएं	10,589(17)	10,515(18)	12,386(24)	18,569(26)	35,049(38)
आर्थिक सेवाएं	48,455(78)	46,988(78)	38,328(73)	50,517(71)	53,530(57)
<b>12. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण</b>	<b>6,303(2)</b>	<b>2,120(1)</b>	<b>1,153(0.32)</b>	<b>1,613(0.39)</b>	<b>10,209(2)</b>
<b>13. आकस्मिकता निधि को विनियोग</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600(0.15)</b>	<b>0</b>
<b>14. कुल व्यय (10+11+12+13)</b>	<b>3,70,494</b>	<b>3,60,951</b>	<b>3,51,933</b>	<b>4,11,237</b>	<b>4,83,215</b>
<b>15. लोक ऋण से पुनर्भुगतान</b>	<b>20,717</b>	<b>22,401</b>	<b>26,778</b>	<b>28,726</b>	<b>22,690</b>
आंतरिक ऋण ( अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर )	19,080(92)	20,695(92)	25,174(94)	27,132(94)	20,970(92)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत लेनदेन	0	0	0	0	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,637(8)	1,706(8)	1,604(6)	1,594(6)	1,720(8)
<b>16. समेकित निधि से कुल संवितरण (14+15)</b>	<b>3,91,211</b>	<b>3,83,352</b>	<b>3,78,711</b>	<b>4,39,963</b>	<b>5,05,905</b>
<b>17. आकस्मिकता निधि संवितरण</b>	<b>396</b>	<b>32</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0.06</b>
<b>18. लोक लेखे संवितरण</b>	<b>3,61,072</b>	<b>4,39,282</b>	<b>3,59,643</b>	<b>4,23,011</b>	<b>4,98,657</b>
<b>19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)</b>	<b>7,52,679</b>	<b>8,27,666</b>	<b>7,38,454</b>	<b>8,62,974</b>	<b>10,04,562</b>
<b>भाग स-घाटा/आधिक्य</b>					
<b>20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिक्य (+) (1-10)</b>	<b>(+)28,250</b>	<b>(+)67,560</b>	<b>(-)2,367</b>	<b>(+)33,430</b>	<b>(+)37,263</b>
<b>21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय आधिक्य (+) (4-14)</b>	<b>(-)35,203</b>	<b>(+)11,083</b>	<b>(-)54,622</b>	<b>(-)39,286</b>	<b>(-)64,636<sup>10</sup></b>
<b>22. प्राथमिक घाटा (-)/राजकोषीय आधिक्य (+) (21+23)</b>	<b>(-)3,161</b>	<b>(+)45,896</b>	<b>(-)17,194</b>	<b>(+)3,589</b>	<b>(-)21,628</b>
<b>23. ब्याज भुगतान (मुख्य शीर्ष 2049 के अन्तर्गत राजस्व व्यय में सम्मिलित)</b>	<b>32,042</b>	<b>34,813</b>	<b>37,428</b>	<b>42,876</b>	<b>43,008</b>

<sup>10</sup> वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व प्राप्तियां (₹ 4,17,241.50 करोड़), ऋण एवं अग्रिम की वसूली (₹ 1,337.32 करोड़), राजस्व व्यय (₹ 3,79,978.06 करोड़), पूंजीगत व्यय (₹ 93,028.39 करोड़) और संवितरित ऋण एवं अग्रिम (₹ 10,208.63 करोड़) के दृष्टिगत राजकोषीय घाटा ₹ 64,636.26 करोड़ था।

परिशिष्ट-2.2

(प्रस्तर 2.3.2.2 में सन्दर्भित)

वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान स्वयं का कर/करेतर राजस्व का संग्रह

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 का बजट अनुमान	वास्तविक 2022-23
<b>(अ) वर्ष 2018-23 की अवधि में स्वयं का कर राजस्व</b>						
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	46,108	47,232	42,860	54,594	88,264	64,141
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	23,798	20,517	22,127	27,058	36,213	31,979
राज्य आबकारी	23,927	27,325	30,061	36,320	49,153	41,253
वाहनों पर कर	6,929	7,715	6,483	7,776	10,887	9,059
स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	15,733	16,070	16,475	20,048	29,692	24,844
भू-राजस्व	631	504	297	193	915	285
विद्युत पर कर एवं शुल्क	2,978	3,453	1,587	1,366	5,531	2,519
अन्य कर	18	10	7	13	0	7
<b>योग (अ)</b>	<b>1,20,122</b>	<b>1,22,826</b>	<b>1,19,897</b>	<b>1,47,368</b>	<b>2,20,655</b>	<b>1,74,087</b>
<b>(ब) वर्ष 2018-23 की अवधि में करेतर राजस्व</b>						
राजकोषीय सेवाएं	0.01	0.04	0.02	0.07	0.00	0.27
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश एवं लाभ	1,888	1,508	1,220	1,462	2,200	1,400
सामान्य सेवाएं	15,366	73,484	2,239	1,959	3,193	2,300
सामाजिक सेवाएं	872	978	1,046	1,107	1,836	2,151
आर्थिक सेवाएं	11,975	5,735	7,341	6,908	16,177	7,638
<b>योग (ब)</b>	<b>30,101</b>	<b>81,705</b>	<b>11,846</b>	<b>11,436</b>	<b>23,406</b>	<b>13,489</b>
<b>महायोग (अ+ब)</b>	<b>1,50,223</b>	<b>2,04,531</b>	<b>1,31,743</b>	<b>1,58,804</b>	<b>2,44,061</b>	<b>1,87,576</b>

**परिशिष्ट-2.3**  
(प्रस्तर 2.5.2 में सन्दर्भित)  
वर्ष 2022-23 के दौरान आरक्षित निधियों का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	संवितरण	अन्तिम शेष
<b>ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ</b>				
8115-मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	(-) 4,441.57	0.00	0.00	(-) 4,441.57
105- मूल्यहास आरक्षित निधि-निवेश खाता	(-) 4,441.57	0.00	0.00	(-) 4,441.57
8121- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	<b>4,19,845.13</b>	<b>1,90,993.11</b>	<b>1,18,094.64</b>	<b>4,92,743.60</b>
101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	9.68	0.00	0.00	9.68
122- राज्य आपदा अनुक्रिया निधि	3,01,559.43	1,09,196.78	94,920.22	3,15,835.99
129- राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि(एससीएएफ)	1,18,276.02	3,166.33	23,174.42	98,267.93
130- राज्य आपदा मोचन निधि	0.00	78,630.00	0.00	78,630.00
<b>योग-ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ</b>	<b>4,19,845.13</b>	<b>1,90,993.11</b>	<b>1,18,094.64</b>	<b>4,92,743.60</b>
<b>निवेश</b>	<b>(-) 4,441.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(-) 4,441.57</b>
<b>ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ</b>				
8222-निक्षेप (सिंकिंग) निधि	<b>0.00</b>	<b>2,50,000.00</b>	<b>2,50,000.00</b>	<b>0.00</b>
01- ऋण घटाने या उसके परिहार के लिये विनियोजन 101-निक्षेप निधि	3,00,000.00	2,50,000.00	0.00	5,50,000.00
02-निक्षेप निधि-निवेश लेखा 101-निक्षेप निधि-निवेश लेखा	(-) 3,00,000.00	0.00	2,50,000.00	(-) 5,50,000.00
8223-अकाल राहत निधि	(-) 78.01	0.00	0.00	(-) 78.01
102- अकाल राहत निधि-निवेश लेखा	(-) 78.01	0.00	0.00	(-) 78.01
8225-सड़कें एवं सेतु निधि	<b>55,815.81</b>	<b>4,05,000.00</b>	<b>3,75,000.00</b>	<b>85,815.81</b>
101- राज्य सड़क तथा सेतु निधि	55,815.81	4,05,000.00	3,75,000.00	85,815.81
8226-मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	(-) 610.73	3,000.00	969.84	1,419.43
102- सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की मूल्यहास आरक्षित निधि	(-) 610.73	3,000.00	969.84	1,419.43
8229-विकास एवं कल्याण निधि	<b>76,103.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,103.41</b>
101- शिक्षा प्रयोजनों के लिए विकास निधि	4,238.23	0.00	0.00	4,238.23
106- औद्योगिक विकास निधि	100.00	0.00	0.00	100.00
109- सहकारी विकास निधि	0.01	0.00	0.00	0.01
200- अन्य विकास तथा कल्याण निधि	71,765.17	0.00	0.00	71,765.17
8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	<b>40,866.41</b>	<b>18,448.26</b>	<b>4,197.66</b>	<b>55,117.01</b>
101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधियाँ	14,009.00	2.81	0.00	14,011.81
111- राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (राज्य न्यूनीकरण निधि में अवशेष ₹1,000 लाख को सम्मिलित करते हुए)	0.00	673.45	0.00	673.45
200- अन्य निधियाँ	26,857.41	17,772.00	4,197.66	40,431.75
<b>योग-ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ</b>	<b>4,72,174.90</b>	<b>6,76,448.26</b>	<b>3,80,167.50</b>	<b>7,68,455.66</b>
<b>निवेश</b>	<b>(-) 3,00,078.01</b>	<b>0.00</b>	<b>2,50,000.00</b>	<b>(-) 5,50,078.01</b>
<b>महायोग</b>	<b>8,92,020.03</b>	<b>8,67,441.37</b>	<b>4,98,262.14</b>	<b>12,61,199.26</b>
	<b>(-) 3,04,519.58</b>	<b>0.00</b>	<b>2,50,000.00</b>	<b>(-) 5,54,519.58</b>

टिप्पणी: इस परिशिष्ट में उल्लिखित नकारात्मक आँकड़े डेबिट अवशेष को इंगित करते हैं।

**परिशिष्ट-3.1**  
(प्रस्तर 3.2.3 में सन्दर्भित)  
वर्ष 2022-23 के दौरान एकमुश्त बजटीय प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान सं०	लेखा शीर्ष	मतदेय/भारित	विवरण	प्रावधान	व्यय	प्रतिशत
1	1	4059-01-051-03	मतदेय	आबकारी विभाग के कार्यालय एवं गोदामों के निर्माण हेतु एकमुश्त प्रावधान	0.61	0.41	67.21
2	9	2045-103-04	मतदेय	उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के गठन हेतु एकमुश्त प्रावधान	14.61	14.61	100.00
3	9	2045-103-04	भारित	उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के गठन हेतु एकमुश्त प्रावधान	1.86	1.86	100.00
4	11	2071-01-117-07	मतदेय	एन.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले कृषि विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों का दिनांक 31.03.2019 तक शेष नियोक्ता अंशदान का एकमुश्त भुगतान	14.00	00	0.00
5	25	4070-800-09	मतदेय	नव निर्मित जिलों में जेलों के निर्माण हेतु भूमि क्रय हेतु एकमुश्त प्रावधान	50.00	50.00	100.00
6	40	2575-06-101-03	मतदेय	सोलर लाइट/सोलर पंप/सोलर पावर फेंसिंग के लिए एकमुश्त व्यवस्था	0.45	00	0.00
7	40	2575-06-102-03	मतदेय	समितियों के गठन / उपकरणों/ मशीनों/ सज्जा के संगठन के लिए एकमुश्त प्रावधान	0.06	00	0.00
8	40	2575-06-105-04	मतदेय	कौशल विकास मिशन के लिए एकमुश्त प्रावधान	0.03	00	0.00
9	40	2575-06-105-05	मतदेय	फलों और सब्जियों/ मसालों के विकास के लिए एकमुश्त प्रावधान	0.03	00	0.00
10	40	2575-06-800-04	मतदेय	समीक्षा, प्रशिक्षण और मूल्यांकन के लिए एकमुश्त प्रावधान	0.30	00	0.00
11	40	4575-06-101-03	मतदेय	पशु चिकित्सालय/पशु सेवा केन्द्रों के निर्माण/विस्तार हेतु एकमुश्त प्रावधान	0.18	00	0.00
12	40	4575-06-102-03	मतदेय	जलापूर्ति कार्यक्रम के लिए एकमुश्त प्रावधान	15.00	00	0.00
13	40	4575-06-106-03	मतदेय	ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए एकमुश्त प्रावधान	0.02	00	0.00
14	40	4575-06-201-03	मतदेय	विद्यालय भवन की चाहरदीवारी के निर्माण/विस्तार हेतु एकमुश्त प्रावधान	2.40	00	0.00
15	40	4575-06-337-03	मतदेय	सड़कों के लिए एकमुश्त प्रावधान	18.00	00	0.00
16	40	4575-06-800-03	मतदेय	सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उपकेन्द्र भवनों के निर्माण/ विस्तार हेतु एकमुश्त प्रावधान	3.00	00	0.00



क्र० सं०	अनुदान सं०	लेखा शीर्ष	मतदेय/भारित	विवरण	प्रावधान	व्यय	प्रतिशत
17	40	4575-06-800-04	मतदेय	होम्योपैथी चिकित्सालयों के भवन निर्माण/विस्तार हेतु एकमुश्त प्रावधान	0.01	00	0.00
18	40	4575-06-800-06	मतदेय	आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था	1.20	00	0.00
19	40	4575-06-800-09	मतदेय	सी.सी. सड़कों और के.सी. नालों के निर्माण के लिए एकमुश्त प्रावधान	12.57	00	0.00
20	40	4575-06-800-10	मतदेय	बाढ़ शरणालय के निर्माण हेतु एकमुश्त प्रावधान	0.24	00	0.00
21	40	4575-06-800-11	मतदेय	मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए एकमुश्त प्रावधान	1.50	00	0.00
22	40	4575-06-800-12	मतदेय	अनुसूचित जनजाति आश्रम पद्धति विद्यालय परिसर के चाहरदीवारी एवं परिसर में रोड के निर्माण हेतु एकमुश्त प्रावधान	0.03	00	0.00
23	40	4575-06-800-13	मतदेय	शौचालय निर्माण के लिए एकमुश्त प्रावधान	1.20	00	0.00
24	40	4575-06-800-14	मतदेय	हेरीटेज कार्य निर्माण के लिये शेड थारू शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र/बिक्री एवं प्रदर्शनी केन्द्र/नृत्य संगीत केन्द्र/झोपड़ी आदि (सी.60/एस.40-सी) के लिए एकमुश्त व्यवस्था	0.45	00	0.00
25	40	4575-06-800-15	मतदेय	पर्यटन स्थल विकास हेतु निर्माण/विस्तार/जीर्णोद्धार आदि के लिये एकमुश्त व्यवस्था	0.78	00	0.00
26	40	4575-06-800-16	मतदेय	किसान/शेड/गौशाला का निर्माण/विस्तार आदि के लिए एकमुश्त व्यवस्था	0.30	00	0.00
27	48	2071-01-117-07	मतदेय	सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों के एनपीएस से आच्छादित कर्मचारियों के दिनांक 31.03.2019 तक के अवशेष नियोक्ता अंशदान का एकमुश्त भुगतान	1.00	00	0.00
28	50	4059-01-051-02	मतदेय	प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवनों के नवनिर्माण/विस्तार/पुनर्निर्माण/सुदृढीकरण एवं भूमि क्रय हेतु एकमुश्त प्रावधान	21.01	19.52	92.91
29	58	5054-03-337-13	मतदेय	एकमुश्त प्रावधान राजमार्ग	510	305.24	59.85
30	58	5054-04-337-13	मतदेय	एकमुश्त प्रावधान जिला मार्ग	2836.00	3543.33	124.94
31	58	5054-04-337-15	मतदेय	कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम/बसावटों को पक्के सर्पक मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सर्पक मार्गों का नव निर्माण/पुनर्निर्माण/मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गों के कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था	400.00	79.38	19.85

क्र० सं०	अनुदान सं०	लेखा शीर्ष	मतदेय/भारित	विवरण	प्रावधान	व्यय	प्रतिशत
32	58	5054-04-337-66	मतदेय	कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सर्म्पक मार्गों/लघु सेतुओं के नये कार्यों हेतु एकमुश्त प्रावधान (नाबार्ड पोषित) (जिला योजना)	700.00	359.10	51.30
33	58	5054-04-337-83	मतदेय	नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी. एफ. योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के चालू कार्यों हेतु एकमुश्त प्रावधान	500.00	325.13	65.03
34	58	5054-04-337-86	मतदेय	नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी. एफ. योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त प्रावधान	300.00	4.86	1.62
35	58	5054-80-800-05	मतदेय	सूचना प्रौद्योगिकी के प्रबंधन और नियोजन के कार्यों हेतु एकमुश्त प्रावधान	55.00	8.92	16.22
36	59	4059-80-051-03	मतदेय	अनावासीय भवनों के जीर्णोद्धार एवं जल वितरण कार्य हेतु एकमुश्त प्रावधान	0.50	0.09	18.00
37	61	2049-04-101-03	भारित	एकमुश्त ऋण	103.79	103.79	100.00
38	61	6004-09-101-03	भारित	एकमुश्त ऋण	276.09	276.09	100.00
39	62	2071-01-117-07	मतदेय	एनपीएस से आच्छादित सरकारी कर्मचारियों के दिनांक 31.03.2019 तक के अवशेष नियोक्ता अंशदान का एकमुश्त भुगतान	3000.00	00	0.00
40	75	2071-01-117-07	मतदेय	एनपीएस से आच्छादित सरकारी कर्मचारियों के दिनांक 31.03.2019 तक के अवशेष नियोक्ता अंशदान का एकमुश्त भुगतान	0.10	00	0.00
41	83	5054-03-789-05	मतदेय	राज्य के प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के नये कार्यों हेतु एकमुश्त प्रावधान	212.10	72.37	34.12
42	83	5054-04-789-19	मतदेय	रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों के लिए एकमुश्त प्रावधान	84.84	22.89	26.98
43	83	5054-04-789-27	मतदेय	कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सर्म्पक मार्गों/लघु सेतुओं के चालू कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था (नाबार्ड पोषित) (जिला योजना)	15.00	10.02	66.80
44	84	2075-800-03	मतदेय	अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत उल्लिखित पुरस्कारों से विभूषित किये जाने वाले उ० प्र० के नागरिकों को नकद पुरस्कार के रूप में एकमुश्त धनराशि	3.00	1.10	36.67
45	87	2075-104-04	मतदेय	वीर चक्र श्रृंखला के विजेताओं को राज्य सरकार का एकमुश्त नकद पुरस्कार/ अनुदान	3.88	3.76	96.91

क्र० सं०	अनुदान सं०	लेखा शीर्ष	मतदेय/भारित	विवरण	प्रावधान	व्यय	प्रतिशत
46	87	2075-104-05	मतदेय	वार सेना मेडल के पुरस्कार प्राप्त उ० प्र० के एवं सीमा सुरक्षा बल के सैनिकों को एकमुश्त सैनिक नकद पुरस्कार	2.70	2.33	86.30
47	87	2075-104-07	मतदेय	विशिष्ट सेवा मेडल श्रृंखला के पदक विजेताओं को एकमुश्त अनुदान	1.70	1.20	70.59
48	91	4059-01-800-03	मतदेय	स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग के कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु एकमुश्त प्रावधान	1.00	0.84	84.00
49	94	4701-40-051-05	मतदेय	मध्यम सिंचाई योजना (वाणिज्यिक) हेतु एकमुश्त व्यवस्था	1.50	1.50	100.00
50	94	4701-97-051-10	मतदेय	नहरों पर क्षतिग्रस्त, स्थायी निर्माण जैसे पूल आदि के रख रखाव के लिये एकमुश्त व्यवस्था	50.00	6.06	12.12
51	94	4711-01-103-03	मतदेय	सीमान्त बांध (राज्य सेक्टर) एकमुश्त प्रावधान	5.37	2.16	40.22
52	95	2701-02-001-07	मतदेय	कार्यकारी अधिष्ठान (सिंचाई विभाग के कार्यशालाओं के कार्मिकों हेतु एकमुश्त प्रावधान)	53.64	37.53	69.97
	18			<b>योग</b>	<b>9,277.05</b>	<b>5,254.09</b>	<b>56.64</b>

परिशिष्ट-3.2

(प्रस्तर 3.2.4 में सन्दर्भित)

वर्ष 2022-23 के बजट अभिलेख में केन्द्रीय योजनाओं/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के वित्त पोषण पद्धति विवरण में (केन्द्रांश/राज्यांश/वित्तीय संस्थाओं) का उल्लेख नहीं किया जाना

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं० और नाम	लेखा शीर्ष	कार्यक्रम का नाम	धनराशि
021-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	4059-60-051-01-0102	द्वितीय मानक प्रयोगशाला/कैलिब्रेशन टावर्स का निर्माण	10.00
037-नगरीय विकास विभाग	2230-02-101-01-0101	राज्य स्तर पर एक प्रकोष्ठ का गठन	0.13
	4216-02-800-01-0101	राजीव आवास योजना	3.54
044-पर्यटन विभाग	5452-80-104-01-0109	प्रासाद योजनान्तर्गत चिन्हित स्थलों में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का सृजन	16.07
047-तकनीकी शिक्षा विभाग	4202-02-105-01-0105	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) के अन्तर्गत तकनीकी संस्थानों की स्थापना एवं सुदृढीकरण	4.80
060- वन विभाग	4406-01-800-01-0112	वन अग्नि निवारण एवं प्रबंधन योजना	0.35
075-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	4202-01-201-01-0104	तीन जनपदों (गाजियाबाद, अमेठी और कासगंज) में नवीन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	3.00
081-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	4202-01-796-01-0108	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	0.07
083-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना)	4202-01-789-01-0108	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	1.80
<b>योग</b>			<b>39.76</b>

## परिशिष्ट-3.3

(प्रस्तर 3.2.4 में सन्दर्भित)

उन प्रकरणों का विवरण जहाँ केन्द्रीय योजनाओं/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में वित्त पोषण प्रतिरूप में कुल केन्द्रांश और राज्यांश 100 प्रतिशत से अधिक/कम या अन्य वित्तीय संस्थान/अनुदानग्राही के वित्त पोषण अंश का उल्लेख नहीं है

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं० और नाम	लेखा शीर्ष	कार्यक्रम का नाम	धनराशि
011—कृषि और अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2401-114-01-0101	नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (ओ.एस./टी.बी.ओ.) (सी 60%/एस 60%)	12.83
045—पर्यावरण विभाग	3435-04-103-01-0101	खतरनाक अपशिष्ट निस्तारण सुविधाओं की स्थापना और अनाधिकृत खतरनाक अपशिष्ट निस्तारण स्थलों का उपचार (सी 0%/एस 50%)	3.00
049—महिला एवं बाल कल्याण विभाग	2235-02-103-01-0104	उज्ज्वला योजना (सी.60%/एस. 30%)	0.90
083—समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना)	2401-789-01-0110	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ओ.एस./टी.बी.ओ.) (सी 60%/एस 60%)	2.04
<b>योग</b>			<b>18.77</b>

परिशिष्ट-3.4

(प्रस्तर 3.3.2 में सन्दर्भित)

वर्ष 2022-23 के दौरान प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक बचत वाली अनुदानें

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	प्रावधान	व्यय	बचत	अभ्यर्पण को छोड़कर बचत
<b>राजस्व मतदेय</b>						
1	2	आवास विभाग	417.78	265.19	152.59	35.60
2	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग और निर्यात प्रोत्साहन)	978.66	694.21	284.45	284.45
3	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	6054.12	3843.43	2210.69	2210.69
4	9	ऊर्जा विभाग	31629.55	27944.90	3684.65	3684.65
5	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विभाग)	1633.14	789.99	843.15	7.93
6	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि )	6824.16	4701.11	2123.05	16.53
7	12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	714.49	227.43	487.06	487.06
8	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	3994.62	3054.56	940.07	909.49
9	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	13236.64	11857.80	1378.84	1378.84
10	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	2282.90	1706.22	576.68	0.15
11	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	387.53	202.68	184.85	-0.01
12	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	792.70	588.90	203.80	203.80
13	21	खाद्य तथा रसद विभाग	7165.32	2692.64	4472.68	4365.99
14	25	गृह विभाग (जेल)	1141.50	1025.73	115.77	3.14
15	26	गृह विभाग (पुलिस)	28737.10	24314.17	4422.93	4422.93
16	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	394.41	283.48	110.93	110.93
17	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	4932.81	4583.16	349.65	338.18
18	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	8896.38	6398.86	2497.53	2497.52
19	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	1652.41	1029.94	622.47	622.47
20	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	650.97	474.38	176.59	176.59
21	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	15711.21	11159.72	4551.49	4551.49
22	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	1000.47	615.60	384.86	384.86
23	37	नगर विकास विभाग	23279.10	13613.84	9665.26	9659.57
24	40	नियोजन विभाग	330.20	203.18	127.02	75.47
25	41	निर्वाचन विभाग	468.99	327.76	141.23	0.71
26	42	न्याय विभाग	3306.32	2342.96	963.36	963.28
27	43	परिवहन विभाग	475.30	348.74	126.56	126.17
28	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2424.46	1291.20	1133.25	1133.25

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	प्रावधान	व्यय	बचत	अभ्यर्पण को छोड़कर बचत
29	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	12036.22	9032.02	3004.20	3004.20
30	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	1307.17	977.38	329.78	329.05
31	51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	3720.95	1879.00	1841.95	1841.95
32	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	4467.50	3581.57	885.92	744.27
33	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	2988.39	844.06	2144.33	2144.33
34	59	लोक निर्माण विभाग (राज्य संपदा निदेशालय)	390.39	202.41	187.97	187.97
35	60	वन विभाग	1010.98	671.21	339.77	339.77
36	61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	20411.02	18935.35	1475.67	1475.67
37	62	वित्त विभाग (अधिवर्षता भत्ते तथा पेशनें)	71256.24	56175.42	15080.82	15080.82
38	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	328.75	227.01	101.74	99.37
39	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	1038.83	807.22	231.61	30.14
40	70	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	520.13	342.30	177.83	177.83
41	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा )	63385.11	50631.37	12753.75	911.84
42	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	14508.14	12356.02	2152.12	2151.95
43	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	3604.29	3025.61	578.68	-1.75
44	74	गृह विभाग (होमगार्ड)	2891.95	2473.87	418.07	0.85
45	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	557.97	372.37	185.60	185.60
46	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	1599.65	1232.16	367.49	3.78
47	79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन का सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	3461.60	3085.83	375.76	255.99
48	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	9411.93	8021.95	1389.97	1.71
49	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	1761.01	942.44	818.57	761.13
50	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	18886.33	12310.06	6576.27	5659.49
51	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्यक विभाग)	1190.57	918.84	271.72	0.27
52	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं निबंधन)	460.70	328.45	132.25	132.25
53	93	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग	1331.79	869.64	462.15	409.84
54	94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	5342.28	3370.64	1971.64	1971.64
55	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	5534.58	4172.07	1362.51	1362.51
		<b>योग (राजस्व मतदेय)</b>	<b>422917.71</b>	<b>324368.05</b>	<b>98549.60</b>	<b>77914.2</b>
<b>पूँजीगत मतदेय</b>						
1	2	आवास विभाग	7192.12	3858.24	3333.88	3333.88

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	प्रावधान	व्यय	बचत	अभ्यर्पण को छोड़कर बचत
2	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	14842.39	12895.09	1947.30	1947.30
3	9	ऊर्जा विभाग	14508.41	9607.81	4900.60	4900.60
4	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	569.11	372.76	196.36	-0.20
5	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	20728.88	18570.27	2158.61	2158.56
6	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	414.93	149.54	265.38	265.38
8	21	खाद्य तथा रसद विभाग	17751.83	11140.76	6611.07	5165.32
9	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	1470.25	1120.39	349.86	0
10	26	गृह विभाग (पुलिस)	4723.27	3253.59	1469.68	1469.68
11	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	4526.57	2756.92	1769.65	1763.99
12	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	1222.65	525.83	696.82	696.82
13	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	2487.56	1111.12	1376.44	1376.44
14	37	नगर विकास विभाग	801.63	336.82	464.81	60.99
15	38	नागरिक उड्डयन विभाग	2212.00	2013.77	198.23	0
16	40	नियोजन विभाग	2857.15	2345.91	511.24	228.24
17	42	न्याय विभाग	2789.20	492.60	2296.60	2296.60
18	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	183.90	79.30	104.61	104.61
19	51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत)	578.90	17.33	561.57	561.57
20	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	173.69	3.10	170.59	170.59
21	57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	2969.60	2030.91	938.69	938.69
22	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	17709.51	12555.62	5153.89	5153.89
23	61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	155.00	38.85	116.15	102.49
24	62	वित्त विभाग (अधिवर्षता भत्ते तथा पेंशनें)	200.00	14.00	186.00	186.00
25	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	490.32	380.27	110.05	110.05
26	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	523.46	309.20	214.26	146.73
27	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	11649.78	8320.94	3328.84	3155.00
28	84	सामान्य प्रशासन विभाग	604.52	457.02	147.50	147.50
29	92	संस्कृति विभाग	231.80	77.88	153.91	153.91
30	93	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति	15577.61	8229.70	7347.91	7345.05
31	94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	8313.20	3367.77	4945.43	4945.43
		<b>योग</b>	<b>158459.24</b>	<b>106433.31</b>	<b>52025.93</b>	<b>48885.11</b>
		<b>योग (राजस्व मतदेय + पूँजीगत मतदेय)</b>	<b>581376.95</b>	<b>430801.36</b>	<b>150575.53</b>	<b>126799.31</b>



क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	प्रावधान	व्यय	बचत	अभ्यर्पण को छोड़कर बचत
<b>राजस्व भारित</b>						
<b>1</b>	42	न्याय विभाग	716.17	579.46	136.71	136.71
<b>2</b>	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	150.00	10.04	139.96	139.96
<b>3</b>	61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	44954.86	41975.38	2979.48	2979.48
<b>योग</b>			<b>45821.03</b>	<b>42564.88</b>	<b>3256.15</b>	<b>3256.15</b>
<b>पूँजीगत भारित</b>						
<b>1</b>	61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	28136.73	18259.84	9876.90	9876.90
<b>योग</b>			<b>28136.73</b>	<b>18259.84</b>	<b>9876.90</b>	<b>9876.90</b>
<b>योग (राजस्व भारित + पूँजीगत भारित)</b>			<b>73957.76</b>	<b>60824.72</b>	<b>13133.05</b>	<b>13133.05</b>
<b>महायोग</b>			<b>655334.71</b>	<b>491626.08</b>	<b>163708.58</b>	<b>139932.36</b>

परिशिष्ट-3.5

(प्रस्तर 3.3.3 में सन्दर्भित)

अनुदान जिसमें विगत पाँच वर्षों (2018-2023) के दौरान लगातार बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान सं०	अनुदान का नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
<b>राजस्व मतदेय</b>							
1	11	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (कृषि)	888.77	1078.24	1655.00	1525.32	2123.05
2	13	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (ग्रामीण विकास)	575.80	648.55	903.83	403.18	940.07
3	15	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (पशुधन)	310.75	223.83	412.87	389.67	576.68
4	26	गृह विभाग (पुलिस)	374.07	1809.86	5594.62	4030.66	4422.93
5	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	1282.19	1935.09	2514.99	1937.56	2497.53
6	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	336.93	331.55	330.70	343.03	622.47
7	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	719.19	988.46	592.63	1573.99	4551.49
8	36	चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य)	184.56	261.71	333.35	379.53	384.86
9	37	नगर विकास विभाग	3451.60	8753.97	3890.80	6838.60	9665.26
10	42	न्याय विभाग	473.88	813.17	967.23	1014.07	963.36
11	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1034.01	1081.21	1086.58	1137.70	1133.25
12	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	2464.72	3554.23	4417.62	2195.30	3004.20
13	51	राजस्व विभाग (देवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	1370.92	532.44	2289.91	229.38	1841.95
14	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	468.34	1547.59	1134.72	1189.95	885.92
15	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	1769.10	1878.77	2497.34	1971.55	2144.33
16	60	वन विभाग	188.34	245.90	334.84	347.56	339.77
17	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	101.54	124.91	303.76	310.20	231.61
18	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	14921.22	14407.71	13745.25	13969.60	12753.75
19	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	379.82	1502.17	3151.50	3014.20	2152.12
20	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	761.39	342.64	813.80	760.00	578.68
21	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	776.69	139.51	214.52	384.92	1389.97
22	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	4085.46	4255.67	4486.13	7052.22	6576.27
23	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	906.14	1344.21	1618.46	1517.73	1362.51
<b>योग</b>			<b>37825.43</b>	<b>47801.39</b>	<b>53290.45</b>	<b>52515.92</b>	<b>61142.03</b>
<b>पूँजीगत (मतदेय)</b>							
24	13	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (ग्रामीण विकास)	9278.13	9371.66	7380.90	5605.88	2158.61
25	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	204.87	344.64	267.39	1936.66	696.82

क्र० सं०	अनुदान सं०	अनुदान का नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
26	40	नियोजन विभाग	251.01	1021.53	897.57	2274.74	511.24
27	42	न्याय विभाग	983.23	1377.26	1687.20	1819.57	2296.60
योग			10,717.24	12,115.09	10,233.06	11,636.85	5,663.27
महायोग (राजस्व मतदेय + पूँजीगत मतदेय)			48,542.67	59,916.48	63,523.51	64,152.77	66,805.30

**परिशिष्ट-3.6**  
(प्रस्तर 3.3.4 में सन्दर्भित)  
जिन योजनाओं में अनुपूरक प्रावधान का उपयोग नहीं किया जा सका

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान संख्या	विभाग का नाम	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत
<b>राजस्व मतदेय</b>									
1.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग )	2852-800-04	स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना	1500	300.00	1800.00	809.49	990.51
2.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-001-03	निर्देशन एवं प्रशासन	50.67	1.80	52.47	33.14	19.33
3.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-101-03	अभिसूचना अनुभाग मुख्य०	378.36	10.00	388.36	374.68	13.68
4.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-101-04	अनुसंधान अनुभाग	468.5	3.30	471.80	392.68	79.12
5.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-104-03	विशेष पुलिस , राज्य शस्त्र कांस्टेबुलरी- मुख्य	3405.25	84.35	3489.60	3284.05	205.55
6.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-108-03	राज्य पुलिस मुख्यालय, राज्य पुलिस मुख्यालय	119.17	1.05	120.22	107.82	12.40
7.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-109-03	जिला पुलिस, जिला पुलिस(मुख्य)	19331.34	60.00	19391.34	16463.38	2927.96
8.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-109-05	मोटर परिवहन अनुभाग- मुख्य	766.35	2.00	768.35	701.41	66.94
9.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-109-07	जिला पुलिस(थाना)	194.82	5.00	199.82	192.19	7.63
10.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-109-13-100	यूपी 112 परियोजना-	340.88	15.31	356.19	334.99	21.20
11.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-111-03	रेलवे पुलिस, मुख्य	544.78	5.25	550.03	408.32	141.71
12.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-116-03	विधि विज्ञान प्रयोगशालायें	48.22	4.00	52.22	44.70	7.52
13.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	2210-01-105-03	एलोपैथी शिक्षा	4241.01	239.01	4480.02	4166.21	313.81
14.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	2211-800-06	15 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन	1524.41	687.66	2212.08	1099.59	1112.49
15.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	2211-800-89	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	4181.27	1004.41	5185.68	3924.04	1261.64

क्र० सं०	अनुदान संख्या	विभाग का नाम	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत
16.	37	शहरी विकास विभाग	2217-05-051-01	अन्य शहरी विकास योजनाएँ, निर्माण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	5358	262.00	5620.00	2482.82	3137.18
17.	37	शहरी विकास विभाग	2217-051-89	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	3642	637.00	4279.00	2281.32	1997.68
18.	43	परिवहन विभाग	3055-800-06	इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी	0	100.00	100.00	0.00	100.00
19.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	2235-102-03	बाल विकास एवं पुष्टाहार	155.24	1.94	157.18	126.83	30.35
20.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	2235-102-89	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	3046.57	63.00	3109.57	2518.35	591.22
21.	61	वित्त विभाग(ऋण सेवा एवं अन्य व्यय)	2217-80-800-05	समर्पित शहरी परिवहन निधि में राज्य सरकार द्वारा संग्रहित 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का अन्तरण	150	251.36	401.36	150.00	251.36
22.	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	2230-03-101-01	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं	21.37	3.06	24.43	9.43	15.00
23.	70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	2810-02-101-03	सौर, सौर तापीय ऊर्जा कार्यक्रम, विज्ञान एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत	331.88	2.52	334.40	282.64	51.76
24.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	2202-02-108-03	माध्यमिक शिक्षा परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा परिषद	158.38	55.00	213.38	154.91	58.47
25.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	2211-796-89	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	58.68	23.05	81.72	40.62	41.10
26.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	2202-01-789-01	प्रारंभिक शिक्षा अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, केंद्र	1757.95	2.04	1760.00	1253.11	506.89

क्र० सं०	अनुदान संख्या	विभाग का नाम	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत
				प्रायोजित योजना					
27.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	2202-01-789-89	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	1171.97	1.36	1173.33	712.24	461.09
28.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	2230-03-789-01	प्रशिक्षण, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनाएँ, केंद्र प्रायोजित योजनाएँ	24.1	1.30	25.40	20.86	4.54
<b>कुल राजस्व मतदेय (कुल अनुदान 13)</b>					<b>52971.17</b>	<b>3826.77</b>	<b>56797.94</b>	<b>42369.82</b>	<b>14428.12</b>
<b>पूँजीगत मतदेय</b>									
1.	9	ऊर्जा विभाग	4801-02-190-14	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	2307.6	500.00	2807.60	1522.32	1285.28
2.	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	6860-04-101-21	सहकारी चीनी मिलों की आसवनियों आदि की क्षमता विस्तारीकरण / आधुनिकीकरण / सह उत्पादन संयंत्र / अधिष्ठापन एवं नवीनीकरण कार्यों हेतु ऋण	195	20.00	215.00	40.39	174.61
3.	26	गृह विभाग (पुलिस)	4055-207-20	विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना	90	15.00	105.00	82.13	22.87
4.	26	गृह विभाग (पुलिस)	4055-211-06	पुलिस विभाग के आवासीय भवनों का निर्माण	800	200.00	1000.00	579.10	420.90
5.	26	गृह विभाग (पुलिस)	4070- 800-05	अन्य व्यय, अग्नि शमन सेवाओं का सुदृढीकरण	10	20.00	30.00	0.00	30.00
6.	26	गृह विभाग (पुलिस)	4070- 800-09	जिला पुलिस (मुख्य)	250	6.00	256.00	7.87	248.13
7.	26	गृह विभाग (पुलिस)	4070- 800-18	राज्य रेडियो अनुभाग	12	7.00	19.00	8.61	10.39
8.	26	गृह विभाग (पुलिस)	4070- 800-19	वूमेन पावर लाइन	0.3	3.00	3.30	0.00	3.30

क्र० सं०	अनुदान संख्या	विभाग का नाम	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत
9.	26	गृह विभाग (पुलिस)	4250- 101-03	प्राकृतिक आपदायें एस.डी. आर.एफ.	41.32	5.00	46.32	30.00	16.32
10.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	4210-02-104-10	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु उपकरणों की खरीद	23	20.00	43.00	8.82	34.18
11.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	4211-800-01	अन्य व्यय, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं—	300	369.99	669.99	196.49	473.50
12.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	4211-800-89	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	200	246.66	446.66	130.99	315.67
13.	60	वन विभाग	4406-01-102-89	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का वानिकी संगत राज्यांश	5.23	14.48	19.71	0.00	19.71
14.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	4211- 796-89	जनजाति क्षेत्र उप योजना में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	21.1	2.85	23.95	1.99	21.96
<b>योग पूँजीगत मतदेय (4 अनुदान)</b>					<b>4255.55</b>	<b>1429.98</b>	<b>5685.53</b>	<b>2608.71</b>	<b>3076.82</b>
<b>योग (राजस्व मतदेय+पूँजीगत मतदेय)</b>					<b>57226.72</b>	<b>5256.75</b>	<b>62483.47</b>	<b>44978.53</b>	<b>17504.94</b>

परिशिष्ट-3.7  
(प्रस्तर 3.3.5 में सन्दर्भित)  
अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान सं०	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	योग	व्यय	बचत
1	7	2852-उद्योग.07- दूरसंचार एवं इलेक्ट्रानिक उद्योग 0202- इलेक्ट्रानिक -20-उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक विनिर्माण नीति	377.03	0.32	377.35	72.78	304.57
2	8	2058-लेखन सामग्री एवं मुद्रण - 103- सरकारी मुद्रणालय-06-राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ	61.65	0.05	61.70	41.73	19.97
3	8	2058-लेखन सामग्री एवं मुद्रण - 103- सरकारी मुद्रणालय-04-राजकीय मुद्रणालय, रामपुर	8.08	0.55	8.63	7.97	0.66
4	8	2058-लेखन सामग्री एवं मुद्रण - 103- सरकारी मुद्रणालय-07-राजकीय मुद्रणालय, वाराणसी	8.96	0.42	9.38	7.71	1.67
5	14	2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें- 800- अन्य व्यय- 03- प्रादेशिक विकास दल	300.38	0.36	300.74	250.66	50.08
6	26	2055-पुलिस -101- आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता -03-खुफिया विभाग मुख्य	388.36	1.43	389.79	374.68	15.11
7	26	2055-पुलिस 101- आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता-04-अनुसंधान अनुभाग	471.80	18.39	490.19	392.68	97.51
8	26	4055- पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय -207- राज्य पुलिस - 19-स्पेशल टॉस्क फोर्स	5.75	5.00	10.75	5.71	5.04
9	31	2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य -01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी - 110- अस्पताल औषधालय -15- मेडिकल कालेज/सम्बद्ध चिकित्सालय	401.63	18.99	420.62	308.41	112.21
10	33	2210- चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य -02-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ -101- आयुर्वेद -03- निर्देशन तथा प्रशासन	51.41	3.37	54.78	50.02	4.76
11	34	2210- चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य -02-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ -102- होम्योपैथी -04- अस्पताल तथा औषधालय	62.92	0.20	63.12	45.98	17.14
12	34	2210- चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य -05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान - 102- होम्योपैथी -03- शिक्षा	81.98	0.30	82.28	59.74	22.54
13	42	2014- न्याय प्रशासन -105-सिविल और सेशन न्यायालय - 09- परिवार न्यायालय	126.67	1.84	128.51	78.93	49.58



क्र० सं०	अनुदान सं०	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	योग	व्यय	बचत
14	42	2014- न्याय प्रशासन -105- सिविल और सेशन न्यायालय -15- महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित मामलों का जल्द निपटारा करने के लिये न्यायालयों की स्थापना	38.24	0.03	38.27	30.58	7.69
15	42	2014- न्याय प्रशासन -105- सिविल और सेशन न्यायालय-16- कामर्शियल कोर्ट	14.29	3.00	17.29	7.92	9.37
16	42	2014- न्याय प्रशासन -106- लघुवाद न्यायालय -03- अधिष्ठान	24.19	0.01	24.20	15.97	8.23
17	48	2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें - 001- निर्देशन तथा प्रशासन -04 - मण्डलीय तथा जिला कार्यालय	25.63	0.47	26.10	20.79	5.31
18	49	4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय -02- समाज कल्याण -102-शिशु कल्याण-89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	94.05	8.11	102.16	88.94	13.22
19	54	2059- लोक निर्माण कार्य -80- सामान्य - 001- निर्देशन तथा प्रशासन - 03- निर्देशन	179.30	9.32	188.62	162.19	26.43
20	58	5054-सड़कों और सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय -03- राज्य राजमार्ग -800- अन्य व्यय -13- एकमुश्त प्रावधान	3673.92	353.34	4027.26	3543.33	483.93
21	59	2052- सचिवालय सामान्य सेवायें -090- सचिवालय -03- राज्य सम्पत्ति विभाग	108.23	0.04	108.27	68.40	39.87
22	59	2059- लोक निर्माण कार्य- 01- कार्यालय भवन- 053-रख रखाव तथा मरम्मत- 09- जवाहर भवन एवं इन्दिरा भवन परिसर	34.44	0.50	34.94	16.14	18.80
23	59	2059- लोक निर्माण कार्य- 60- अन्य भवन- 053-रख रखाव तथा मरम्मत- 03- लखनऊ स्थित अतिथि गृहों के लिए व्यवस्था	27.49	0.32	27.81	6.09	21.72
24	63	2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन -095- लेखा तथा खजाना निदेशालय -03- कोषागार निदेशालय	25.00	1.57	26.57	16.92	9.65
25	76	2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास -01- श्रम -001- निर्देशन तथा प्रशासन -03- श्रमायुक्त का अधिष्ठान	9.98	0.65	10.63	9.01	1.62
26	76	2230- श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास -01-श्रम -101- औद्योगिक संबंध -03- श्रम विनियमों का प्रवर्तन	29.15	0.06	29.21	29.08	0.13
27	76	2230- श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास -01-श्रम -101- औद्योगिक संबंध -04- विवादों का निपटारा	66.81	0.02	66.83	61.30	5.53

क्र० सं०	अनुदान सं०	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	योग	व्यय	बचत
28	76	2230- श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास -01-श्रम -101- औद्योगिक संबंध -05- औद्योगिक प्रबन्धतन्त्र की सुदृढीकरण तथा विकेन्द्रीकरण समितियों, सम्मेलनों तथा आयोगों का विलय	0.36	0.07	0.43	0.32	0.11
29	83	5054- सड़कों एवं सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय -04- जिला एवं अन्य सड़कें -789- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना - 13- राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के कार्यों हेतु	615.89	107.68	723.57	585.15	138.42
30	86	2220-सूचना तथा प्रचार -01- फिल्म -101- विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार -05- अधिष्ठान	1159.06	2.00	1161.06	1158.06	3.00
31	93	4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय -800- अन्य व्यय - 89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	11.89	3.94	15.83	11.13	4.70
18		<b>योग</b>	<b>8484.54</b>	<b>542.35</b>	<b>9026.89</b>	<b>7528.32</b>	<b>1498.57</b>

## परिशिष्ट-3.8

(प्रस्तर 3.3.6 में सन्दर्भित)

मुख्य शीर्षों को दर्शाने वाले विवरण जहाँ मार्च 2023 में 50 प्रतिशत या अधिक व्यय किया गया था

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान सं०	विवरण	चतुर्थ तिमाही का व्यय	2022-23 के दौरान कुल व्यय	मार्च 2023 के दौरान व्यय	कुल व्यय के सापेक्ष में मार्च 2023 में व्यय का प्रतिशत	चतुर्थ तिमाही में व्यय प्रतिशत के रूप में कुल व्यय
1	03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	769	1,074	664	62	72
2	07	उद्योग विभाग (भारी और मध्यम उद्योग)	11,180	16,739	10,367	62	67
3	17	कृषि और अन्य संबद्ध विभाग (मत्स्य)	110	203	101	50	54
4	38	नागरिक उड्डयन विभाग	1,525	2,090	1,420	68	73
5	40	नियोजन विभाग	1,627	2,549	1,396	55	64
6	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	167	219	135	61	76
7	56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	385	499	353	71	77
8	57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन- सेतु)	1,373	2,114	1,073	51	65
9	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन- सड़कें)	14,342	19,719	11,969	61	73
10	79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	2,376	3,178	1,708	54	75

स्रोत: म.ले.(ले.एवं हक.-1), उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा उपलब्ध कराया गया वी०एल०सी० डाटा

**परिशिष्ट-3.9**  
(प्रस्तर 3.3.7 में सन्दर्भित)  
योजनायें जिनके लिए मूल प्रावधानों का उपयोग नहीं किया जा सका

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान सं०	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	व्यय	बचत
1.	2	आवास विभाग	4217-01-190-09	वाराणसी, गोरखपुर एवं अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना	100.00	0.00	100.00
2.	7	उद्योग विभाग (भारी और मध्यम उद्योग)	2885-60-800-20	नई औद्योगिक नीति	300.00	0.00	300.00
3.	7	उद्योग विभाग (भारी और मध्यम उद्योग)	5054-03-337-14	गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु वी0जी0एफ0 धनराशि	250.00	0.00	250.00
4.	14	कृषि और अन्य संबद्ध विभाग (पंचायती राज)	4515-101-01	पंचायती राज-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	146.36	0.00	146.36
5.	37	नगर विकास विभाग	2215-02-107-05	स्वच्छ भारत मिशन 2.0	815.76	0.00	815.76
6.	42	न्याय विभाग	4059-01-051-08	पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कोर्ट कैम्पस का निर्माण	400.00	0.00	400.00
7.	42	न्याय विभाग	4059-01-051-18	माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खण्ड पीठ के लिये नये भवनों का निर्माण	150.00	0.00	150.00
8.	42	न्याय विभाग	4070-800-04	जनपद न्यायालय, वाराणसी के नवीन परिसर हेतु भूमि अर्जन	200.00	0.00	200.00
9.	42	न्याय विभाग	4202-01-203-03	उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज	100.00	0.00	100.00
10.	43	परिवहन विभाग	3055-800-06	इलेक्ट्रिक वाहनों पर आर्थिक सहायता	100.00	0.00	100.00
11.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2225-80-800-01	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	608.98	0.00	608.98
12.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	2235-02-102-21	मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना	100.00	0.00	100.00
13.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	2075-797-03	गारण्टी रिडम्पशन फण्ड	1200.00	0.00	1200.00
14.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	6075-800-03	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के वित्तीय पुर्नगठन के लिए ऋण सहायता	100.00	0.00	100.00
15.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)	2071-01-117-07	एन0पी0एस0 से आच्छादित सरकारी कर्मचारियों के दिनांक 31.03.2019 तक के अवशेष नियोक्ता अंशदान का एकमुश्त भुगतान	3000.00	0.00	3000.00
16.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)	2071-01-117-08	दिनांक 31.03.2019 तक देय अवशेष नियोक्ता अंशदान/देरी से जमा किये गये नियोक्ता अंशदान पर ब्याज	980.00	0.00	980.00

क्र० सं०	अनुदान सं०	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	व्यय	बचत
17.	62	वित्त विभाग (अधिर्वर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	2071-01-117-09	अभिदाता अंशदान विलम्ब से जमा कराये जाने पर ब्याज का भुगतान	100.00	0.00	100.00
18.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	2202-02-110-04	सहायता प्राप्त अशासकीय अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा	200.00	0.00	200.00
19.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	2230-01-111-09	असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु "मुख्यमंत्री जन अरोग्य योजना"	100.00	0.00	100.00
20.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	4700-17-051-01	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	279.00	0.00	279.00
21.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	4700-32-051-97	बाह्य सहायतित योजनायें (वाणिज्यिक)	128.75	0.00	128.75
22.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	4701-13-051-10	भूपौली पम्प नहर (वाणिज्यिक)	100.00	0.00	100.00
<b>योग: 13 अनुदान</b>					<b>9458.85</b>	<b>0.0</b>	<b>9458.85</b>

परिशिष्ट-3.10

(प्रस्तर 3.3.7 में सन्दर्भित)

योजनाओं का विवरण जिनके मूल प्रावधानों को अन्य योजनाओं में पुनर्विनियोजित किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं.	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	पुनर्विनियोजन	योग	व्यय	बचत
1.	9	ऊर्जा विभाग	4801-05-190-18	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत ओपीओजीडब्ल्यू कार्य हेतु अंश पूँजी	48	-48	0	0	0
2.	11	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2071-01-117-07	कृषि विश्वविद्यालयों के एनपीएस० से आच्छादित कर्मचारियों के दिनांक 31.03.2019 तक के अवशेष नियोक्ता अंशदान का एकमुश्त भुगतान	14	-14	0	0	0
3.			2401-109-11	वैज्ञानिक खेती एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाव प्रबन्धन	15.07	-15.07	0	0	0
4.			2401-113-01	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	60	-60	0	0	0
5.			2402-102-02	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	21.31	-21.31	0	0	0
6.			2402-103-01	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	58.46	-58.46	0	0	0
7.			2402-103-89	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	38.97	-38.97	0	0	0
8.			15	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग(पशुधन)	4403-101-18	जनपद गोरखपुर एवं भदोही में पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना	60	-60	0
9.	17	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग(मत्स्य)	2405-800-12	मत्स्य पालक कल्याण निधि	25	-25	0	0	0
10.	19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	4070-003-03	उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी	19.43	-19.43	0	0	0
11.	22	खेल विभाग	4202-800-10	स्पोर्ट्स कालेज, सहारनपुर	10	-10	0	0	0
12.			4202-800-79	गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज में वेलोड्रोम के निर्माण हेतु	10	-10	0	0	0
13.	24	गन्ना विकास विभाग, (चीनी उद्योग)	2852-08-201-08	चीनी उद्योग को जनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति 2013 के अन्तर्गत छूट/रियायतें	25	-25	0	0	0

क्र. सं.	अनुदान सं.	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	पुनर्विनियोजन	योग	व्यय	बचत
14.			4401-108-03	गन्ना किसान संस्थान, मुरादाबाद	10	-10	0	0	0
15.			4415-80-004-03	गन्ना शोध संस्थान, गोरखपुर की पुनर्स्थापना	10.25	-10.25	0	0	0
16.			6860-04-190-11	चीनी मिल पिपराईच (गोरखपुर) में सहउत्पादन प्लांट, आसवनी एवं सल्फरलेस शुगर प्लांट की स्थापना	60	-60	0	0	0
17.			6860-04-190-12	निगम की आसवनियों आदि के क्षमता विस्तारीकरण / आधुनिकीकरण / सहउत्पादन संयंत्र की स्थापना एवं जीर्णोद्धार आदि कार्य हेतु ऋण	95	-95	0	0	0
18.	25	गृह विभाग (कारागार)	4070-800-22	कारागारों में सोलर एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट, हाई मास्ट तथा स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था	10	-10	0	0	0
19.	26	गृह विभाग (पुलिस)	4055-211-04	लखनऊ में सुरक्षा लाईन की स्थापना	19.45	-19.45	0	0	0
20.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	4210-03-105-09	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय	23	-23	0	0	0
21.	40	नियोजन विभाग	4215-01-101-03	त्वरित आर्थिक विकास योजना	10	-10	0	0	0
22.			4215-01-102-03	त्वरित आर्थिक विकास योजना	50	-50	0	0	0
23.			4215-02-106-03	त्वरित आर्थिक विकास योजना	10	-10	0	0	0
24.			4575-02-800-03	बुन्देलखण्ड विशेष योजनाएं	112.55	-112.55	0	0	0
25.			4801-05-800-03	त्वरित आर्थिक विकास योजना	10	-10	0	0	0
26.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	4235-60-800-03	अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तान/अंत्येष्टि स्थल की चहारदीवारी का निर्माण	100	-100	0	0	0
27.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	5054-03-800-03	उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण	50	-50	0	0	0
28.			5054-03-800-16	गंगा नहर की बांयी पट्टी का निर्माण / चौड़ीकरण / सुदृढीकरण	200	-200	0	0	0

क्र. सं.	अनुदान सं.	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	पुनर्विनियोजन	योग	व्यय	बचत
29.	59	लोक निर्माण विभाग (सम्पदा निदेशालय)	4059-80-051-05	दारूलशफा परिसर में अनावासीय कार्यालय भवन का निर्माण	22.5	-22.5	0	0	0
30.	74	गृह विभाग (होम गार्ड्स)	2070-107-08	नगर निकाय चुनाव	35.7	-35.7	0	0	0
<b>योग: 15 अनुदान</b>					<b>1233.69</b>	<b>-1233.69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**परिशिष्ट-3.11**  
(प्रस्तर 3.3.7 में सन्दर्भित)  
अनुदानवार बचत दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र०सं०	अनुदान सं०	कुल बजट प्रावधान	कुल व्यय	बचत	उपभोग (प्रतिशत में)	उपभोग की सीमा (प्रतिशत में)
1	53	1.68	0.33	1.35	19.64	1 से 30
2	54	2988.98	844.06	2144.92	28.24	
<b>योग</b>		<b>2990.66</b>	<b>844.39</b>	<b>2146.27</b>		
3	12	714.49	227.43	487.06	31.83	31 से 50
4	19	32.30	11.10	21.21	34.37	
5	51	4299.85	1896.33	2403.52	44.10	
6	10	1690.69	805.36	885.33	47.63	
7	94	13660.48	6740.02	6920.46	49.34	
<b>योग</b>		<b>20397.81</b>	<b>9680.24</b>	<b>10717.58</b>		
8	42	6818.18	3415.02	3403.16	50.09	
9	92	337.55	172.60	164.95	51.13	
10	45	18.20	9.38	8.81	51.54	
11	17	387.63	202.68	184.95	52.29	
12	59	545.22	289.91	255.30	53.17	
13	93	16909.40	9099.34	7810.07	53.81	
14	2	7609.90	4123.43	3486.47	54.19	
15	81	2284.47	1251.64	1032.83	54.79	
16	21	24917.21	13833.40	11083.81	55.52	
17	85	8.19	4.72	3.47	57.63	
18	37	24080.73	13950.66	10130.07	57.93	
19	48	3039.47	1826.59	1212.88	60.10	
20	33	1784.44	1147.56	636.89	64.31	
21	36	1113.94	718.69	395.25	64.52	
22	35	18199.23	12270.89	5928.34	67.43	
23	83	30536.11	20631.00	9905.11	67.56	
24	70	550.61	372.78	177.83	67.70	
25	27	25.16	17.09	8.07	67.93	
26	4	69.40	47.29	22.12	68.14	
27	32	10119.24	6924.82	3194.41	68.43	
28	63	332.56	227.75	104.81	68.48	
29	11	7393.47	5074.03	2319.44	68.63	
30	41	476.39	328.30	148.10	68.91	
31	57	3049.60	2113.56	936.04	69.31	
32	77	141.21	98.24	42.97	69.57	
<b>योग</b>		<b>160747.51</b>	<b>98151.37</b>	<b>62596.14</b>	61.06	
33	82	103.07	72.25	30.82	70.10	71 से 90
34	67	80.47	56.80	23.68	70.59	
35	91	461.80	329.28	132.51	71.30	

क्र०सं०	अनुदान सं०	कुल बजट प्रावधान	कुल व्यय	बचत	उपभोग (प्रतिशत में)	उपभोग की सीमा (प्रतिशत में)
36	28	395.31	283.48	111.84	71.71	
37	34	675.22	491.63	183.59	72.81	
38	84	634.22	464.30	169.92	73.21	
39	15	2479.07	1827.02	652.05	73.70	
40	65	405.27	299.87	105.39	73.99	
41	8	239.64	178.02	61.61	74.29	
42	18	900.95	671.82	229.13	74.57	
43	49	12316.75	9234.11	3082.64	74.97	
44	50	1442.88	1082.01	360.87	74.99	
45	95	5535.08	4172.22	1362.87	75.38	
46	24	1559.88	1176.48	383.40	75.42	
47	89	1220.87	931.05	289.82	76.26	
48	3	1404.18	1073.55	330.63	76.45	
49	76	1031.16	790.06	241.10	76.62	
50	78	1611.65	1235.18	376.47	76.64	
51	52	4641.49	3584.67	1056.82	77.23	
52	29	24.88	19.26	5.62	77.41	
53	31	9459.38	7340.08	2119.30	77.60	
54	62	71457.00	56189.95	15267.05	78.63	
55	58	25044.76	19719.29	5325.47	78.74	
56	60	2029.22	1603.48	425.73	79.02	
57	55	277.62	219.40	58.22	79.03	
58	69	1295.04	1024.57	270.47	79.11	
59	40	3187.35	2549.09	638.27	79.98	
60	7	20896.51	16738.52	4157.99	80.10	
61	71	64750.46	51974.25	12776.20	80.27	
62	47	732.59	589.79	142.80	80.51	
63	30	8.82	7.12	1.70	80.73	
64	26	33461.42	27568.59	5892.83	82.39	
65	43	846.66	698.56	148.10	82.51	
66	22	445.77	370.20	75.57	83.05	
67	73	3942.98	3279.09	663.89	83.16	
68	20	244.07	203.16	40.91	83.24	
69	39	51.09	42.77	8.32	83.72	
70	9	53814.71	45228.53	8586.18	84.04	
71	87	84.49	71.05	13.44	84.09	
72	1	348.22	293.36	54.86	84.25	
73	61	93657.61	79209.41	14448.20	84.57	
74	72	14998.46	12736.29	2262.17	84.92	
75	80	9411.93	8021.95	1389.97	85.23	
76	74	2897.13	2477.92	419.22	85.53	
77	46	24.73	21.29	3.43	86.19	
78	25	1488.47	1282.83	205.65	86.18	

क्र०सं०	अनुदान सं०	कुल बजट प्रावधान	कुल व्यय	बचत	उपभोग (प्रतिशत में)	उपभोग की सीमा (प्रतिशत में)
79	13	24723.57	21624.82	3098.75	87.47	
80	14	13651.57	12007.35	1644.22	87.96	
81	5	140.16	123.48	16.68	88.10	
82	79	3583.64	3177.63	406.01	88.67	
83	16	226.36	203.19	23.17	89.76	
योग		494345.611	404570.06	89775.55	81.84	
84	44	1104.20	993.87	110.33	90.01	91 से 100
85	38	2315.68	2089.93	225.75	90.25	
86	68	271.14	245.30	25.84	90.47	
87	23	427.20	393.44	33.76	92.10	
88	6	374.37	349.20	25.17	93.28	
89	86	1545.23	1514.17	31.06	97.99	
90	66	265.18	259.90	5.28	98.01	
91	75	271.30	268.67	2.63	99.03	
92	56	500.00	499.04	0.96	99.81	
योग		7074.30	6613.51	460.79	93.49	

परिशिष्ट-4.1

(प्रस्तर 4.15 में सन्दर्भित)

विभिन्न स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों के लेखे के अन्तिमीकरण के लम्बित होने का विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिसके लेखे प्राप्त नहीं हुये	लम्बित वार्षिक लेखाओं की कुल संख्या
1.	वन विभाग	क्षतिपूरक वनारोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए)	2020-21 से 2022-23	03
2.	अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग	न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2018-19 से 2022-23	05
3.	—तदैव—	ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण	2020-21 से 2022-23	03
4.	—तदैव—	यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2022-23	01
5.	—तदैव—	उ0प्र0 एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2022-23	06
6.	—तदैव—	सथारिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2022-23	18
7.	—तदैव—	गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2022-23	18
8.	—तदैव—	उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2022-23	18
9.	—तदैव—	लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण <sup>11</sup>	2005-06 से 2020-21	16
10.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)	उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	शून्य	00 <sup>12</sup>
11.	ऊर्जा विभाग	उत्तर प्रदेश विद्युत् विनियामक आयोग	2022-23	01
12.	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	लखनऊ विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2022-23	06
13.	—तदैव—	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	2022-23	01
14.	—तदैव—	आगरा विकास प्राधिकरण	2020-21 से 2022-23	03
15.	—तदैव—	मेरठ विकास प्राधिकरण	2020-21 से 2022-23	03
16.	—तदैव—	प्रयागराज विकास प्राधिकरण	2021-22 से 2022-23	02
17.	—तदैव—	हापुड़/पिलखुआ विकास प्राधिकरण	2020-21 से 2022-23	03
18.	—तदैव—	वाराणसी विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2022-23	06
19.	—तदैव—	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2022-23	06
20.	—तदैव—	गोरखपुर विकास प्राधिकरण	2022-23	01
21.	—तदैव—	मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2020-21 से 2022-23	03
22.	—तदैव—	अलीगढ़ विकास प्राधिकरण	2020-21 से 2022-23	03
23.	—तदैव—	बरेली विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2022-23	06
24.	—तदैव—	रायबरेली विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2022-23	06
25.	—तदैव—	सहारनपुर विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2022-23	06
26.	—तदैव—	अयोध्या/ फैजाबाद विकास प्राधिकरण	2020-21 से 2022-23	03
27.	—तदैव—	फिरोजाबाद/शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2022-23	06
28.	—तदैव—	कानपुर विकास प्राधिकरण	2020-21 से 2022-23	03
29.	—तदैव—	रामपुर विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2022-23	06

<sup>11</sup> 04 मार्च 2021 से प्राधिकरण को क्र0 सं0 8 पर अंकित प्राधिकरण में समाहित कर दिया गया है।

<sup>12</sup> इस कार्यालय को बोर्ड का इन्टरस्टमेन्ट 2018-19 तक का ही प्राप्त हुआ है। सरकार को 2018-19 तक का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एस ए आर जारी कर दिया गया है। 2018-19 के आगे का इन्टरस्टमेन्ट इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। अतः आगे का कोई बकाया नहीं दर्शाया गया है।

क्र.सं.	विभाग का नाम	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिसके लेखे प्राप्त नहीं हुये	लम्बित वार्षिक लेखाओं की कुल संख्या
30.	—तदैव—	उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण	2022-23	01
31.	—तदैव—	झांसी विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2022-23	06
32.	—तदैव—	मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2022-23	06
33.	—तदैव—	बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2022-23	06
34.	—तदैव—	खुर्जा विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2022-23	06
35.	—तदैव—	उरई विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2022-23	06
36.	—तदैव—	बाँदा विकास प्राधिकरण	2022-23	01
37.	—तदैव—	बागपत बड़ौत खेकड़ा विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2022-23	06
38.	—तदैव—	आजमगढ़ विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2022-23	06
39.	—तदैव—	बस्ती विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2022-23	06
40.	—तदैव—	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, शक्ति नगर	2020-21 से 2022-23	03
41.	—तदैव—	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, चित्रकूट	2017-18 से 2022-23	06
42.	—तदैव—	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कपिलवस्तु	2017-18 से 2022-23	06
43.	—तदैव—	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, विन्ध्याचल-मीरजापुर	2017-18 से 2022-23	06
44.	—तदैव—	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कुशीनगर	2017-18 से 2022-23	06
45.	विधि विभाग	उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	2021-22 से 2022-23	02
46.	—तदैव—	उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग	1996-97 से 2022-23	27
47.	दिव्यांगजन कल्याण विभाग	डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास अधिकार	2021-22 से 2022-23	02
48.	बाल कल्याण विभाग	उ. प्र. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग	2006-07 से 2022-23	17
49.	श्रम विभाग	सचिव, यूपी भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ	1996-97 से 2022-23	27
50.	खाद्य एवं नगर आपूर्ति विभाग	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	2014-15 से 2022-23	09
51.	कृषि शिक्षा एवं अनुसन्धान विभाग, उ० प्र० शासन	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या	2019-20 से 2022-23	04
52.	—तदैव—	चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर	2019-20 से 2022-23	04
53.	—तदैव—	सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ	2019-20 से 2022-23	04
54.	—तदैव—	बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाँदा	2019-20 से 2022-23	04
55.	पशुधन विभाग, उ०प्र० शासन	पं. दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसन्धान संस्थान, मथुरा	2019-20 से 2022-23	04
<b>योग</b>				<b>343</b>

**परिशिष्ट-4.2**  
(प्रस्तर 4.16 में सन्दर्भित)  
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखाओं के अन्तिमीकरण की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	जब तक के लेखे अन्तिमीकृत किये गए	अन्तिम अन्तिमीकृत लेखे के अनुसार निवेश
<b>सिंचाई विभाग</b>			
1.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, कानपुर	2022-23	2.26
2.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, झांसी	2022-23	12.56
3.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, बरेली	2022-23	14.31
4.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, मेरठ	2022-23	4.29
5.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, गोरखपुर	2021-22	0.74
6.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, प्रयागराज	2022-23	2.54
<b>खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग</b>			
7.	खाद्य आयुक्त एवं सीएओ	2021-22	10,563.28
<b>पशुधन विभाग</b>			
8.	उप निदेशक, पशुधन फार्म निगम	2020-21	108.03
<b>स्वास्थ्य विभाग</b>			
9.	उप निदेशक, राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि विभाग	1987-88	उपलब्ध नहीं
<b>योग</b>			<b>10,708.01</b>

**परिशिष्ट-5.1**  
(प्रस्तर 5.3 में सन्दर्भित)  
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची को दर्शाती हुई विवरणी

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	टिप्पणी
<b>अ. ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई</b>		
1	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	कार्यरत
2	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	कार्यरत
3	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	कार्यरत
4	उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	कार्यरत
5	उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड	कार्यरत
6	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	कार्यरत
7	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	कार्यरत
8	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	कार्यरत
9	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	कार्यरत
10	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड	कार्यरत
11	यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड	कार्यरत
12	यूपीएसआईडीसी पॉवर कम्पनी लिमिटेड	कार्यरत
<b>ब. ऊर्जा क्षेत्र के इतर एसपीएसई</b>		
<b>ब (i) कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ</b>		
13	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	कार्यरत
14	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	कार्यरत
15	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	कार्यरत
16	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	कार्यरत
17	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	कार्यरत
18	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	कार्यरत
19	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	कार्यरत
20	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्री इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड	कार्यरत
21	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	कार्यरत
22	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	कार्यरत
23	उत्तर प्रदेश स्मॉल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड	कार्यरत
24	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड	कार्यरत
25	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	कार्यरत
26	उत्तर प्रदेश ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	कार्यरत
27	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड	कार्यरत
28	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	कार्यरत
29	उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प एवं विपणन विकास निगम लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड)	कार्यरत
30	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	कार्यरत
31	उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड	कार्यरत
32	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	कार्यरत
33	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	कार्यरत
34	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	कार्यरत
35	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड	कार्यरत
36	यूपी0 प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड	कार्यरत

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	टिप्पणी
37	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड)	कार्यरत
38	नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड	कार्यरत
39	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	कार्यरत
40	श्रीद्वॉन इण्डिया लिमिटेड	कार्यरत
41	अपट्रॉन पॉवरट्रॉनिक्स लिमिटेड	कार्यरत
42	यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	कार्यरत
43	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	कार्यरत
44	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	कार्यरत
45	उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन परिषद	कार्यरत
46	उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड	कार्यरत
47	उत्तर प्रदेश स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड)द्व	कार्यरत
<b>ब (ii) कार्यरत सरकारी नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ</b>		
48	लखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	कार्यरत
49	मेरठ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	कार्यरत
50	आगरा-मथुरा सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	कार्यरत
51	कानपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	कार्यरत
52	वाराणसी सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	कार्यरत
53	इलाहाबाद सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	कार्यरत
54	आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	कार्यरत
55	अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	कार्यरत
56	बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड	कार्यरत
57	प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड	कार्यरत
58	वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	कार्यरत
59	झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	कार्यरत
60	मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	कार्यरत
61	सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	कार्यरत
62	कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	कार्यरत
63	लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	कार्यरत
64	अलमोड़ा मेगनेसाईट लिमिटेड	कार्यरत
65	नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	कार्यरत
66	डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड	कार्यरत
<b>ब (iii) कार्यरत सांविधिक निगम</b>		
67	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	कार्यरत
68	उत्तर प्रदेश वन निगम	कार्यरत
69	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	कार्यरत
70	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	कार्यरत
71	उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम	कार्यरत
72	उत्तर प्रदेश जल निगम	कार्यरत
<b>ब (iv) निष्क्रिय सरकारी कम्पनियाँ</b>		
73	अपलीज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	निष्क्रिय
74	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड	निष्क्रिय
75	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड	निष्क्रिय



क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	टिप्पणी
76	नन्दगंज-सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड	निष्क्रिय
77	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	निष्क्रिय
78	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रुमेन्ट्स लिमिटेड	निष्क्रिय
79	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कार्पोरेशन लिमिटेड	निष्क्रिय
80	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड	निष्क्रिय
81	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	निष्क्रिय
82	उत्तर प्रदेश राज्य यार्न कम्पनी लिमिटेड	निष्क्रिय
83	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	निष्क्रिय
84	उत्तर प्रदेश पोल्ट्री एण्ड लाइव स्टॉक स्पेशियलिटीज लिमिटेड	निष्क्रिय
85	उत्तर प्रदेश स्टेट हॉर्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	निष्क्रिय
86	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	निष्क्रिय
87	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	निष्क्रिय
88	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	निष्क्रिय
89	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	निष्क्रिय
90	बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड	निष्क्रिय
91	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	निष्क्रिय
92	लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	निष्क्रिय
93	मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	निष्क्रिय
94	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	निष्क्रिय
95	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	निष्क्रिय
96	उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	निष्क्रिय
97	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	निष्क्रिय
98	उत्तर प्रदेश पूर्वान्चल विकास निगम लिमिटेड	निष्क्रिय
99	वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	निष्क्रिय
<b>ब (v) निष्क्रिय सरकार नियन्त्रित अन्य कम्पनियाँ</b>		
100	कमांड एरिया पोल्ट्री डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	निष्क्रिय
<b>ख (vi) परिसमापन के अधीन निष्क्रिय सरकारी कम्पनियाँ</b>		
101	उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	निष्क्रिय (परिसमापन के अधीन)
102	विन्ध्याचल अब्रेसिक्स लिमिटेड	निष्क्रिय (परिसमापन के अधीन)
103	ऑटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	निष्क्रिय (परिसमापन के अधीन)
104	भदोही वूलेन्स लिमिटेड	निष्क्रिय (परिसमापन के अधीन)
105	कॉन्टीनेंटल फ्लोट ग्लास लिमिटेड	निष्क्रिय (परिसमापन के अधीन)
106	कानपुर कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड	निष्क्रिय (परिसमापन के अधीन)
107	उत्तर प्रदेश एब्सकाट प्राइवेट लिमिटेड	निष्क्रिय (परिसमापन के अधीन)
108	उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	निष्क्रिय (परिसमापन के अधीन)
109	उत्तर प्रदेश प्लाण्ट प्रोटेक्शन एप्लाएन्सेस (प्राइवेट) लिमिटेड	निष्क्रिय (परिसमापन के अधीन)

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	टिप्पणी
110	उत्तर प्रदेश गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	निष्क्रिय (परिसमापन के अधीन)
111	उत्तर प्रदेश गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	निष्क्रिय (परिसमापन के अधीन)
112	अपट्रॉन इण्डिया लिमिटेड	निष्क्रिय (परिसमापन के अधीन)
<b>ख (vii) परिसमापन के अधीन निष्क्रिय सरकार नियन्त्रित अन्य कम्पनियाँ</b>		
113	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड	निष्क्रिय (परिसमापन के अधीन)

## परिशिष्ट -5.2

(प्रस्तर 5.3 में सन्दर्भित)

30 सितम्बर 2023 तक उनके नवीनतम अन्तिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार सरकारी कम्पनियों और वैधानिक निगमों की सारांशित वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम

क्रम संख्या	एसपीएसई का नाम	लेखों की अवधि	लाभांश, ब्याज एवं कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि	लाभांश, ब्याज एवं कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	(-) संचित हानि/ (+) मुक्त संवय	ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>अ. ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई</b>										
1	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2021-22	2574.79	235.66	9174.87	18580.82	37187.73	18286.08	1488.56	18901.65
2	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2021-22	286.54	275.88	98.16	435.33	358.78	291.91	-143.42	66.87
3	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (क्र०स० 1 की सहायक कंपनी)	2021-22	616.05	0.42	0.00	1783.30	8346.48	1788.53	5.23	6557.95
4	उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	955.95	-556.26	3418.97	18590.01	31091.49	17188.41	-1401.42	13903.08
5	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (क्र०स० 10 की सहायक कंपनी)	2022-23	-3916.95	-6610.27	13560.98	25885.58	29482.48	6794.65	-19090.93	22687.83
6	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (क्र०स० 10 की सहायक कंपनी)	2022-23	2066.79	991.67	21483.30	19004.09	9204.81	1034.56	-17969.53	8170.25
7	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (क्र०स० 10 की सहायक कंपनी)	2022-23	-3076.13	-4819.92	13707.75	23391.02	17400.76	3045.97	-20345.05	14354.79

क्रम संख्या	एसपीएसई का नाम	लेखों की अवधि	लाभांश ब्याज एवं कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि	लाभांश, ब्याज एवं कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूंजी	नियोजित पूंजी	निवल मूल्य	(-) संचित हानि/ (+) मुक्त संवय	ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (क्र०स० 10 की सहायक कंपनी)	2022-23	-3043.41	-5073.77	12447.81	23988.47	10346.51	-6061.51	-30049.98	16408.02
9	कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड (क्र०स० 10 की सहायक कंपनी)	2022-23	270.64	0.51	3161.48	2431.28	560.28	-1755.65	-4186.93	2315.93
10	उ०प्र० पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	-14572.24	-14572.24	0.00	119625.63	-68546.27	-68546.27	-95139.33	0.00
11	यूसीएम कोल कंपनी लिमिटेड (क्रमांक 1 का संयुक्त उद्यम)	2021-22	-0.10	-0.12	0.00	0.16	0.33	-2.17	-2.33	2.50
12	यूपीएसआईडीसी पॉवर कंपनी लिमिटेड	2013-14	-0.02	-0.02	0.00	0.05	-0.20	-0.20	-0.25	0.00
<b>उप योग -अ</b>			<b>-17838.09</b>	<b>-30128.46</b>	<b>77053.32</b>	<b>253715.74</b>	<b>75433.18</b>	<b>-27935.69</b>	<b>-186835.38</b>	<b>103368.87</b>
<b>ब. ऊर्जा क्षेत्र के इतर एसपीएसई</b>										
13	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड)	2022-23	-276.43	-319.02	91.20	5580.99	14412.37	4218.98	-1362.01	10193.39
14	नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	-15.89	-53.98	52.24	1400.24	1929.79	1015.23	-385.01	914.56
15	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	2020-21	6.86	4.29	4.79	135.58	754.24	-241.17	-376.75	995.41
16	श्रीद्वान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2021-22	2.56	1.78	28.17	7.12	18.00	16.34	9.22	1.66

क्रम संख्या	एसपीएसई का नाम	लेखों की अवधि	लाभांश, ब्याज एवं कर से पहले शुद्ध लाभ/ हानि	लाभांश, ब्याज एवं कर के बाद शुद्ध लाभ/ हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	(-) संचित हानि/ (+) मुक्त संवय	ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	अपट्रॉन पॉवरट्रॉनिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन की सहायक)	2020-21	3.20	2.40	55.44	4.07	8.24	5.97	1.90	2.27
18	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	1.54	1.06	43.26	91.54	208.42	96.74	14.15	111.68
19	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2021-22	44.15	44.13	475.45	0.42	482.52	482.52	482.10	0.00
20	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2020-21	8.41	6.75	251.71	3.00	21.43	21.43	18.43	0.00
21	उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन परिषद	2022-23	0.28	0.28	0.33	0.05	7.11	2.11	2.06	5.00
22	उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइ कार्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	36.20	25.61	37.13	11.00	54.83	54.83	43.83	0.00
23	इलाहाबाद सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2019-20	-10.90	-10.90	15.19	4.91	-5.00	-11.57	-16.48	6.57
24	उत्तर प्रदेश स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड)	2020-21	0.56	0.45	685.87	0.15	73.79	73.79	73.64	0.00
25	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2005-06	2.07	-1.10	3.10	29.99	116.12	32.22	2.23	83.90
26	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2016-17	0.41	-1.32	1.11	12.23	69.42	17.53	5.30	51.89
27	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2017-18	3.90	2.79	54.54	230.42	384.79	344.98	114.56	39.81

31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रम संख्या	एसपीएसई का नाम	लेखों की अवधि	लाभांश, ब्याज एवं कर से पहले शुद्ध लाभ/ हानि	लाभांश, ब्याज एवं कर के बाद शुद्ध लाभ/ हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूंजी	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	(-) संचित हानि/ (+) मुक्त संवय	ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	2010-11	17.23	10.86		5.50	143.13	56.87	51.37	86.26
29	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	2019-20	0.01	0.01	0.08	1.50	2.54	2.54	1.04	
30	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	2015-16	0.11	0.11	0.59	5.19	7.64	7.64	2.45	0.00
31	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	2003-04	-0.21	-0.21	0.30	5.25	5.50	5.50	0.25	0.00
32	उत्तर प्रदेश स्टेट एगो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड	2010-11	17.51	10.26	793.26	46.30	62.80	30.21	-16.09	32.59
33	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	2014-15	190.14	120.38	3778.66	1.00	1004.09	1004.09	1003.09	0.00
34	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	2019-20	127.22	41.03	1511.18	15.00	798.45	275.58	260.58	522.87
35	उत्तर प्रदेश स्मॉल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड	2011-12	8.77	5.59	319.86	5.96	30.29	23.55	17.59	6.74
36	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड	2019-20	4.08	2.15	177.46	6.92	61.93	61.93	55.01	
37	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	2016-17	1.13	0.92	8.58	1.07	7.36	7.36	6.29	0.00
38	उत्तर प्रदेश ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	2009-10	-9.21	-9.21	0.55	1.10	-25.49	-25.49	-26.59	0.00
39	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	2017-18	-3.64	-3.64	0.00	880.13	194.12	118.24	-761.89	75.88

क्रम संख्या	एसपीएसई का नाम	लेखों की अवधि	लाभांश ब्याज एवं कर से पहले शुद्ध लाभ/ हानि	लाभांश, ब्याज एवं कर के बाद शुद्ध लाभ/ हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	(-) संचित हानि/ (+) मुक्त संवय	ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	2017-18	-36.20	-36.20	146.15	1648.31	384.99	126.23	-156.16	258.76
41	उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प एवं विपणन विकास निगम लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड)	2008-09	-1.88	-1.90	5.29	7.24	-6.60	-17.41	-24.65	10.81
42	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2017-18	1.55	1.55	35.78	32.60	15.57	15.57	-17.03	0.00
43	लखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	लेखें प्रस्तुत नहीं किये	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
44	मेरठ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2017-18	-8.59	-8.59	21.74	4.04	5.44	2.78	-1.26	2.66
45	आगरा-मथुरा सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	लेखें प्रस्तुत नहीं किये	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
46	कानपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2017-18	-11.48	-11.48	15.44	0.67	-6.74	-6.74	-7.41	0.00
47	वाराणसी सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	लेखें प्रस्तुत नहीं किये	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
48	उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड	लेखें प्रस्तुत नहीं किये	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
49	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2017-18	0.04	0.04	0.18	0.26	1.98	-0.50	-0.76	2.48
50	उत्तर प्रदेश स्टेट हेण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	2000-01	-8.02	-8.80	25.44	47.07	0.85	-37.86	-84.93	38.71

31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रम संख्या	एसपीएसई का नाम	लेखों की अवधि	लाभांश ब्याज एवं कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि	लाभांश, ब्याज एवं कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूंजी	नियोजित पूंजी	निवल मूल्य	(-) संचित हानि/ (+) मुक्त संवय	ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	2018-19	-1.37	-5.65	0.00	93.24	-79.84	-181.25	-274.49	101.41
52	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	14.79	10.03	327.06	1.00	51.63	51.63	50.63	0.00
53	यूपी0 प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	8.33	4.32	417.86	6.40	129.88	129.88	123.48	0.00
54	आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	0.01	0.01	0.00	216.00	216.04	216.04	0.04	0.00
55	अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2022-23	-40.91	-40.91	0.14	2.00	-204.41	-204.41	-206.41	0.00
56	बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	0.00	0.00	0.18	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00
57	प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	-0.04	-0.04	0.00	490.00	489.34	489.34	-0.66	0.00
58	वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	0.22	0.16	0.00	200.00	200.28	200.28	0.28	0.00
59	मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	0.16	0.16	0.00	100.50	92.49	92.49	-8.01	0.00
60	सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	0.00	0.00 <sup>13</sup>	0.00	0.50	26.35	26.35	25.85	0.00
61	झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00
62	कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2017-18	-0.90	-0.90	0.00	216.00	214.50	214.50	-1.50	0.00
63	लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	-4.95	-4.95	0.00	382.00	370.75	370.75	-11.25	0.00
64	अलमोड़ा मेगनेसाईट लिमिटेड	2021-22	0.61	0.43	31.34	2.00	6.40	6.16	4.87	0.24
65	नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	2019-20	2.52	1.61	0.00	0.01	3604.38	-2.74	-2.75	3607.12
66	डीएमआईसी इटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड	2021-22	46.45	32.65	0.00	2940.51	3018.65	3018.65	78.14	0.00

<sup>13</sup> वर्ष 2021-22 के लिए सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड का शुद्ध लाभ ₹ 7,011 था।



क्रम संख्या	एसपीएसई का नाम	लेखों की अवधि	लाभांश ब्याज एवं कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि	लाभांश, ब्याज एवं कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूंजी	नियोजित पूंजी	निवल मूल्य	(-) संचित हानि/ (+) मुक्त संवय	ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2020-21	-27.82	-27.82	3830.94	981.42	77.07	47.07	-934.35	30.00
68	उत्तर प्रदेश वन निगम	2021-22	5.96	5.96	151.33	0.00	1382.91	1382.91	1382.91	0.00
69	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	2021-22	144.68	144.68	858.41	0.00	5308.19	5308.19	5308.19	0.00
70	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	2012-13	17.40	17.38	22.22	179.28	-52.98	-719.11	-898.39	666.13
71	उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम	2020-21	223.54	165.53	594.03	13.01	1073.67	961.68	952.00	111.99
72	उत्तर प्रदेश जल निगम	2019-20	-197.80	-250.68	769.83	0.00	-724.25	-1820.15	-1820.15	1095.90
	<b>उप योग -ब</b>		<b>286.36</b>	<b>-131.94</b>	<b>15643.41</b>	<b>16051.69</b>	<b>36425.97</b>	<b>17369.28</b>	<b>2696.50</b>	<b>19056.69</b>
	<b>ऊर्जा क्षेत्र का योग = अ</b>		<b>-17838.09</b>	<b>-30128.46</b>	<b>77053.32</b>	<b>253715.74</b>	<b>75433.18</b>	<b>-27935.69</b>	<b>-186835.38</b>	<b>103368.87</b>
	<b>ऊर्जा क्षेत्र के इतर का योग = ब</b>		<b>286.36</b>	<b>-131.94</b>	<b>15643.41</b>	<b>16051.69</b>	<b>36425.97</b>	<b>17369.28</b>	<b>2696.50</b>	<b>19056.69</b>
	<b>महायोग (अ + ब)</b>		<b>-17551.73</b>	<b>-30260.40</b>	<b>92696.73</b>	<b>269767.43*</b>	<b>111859.15</b>	<b>-10566.41</b>	<b>-184138.88</b>	<b>122425.56</b>

\* टिप्पणी:

1. ₹ 2,69,767.43 करोड़ की प्रदत्त पूंजी में क्रमांक 18 पर कंपनी की होल्डिंग में ₹ 8.95 करोड़ की राशि शामिल है, जो सरकार द्वारा उनकी सहायक कंपनियों के लिए दिया गया था। इसलिए, निवल मूल्य और नियोजित पूंजी की गणना के लिए ₹ 8.95 करोड़ की राशि को बाहर रखा गया है। इसके अलावा क्रम संख्या 18 पर ऋण राशि ₹ 111.68 करोड़ में क्रमशः क्रम संख्या 16 और 17 पर कम्पनियों को दी गई ऋण राशि ₹ 1.86 करोड़ और ₹ 2.27 करोड़ शामिल है।
2. ₹ 2,69,767.43 करोड़ की प्रदत्त पूंजी में क्रमांक 1 (₹ 1,783.30 करोड़) और क्रमांक 10 (₹ 93,032.57 करोड़) पर एसपीएसई की होल्डिंग कंपनी में ₹ 94,815.87 करोड़ की राशि शामिल है, जो सरकार द्वारा उनकी सहायक कंपनियों क्रमांक 3,5,6,7,8,9 और 11 के लिए दिया गया था। इसलिए, निवल मूल्य और नियोजित पूंजी ₹ 94,815.87 करोड़ की राशि को गणना के लिए बाहर रखा गया है।
3. निवल मूल्य प्रदत्त पूंजी और मुक्त निधि एवं अधिशेष में घटा संचित हानि और आस्थगित राजस्व व्यय (डीआरई) का कुल योग है।
4. नियोजित पूंजी = प्रदत्त पूंजी + मुक्त निधि एवं अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण-डीआरई।

**परिशिष्ट -5.3**  
(प्रस्तर 5.10.2 एवं 5.10.3 में सन्दर्भित)  
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बकाया लेखों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	एसपीएसई का नाम	वर्ष जिसके लिए लेखें बकाया हैं	बकाया लेखों की संख्या	एसपीएसई की स्थिति
<b>अ</b>	<b>कम्पनियाँ</b>			
1	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (स्टैंडअलोन एवं सीएफएस)	2022-23	2	कार्यरत
2	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2022-23	1	कार्यरत
3	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2022-23	1	कार्यरत
4	उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	1	कार्यरत
5	यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड	2022-23	1	कार्यरत
6	यूपीएसआईडीसी पॉवर कम्पनी लिमिटेड	2014-15 से 2022-23	9	कार्यरत
7	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2006-07 से 2022-23	17	कार्यरत
8	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2017-18 से 2022-23	6	कार्यरत
9	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2018-19 से 2022-23	5	कार्यरत
10	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	2011-12 से 2022-23	12	कार्यरत
11	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	2020-21 से 2022-23	3	कार्यरत
12	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	2016-17 से 2022-23	7	कार्यरत
13	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	2004-05 से 2022-23	19	कार्यरत
14	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड	2011-12 से 2022-23	12	कार्यरत
15	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	2015-16 से 2022-23	8	कार्यरत
16	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	2020-21 से 2022-23	3	कार्यरत
17	उत्तर प्रदेश स्मॉल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड	2012-13 से 2022-23	11	कार्यरत
18	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड	2020-21 से 2022-23	3	कार्यरत
19	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	2017-18 से 2022-23	6	कार्यरत
20	उत्तर प्रदेश ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	2010-11 से 2022-23	13	कार्यरत
21	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड	2018-19 से 2022-23	5	कार्यरत
22	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड (स्टैंडअलोन एवं सीएफएस)	2018-19 से 2022-23	10	कार्यरत
23	उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प एवं विपणन विकास निगम लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड)	2009-10 से 2022-23	14	कार्यरत
24	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2018-19 से 2022-23	5	कार्यरत
25	लखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2010-11 से 2022-23	13	कार्यरत
26	मेरठ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2018-19 से 2022-23	5	कार्यरत
27	आगरा-मथुरा सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2010-11 से 2022-23	13	कार्यरत
28	कानपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज	2018-19 से 2022-23	5	कार्यरत
29	वाराणसी सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2010-11 से 2022-23	13	कार्यरत
30	उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड	2018-19 से 2022-23	5	कार्यरत
31	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2018-19 से 2022-23	5	कार्यरत
32	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	2019-20 से 2022-23	4	कार्यरत
33	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	2001-02 से 2022-23	22	कार्यरत
34	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड	2021-22 एवं 2022-23	2	कार्यरत
35	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड	2020-21 से 2022-23	3	कार्यरत

क्रम संख्या	एसपीएसई का नाम	वर्ष जिसके लिए लेखें बकाया हैं	बकाया लेखों की संख्या	एसपीएसई की स्थिति
36	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	2021-22 एवं 2022-23	2	कार्यरत
37	श्रीद्वीप इण्डिया लिमिटेड	2022-23	1	कार्यरत
38	अपट्रॉन पॉवरट्रॉनिक्स लिमिटेड	2021-22 एवं 2022-23	2	कार्यरत
39	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड (स्टैंडअलोन एवं सीएफएस)	2021-22 एवं 2022-23	4	कार्यरत
40	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2022-23	1	कार्यरत
41	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2021-22 से 2022-23	2	कार्यरत
42	उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड	2021-22 एवं 2022-23	2	कार्यरत
43	इलाहाबाद सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2020-21 से 2022-23	3	कार्यरत
44	उत्तर प्रदेश स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड)	2021-22 एवं 2022-23	2	कार्यरत
45	आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2022-23	1	कार्यरत
46	बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2022-23	1	कार्यरत
47	प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2022-23	1	कार्यरत
48	वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2022-23	1	कार्यरत
49	झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21 से 2022-23	3	कार्यरत
50	मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2022-23	1	कार्यरत
51	सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2022-23	1	कार्यरत
52	कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19 से 2022-23	5	कार्यरत
53	लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21 से 2022-23	3	कार्यरत
54	अलमोड़ा मेगनेसाईट लिमिटेड	2022-23	1	कार्यरत
55	नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	2020-21 से 2022-23	3	कार्यरत
56	डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड	2022-23	1	कार्यरत
57	अपलीज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	1998-99 से 2022-23	25	निष्क्रिय
58	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड	2018-19 से 2022-23	5	निष्क्रिय
59	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड	2018-19 से 2022-23	5	निष्क्रिय
60	नन्दगंज-सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड	2018-19 से 2022-23	5	निष्क्रिय
61	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	2011-12 से 2022-23	12	निष्क्रिय
62	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रुमेन्ट्स लिमिटेड	2002-03 से 2022-23	21	निष्क्रिय
63	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कार्पोरेशन लिमिटेड	1998-99 से 2022-23	25	निष्क्रिय
64	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड	2021-22 से 2022-23	2	निष्क्रिय
65	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेण्ट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	2001-02 से 2022-23	22	निष्क्रिय
66	उ0प्र0 राज्य यार्न कम्पनी लिमिटेड	2022-23	1	निष्क्रिय
67	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	2017-18 से 2022-23	6	निष्क्रिय
68	उत्तर प्रदेश पोल्ट्री एण्ड लाइव स्टॉक स्पेशियलिटीज़ लिमिटेड	2014-15 से 2022-23	9	निष्क्रिय
69	उत्तर प्रदेश स्टेट हॉर्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	1985-86 से 2022-23	38	निष्क्रिय
70	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2013-14 से 2022-23	10	निष्क्रिय
71	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1996-97 से 2022-23	27	निष्क्रिय
72	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1989-90 से 2022-23	34	निष्क्रिय
73	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1984-85 से 2022-23	39	निष्क्रिय
74	बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1989-90 से 2022-23	34	निष्क्रिय

क्रम संख्या	एसपीएसई का नाम	वर्ष जिसके लिए लेखे बकाया हैं	बकाया लेखों की संख्या	एसपीएसई की स्थिति
75	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1989-90 से 2022-23	34	निष्क्रिय
76	लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	1982-83 से 2022-23	41	निष्क्रिय
77	मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2009-10 से 2022-23	14	निष्क्रिय
78	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1992-93 से 2022-23	31	निष्क्रिय
79	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	1983-84 से 2022-23	40	निष्क्रिय
80	उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	2011-12 से 2022-23	12	निष्क्रिय
81	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	2010-11 से 2022-23	13	निष्क्रिय
82	उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	1988-89 से 2022-23	35	निष्क्रिय
83	वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1988-89 से 2022-23	35	निष्क्रिय
84	कमाण्ड एरिया पोल्ट्री डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	1995-96 से 2022-23	28	निष्क्रिय
<b>अ (i) परिसमापन के अधीन को छोड़कर कुल कम्पनियों के बकाया लेखों की संख्या</b>			<b>908</b>	
85	उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	1996-97 से 1998-99	3	परिसमापन के अधीन (यूएल)
86	विन्ध्याचल अब्रेसिव्स लिमिटेड	1988-89 से 2002-03	15	यूएल
87	ऑटो ट्रेक्टर्स लिमिटेड	1992-93 से 2002-03	11	यूएल
88	भदोही वूलेन्स लिमिटेड	1995-96	1	यूएल
89	कॉन्टीनेंटल फ्लोट ग्लास लिमिटेड	1998-99 से 2001-02	4	यूएल
90	कानपुर कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड	1978-79 से 1996-97	19	यूएल
91	उत्तर प्रदेश एब्सकाट प्राइवेट लिमिटेड	1976-77 से 1986-87	11	यूएल
92	उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	1993-94	1	यूएल
93	उत्तर प्रदेश प्लाण्ट प्रोटेक्शन एप्लान्सेस (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1975-76 से 2003-04	29	यूएल
94	अपट्रॉन इण्डिया लिमिटेड	1996-97 से 2013-14 (26.03.2014 परिसमापन के अधीन)	18	यूएल
95	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड	1974-75 से 1981-82	8	यूएल
<b>अ (ii) परिसमापन के अधीन कुल कम्पनियों की संख्या जिनके लेखे बकाया थे</b>			<b>120</b>	
<b>कुल कम्पनियों के बकाया लेखों की संख्या {अ(i)+ अ (ii)}</b>			<b>1028</b>	
<b>ब</b>	<b>सांविधिक निगम</b>			
1	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2021-22 एवं 2022-23	2	कार्यरत
2	उत्तर प्रदेश वन निगम	2022-23	1	कार्यरत
3	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	2022-23	1	कार्यरत
4	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	2013-14 से 2022-23	10	कार्यरत
5	उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम	2021-22 से 2022-23	2	कार्यरत
6	उत्तर प्रदेश जल निगम	2020-21 से 2022-23	3	कार्यरत
<b>कुल सांविधिक निगमों के बकाया लेखों की संख्या (ब)</b>			<b>19</b>	
<b>कुल एसपीएसई के बकाया लेखों की संख्या (अ+ब)</b>			<b>1047</b>	

## पदों की व्याख्या

पद	व्याख्या
विनियोग लेखे	विधान सभा द्वारा प्रत्येक मतदेय अनुदानों एवं भारित विनियोगों के अन्तर्गत बजट अनुदान में प्राधिकृत कुल निधियों (मूल एवं अनुपूरक) की धनराशि की तुलना में प्रत्येक के विरुद्ध व्यय धनराशि एवं प्रत्येक अनुदान या विनियोग के अन्तर्गत बचत या आधिक्य का विवरण विनियोग लेखे में होता है। मतदेय अनुदान/भारित विनियोग से अधिक किसी भी व्यय का विधायिका द्वारा विनियमन अपेक्षित होता है।
स्वायत्त निकाय	जब कभी सरकारी व्यवस्था से अलग कुछ सीमा तक स्वतंत्रता एवं सरकारी कार्य प्रणाली के दिन-प्रतिदिन के हस्तक्षेप के बगैर, लचीलेपन के साथ कुछ क्रियाओं को संपादित करने की आवश्यकता महसूस होती है तब स्वायत्त निकायों (प्रायः पंजीकृत समितियाँ या सांविधिक निगमों) की स्थापना की जाती है।
उछाल अनुपात	उछाल अनुपात आधार चर में दिए गए परिवर्तन के सापेक्ष किसी राजकोषीय चर की प्रतिक्रिया के लोच या परिमाण को इंगित करता है।
वचनबद्ध व्यय	राजस्व लेखों पर राज्य सरकार के वचनबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं सब्सिडी, जिस पर वर्तमान कार्यपालिका का सीमित नियंत्रण होता है, शामिल होते हैं।
आकस्मिक देयतायें	आकस्मिक देयताओं पर व्यय, भविष्य में किसी घटना के घटित होने पर किया या नहीं किया जा सकता है जैसे न्यायालयी प्रकरण।
ऋण संवहनीयता	राज्य द्वारा ऋण-जीएसडीपी के अनुपात को स्थिर रखने की क्षमता को ऋण संवहनीयता के रूप में परिभाषित किया जाता है और यह ऋण के सर्विस की क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। इस प्रकार ऋण संवहनीयता चालू या वचनबद्ध देयताओं की पूर्ति हेतु तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता तथा लागत एवं अतिरिक्त ऋण के साथ उस पर प्रतिफल के मध्य सन्तुलन बनाने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। इसका तात्पर्य यह है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि का ऋण के सर्विस की क्षमता से सुमेल होना चाहिए।
ऋण स्थिरता	स्थिरता के लिये आवश्यक शर्त है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ब्याज दर या सार्वजनिक ऋण की लागत से अधिक है तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात संभवतः स्थिर होगा बशर्ते प्राथमिक अवशेष या तो शून्य या धनात्मक या मामूली ऋणात्मक हो।
आन्तरिक ऋण	आन्तरिक ऋण में भारत में लोगों से प्राप्त नियमित ऋण, जिसे 'भारत में उगाहा गया ऋण' भी कहा जाता है, शामिल है। यह संचित निधि में जमा किये जाने वाले ऋण तक सीमित होता है।
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	इसे ऋण विमोचन (मूलधन और ब्याज का भुगतान) के कुल ऋण प्राप्तियों से अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है तथा यह उस सीमा को प्रदर्शित करता है जिसमें ऋण प्राप्तियों का उपयोग

पद	व्याख्या
	उधार निधियों की निवल उपलब्धता को दर्शाने वाले ऋणों के विमोचन में किया जाता है।
प्राथमिक घाटा/ आधिक्य	राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान को घटाने पर प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। इसे सरकार के राजस्व प्राप्तियों एवं गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों पर गैर-ब्याज व्यय के आधिक्य के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है।
लोक लेखा समिति	विधान सभा द्वारा गठित समिति जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के राज्य के विनियोग लेखे, राज्य के वार्षिक वित्तीय लेखे या इस प्रकार के अन्य लेखे या वित्तीय मामलों से सम्बन्धित प्रतिवेदनों, जिसे इसके समक्ष रखा जाय या जिसकी जाँच करना समिति आवश्यक समझे, की जाँच करती है।
पुनर्विनियोग	विनियोग की एक प्राथमिक इकाई से अन्य उसी प्रकार की इकाई को निधियों का अन्तरण।
निक्षेप निधि	एक निधि जिसमें सरकार कुछ समय बाद अपने ऋणों से मुक्ति हेतु धन आरक्षित करती है।
अनुपूरक अनुदान	यदि संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुरूप निर्मित विधि द्वारा प्राधिकृत धनराशि चालू वित्त वर्ष के किसी विशेष सेवा पर उसी उद्देश्य हेतु व्यय के लिये अपर्याप्त पायी जाती है या जब उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल न की गयी किसी नयी सेवा के लिये अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न हुई हो तब सरकार संविधान के अनुच्छेद 205 के प्रावधान के अनुरूप अनुपूरक अनुदान या विनियोग लाती है।

## प्रथमाक्षरी

प्रथमाक्षरी	पूर्ण विस्तार
एसी बिल	संक्षिप्त आकस्मिक बिल
एजीएम	वार्षिक आम सभा
बीओसीडब्लू एक्ट	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम
सीएजी	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
सीएजीआर	मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर
सीसीओ	मुख्य नियंत्रक अधिकारी
सीजीए	महालेखा नियंत्रक
सीएसएफ	समेकित निक्षेप निधि
डीसीसी बिल	विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल
डीसीपीएस	परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना
ईबीआईटी	ब्याज एवं करों से पूर्व का लाभ
एफसी	वित्त आयोग
एफआरबीएम एक्ट	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीओआई	भारत सरकार
जीओयूपी	उत्तर प्रदेश सरकार
जीएसडीपी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
आईजीएसटी	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर
इंड एस	भारतीय लेखांकन मानक
एमएच	मुख्य शीर्ष
एमटीएफआरपी	मध्यकालिक राजकोषीय पुर्नसंरचना नीति
एनएसडीएल	राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड
पीएसी	लोक लेखा समिति
पीएओ	वेतन एवं लेखाधिकारी
पीडी एकाउण्ट	वैयक्तिक जमा खाता
पीएलए	वैयक्तिक लेजर खाता
पीपीपी	सार्वजनिक निजी भागीदारी
पीआरआई	पंचायती राज संस्थाएं
पीएसयूज	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
आरओसीई	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल
आरओई	पूंजी पर प्रतिफल
एसडीआरएफ	राज्य आपदा अनुक्रिया निधि
एसजीएसटी	राज्य वस्तु एवं सेवा कर
यूसी	उपभोग प्रमाण-पत्र
उदय	उज्ज्वल डिस्कॉम्स एश्योरेंस योजना
यूपीबीएम	उत्तर प्रदेश बजट नियमावली







© भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

<https://cag.gov.in/ag2/uttar-pradesh>